दशम माला, खंड 38, अंक 1

शुक्रवार, 31 मार्च, 1995
10 चैत्र, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

लोक सभा के दिनांक 31 मार्च, 1995 के वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
101	7	अस्पलात	अस्पताल
110	नीचे से 7	सटेट	स्टेट
112	11	30 सिम्बर	30 सितम्बर
114	प्रश्न सं॰ 2689	अनतराव देशमुख	श्री अनतराव देशमुख
203	12	श्री डा0 वेंकटेश्वर राव	श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव
226	नीचे से 10	नागर मानन	नागर विमानन
258	नीचे से 13	मध्यान्ह	मध्याह्न
318	17	श्री बलराज जाखड़	श्री बलराम जाखड़
339	पाद टिप्पण	*मूलत: संस्कृति में दिए गए माजमा का हिन्दी स्मान्तर	मूलत: संस्कृत में दिए गए भाषण का हिन्दी स्मान्तर
341	18	लोक शिकायत	लोक शिकायत
343	2	श्री सरेन्द्रपाल पाठक	श्री सुरेन्द्रपाल पाठक

विषय-सूची

दशम माला, खंड 39, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 14, शुक्रवार, 31 मार्च, 1995/10 चैत्र, 1917 (शक)

विषय		कालम
निधन सम्बन्धी उल्लेख		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	261, 263, 264 और 268	2—52
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	262, 265–267 और 269–280	52—75
अतारांकित प्रश्न संख्या	2642 से 2871	75—258
शिव सेना के एक नेता द्वारा एक समुदाय विशेष के लोगों को दी गई कथित धमकी के वक्तव्य से उत्पन्न स्थिति		258—318
सभा पटल पर रखे गये पत्र		318—326
राज्य सभा से संदेश		327—328
विधेयकों पर अनुमति		329
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति		329
लोक लेखा समिति		
बानवेवां प्रतिवेदन – **प्रस्तुत**		330
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति		
उन्तालीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश – **प्रस्तुत**		330
ऊर्जा सम्बन्धी स्थायी समिति		
चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन – **प्रस्तुत**		330
पैट्रोलियम और रसायन सम्बन्धी स्थायी समिति		
कार्यवाही सारांश – **सभा पटल पर रखा गया**		331
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन सम्बन्धी स्थायी समिति		
सत्रहवां प्रतिवेदन—**सभा पटल पर रखा गया**		331
यात्री और माल भाड़ा यातायात सेवाओं में सुधार की दृष्टि से बांकुरा दामोदर नदी रेलवे के राष्ट्रीयकरण, आमान परिवर्तन के द्वारा इसका दर्जा बढ़ाने और विस्तार के बारे में याचिका — **प्रस्तुत**		331
नियम 331छ के निलम्बन के बारे में टिप्पणी		331—332
मुम्बई और कलकत्ता के उपनगरीय क्षेत्रों में रेल किराये में वृद्धि के बारे में		332—336

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
नियम 377 के अधीन मामले	337—341
(एक) महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थित कर वफा मध्यम सिंचाई परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता श्री शांताराम पोतदुखे	337
(दो) गुरु गोबिन्द सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के तीसरी शताब्दी समारोह को "मानव बोध वर्ष" के रूप में मनाये जाने की आवश्यकता श्री पवन कुमार बंसल	338
(तीन) राजस्थान में बीकानेर के महाजन कस्बे में फायरिंग रेंज का निर्माण करने के लिए जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया उनके मुआवजे के दावों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता श्री मनफूल सिंह	338
(चार) मयूरभंज (उड़ीसा) में दूरसंचार की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता कुमारी सुशीला तिरिया	338—339
(पांच) मध्य प्रदेश की नर्मदा सागर योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने की आवश्यकता डा. सत्यनारायण जटिया	339
(छः) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में उन विस्थापित कृषकों को जिन की भूमि इस प्रयोजनार्थ अधिगृहीत कर ली गई थी, रोजगार देने के लिए तेल डिपुओं की स्थापना करने की आवश्यकता श्री राजवीर सिंह	340
(सात) राष्ट्रीय पटसन विपणन निगम को पश्चिम बंगाल के नाडिया तथा कुछ अन्य भागों में सहकारी विपणन समितियों की बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक धनराशि देने की आवश्यकता श्री अजय मुखोपाध्याय	340—341
(आठ) नारियल के समर्थन मूल्य की घोषणा करने की आवश्यकता श्री पी.सी. थामस	341
विधेयक पुरःस्थापित	341—349
संविधान (संशोधन) विधेयक (नया अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन) श्री पी.पी. कालियापेरूमल	341—342
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 243 य ध में संशोधन) श्री उत्तमराव देव राव पाटील	342
खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक (धारा 2 में संशोधन) श्री मोहन सिंह (देवरिया)	342
राजभाषा विधेयक श्री सुरेन्द्रपाल पाठक	343
आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) निरसन विधेयक श्री चित्त बसु	343
प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक (नई धारा 3क का अन्तःस्थापन) श्री चित्त बसु	344

विषय	कालम
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक	
(धारा 24 में संशोधन)	
श्री चित्त बसु	344
निर्वाचन पूर्व सर्वेक्षण प्रकाशन प्रतिषेध विधेयक	
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	344—345
राज्य पुर्नगठन आयोग विधेयक	
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	345
संविधान (संशोधन) विधेयक	
(नये अनुच्छेद 237क का अन्तःस्थापन)	
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	345
पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक	
(धारा 5 में संशोधन)	
श्री रमेश चेन्नितेला	345
खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक	
(धारा 2 और 12 में संशोधन)	
श्री रमेश चेन्नितला	346
विकलांग व्यक्ति (विशेष प्रसुविधा) विधेयक	
श्री रमेश चेन्नितला	346—347
उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक	
(धारा 13 में संशोधन)	
श्री रमेश चेन्नितला	347
महर्षि बाल्मीकि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक	
श्री मंगल राम प्रेमी	347—348
संविधान (संशोधन) विधेयक	
(अनुच्छेद 39, आदि में संशोधन)	
श्री एम. कृष्ण स्वामी	348
संविधान (संशोधन) विधेयक	
(अनुच्छेद 269, आदि में संशोधन)	
श्री चित्त बसु	348
अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन (संशोधन) विधेयक	
(धारा 1 में संशोधन)	
श्री सैयद शहाबुद्दीन	349
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए (सरकारी सेवाओं में) पदों का आरक्षण विधेयक	349—383
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री कालका दास	349—353
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	353—356
श्री मंगल राम प्रेमी	356—359
श्री याइमा सिंह युमनाम	359—361
श्री सैयद शहाबुद्दीन	361—367

विषय	कालम
श्री हरचंद सिंह	367—370
श्री रामदेव राम	370—372
श्री मंजय लाल	372—374
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	374—378
श्री प्रभू दयाल कठेरिया	378—380
डा. असीम बाला	380—382
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	382

लोक सभा

शुक्रवार, 31 मार्च, 1995/10, चैत्र, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने एक पूर्व सहयोगी, श्री पी. गंगादेव के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री पी. गंगादेव 1957-62 और 1971-77 के दौरान क्रमशः दूसरी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उड़ीसा के अंगुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व वह उड़ीसा की भूतपूर्व रियासत बामरा में मंत्री पद पर रहे और वहां विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला।

एक सुप्रसिद्ध सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता होने के नाते, श्री गंगादेव अपने राज्य की विभिन्न शैक्षिक और अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए थे। निकटवर्ती रियासतों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय बनाने में उन्होंने काफी दिलचस्पी ली।

वह अपने राज्य के जनजातीय और ग्रामीण लोगों के उत्थान में गहरी रूचि लेते थे।

उन्होंने काफी भ्रमण किया और साहित्य, फोटोग्राफी, ललित कलाओं तथा खेलकूद के क्षेत्रों में उनकी विशेष रूचि रही। वह नेशनल राईफल एसोसिएशन आफ इंडिया के आजीवन सदस्य थे।

उनको साहित्य में रूचि थी और उन्होंने उड़ीया में कई कविताएं लिखीं।

वह सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और सभा के वाद-विवाद में उनका बहुमूल्य योगदान रहा।

श्री गंगोदव का निधन 76 वर्ष की आयु में 28 मार्च, 1995 को नई दिल्ली में हुआ।

हम उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक-संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने में मेरे साथ है।

अब सभा कुछ देर मौन खड़ी रहकर दिवंगत आत्मा के प्रति अपना सम्मान प्रकट करें।

11.03 म.पू.

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

11.05 म.पू.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मुद्रास्फीति की दर

+

*261. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रास्फीति की दर दो अंकों तक पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दर अंक-दर-अंक आधार पर कितनी रही;

(ग) 1981-82 को आधार वर्ष मानकर 1994 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में वार्षिक मुद्रास्फीति कितनी रही;

(घ) किन-किन समूहों और उप-समूहों में मुद्रास्फीति वार्षिक औसत से अधिक हुई;

(ङ) किन-किन समूहों और उप-समूहों में मुद्रास्फीति वार्षिक औसत से कम हुई;

(च) गत छह महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या मुद्रास्फीति की दर/मूल्य सूचकांक में सतत वृद्धि हुई;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) सरकार ने मंहगाई तथा मुद्रास्फीति की बढ़ती दर को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (झ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। दिसम्बर, 1994 से फरवरी, 1995 के बीच 11 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचने के बाद नवीनतम मुद्रास्फीति दर 11 मार्च, 1995 के अनुसार 10.3 प्रतिशत पर आ गई।

(ख) 1981-82 को आधार मानकर थोक मूल्य सूचकांक द्वारा ली गई माप के अनुसार बिन्दु-प्रति-बिन्दु आधार पर पिछले छः महीने के दौरान साप्ताहिक मुद्रास्फीति दर नीचे दर्शायी गई है:

समाप्त सप्ताह (तारीख)	वार्षिक मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)	समाप्त सप्ताह (तारीख)	वार्षिक मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)
1	2	3	4
3.9.94	8.8	3.12.94	10.9
10.9.94	9.3	10.12.94	11.3
17.9.94	8.9	17.12.94	11.2

1	2	3	4
24.9.94	8.6	24.12.94	11.2
1.10.94	8.4	31.12.94	11.3
8.10.94	8.9	7.1.95	11.9
15.10.94	8.9	14.1.95	10.6
22.10.94	9.3	21.1.95	11.1
29.10.94	9.1	28.1.95	11.6
5.11.94	9.0	4.2.95	11.4
12.11.94	9.5	11.2.95	11.5
19.11.94	10.1	18.2.95	11.5
26.11.94	10.6	25.2.95	11.4
		4.3.95	10.5
		11.3.95	10.3

(ग) 1981-82 आधार वर्ष के रूप में थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार 1994 के दौरान औसत मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 10.4 प्रतिशत थी।

(घ) और (ङ). 10.3 प्रतिशत की वार्षिक (सभी वस्तुएं) मुद्रास्फीति दर के सापेक्ष में 11.3.95 के अनुसार वे समूह एवं उप-समूह जिन्होंने उच्चतर और निम्नतर वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज की, नीचे दिए गए हैं:

वार्षिक औसत की अपेक्षा 11.3.1995 को उच्चतर मुद्रास्फीति दर्शाते हुए समूह/उप-समूह

	समूह/उप-समूह	वार्षिक मुद्रास्फीति (प्रतिशत)
(क)	प्राथमिक वस्तुएं	14.1
(I)	खाद्य वस्तुएं	12.7
(II)	खाद्य-भिन्न वस्तुएं	18.4
(ख)	विनिर्मित उत्पाद	
(I)	पेय पदार्थ, तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	10.5
(II)	वस्त्र	13.4
(III)	रबड़ एवं प्लास्टिक उत्पाद	12.4
(IV)	रसायन एवं रसायन उत्पाद	12.0
(V)	मशीनरी एवं मशीन उपकरण	33.1

वार्षिक औसत की अपेक्षा 11.3.1995 को निम्नतर मुद्रास्फीति दर्शाते हुए समूह/उप-समूह

	समूह/उप-समूह	वार्षिक मुद्रास्फीति (प्रतिशत)
(क)	प्राथमिक वस्तुएं (खनिज)	6.8
(ख)	ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं स्नेहन	1.2
(ग)	विनिर्मित उत्पाद	
(I)	खाद्य उत्पाद	8.5
(II)	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	6.3
(III)	कागज तथा कागज उत्पाद	0.6
(IV)	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	7.6
(V)	धातु-भिन्न खनिज उत्पाद	8.1
(VI)	मूल धातुएं, मिश्र धातुएं तथा धातु उत्पाद	9.7
(VII)	परिवहन उपकरण एवं पुर्जे	7.3
(VIII)	अन्य विविध विनिर्माणकारी उद्योग	0.8

(च) थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित सामूहिक रूप में 30 आवश्यक वस्तुओं की बिन्दु प्रति बिन्दु आधार पर पिछले छः महीने की मुद्रास्फीति की वार्षिक दर नीचे दी गई है:

माह		आवश्यक वस्तुओं की मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (प्रतिशत)
1	2	3
1994	सितम्बर	8.6
	अक्तूबर	8.3
	नवम्बर	9.2
	दिसम्बर	9.9
1995	जनवरी	10.9
	फरवरी	10.2
	11, मार्च	8.7

(छ) जी, नहीं। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अप्रैल-मई, 94 में 12 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच कर अक्तूबर, 94 के प्रथम सप्ताह में 8.4 प्रतिशत पर वापस आ गई। तथापि, यह दिसम्बर, 1994 में बढ़कर 11 प्रतिशत हो गई और पूरे फरवरी तक यह उसी स्तर या

उससे ऊपर रही जिसके बाद यह पुनः नीचे गिरी और 11 मार्च, 1995 को 10.3 प्रतिशत पर पहुंच गई।

(ज) वर्ष के दौरान स्फीतिकारी दबावों को बल प्रदान करने वाले कारकों में निम्नलिखित हैं; 1993-94 में उच्च राजकोषीय घाटे का व्यापक प्रभाव तथा प्रमुख वस्तुओं जैसे कि चीनी, रूई, पटसन तथा मूंगफली के पैदावार में कमी जिससे अल्पकालिक आपूर्ति असंतुलन पैदा हुआ। पिछले तीन वर्षों से लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्या में भारी वृद्धियों का संचयी प्रभाव भी था जिससे प्राथमिक उत्पाद की कीमतें उच्चतर हुई और इस तरह उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर अ ऊर्ध्वगामी दबाव पड़े। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक विदेशा मुद्रा भण्डार के सशक्त गठन के कारण मौद्रिक परिवर्तनों की उच्च अभिवृद्धि था।

(झ) चालू राजकोषीय वर्ष में मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करने के लिए उठाए गय कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं;

(I) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में बिक्री के जरिए सार्वजनिक भण्डारों से खाद्यान्न जारी करना।

(II) चीनी के आयात को शून्य शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस पर रखना।

(III) लगभग 10 लाख टन चीनी का शून्य शुल्क पर आयात करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(IV) खुले सामान्य लाइसेंस के तहत पामोलीन तेल के आयात की अनुमति देना।

(V) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के लिए 1.07 लाख टन पामोलीन तेल का आयात करना।

(VI) मार्च, 1995 से 30 प्रतिशत के घटे शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत प्रमुख खाद्य तेलों के आयात की अनुमति देना।

(VII) शून्य शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रूई के आयात की अनुमति देना।

(VIII) तदर्थ सरकारी हुण्डियों के निर्गम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्र सरकार के ऋण लेने पर नियन्त्रण लगाना तथा प्रारक्षित नकदी अनुपात में वृद्धि करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करने सहित कई उपायों के जरिए मौद्रिक अभिवृद्धि को नियन्त्रित करना।

(IX) 1995-96 के बजट में उत्पाद एवं सीमा शुल्क में इस तरह कमी करना जिससे मुद्रास्फीति घट सके।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महादय, भाग (ख) में दिये गये उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि 7.1.1995 को वार्षिक मुद्रा स्फीति दर बढ़कर अधिकतम 11.9 प्रतिशत हो गई और अगले तीन महीनों में यह दो अंकों में बनी रही।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया था कि मुद्रा स्फीति बढ़कर 11 प्रतिशत से अधिक हो जाना एक गम्भीर मामला है। मैं महसूस करता हूं कि मुद्रा स्फीति की इस ऊंची दर का मुख्य कारण वित्तीय घाटा अनुमान से अधिक होना, मुद्रा सप्लाई का विस्तार होना और सरकार के फिजूल, तथा बेकार खर्च में वृद्धि होना है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुद्रा स्फीति की दर घटाकर 5 से 7 प्रतिशत पर लाने के लिए क्या वित्तीय तथा आर्थिक कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है? मैं उनसे मुद्रा स्फीति की दर और ज्यादा कम करने के लिए नहीं कह सकता क्योंकि एक अर्थशास्त्री होने के नाते वह मुझे कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कुछ मुद्रा स्फीति आवश्यक है।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सभा को यह सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि जबसे इस महीने की 15 तारीख को मैंने इस सभा के समक्ष बजट प्रस्तुत किया है, तबसे हर सप्ताह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रा स्फीति की दर में कमी हो रही है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जो 18 मार्च, 1995 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए मुझे कल प्राप्त हुए हैं, मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर इस समय 10 प्रतिशत है। मुझे आशा है कि सरकार से जो विभिन्न उपाय किये हैं, उनसे सूचकांक में और कमी आयेगी।

माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि मुद्रा सप्लाई के विस्तार और वित्तीय घाटा अधिक होने के कारण कुछ हद तक मुद्रा स्फीति का दबाव बढ़ा है। किन्तु अब इन दोनों चीजों पर नियन्त्रण पा लिया गया है। पिछले वर्ष मुद्रा की सप्लाई बढ़ने का एक मुख्य कारण भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में भारी वृद्धि होना था। इस समय हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार 20 बिलियन अमरीकी डालर पर स्थिर है। यह भंडार की बहुत अच्छी स्थिति है। अतः, जहां तक इसका सम्बन्ध है, मुद्रा सप्लाई पर इसका उतना दबाव इस वर्ष नहीं रहेगा जितना कि पिछले वर्ष था। वित्तीय घाटे के बारे में भी मैं बता चुका हूं कि 1993-94 की तुलना में इस वर्ष स्थिति बेहतर है, यद्यपि 1994-95 में भी मुद्रा स्फीति पर वित्तीय घाटे का असर हुआ है। 1993-94 में 7.4 प्रतिशत घाटा हुआ था। संशोधित अनुमानों के अनुसार वित्तीय घाटा 1994-95 में 6.7 प्रतिशत होगा और यदि 0.5 प्रतिशत छोटी बचतों के कारण कम कर दें तो घाटा 6.2 प्रतिशत होगा। मेरा अपना अनुमान यह है कि जब 1994-95 के सही आंकड़े उपलब्ध होंगे, तो स्थिति और भी बेहतर होगी क्योंकि हमारे राजस्व में अपेक्षा से काफी अधिक वृद्धि हो रही है। जहां तक अगले वर्ष का सम्बन्ध है, हम अगले वर्ष बजट में इस वर्ष की अपेक्षा कम घाटे अर्थात 5.5 प्रतिशत घाटे का प्रावधान कर रहे हैं। अतः, इससे भी मुद्रा स्फीति कम होगी।

जहां तक फिजूल खर्ची का सम्बन्ध है। हमारा प्रयास रहा है कि फिजूल खर्ची कम से कम की जाये। इसका एक संकेत यह है कि आप 1995-96 के गैर-योजना व्यय पर दृष्टिपात करें और आप उसमें से ब्याज के रूप में किये जाने वाले भुगतान तथा रक्षा पर होने वाले व्यय को घटा दें, तो शेष गैर-योजना व्यय केवल 184 करोड़ रुपये अधिक

होगा। हमारे जैसे बड़े देश के लिए यह राशि अधिक नहीं है। अतः, हमारी सरकार ने फिजूल खर्ची न बढ़ने देने के लिए हर संभव प्रयास किया है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मुझे ज्यादा चिन्ता प्रश्न के भाग (घ) और भाग (ङ) में दिये गये उत्तर पर हुई है जिसमें कहा गया है कि प्राथमिक वस्तुओं के मामले में मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 14.1 प्रतिशत है, खाद्य वस्तुओं के मामले में 12.7 प्रतिशत और खाद्येतर वस्तुओं के मामले में 18.4 प्रतिशत है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ वस्तुओं के मामले में मुद्रा स्फीति की दर औसत से अधिक है और इसलिए इसका बोझ आम आदमी पर पड़ता है। इसमें असंगठित क्षेत्र के कामगार तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग भी आते हैं जिनकी जनसंख्या हमारे देश की कुल जनसंख्या के लगभग 50 प्रतिशत के बराबर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस कम आय वर्ग के अन्तर्गत आने वाले गरीब लोगों पर पड़ने वाले इस अधिक बोझ को कम करने के लिए उनका कोई विशेष कदम उठाने का विचार है।

श्री मनमोहन सिंह : यह सच है गत वर्षों की अपेक्षा 1994-95 में प्राथमिक वस्तुओं के मामले में मुद्रा स्फीति की दर अपेक्षाकृत काफी अधिक रही है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि अनाज के मूल्यों में वृद्धि के कारण यह दर अधिक नहीं रही है। मुद्रास्फीति की दर अनिवार्य रूप से अण्डों, मछली, दूध, मसालों, फलों और सब्जी जैसे खाद्येतर प्राथमिक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण अधिक रही है। जहां तक अनाज का सम्बन्ध है, यदि आप गेहूं के मूल्य को लें, तो यह लगातार पूरे वर्ष थोक मूल्य के स्तर पर रहा। थोक मूल्य सूचकांक में चावल के मूल्य का सूचकांक औसत सूचकांक से कम है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि इन मूल्यों को भी एक उचित स्तर पर बनाये रखने की आवश्यकता है।

हमारी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करेगी; हमारी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया है और सरकारी क्षेत्र के गोदामों से बड़ी मात्रा में बिक्री की जा रही है। इस समय हमारे पास 3 करोड़ टन खाद्यान्न हैं। हमारी सरकार का गेहूं और चावल जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को आगामी वर्षों में स्थिर रखने का पक्का इरादा और दृढ़ निश्चय है और हमारे पास संसाधन भी हैं। जहां तक वनस्पति तेलों का सम्बन्ध है, इनकी हमारे देश में काफी कमी है। इन्हें हाल में खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है जिसमें 30 प्रतिशत आयात शुल्क का प्रावधान किया गया है। इसका असर दिखाई देने लगा है; इनके मूल्य भी कम हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी गरीब लोगों से केवल अनाज पर गुजर करने की अपेक्षा नहीं रखते।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मुद्रास्फीति की दर में तेजी से वृद्धि होना चिन्ता का विषय है। यदि यह चिन्ता का विषय है तो सरकार को केन्द्र तथा राज्य स्तर पर सरकारी खर्च में कटौती करने पर विचार करना होगा।

महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से खर्च को कम करने के लिए कौन से विशेष कदम उठाने का सरकार विचार रखती है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आम आदमी पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से इसे रोकने के लिए सरकार वास्तव में क्या कदम उठा रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के दूसरे भाग का पहले ही उत्तर हो गया है। पहले भाग का उत्तर अब दिया जा सकता है।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, जहां तक मूल्य वृद्धि को रोकने के उपायों का सम्बन्ध है, मुख्य प्रश्न के उत्तर में विभिन्न उपायों का उल्लेख किया गया है। हम वित्तीय घाटे पर नियंत्रण बढ़ाकर मुद्रा प्रसार को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, हमने पिछले एक वर्ष में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे सरकार के वित्तीय घाटे का मुद्रा-प्रसार पर सीधा मुद्रास्फीतिकारी दबाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तदर्थ राजकोषीय बिलों के माध्यम से रिजर्व बैंक से ऋण लेकर राजकोषीय घाटे के स्वतः मुद्रीकरण को समाप्त करने जा रहे हैं। इसके पश्चात्, मुद्रा नीति एक प्रकार से स्वतंत्र और स्वायत्त हो जायेगी जबकि पहले यह स्वायत्त नहीं थी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि क्या परवर्ती परिणाम अनन्तिम हैं या अन्तिम हैं? अनन्तिम अनुपात का अन्तरिम क्या है? क्या उनसे मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी?

महोदय, पिछले वर्ष के बजट में पेश किये गये 1993-94 के संशोधित अनुमान गलत साबित हुए हैं। इस वर्ष के बजट पत्रों में 1993-94 के लिए जो वित्तीय घाटा दिखाया गया है वास्तविक घाटा उससे कहीं अधिक है। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि इस प्रत्याशा का क्या आधार है कि इस वर्ष जो संशोधित अनुमान पेश किये गये हैं, वास्तविक आंकड़े उससे अधिक नहीं होंगे? जब वास्तविक आंकड़े प्रकाशित होंगे तो इससे मूल्यों में वृद्धि होगी?

महोदय, मेरे प्रश्न का तीसरा भाग यह है कि जी.डी.पी. इनफ्लेटर के रूप में मुद्रास्फीति की दर क्या है। मूल्य वृद्धि केवल वस्तुओं के मामले में नहीं हो रही है, अपितु सकल घरेलू उत्पाद में भी कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहां मूल्य वृद्धि हो रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह वृद्धि थोक मूल्य सूचकांक में होने वाले परिवर्तनों की तुलना में अधिक है या कम है।

महोदय, मेरे प्रश्न का चौथा भाग यह है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का थोक मूल्य सूचकांक से क्या सम्बन्ध है?

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मेरे पास जो नवीनतम सूचकांक है, वह निश्चित रूप से अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। जब अन्तिम आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे, तो उनको भी प्रकाशित किया जायेगा। हम इन्हें छिपाना नहीं चाहते।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अनन्तिम से अन्तरिम में क्या अनुपात है?

श्री मनमोहन सिंह : मेरे पास यही आंकड़े उपलब्ध हैं। इस समय मेरे पास दूसरे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जहां तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि स्थिति बहुत अच्छी है। श्रमजीवी वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सितम्बर, 1994 में 11.2 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गया। उसके बाद इसमें हर महीने कमी आई है। मेरे पास नवीनतम आंकड़े जनवरी महीने के बारे में उपलब्ध हैं जबकि उपभोक्ता मूल्य सुचकांक 9.9 प्रतिशत रहा। इसमें गिरावट आई है।

जहां तक वित्तीय घाटे का सम्बन्ध है-जहां तक 1993-94 के वास्तवकि आंकड़ों का सम्बन्ध है-मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन उनमें मामूली सा अन्तर हो सकता है। इसमें अत्यधिक अन्तर नहीं हो सकता।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आपने ऐसे आंकड़े पेश किये हैं, जो आप को याद नहीं हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मेरे पास सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य को वे आंकड़े उपलब्ध करा दूंगा।

श्री मुरली देवरा : अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि मुद्रास्फीति की दर अधिक होने का एक कारण बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का देश में आना है। ऐसे दो क्षेत्र हैं जिनसे विदेशी मुद्रा देश में आती है। एक क्षेत्र है विदेशी संस्थागत निवेश जो शेयर बाजार में जाता है और दूसरा है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिससे उद्योग और निवेश क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का भण्डार 20 बिलियन डालर से अधिक है, सरकार विदेशी संस्थागत निवेश की बजाय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री मनमोहन सिंह : देश में विदेशी निवेश को प्रभावित करने वाले कई कारण हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है और कुछ कारण ऐसे हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जहां तक पोर्टफोलियों निवेश का सम्बन्ध है, यह विभिन्न बाजारों की तुलनात्मक लाभप्रदता पर निर्भर करता है। अमरीका में ब्याज की दरों में वृद्धि के कारण देश में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की वृद्धि दर कम होती जा रही है। इसके अलावा, मैं समझता हूं कुछ वाणिज्य बाजारों में विभिन्न समस्याएं पैदा हो जाने से भी देश में विदेशी निवेश कम हो गया है। मैं नहीं समझता कि हमें अपने देश में विदेशी निवेश को निरूत्साहित करने के लिए कोई विशेष उपाय करने चाहिये। तथापि, हमारी प्राथमिकता यह है कि देश में प्रत्यक्ष निवेश को जहां तक संभव हो, बढ़ावा दिया जाये और मैं समझता हूं कि स्थिति काफी उत्साहवर्धक है। मुझे आशा है कि अगले वर्ष प्रत्यक्ष निवेश कम से कम एक बिलियन डालर होगा। अब तक लगभग 8 बिलियन डालर के वादे हो चुके हैं। स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है और आगामी वर्षों में हम इसे बढ़ावा देना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी एक इकोनॉमिस्ट के नाते जाने जाते हैं। जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन लगातार चल रही है वह गरीबों के लिए सबसे बड़ा टैक्स है। माननीय मंत्री जी ने 1995-96 के बजट में एक समाधान के रूप में एक्साइज ड्यूटी को घटाया है उससे उम्मीद करते हैं कि इन्फ्लेशन घटेगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि एक्साइज ड्यूटी की जो रिलीफ उद्योगपतियों को दी गयी है वह रिलीफ उपभोक्ताओं को वे पास ऑन नहीं करते हैं, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मूल्य कई कारणों से प्रभावित होते हैं। उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क में परिवर्तन तो मूल्यों को प्रभावित करने वाला एक कारण है। अन्य बातें समान रहीं, तो मुझे आशा है कि आयात शुल्क और उत्पाद शुल्क में कमी से दबाव कम होगा और यदि हम सकल मांग जैसे अन्य कारणों पर नियन्त्रण करने में सफल रहे, तो मुझे पूरी आशा है कि इन शुल्क कटौतियों से दबाव कम होंगे। हम मूल्यों पर नजर रखेंगे। मुझे रिपोर्ट मिली हैं कि कई क्षेत्रों ने मूल्य कम कर दिये हैं। लेकिन इस पर नजर रखने की आवश्यकता है। हम इस क्षेत्र में सतर्क रहेंगे।

श्री शरद दिघे : माननीय सदस्य ने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा है, उसे जारी रखते हुए मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि हमारा पिछले वर्ष का अनुभव यह है कि उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में कटौती से उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं हुआ। अतः, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष कौन से विशेष उपाय करने का विचार रखती है कि उत्पाद और सीमा शुल्कों में जो कटोती की जा रही है, उससे वास्तव में उपभोक्ताओं को लाभ हो और सरकार इस पर कैसे नजर रखेगी?

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, हमने पिछले वर्ष बी.आई.सी.पी. से एक अध्ययन करने के लिए कहा था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें निर्माताओं ने मूल्य कम किये। किन्तु, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले बताया है, मूल्य स्थिति कई कारणों से प्रभावित होती है। करों की दरें उत्पादन लागत का एक अंग हैं। यदि उत्पादन लागत के अन्य अवयवों की लागत में वृद्धि हो रही हो, तो मैं समझता हूं कि करों की दरों में कमी से उत्पादन लागत में कमी होने की आशा करना बेकार है। हम मुद्रास्फीति घटाने वाला वातावरण तैयार करने का प्रयास करेंगे ताकि वृहद आर्थिक स्थिति ऐसा हो कि अवस्फीति की शक्तियां प्रबल हों। यदि ऐसा वातावरण बन पाया तो करों में कटौती से अवस्फीतिकारी दबावों को और बल मिलेगा। हम सतर्क रहेंगे। मैं विभिन्न निर्माता वर्गों से, जिनको उत्पाद शुल्कों में कमी से लाभ हुआ है। इस पर विचार विमर्श करना चाहता हूं और इस कार्य में यही एक सही तरीका है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, चुनावों के समय सत्ताधार। पक्ष ने वायदा किया था कि 100 दि॰ में हम महंगाई कम करेंगे लेकिन 1991 में जहां चावल के दाम 3 रुपये 90 पैसे किलो थे, आज उसके दाम बढ़कर 8.00 रुपये किलो हो गये हैं। उस वक्त गेहूं का दाम 2 रुपये 37 पैसे किलो था लेकिन आज उसके दाम बढ़कर 8.00 रुपये किलो हो गये हैं। दूध, मसूर की दाल, चना, सब्जी हर चीज के दाम बढ़ गये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पुछना चाहता हूं कि आप रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दामों पर नियंत्रण करने वाले हैं या नहीं। आप तो हमारी कमर तोड़ रहे हैं।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया है, हमारी सरकार मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करने के बारे में बहुत गम्भीर है। लेकिन इस पूरे मामले की 1991-92 में व्याप्त समूची आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षा करनी होगी जबकि हमें अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास बहाल करने और अपने विदेशी भुगतान को व्यवहार्य बनाने के लिए हमें अपने चालू खाता घाटे में कुछ कमी करनी पड़ी। हमें आशा है कि इस वर्ष मुद्रास्फीति की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार होगा।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, मूल्य वृद्धि को मापने के लिए बहुत से सूचकांक हैं जिनके लिए थोक मूल्य सूचकांक से आंकड़े उद्धृत किये जाते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचकांक कृषि श्रमिकों के लिए सूचकांक है। सरकार अन्य सूचकांकों का आधार वर्ष तो आगे करती रहती है लेकिन कृषि श्रमिक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1970 से नहीं बदला गया है और हम अभी भी 1970 को ही आधार वर्ष मानते हैं। क्या सरकार के पास इस आधार वर्ष को बदल कर किसी हाल के वर्ष को आधार वर्ष बनाने का कोई प्रस्ताव है?

श्री मनमोहन सिंह : महादेय, वित्त मंत्रालय का इन आंकड़ों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस मामले पर विचार करना केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन और सांख्यिकी विभाग का काम है।

डा. मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि खुदरा उपभोक्ता सूचकांक के मामले में मुद्रास्फीति की दर कम हुई है। इस मुद्रास्फीति दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की गई है और यह दर घट कर 9 प्रतिशत हो गई है जबकि मार्च में मुद्रास्फीति की दर 10.3 प्रतिशत रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चूंकि आम आदमी का सम्बन्ध प्राथमिक वस्तुओं के मूल्यों से है-उपभोक्ता सूचकांक अथवा खुदरा मूल्य सूचकांक के अनुसार प्राथमिक वस्तुओं के मामले में मुद्रास्फीति की दर क्या रही और भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सम्बद्ध अभिकरणों द्वारा खाद्यान्न जारी किये जाने से इसमें कितनी कमी आयेगी।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले हो गया है।

(व्यवधान)

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार प्राथमिक वस्तुओं के मामले में मुद्रास्फीति की दर क्या रही।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले दे दिया गया है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने विवरण में दो उप-वर्गों का उल्लेख किया है अर्थात् एक जिसमें ऊंची मुद्रास्फीति दिखाई है और दूसरा जिसमें कम मुद्रास्फीति दिखाई गई है। ऊंची मुद्रास्फीति दर्शाने वाले उप-वर्ग के अन्तर्गत मशीनों और मशीनी औजारों के मामले में मुद्रास्फीति की दर 33.1 प्रतिशत दिखाई गई है। इससे औसत मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, जो ऊंची है। मैं जानना चाहता हूं कि मशीनों और मशीनी औजारों के मामले में मुद्रास्फीति की दर अधिक क्यों दिखाई गई है।

श्री मनमोहन सिंह : मैं केवल यह कह सकता हूं कि इसका कारण इस्पात और अन्य कच्चे माल जैसी मदों की अधिक लागत होना हो सकता है। लेकिन मैं इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सकता।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि का एक मुख्य कारण सब्जियों के मूल्य में वृद्धि होना है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को बंगलौर बागवानी उत्पादक सहकारी समिति कार्यकलापों के बारे में जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, कृपया पहले मेरी बात सुनें। तत्पश्चात् आप प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि आप एक विशेष संस्था के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : वे उपभोक्ताओं को काफी कम दरों पर फल और सब्जी उपलबध करा रहे हैं और 80 प्रतिशत राशि किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मुम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे महानगरों में ऐसी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी ताकि सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि को रोका जा सके। ये लोगों की जरूरत की चीजें है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार सहकारी समितियां नहीं बनाती है। लोग ऐसी समितियां बनाते हैं।

[हिन्दी]

ग्राहक संरक्षण कोष

+

*263. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्री दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी स्टाक एक्सचेंजों में ग्राहक संरक्षण कोष की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन स्टाक एक्सचेंजों में ये कोष अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं; और

(घ) सभी स्टाक एक्सचेंजों में ऐसे कोष कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में मौजूदा 22 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में से 18 स्टॉक एक्सचेंजों ने उपभोक्ता संरक्षण निधियों अथवा समान प्रकृति की अन्य निधियों की स्थापना की है।

(ख) उपभोक्ता सरंक्षण निधियों अथवा समान प्रकृति की अन्य निधियों की स्थापना करने वाले स्टॉक एक्सचेंजों के नाम अनुबंध में दिए गए हैं। इन निधियों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(I) निधियों का मुख्य उद्देश्य उन निवेशकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना है, जो दोषी घोषित किए गए सदस्यों के विरूद्ध अपने दावों के संबंध में किसी स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों के माध्यम से प्रतिभूतियों को खरीदते अथवा बेचते हैं;

(II) निधियां सामान्यतः एक न्यास के रूप में स्थापित की जाती हैं और निधियों की अभीरक्षा, प्रबन्ध और नियंत्रण न्यासियों में निहित होता है;

(III) निधियों का वित्तपोषण मुख्य रूप से एक्सचेंजों के सदस्यों से अंशदानों, एक्सचेंजों के सूचिकरण शुल्कों और कंपनियों द्वारा एक्सचेंजों में जमा कराई गई जमानत राशियों पर एक्सचेंजों द्वारा अर्जित किए गए ब्याज के माध्यम से किया जा रहा है।

(ग) उन स्टाक एक्सचेंजों के नाम, जिनके द्वारा उपभोक्ता-संरक्षण निधियों की अभी स्थापना की जानी है, निम्नानुसार हैं:

(I) मध्यप्रदेश स्टाक-एक्सचेंज, इन्दौर

(II) सौराष्ट्र कुच स्टाक एक्सचेंज, राजकोट

(III) ओवर दा काउंटर एक्सचेंज आफ इंडिया, बंबई

(IV) नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया, बंबई।

(घ) इन्दौर स्थित मध्यप्रदेश स्टाक एक्सचेंज और राजकोट स्थित सौराष्ट्र कुच स्टाक एक्सचेंज ने उपभोक्ता संरक्षण निधियों की स्थापना करने का निर्णय किया है और उनकी संस्थापना से संबंधित कार्य अंतिम चरण में है। ओवर दा काउंटर एक्सचेंज आफ इंडिया (ओ.टी.सी.ई.आई.) इस समय उपभोक्ता संरक्षण निधि की स्थापना की रूपात्मकता की जांच कर रहा है। नेशनल स्टाक एक्सचेंज के निदेशक बोर्ड ने एक निवेशक क्षतिपूर्ति निधि की स्थापना के प्रस्ताव का हाल ही में अनुमोदन किया है।

उन स्टाक एक्सचेंजों के नाम जिन्होंने उपभोक्ता संरक्षण निधियों अथवा समान प्रकृति की अन्य निधियों की स्थापना की है।

क्र. सं.	स्टाक एक्सचेंज का नाम
1.	स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई
2.	अहमदाबाद शेयर एंड स्टाक ब्रोकर एसोसिएशन, अहमदाबाद
3.	कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि., कलकत्ता
4.	मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लि., मद्रास
5.	दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि., नई दिल्ली
6.	हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज लि., हैदराबाद
7.	बंगलौर स्टॉक एक्सचेंज लि., बंगलौर
8.	कोचीन स्टॉक एक्सचेंज लि., कोचीन
9.	उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि., कानपुर
10.	पुणे स्टॉक एक्सचेंज लि., पुणे।
11.	लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि., लुधियाना
12.	गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज लि., गुवाहाटी
13.	मंगलौर स्टॉक एक्सचेंज लि., मंगलौर।
14.	मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि., पटना
15.	जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लि., जयपुर
16.	भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि., भुवनेश्वर
17.	बड़ोदरा स्टॉक एक्सचेंज लि., बड़ोदरा
18.	कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज लि., कोयम्बटूर

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जबाव में कहा है कि देश में मौजूदा 22 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में से 18 ने उपभोक्ता संरक्षण निधि की स्थापना कर ली है, परन्तु इसी प्रश्न के नीचे के भाग में मंत्री महोदय बताते हैं,.....

अध्यक्ष महोदय : आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत से सदस्य प्रश्न पूछना चाहेंगे। कृपया उत्तर को न पढ़ें।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, मैं कांट्राडिक्शन बता रहा हूं कि एक तरफ तो मंत्री महोदय ने कहा है कि स्थापना कर दी गई है और दूसरी तरफ उसी प्रश्न के दूसरे भाग में मंत्री महोदय ने कहा है उपभोक्ता संरक्षण निधि के स्कोप की जांच की जा रही है, तो जब अभी तक जांच ही की जा रही है, तो ये स्थापित कैसे हो गये?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इस फंड में से जो छोटे और बड़े शेयरहोल्डर्स हैं उनके हितों की रक्षा के लिए क्या छोटे शेयरहोल्डर्स को प्राथमिकता दी जाएगी या उसमें से छोटे शेयरहोल्डर्स की क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या 60 प्रतिशत राशि निर्धारित की जाएगी?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मैंने जो उत्तर दिया है उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अठारह स्टॉक एक्सचेंजों ने ऐसी निधियों की स्थापना कर ली है।

जहां तक इन्दौर और राजकोट एक्सचेंजों का सम्बन्ध है, उन्होंने भी हाल ही में इन निधियों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। किन्तु वास्तव में उन्होंने अभी तक इन निधियों की स्थापना नहीं की है।

जहां तक ओवर दा काउंटर एक्सचेंज आफ इंडिया का सम्बन्ध है, यह प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने भी ऐसी निधि कि स्थापना करने का निर्णय लिया है। वास्तव में, यह अभी चालू नहीं हुई है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, यह जो उपभोक्ता संरक्षण निधि है इसमें भिन्न-भिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों के माध्यम से पैसा आएगा और उस निधि की स्थापना की जाएगी, तो क्या उस निधि में सरकार भी अपनी ओर से कुछ धन देकर इसकी स्थापना करेगी?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : सरकार का कुछ धन देने को कोई इरादा नहीं है।

[हिन्दी]

व्यापार मेले

+

* 264. श्रीमती रीता गौतम :
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में और विदेशों में कितने व्यापार मेले आयोजित किये गये और ये मेले कहां-कहां आयोजित किये गये :

(ख) इन मेलों के आयोजन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन व्यापार मेलों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और इनसे कुल कितनी आमदनी हुई;

(घ) क्या सरकार का विचार इन व्यापार मेलों का दायरा बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत एवं विदेशों में आयोजित व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	प्रदर्शनियों/मेलों की संख्या		
	भारत में	विदेशों में	कुल
1992-92	9	43	52
1993-94	9	42	51
1994-95	15	34	49

जिन मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन भारत एवं विदेशों में किया गया उनका ब्यौरा अनुबन्ध I और II में दिया गया है। जिन मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन भारत में किया गया था उनका विवरण अनुबन्ध I में दिए गए हैं। जिन मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन विदेशों में किया गया था उनका विवरण अनुबन्ध II में दिया गया है।

(ख) व्यापार मेलों के उद्देश्य निर्यात को बढ़ाना, निर्यात क्षमताओं को प्रदर्शित करना, व्यापार सौदों को सुकर बनाना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देना है।

(ग) इन मेलों और प्रदर्शनियों में हुए कुल व्यय और कुल आय का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	व्यय	आय
1992-93	1896.69 लाख	1949.66 लाख
1993-94	1846.14 लाख	2066.12 लाख
1994-95	3030.94 लाख	3869.32 लाख

(घ) और (ङ). निर्यात के लिए अपेक्षित भौगोलिक कवरेज, उत्पादों, सेवाओं और प्रौद्योगिकी निर्यात पर और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बारे में मेलों/प्रदर्शनियों का विषय-क्षेत्र लगातार बदलता रहेगा। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रदर्शन की क्वालिटी को सुधारने के लिए अनवरत प्रयास जारी रहेंगे।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
1992-93, 93-94 और 94-95 के दौरान आई.टी.पी.ओ. द्वारा आयोजित व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों की सूची

क्र.सं.	मेला/प्रदर्शनी का नाम एवं तिथि	स्थान	उत्पाद	आयोजन
1	2	3	4	5
1.	कन्ज्यूमेक्स (2-10 मई, 1992)	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	उपभोक्ता उत्पाद	
2.	सजावट (8-16 अगस्त, 1992)	-वही-	साज-सज्जा के उत्पाद	
3.	भारतीय स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य रक्षा (2-8 सितम्बर, 1992)	-वही-	स्वास्थ्य उपकरण/औषधियां	
4.	इलेक्ट्रोनिक्स इण्डिया (23-29 सितम्बर, 1992)	-वही-	इलेक्ट्रोनिक उत्पाद	
5.	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (14-27 नवम्बर, 1992)	-वही-	उद्योग, कृषि, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकरण प्रगति के सभी पक्ष	
6.	टैक्स इण्डिया (23 दिसम्बर, 1992 से 3 जनवरी, 1993)	-वही-	हथकरघा वस्त्र/वस्त्र	
7.	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला (31 जनवरी, 1993 से 4 फरवरी, 1993)	राजाजी हाल, मद्रास	चमड़ा/चमड़ा उत्पाद/चमड़ा मशीनें	
8.	प्रिन्टपैक इण्डिया (2-9 मार्च, 1993)	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	प्रिंटिंग मशीनें/प्रौद्योगिकी	
9.	आहार 93 (2-9 मार्च 1993)	-वही-	खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण मशीनें/खाद्य पदार्थ उत्पादें	
1.	वाटर इण्डिया 93 (23-29 अप्रैल, 1993)	-वही-	जल उपकरण/जल प्रौद्योगिकी	
2.	कन्ज्यूमेक्स (8-15 मई, 1993)	-वही-	उपभोक्ता उत्पाद	
3.	सजावट" 93 (31 जुलाई से 8 अगस्त, 1993)	-वही-	घरेलू साज-सजावट की सामग्री	
4.	अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी (1-5 सितम्बर, 1993)	-वही-	सुरक्षा उपकरण इत्यादि	
5.	जूता मेल" 93 (17-19 अक्तूबर, 1993)	-वही-	जूते/जूता बनाने वाली मशीनें/प्रौद्योगिकी	
6.	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेल" 93 (14-27 नवम्बर, 1993)	-वही-	उद्योग, कृषि, वैज्ञानिक एवं पौद्योगिकीय प्रगति के सभी पक्ष	
7.	टैक्स इण्डिया" 93 (26 दिसम्बर, 1993 से 9 जनवरी, 1994)	-वही-	हथकरघा वस्त्र/वस्त्र	
8.	भारतीय चमड़ा मेला (31 जनवरी से 4 फरवरी, 1994)	राजाजी हाल, मद्रास	चमड़े की वस्तुएं/मशीनें	
9.	राष्ट्रीय बाल मेल" 93 (26 दिसम्बर, 93 से 10 जनवरी, 94)	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	खिलौने/स्टेशनरी/खेल सामग्री इत्यादि	
1.	कन्ज्यूमेक्स" 94 (13-22 मई, 1994)	-वही-	सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं एवं घरेलू उपकरण	
2.	सजावट" 94	-वही-	घरेलू साज-सज्जा की सामग्री	
3.	इलेक्ट्रोनिक्स इण्डिया" 94 (7-11 सितम्बर" 94)	-वही-	इलेक्ट्रोनिक्स हार्ड वेयर एवं साफ्ट वेयर/मनोरंजन के इलेक्ट्रोनिक उपकरण, नए अविष्कार/प्रौद्योगिकी	

1	2	3	4
4.	जूता मेला" 94 (19-21 अक्तूबर, 1994)	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	जूता एवं जूते के ऊपरी भाग
5.	जूता संघटक" 94 (19-21 अक्तूबर, 1994)	-वही-	जूता संघटक इत्यादि
6.	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला" 94 (14-27 नवम्बर" 94)	-वही-	उद्योग, कृषि, व्यापार, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के सभी पक्ष
7.	राष्ट्रीय बाल मेला" 94-95 (24 दिसम्बर" 94-1 जनवरी" 95)	-वही-	बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाली मदें जैसे वस्त्र, खाद्य पदार्थ, खेल सामग्री
8.	टैक्स इण्डिया" 94-95 (24 दिसम्बर" 94-1 जनवरी" 95)	-वही-	हथकरघा, खादी, बने हुए वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद आदि
9.	राष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तु मेला" 94-95 (24 दिसम्बर" 94-2 जनवरी" 95)	पैलेस ग्राऊंड, बंगलौर	उपभोक्ता सामग्री
10.	टैक्स स्टाइल्स" 95 (18-21 जनवरी" 95)	बम्बई	सूती धागे, वस्त्र, तैयार वस्त्र और घेरलू वस्त्र, फर्नीशिंग एवं असेसरीज
11.	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय मेला (31 जनवरी-4 फरवरी" 95)	मद्रास	चमड़ा, चमड़ा उत्पाद एवं चमड़ा निर्माण करने वाली मशीनें एवं उपकरण
12.	कृषि मेला" 95 (8-14 मार्च" 95)	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	कृषि उत्पाद, मशीनें, फसल कटाई के उपरान्त की प्रौद्योगिकियां, पशुपालन, पशुधन और डेयरी विकास प्रौद्योगिकी
13.	अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा वस्तु मेला (24-26 मार्च" 95)	कलकत्ता	चमड़ा उत्पाद/वस्तुएं
14.	आहार" 95 (8-14 मार्च" 95)	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	खाद्य उत्पाद, खाद्य पदार्थ, प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां और खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण मशीनें
15.	राष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तु मेला (24 दिसम्बर" 94 - 2 जनवरी" 95)	बंगलौर	सभी प्रकार की उपभोक्ता सामग्री एवं घरेलू उपकरण

इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

वर्ष 1992-93 के दौरान विदेशों में आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों में आई टी पी ओर द्वारा भागीदारी का कार्यक्रम

क्रमांक	मेले का नाम और आयोजन का स्थान	तिथियां	प्रदर्शित उत्पाद
1	2	3	4
क.	**सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय मेले**		
1.	ब्रनो उपभोक्ता सामान मेला ब्रनो (चेकोस्लोवाकिया)	12-16 अप्रैल 1992	चाय, काफी, मसाले, काजू, समुद्री उत्पाद, डिब्बाबन्द खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां, तम्बाकू, परिधान, चमड़े की वस्तुएं, हौजरी, कपड़ा कपास, रेशम, जूट, हथकरघा, ऊन और ऊनी कपड़ा, सिन्थेटिक पदार्थ हस्तशिल्प की वस्तुएं, कालीन, टायलेट एवं प्रसाधन सामग्री, रत्न एवं आभूषण, घड़ियां, वाशिंग मशीनें, रेफ्रीजरेटर, कलर और ब्लैक/व्हाइट टी.वी., वी.सी.पी./वी.सी.आर., हाई-फाई स्टिरिओ सिस्टम, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, जीरोक्स मशीनें, फोटोग्राफी उपकरण।

1	2	3	4
2.	अन्तर्राष्ट्रीय वसन्त मेला, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात	18-24 अप्रैल 1992	भारी और हल्की इंजीनियरी का सामान, औद्योगिक मशीनरी, हार्डवेयर और दस्ती औजार, बिजली के और दस्ती औजार, अससेसरी, सिलेसिलाये परिधान, भारी और हल्के वाहन, उर्वरक और सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान आदि।
3.	जिम्बाब्वे अन्तर्राष्ट्रीय मेला, बुल्वायों (जिम्बाब्वे)	28-03 अप्रैल-मई 1992	भारी और हल्की इंजीनियरी के उत्पाद, कृषि उपकरण, रसायन, कपड़ा और उपभोक्ता सामान आदि।
4.	विदेशी आयात मेला "प्रगति के साझीदार", बर्लिन (जर्मनी)	10-13 जून, 1992	सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान
5.	इज़मीर अन्तर्राष्ट्रीय मेला इज़मीर (टर्की)	26-10 अगस्त/ सितम्बर, 1992	बिजली की पावर मशीनरी, सी एन सी मशीनी औजार, डीजल इंजन, पम्पसैट पिस्टन, वैज्ञानिक उपकरण और प्रयोगशाला उपकरण, कम्प्यूटर, हार्डवेयर, पेरीफरल और साफ्टवेयर, भारी और हल्के वाहन, रेलवे रोलिंग स्टाक, जूट और जूट के उत्पाद, खाद्य पदार्थ, चाय, काफी, समुद्री उत्पाद, सिलेसिलाये परिधान, जड़ी बूटियां आदि।
6.	दमिश्क अन्तर्राष्ट्रीय मेला, दमिश्क (सीरिया)	28-10 अगस्त/ सितम्बर, 1992	लोहे और स्टील की ट्यूबें, हार्डवेयर, सेनिटरी फिटिंग, सामान्य उपभोक्ता सामान, हल्का इंजीनियरी सामान, दस्ती और मशीनी औजार, परिवहन वाहन मोटर गाड़ियां और उनके हिस्से-पुर्जे, बिजली का सामान और असेसरी, इलेक्ट्रानिक्स, कपड़ा, परिधान और मेड-अप, कृषि उत्पाद आदि।
7.	बुडापेस्ट अन्तर्राष्ट्रीय शरद मेला, बुडापेस्ट (हंगरी)	18-27 सितम्बर, 1992	चाय, मसाले, चमड़ा और चमड़े का सामान, रत्न एवं आभूषण, खेल का सामान, प्लास्टिक का सामान, दस्ती औजार, स्टैनलैस स्टील कटलरी, विद्युत उपकरण, साइकिल और उनके हिस्से-पुर्जे, बिल्डिंग हार्डवेयर, सूती कपड़ा, परिधान, खेल के कपड़े, डिब्बाबन्द खाद्य पदार्थ, रेशमी कपड़ा और मेडअप, कालीने, हस्तशिल्प की वस्तुएं, जूट उत्पाद।
8.	नैरोबी औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी, नैरोबी (केन्या)	29-03 सितम्बर/ अक्तूबर, 1992	लाख, आर्गेनिक और अकार्बनिक रसायन, रंग-रोगन, दवाईयों और भेषज, पी.वी.सी. शीटें और प्लेटें, रबड़ उत्पाद, ग्लास उत्पाद, बिल्डर्स हार्डवेयर, दस्ती औजार, कृषि उपकरण आदि।
9.	तेहरान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, तेहरान (ईरान)	2-12 अक्तूबर, 1992	जमा हुआ मांस, चाय, काफी, मसाले, कीटनाशक दवाइयां, चमड़ा एवं चमड़े की वस्तुएं जूट, हेसियन, परिधान, वायर रोप, नट व बोल्ड, मोटर गाड़ियों के पुर्जे, डीजल इंजन, कपड़ा मशीनरी, ट्रेक्टर, कृषि मशीनरी, साइकिलें और उनके हिस्से-पुर्जे, वैज्ञानिक एवं मापन उपकरण।
10.	बुखारेस्ट अन्तर्राष्ट्रीय मेला बुखारेस्ट (रूमानिया)	8-15 अक्तूबर, 1992	दूर संचार मशीनरी एवं उपकरण, विद्युत इंजीनियरी, पावर जेनरेशन उपकरण, धातु कर्म पावर इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री की मशीनरी, कृषि उत्पाद और खाद्यान्न।
11.	मलेशिया अन्तर्राष्ट्रीय मेला मलेशिया(क्वालालम्पुर)	6-11 अक्तूबर, 1992	गेहूं, चावल, ताजे फल, समुद्री खाद्य पदार्थ, कपड़ा, परिधान, धागा, कपड़ा मशीनरी और उपकरण, दवाइयां और भेषज, रसायन, चमड़े की वस्तुएं, मोटर गाड़ियों के हिस्से पुर्जे, भारी विद्युत उपकरण, दस्ती और मशीनी औजार, सड़कों/पुलों/हवाई अड्डों के निर्माण उपकरण, रेलवे वेगन और मशीनें, बिजली के पंखे, खेल का सामान, प्लास्टिक का सामान, रत्न एवं आभूषण, डीजल इंजन, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण

1	2	3	4
			मशीनरी, जूता-चप्पल, कांच की बोतलें, कृषि मशीनरी, कृषि आधारित औद्योगिक रंग और जानकारी, सुगंधियां और सुगंधित तेल, प्रसाधन सामग्री, बिल्डर्स हार्डवेयर, पम्प, मेटिरियल हेंडलिंग उपकरण, तेल मिल मशीनरी, ए.सी./बी.सी. विद्युत मशीनरी, बिजली के उपकरण और फिटिंग, परिवहन उपकरण एवं वाहन, साइकिल एवं उसके हिस्से-पुर्जे, चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा उपकरण।
12.	मोबेक्स/चाइल्ड एक्सपो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दुबई	22-25 अक्तूबर, 1992	सिलेसिलाये परिधान, कपड़ा, घरेलू उपयोग का कपड़ा, फैशन असेसरी, फुटवीयर, बालोपयोगी उत्पाद एवं खिलौने आदि।
13.	अरब औद्योगिक मशीनरी शो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात	22-26 नवम्बर, 1992	औद्योगिक मशीनरी, प्लास्टिक एवं रबड़ उद्योगों के उत्पाद एवं सेवाएं, बढ़ईगिरी का काम और चिराई मशीनें, निर्माण और खनन मशीनें वाईडिंग मशीनें, ब्रश बनाने की मशीनें।
14.	क्वांग त्रुंग अन्तर्राष्ट्रीय मेला, हो-ची-मिन्ह सिटी (वियतनाम)	28-07 नवम्बर/ दिसम्बर, 1992	मशीनी औजार, कपड़ा मशीनरी, कृषि मशीनरी, मोटर गाड़ियां, दवाइयां, और भेषज पदार्थ, रसायन, खनन मशीनरी, चमड़ा कमाने की मशीनरी।
15.	डकार अन्तर्राष्ट्रीय मेला, डकार (सेनेगल)	26-07 नवम्बर/ दिसम्बर, 1992	हल्की इंजीनियरी का सामान, मोटर गाड़ियां, मशीनरी और पूंजीगत सामान, खाद्य पदार्थ हस्तशिल्प की वस्तुएं, बिजली का सामान, फैन्सी सामान, आभूषण बनाने के उपकरण, जूट और नारियल रेशा, खेल का सामान, परिधान, चमड़े का सामान, रसायन और भेषज उत्पाद, कपड़ा आदि।
16.	कन्ज्यूमेक्स्पो मेला, मास्को (रूस)	18-24 जनवरी, 1993	परिधान, जूतें, फर और चमड़े का सामान, कपड़ा, आटोमोबाइल इंजीनियरी और परिवहन घरेलू उपकरण, कार्यालय उपकरण, प्लास्टिक की वस्तुएं, बागवानी उपकरण और औजार घड़ियां, आभूषण, कांच, संगीत उपकरण, फर्नीचर, आंतरिक सजावट का सामान और प्रसाधन सामग्री आदि।
17.	कुवैत अन्तर्राष्ट्रीय मेला, कुवैत	10-15 फरवरी, 1993	भवननिर्माण के लिए मशीनरी और उपकरण, विद्युत एवं इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरी, संचार प्रौद्योगिकी, कार्यालय सिस्टम और कम्प्यूटर, शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी, पैट्रोल रसायन, तेल और गैस, परिवहन एवं मेटिरियल हैण्डलिंग उपकरण और उपभोक्ता सामान।
18.	शरजाह सत्रहवां खाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय मेला, शरजाह (संयुक्त अरब अमीरात)	14-20 फरवरी, 1993	खाद्य पदार्थ, प्रसनल और घरेलू कम्प्यूटर, उपभोक्ता सामान, हल्के इंजीनियरी प्लांट और उत्पाद तथा खाड़ी खाद्य पदार्थ मेला।
19.	चौथा घाना अन्तर्राष्ट्रीय मेला, आकरा (घाना)	25-09 फरवरी/ मार्च, 1993	कृषि उद्योग संबंधी मशीनरी, लघु उद्योग, भवन निर्माण उत्पाद, विद्युत एवं वैज्ञानिक उपकरण, प्रौद्योगिकी, परिधान एवं कपड़ा, खाद्य एवं पेय पदार्थ,भेषज पदार्थ, रसायन एवं प्रसाधन सामग्री, लकड़ी, पेपर प्रिंटिंग और पैकेजिंग, वाहन, फोर्कलिफ्ट, स्कूटर, साइकिलें, खनन उपकरण, ट्रैक्टर, पम्प, कागज और कागज उत्पाद, जेनरेटिंग उपकरण, टायर और ट्यूब, कपड़ा और चमड़ा मशीनरी, विद्युत मशीनरी, लघु उद्योगों के प्लांट, मोटर गाड़िया के हिस्से-पुर्जे, अस्पताल उपकरण, बेकरी मशीनें।
20.	वसन्त" 93-उपभोक्ता सामान व्यापार मेला, पोज़नान (पोलैण्ड)	10-13 मार्च, 1993	मोपेड और स्कूटर, हल्का इंजीनियरी सामान, रसोई के उपकरण, थर्मस फ्लास्क, प्रसंस्कृत सामान चाय, काफी आदि।

1	2	3	4
21.	वार्षिक वसन्त मूबा मेला, वासेल (स्विटजरलैंड)	12-21 मार्च, 1993	उपभोक्ता सामान, पर्यटन और उत्तम क्वालिटी की हस्तशिल्प की वस्तुएं, बहुमूल्य पदार्थ, चमड़े से निर्मित वस्तुएं, परिधान आदि।
ख.	**विशेषीकृत वस्तु मेले**		
1.	हिमटेक्सटिक मेला, अटलांटा (सं.रा.अ.)	6-9 अप्रैल, 1992	घरेलू साज-सज्जा सामग्री, परदे, वाल कवरिंग, सभी प्रकार के घरेलू सजावटी वस्तुएं।
2.	अन्तर्राष्ट्रीय तार एवं केबल व्यापार मेला, डसेलडार्फ (जर्मनी)	6-10 अप्रैल, 1992	तार बनाने तथा केबल बनाने की मशीनरी, औजार, प्रोडक्शन और ट्रीटमेंट, तारों और केबलों के आनुषंगिक सामग्री, नियंत्रण और मापन उपकरण आदि।
3.	अन्तर्राष्ट्रीय कपड़ा मेला, हांगकांग	27-30 अप्रैल, 1992	चमड़ा उद्योग से संबंधित मशीनरी, अनुषंगिक सेवा उद्योग, कमाया हुआ और आधा कमाया हुआ चमड़ा, रसायन और रंजक पदार्थ, कमाये हुए चमड़े से निर्मित वस्तुएं और असेसरी।
4.	ए आई ई ई-आस्ट्रेलियाई अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरी प्रदर्शनी, सिडनी (आस्ट्रेलिया)	11-15 मई, 1992	इंजीनियरी सामान, मशीनी औजार, रोबोटिक्स, इंन्ट्रूमेंटेशन, विद्युत उपकरण, मेटेरियल हैण्डलिंग उपकरण, औद्योगिक उपकरण, हिस्से-पुर्जे और संबंधित उत्पाद।
5.	पम्प और सिस्टम एशिया मेला, सिंगापुर	8-11 जुलाई, 1992	सभी प्रकार के पम्प फिल्ट्रेशन सिस्टम, पाइपिंग और ट्यूबिंग, हाथ से काम करने के उपकरण असेसरी और प्रौद्योगिकी, पम्प, एयर कम्प्रैशर, हैण्ड पम्प, वाटर ट्रीटमेंट और फिल्ट्रेशन सिस्टम हार्डवेयर, बुनाई का धागा, सुईयां, बटन बनाने की मशीनरी और उपकरण तथा मेटेलिक प्लास्टिक असेसरी, रसायन आदि।
6.	राष्ट्रीय हार्डवेयर प्रदर्शनी, शिकागो (सं.रा.अ.)	16-19 अगस्त, 1992	सभी प्रकार का हार्डवेयर सामान।
7.	प्रेट-ए-पोर्टर फेमिनिन मेला, पेरिस (फ्रांस)	4-8 सितम्बर, 1992	सिलेसिलाये महिलाओं के परिधान और असेसरी।
8.	ओटोमेकेनिका" 92 फ्रेंकफर्ट (जर्मनी)	8-13 सितम्बर, 1992	मोटर कार वर्कशाप और सर्विस स्टेशन उपकरण, फालतू पुर्जे और असेसरी, मापन और जांच उपकरण, टोविंग सेवाएं, दुर्घटना सेवाएं, फालतू पुर्जे और उपकरण आदि।
9.	अन्तर्राष्ट्रीय हाउसवेयर, हार्डवेयर मेला, कर्मिघंम (यू. के.)	13-15 सितम्बर, 1992	दस्ती एवं बिजली के औजार, घर सुधारने की वस्तुएं, ताले और लॉक फिटिंग, सुरक्षा वस्तुएं, रसोई के उपकरण, खाना पकाने के उपकरण, स्नानागार के उपकरण, गार्डन फर्नीचर और असेसरी।
10.	सीमन-डू-कुअर मेला, पेरिस (फ्रांस)	19-22 सितम्बर, 1992	चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं।
11.	इफ्मा मेला, कोलोन (जर्मनी)	30-34 सितम्बर/ अक्तूबर, 1992	साइकिलें और उनके हिस्से-पुर्जे, मोटर साइकिलें, स्कूटर और मोपेड।
12.	स्टार मेला, मिलान (इटली)	17-20 अक्तूबर, 1992	साज-सजजा का कपड़ा, परदे, कालीन, अपहोलस्ट्री का कपड़ा, वाल कवरिंग, और घरेलू लिनेन आदि।
13.	सिआल खाद्य पदार्थ मेला, पेरिस (फ्रांस)	25-29 अक्तूबर, 1992	खाद्य पदार्थ और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ।
14.	इंटरस्टाफ एशियन मेला, हांगकांग	4-6 नवम्बर, 1992	धागा, कपड़ा और परिधान

1	2	3	4
15.	डोमोटेक्स मेला, हेनोवर (जर्मनी)	11–14 जनवरी, 1993.	हाथ से बुने कालीन, घरेलू उपयोग का कपड़ा, साज–सज्जा सामग्री, बैड लिनेन, टेबल लिनेन आदि।
16.	हिमटेक्सटिल मेला, फ्रेंकफर्ट जर्मनी	13–16 जनवरी, 1993	घरेलू साज–सज्जा सामग्री, परदे, वाल कवरिंग और घरेलू सजावट की वस्तुएं।
17.	सऊदी फूड' 93 सावतां खाद्य पदार्थ, होटल और खानपान व्यवस्था प्रदर्शनी रियाल (सऊदी अरब)	17–21 जनवरी, 1993	खाद्य पदार्थ, होटल फर्नीचर, अपहोलस्ट्री, क्राकरी, कटलरी, मेड–अप, सजावटी वस्तुएं, परामर्श सेवाएं आदि।
18.	अन्तर्राष्ट्रीय हार्डवेयर मेला, कोलोन (जर्मनी)	7–10 मार्च, 1993	हार्डवेयर, घर को सुधारने की वस्तुएं, निर्माण सामग्री, आउटडोर पावर उपकरण, घरेलू उपकरण, आटोमोटिव।
19.	सेबिट मेला, हेनोवर (जर्मनी)	24–31 मार्च, 1993	कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटर, दूर संचार उपकरण, कार्यालय संचालन, कम्प्यूटर साफ्टवेयर आदी।
20.	इगिडो इस्सलडार्फ (जर्मनी)	7–9 मार्च, 1993	महिलाओं और बच्चों के परिधान, बुने हुए परिधान, असेसरी, हैट और टोपियां, लिंगरी, कोरसेट्री, घरेलू कपड़े, तैराकी के कपड़े आदि।
ग.	**भारतीय प्रदर्शनियां**		
1.	भारतीय प्रदर्शनी, मारीशस	17–23 सितम्बर, 1992	सभी प्रकार का इंजीनियरी सामान विशेषतः मशीनी औजार, मोपेड, साड़ियां तथा सभी प्रकार की किताबें।
2.	भारतीय प्रदर्शनी, कीव कीव (उक्रेन)	23–30 सितम्बर, 1992	अपेरेल, जूते, फर और चमड़े की वस्तुएं, कपड़ा, आटोमोबाइल इंजीनियरी और परिवहन, घरेलू उपकरण, कार्यालय उपकरण, प्लास्टिक की वस्तुएं, बागवानी उपकरण और औजार, घड़ियां, आभूषण, संगीत उपकरण, फर्नीचर, आंतरिक सजावट और प्रसाधन सामग्री आदि।

नोट : देय भागीदारी शुल्क में स्थान का किराया, स्टैण्डों का सामान्य निर्माण और सजावट, प्रदर्शन वस्तुओं को ले जाने तथा वापस लाने का भाड़ा, हेण्डलिंग–क्लियरिंग, प्रदर्शन वस्तुओं का बीमा, सामान्य प्रचार सहायता तथा अन्य सामान्य सुविधाएं शामिल हैं।

अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कृपया इस पते पर सम्पर्क करें :

महाप्रबन्धक
इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
प्रगति भवन, प्रगति मैदान,
नई दिल्ली–110001
टेलेक्स : 031–610221/031–61311
फैक्स : 91–11–331–8142
केबल : व्यापार मेला, नई दिल्ली
फोन : 331–5251

इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

वर्ष 1993–94 के दौरान विदेशी मेला/प्रदर्शनियों में भागीदारी का कार्यक्रम

क्र सं.	मेले का नाम, स्थान और तिथि	प्रदर्शन उत्पादन
1	2	3
क.	**सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय मेले**	
1.	लिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, लिल्ली (फ्रांस) 10–19 अप्रैल '93	परिधान, चमड़े की वस्तुएं, रत्न जड़ित परिधान, पंखे, थर्मोफलास्क, प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर, नान स्टिक रसोई उपकरण, कुकर, चावल, चाय, काफी, तम्बाकू, मसाले, काजू, सेलैक और समुद्री उत्पाद इत्यादि

1	2	3
2.	काहिरा अन्तर्राष्ट्रीय मेला, काहिरा (मिस्र) 10-23 अप्रैल" 93	चाय, काफी, मसाले, बालनट टर्मिट, तम्बाकू, सेलैक रंग रोगन, आयुर्वेद एवं यूनानी औषधि, इन्सेक्टिसाइड कन्वेयर वेल्ट, धागे, टायर कार्ड, हथकरघा वस्त्र, अकार्बनिक रसायन, औषधि एवं भेषजीय, टायर एवं ट्यूब, स्टील ट्यूब एवं पुर्जे, डी.सी. मोटर एवं जेनरेटर, कृषि मशीनरी, विनिर्माण एवं खनन मशीनरी, वस्त्र एवं चमड़ा मशीनरी, रेफ्रिजरेशन उपकरण, पम्प एवं सैन्ट्रिफ्यूज, वाल्व एवं केबज, रेलवे बैंगन, मशीनी औजार, कम्प्रेसर, पंखे, सिलाई मशीनें, शल्यचिकित्सा उपकरण, मोटर साइकिल, बाईरिंग इत्यादि
3.	रियाद अन्तर्राष्ट्रीय मेला, रियाद (सौदी अरब) 18-22 अप्रैल" 93	वस्त्र, मोटर गाड़ी के पुर्जे एवं संघटक, विद्युतीय उत्पाद, फैशन सामग्री, फुटवियर, हस्तशिल्प, हार्डवेयर, घरेलू साज-सज्जा सामग्री, आभूषण, चमड़े का सामान, स्टेशनरी, वस्त्र प्रिन्टिग एवं पैकेजिंग उपकरण सहित प्रौद्योगिकी उत्पाद
4.	कतार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दोहा (कतार) 29 अप्रैल-3 मई" 93	कृषि एवं बागवानी उपकरण, पशु एवं वनस्पति तेल, कला एवं शिल्प, एन्टीक्यू, आटोमोबाइल एवं संघटक, भवन निर्माण सामग्री, कार्पेट, रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद, दीवार घड़ी, घड़ी, परिधान एवं ब्यूटी प्रोडक्ट, कम्यूनिकेशन, कम्प्यूटर, कृत्रिम आभूषण, डेयरी उत्पाद, अर्थमूविंग इक्विपमेन्ट, इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उपकरण, इंजीनियरिंग सामग्री, फैशन सामग्री, खाद्य पदार्थ एवं सम्बद्ध उत्पाद, फुटवेयर, फर्नीचर एवं अनुठी वस्तुएं, ग्लासवेयर, एवं सिरेमिक, परिधान, हस्तशिल्प, घरेलू सामान, मशीनरी औजार, तेल एवं गैस उपकरण, भेषजीय उत्पाद, फोटोग्राफिक एवं आप्टिकल उपकरण, प्लास्टिक प्रिटिंग एवं सम्बन्धित उत्पाद, सैनेटरी वेयर, स्टेशनरी, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता खिलौने, जेम एवं संघटक, काष्ट मशीनरी एवं औजार
5.	टोकियो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, टोकियो (जापान) 29 अप्रैल-3 मई" 93	चाय, काफी, तम्बाकू निर्माण, मसाले, काजू सेलौक सेब, द्रव, फल एवं जूस, मांस एवं तैयार मांस, समुद्री उत्पाद, प्रसंस्कृत खनिज एवं कच्चे खनिज एवं खनिज चमड़े, जेम एवं आभूषण, खेल सामग्री, औषधि, भेषजीय, परिष्कृत रसायन, परिधान/टायलेटरिज इत्यादि, रबड़ उत्पाद पैन्ट/एनेमल/वार्निश इत्यादि प्लास्टिक एवं लिनोनियम उत्पाद, लोहे एवं स्टील के छड़ इत्यादि, इलेक्ट्रोनिक सामान, कम्प्यूटर साफ्टवेयर हाथ के बने कार्पेट, एवं मशीन के बने कार्पेट
6.	अन्तर्राष्ट्रीय वसन्त व्यापार मेला, दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) 8-14 मई" 93	भारी एवं हल्के इंजीनियरिंग उत्पाद, औद्योगिक मशीनरी, हार्डवेयर, दस्ती औजार विद्युतीय उपकरण एवं संघटक, सिले-सिलाए वस्त्र, भारी एवं हल्के वाहन, उर्वरक सभी प्रकार की उपभोक्ता
7.	एशिया अन्तर्राष्ट्रीय उपहार मेला, सिंगापुर 2-5 जून, 93	ग्लासवेयर, कला एवं शिल्पकला, घरेलू साज-सज्जा सामग्री, आभूषण, दीवार घड़ी/घड़ी स्टेशनरी, ग्रीटिंग कार्ड, टायलेटरिज, चमड़े का सामान, वस्त्र, सामान्य उपहार, कार्पोरेट खिलौने, उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स इत्यादि
8.	विदेशी आयात मेला "प्रगति के लिए भागीदारी" बर्लिन (जर्मनी) 9-12 जून" 93	सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुएं, वस्त्र, हस्तशिल्प कार्पेट, सजावटी सामग्री एवं उपहार ईकाई इत्यादि
9.	तेजान अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, तेजान (दक्षिण कोरिया) 7 अगस्त-7 नवम्बर" 93	परम्परागत एवं आधुनिक उत्पाद विकासशील देशों के लिए स्रोतों के उपयोग एवं पुर्नउपयोग की उन्नत प्रौद्योगिकी
10.	इजमीर अन्तर्राष्ट्रीय मेला, इजमीर (टर्की) 8-20 सितम्बर" 93	विद्युतीय पावर मशीनें सी एन सी, मशीन टूल्स, डीजल इंजन, पम्प सैट पिस्टन, वैज्ञानिक उपकरण और प्रयोगशाला उपकरण, कम्प्यूटर हार्डवेयर, पैरिफेरल एवं साफ्टवेयर, हल्के और भारी वाहन, रोलिंग स्टाक उत्पाद, खाद्य पदार्थ उत्पाद, चाय, काफी, समुद्री उत्पाद, तैयार परिधान और औषधीय जड़ी बूटियां इत्यादि

1	2	3
11.	बुडापेस्ट अन्तर्राष्ट्रीय शरद मेला, बुडापेस्ट (हंगरी) 10-19 सितम्बर"93	चाय, मसाले, चमड़ा और चमड़ा उत्पाद, रत्न एवं रत्न जड़ित आभूषण, खेल समाग्री, प्लास्टिक की वस्तुएं, दस्ती औजार, स्टैनलैस स्टील, कटलरी, बिजली के उपकरण, बाइसिकल एवं इसके हिस्से पुर्जे, आटोपार्ट, बिल्डिंग हार्डवेयर, सूती वस्त्र, परिधान, स्पोर्टवियर, बैंत की वस्तुएं, रेशमी वस्त्र और निर्मित वस्त्र, कालीन, हस्तशिल्प जूट उत्पाद
12.	नैरोबी औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी, नैरोबी (केन्या) 28 सितम्बर-2 अक्तूबर"93	शैलक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, डाई एवं इन्टरमीडिएट औषधियां, रबड़ उत्पाद, हार्डवेयर, दस्ती औजार, कृषि मशीनें, भारी एवं हल्की इंजीनियरी मशीनें, रसायन और उर्वरक, वस्त्र, चमड़ा वस्तु और कृषि उत्पाद इत्यादि
13.	तेहरान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, तेहरान (इरान) 2-10 अक्तूबर"93	जमाया हुआ मांस, चाय, काफी, इलायची, मसाले, कीटनाशक, चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद, जूट और हेसियन उत्पादें, परिधान, तार-रोप, नट एवं बोल्ट, आटोपार्ट, डीजल इंजन, वस्त्र मशीनें, ट्रैक्टर, कृषि मशीनें, बाइसाइकिल और इनके हिस्से पुर्जे, वैज्ञानिक एवं मापन उपकरण इत्यादि
14.	लागोस अन्तर्राष्ट्रीय मेला, लागोस (नाइजीरिया) 5-14 नवम्बर"93	पूंजीगत सामान, उपभोक्त सामग्री, कृषि उत्पाद, मछली खाद्य पदार्थ प्रौद्योगिका, औद्योगिक उपकरण एवं औजार, काष्ठ मशीनें, भण्डारण एवं हैण्डलिंग सामग्री, पैट्रो-रसायन उत्पाद, खनन पावर जेनरेशन, परिवहन, दुर संचार और कार्यालय प्रौद्योगिकी
15.	क्वांग ट्रंग अन्तर्राष्ट्रीय मेला, हो-ची-मिन्ह सिटी (वियतनाम) 24-30 नवम्बर, 1993	मशीनी औजार, वस्त्र, मशीनें, कृषि मशीनें, मोटरगाड़ी, औषधियां एवं भेषजीय, परिष्कृत रसायन, खनन मशीनें, चमड़ा एवं टेनिंग मशीनें
16.	अन्तर्राष्ट्रीय मेला, (टेक्नो एक्स्पो) शारजाह 1-7 दिसम्बर"93	प्रिंटिंग एवं पैकेजिंग मशीनें, औजार, एवं हार्डवेयर, संचार उपकरण, रसायन और सम्बद्ध उत्पाद, इलेक्ट्रानिक उपकरण, बिजली उपकरण, कम्प्रेसर, दूर संचार उपकरण, पम्प और जेनरेटर, आटोमेटिक और पार्ट, हल्की इंजीनियरी उपकरण, प्लास्टिक उत्पाद, जल प्रौद्योगिकी, स्वीचगीयर, रबड़ उत्पाद, सोल्डरिंग प्रणाली, कन्ट्रोल डिटेक्टिव सिस्टम, मशीनी औजार, डी आई एल एवं गैस प्रौद्योगिकी और काष्ठ मशीनें
17.	कन्ज्यूमेक्स मेला, मास्को 18-24 जनवरी"94	घरेलू उपकरण, चमड़ा वस्तुएं, बुते, परिधान, बनु वस्त्र, कम्प्यूटर, रत्न जड़ित आभूषण, खिलौने, मौल्डिड लगेज, वर्तन, सिलाई मशीनें, खेल सामग्री और सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री
18.	कुवैत अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता मेला, कुवत सिटी 31 जनवरी-8 फरवरी"94	सभी प्रकार की उपभोक्ता सामग्री
19.	एक्सपोकामर अन्तर्राष्ट्रीय मेला, पनामा 2-7 मार्च,"94	खाद्य पदार्थ एवं शराब, तरल पदार्थ, तम्बाकू, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, उन्नत प्रौद्योगिकी सेवा, कपड़े के जूते
20.	वार्षिक वसन्त मेला, बसेल (स्विटजरलैण्ड) 4-13 मार्च"94	उपभोक्ता सामग्री, उन्नत क्वालिटी की हस्तशिल्प का पर्यटन सामान, अनूठे उत्पाद और परिधान
21.	शारजाह 18 वां गल्फ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, शारजाह (संयुक्त अरब अमीरात) 30 मार्च-4 अप्रैल"94	वस्त्र, परिधान और फर्नीचर, घरेलू फर्नीशिंग, घरेलू वस्त्र, कालीन और फर्श विछावन, बिजली उपकरण, मनोरंजन के उपकरण, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, वातानुकूलन एवं रेफ्रिजरेशन उपकरण, रसोई उपकरण और संसोधित खाद्य पदार्थ
ख.	**विशेषीकृत वस्तु मेले**	
1.	8वां अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ प्रदर्शनी, लन्दन (यू.के.) 25-29 अप्रैल"93	खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ (उपकरण नहीं) बेकरी, चाय, काफी, चावल एवं पेस्ट दुग्ध उत्पाद, जमाया हुआ मांस, डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थ, शराब एवं बीयर, स्प्रिट एवं साफ्ट ड्रिंक

1	2	3
2.	अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला, हांग-कांग 26-29 अप्रैल, 1993	चमड़ा उद्योग के सभी पहलू जैसे मशीनरी सहायक सेवा उद्योग, परिष्कृत एवं अर्ध परिष्कृत चमड़ा, चमड़ा उद्योग में काम आने वाले रसायन एवं रंग, परिष्कृत चमड़ा सामग्री और सहायक वस्तुएं
3.	विशेषीकृत अन्तर्राष्ट्रीय मेला कताई, तैयार परिधान और इसकी उत्पादन मशीनरी डामसकस (सीरिया) 20-29 मई"93	कताई मशीनें, तैयार परिधान और इसके उत्पादन की मशीनें, सिन्थेटिक वस्त्र जैसे फाइबर वस्त्र (गैर फिनिंश वस्त्र) मशीनें
4.	ए आई ई ई मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) 31 मई-4 जून"93	इंजीनियरिंग उपकरण, मशीनी औजार, रोबोटिक यंत्र, बिजली उपकरण, सामान उठाने एवं रखने के उपकरण, संघटक और संबंध उत्पाद
5.	पम्प्स ऐण्ड सिस्टम्स एशिया मेला कोलालाम्पुर (मलेशिया) 2-5 अगस्त, 1993	सभी प्रकार के पम्प, फिल्ट्रेशन सिस्टम, पाइपिंग एवं ट्यूबिंग हैण्डपम्प उपकरण, संघटक एवं प्रौद्योगिकियां एवं एयर कम्प्रेसर
6.	नेशनल हार्डवेयर शो शिकागो (सं.रा.अ.) 15-18 अगस्त"93	सभी प्रकार के हार्ड वेयर की वस्तुएं
7.	प्रेट-ए-पोर्टर मेला पेरिस (फ्रांस) 3-6 सितम्बर"93	महिलाओं के लिए तैयार परिधान एवं संघटक
8.	इन्टरसिंक" 93 पेरिस (फ्रांस) 13-15 सितम्बर"93	चमड़ा एवं चमड़े का सामान
9.	सी आई ए" 93 मेला (केम एशिया इन्स्ट्रूमेन्ट एशिया/एनालेव एशिया) एनालेव एशिया सिंगापुर 4-7 अक्तूबर"93	प्रक्रिया डिजाइनिंग एवं इंजीनियरिंग सेवा फेब्रिकेशन एवं स्थापना सेवा, हीट ट्रांसफर उपकरण, तरल पदार्थ, गैस हेण्डलिंग और परिवहन उपकरण, पैकेजिंग एवं भंडारण उपकरण, प्रदूषण नियंत्रण एवं एफ्यूलेन्ट ट्रीटमेंट, जल परिशोधन, स्टीम और पावर जेनरेशन, सेपरेशन उपकरण, मैकेनिकल प्रक्रिया उपकरण, दुर्घटना रोधक एवं औद्योगिक सुरक्षा और औद्योगिक रसायन
10.	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चमड़ा वस्तुएं, थैले और यात्रा सामग्री, सिंगापुर 6-9 अक्तूबर"93	परिष्कृत चमड़ा उत्पाद जैसे जूते, थैले एवं सामग्री, संघटक एवं प्रबंध प्रौद्योगिकियां एवं प्रणालियां
11.	अनुगा खाद्य पदार्थ मेला, क्लोन (जर्मनी) 9-14 अक्तूबर"93	खाद्य पदार्थ उत्पाद एवं संसोधित खाद्य पदार्थ
12.	53वां अन्तर्राष्ट्रीय साइकिल एवं मोटरसाइकिल प्रदर्शनी, मिलन (इटली) 18-24 अक्तूबर"93	साइकिल के पुर्जे एवं संघटक, मोटर साइकिल के पुर्जे एवं संघटक
13.	इंटरस्टाफ एशिया मेला, हांग-कांग 4-6 नवम्बर"93	धागे, वस्त्र, एवं परिधान
14.	एशिया आटोमोटिव एवं असेसरीज प्रदर्शनी, सिंगापुर 10-14 नवम्बर"93	आटोमोटिव के पुर्जे एवं संघटक
15.	डोमोटेक्स मेला हनोवर (जर्मनी), 9-12 जनवरी"94	कार्पेट (हस्त निर्मित), वोवन, कार्पेट, (मशीन निर्मित)
16.	हेमटेक्सटाइल मेला, फ्रेंकफर्ट (जर्मनी) 12-15 जनवरी"94	घर में सजाने वाली दरीं, वाल कवरिंग
17.	सन फ्रान्सिको उपहार मेला सन फ्रान्सिको (संयुक्त राज्य अमेरिका) 15-19 जनवरी"94	ग्लासवेयर, कला एवं शिल्पकला, घरेलू साज-सज्जा सामग्री, आभूषण दीवार घड़ी/घड़ी स्टेशनरी, चमड़े का सामान, वस्त्र सामान्य कार्पोरेट उपहार, खिलौने, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स

1	2	3
18.	प्रेट-ए-पोर्टर मेला पेरिस, (फ्रांस) 29 जनवरी-1 फरवरी"94	महिलाओं के तैयार वस्त्र, फैशन वस्त्र एवं संघटक
19.	अन्तर्राष्ट्रीय हार्डवेयर मेला कोलोन, (जर्मनी) 6-9 मार्च"94	सभी प्रकार के हार्डवेयर
20.	सेविट मेला हनोवर, (जर्मनी) 16-23 मार्च"94	कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर, दूरसंचार उपकरण, आफिस आटोमिसन इत्यादि
21.	अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र प्रदर्शनी, न्यूयार्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) 22-24 मार्च"94	महिलाओं के वस्त्र, विविध प्रकार के साफ्टवेयर एक्टिववियर एवं चमड़ा, आभूषण, फुटवियर एवं उपहार वस्तुएं इत्यादि

इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

1994-95 के दौरान विदेशी मेला/प्रदर्शनियों में भागीदारी का कार्यक्रम

क्र. सं.	मेले का नाम स्थान एवं तिथि	प्रदर्शन उत्पाद
1	2	3
क.	**सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय मेला**	
1.	केरिबियन प्रदर्शनी"94 पोर्ट आफ स्पेन (ट्रिनिदाद एवं टोबेगो) 15-24 अप्रैल"94	इंजीनियरिंग सामग्री, वस्त्र, मशीनरी एवं खेल के सामान, उपभोक्ता सामग्री, पर्यटन सामग्री, अनुठी वस्तुएं, चमड़ा निर्माण, परिधान इत्यादि
2.	असपेट-एशिया पेशफिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बिजिंग, (चीन) 7-13 जून"94	मशीनरी औजार, वस्त्र, मशीनरी, कृषि मशीनरी, मोटरगाड़ी, औषधि एवं भेषजीय, परिष्कृत रसायन, खनन मशीनरी, चमड़ा परिस्करण मशीनरी
3.	विदेशी आयात मेला "प्रगति के लिए भागीदारी" बर्लिन (जर्मनी), 8-11 जून"94	सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुएं, वस्त्र, महिलाओं के तैयार वस्त्र, हस्तशिल्प, कार्पेट सजावटी एवं उपहार इकाई इत्यादि
4.	अन्तर्राष्ट्रीय आधुनिक रहन-सहन प्रदर्शनी, तेल अवीव (इस्राएल) 17-27 अगस्त"94	परिवहन वाहन, मोटरगाड़ी एवं आटो पुर्जे आयरन एवं स्टील ट्यूब, हार्डवेयर सनीटरी फिटिंग, सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं, हल्के इंजीनियरिंग वस्तुएं दस्ती औजार एवं मशीन टूल्स, विद्युत सामग्री एवं संघटक, इलेक्ट्रोनिक, वस्त्र, परिधान एवं तैयार वस्त्र, कृषि उत्पाद इत्यादि।
5.	इज्मीर अन्तर्राष्ट्रीय मेला, इजमीर (टर्की) 8-20 सितम्बर"94	इलेक्ट्रिकल पावर मशीनरी सी एन सी, मशीन टूल्स, डीजल इंजन, पम्प सेट, पिस्टन वैज्ञानिक प्रयोगशाला उपकरण, कम्प्यूटर हार्डवेयर, पेरिफरल एवं साफ्टवेयर, भारी एवं हल्के वाहन, रोलिंग स्टोक प्रोडक्ट, खाद्य पदार्थ उत्पाद, चाय, काफी, समुद्री उत्पाद, सिले सिलाए वस्त्र, औषधिय जड़ी-बूटी इत्यादि
6.	बुडापेस्ट अन्तर्राष्ट्रीय शरद मेला, बुडापेस्ट (हंगरी) 9-18 सितम्बर"94	दस्ती औजार, स्टेनलेस स्टील कटलरी एप्लिामानसेज, साइकिल एवं पुर्जे, आटोपार्ट, बिल्डिंग हार्डवेयर, सूती वस्त्र, परिधान, खेल के सामान एवं वस्त्र, डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थ, चाय, मसाले, रेशमी वस्त्र एवं बुने वस्त्र, कार्पेट, हस्तशिल्प, जूट निर्माण, प्लास्टिक सामान, जेम एवं आभूषण, चमड़ा एवं चमड़े का सामान
7.	थिसोलिनिकी अन्तर्राष्ट्रीय थिसोलिनिकी (ग्रीस) 10-19 सितम्बर"94	उपभोक्ता एवं हल्के उद्योग के उत्पाद, वाहन, यात्री कार, लकड़ी, लुगदी एवं कागज, मांस एवं दुग्ध उत्पाद, बिजली उपकरण औद्योगिक मशीनें एवं उपकरण
8.	डागेन-हुशाल अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता वर्स्तु मेला गोथेनबर्ग (स्वीडन) 24 सितम्बर-2 अक्तूबर"94	बिजली उपकरण, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, औषधियां, भेषजीय एवं परिष्कृत रसायन, सौन्दर्य प्रसाधन टायलेट्री सामग्री, रबड़ उत्पादित वस्तुएं पौधे/एनामल/वार्निश इत्यादि प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पाद आयरन एवं स्टील बार/हाथ से बुने एवं मशीन से बुने कालीन, रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद, लिनोलियम उत्पाद प्रसंस्कृत वस्तुएं हस्तशिल्प, स्टेशनरी एवं उपहार वस्तुएं वस्त्र एवं परिधान

1	2	3
9.	नैरोबी अन्तर्राष्ट्रीय मेला, नैरोबी (केन्या) 27 सितम्बर–1 अक्तूबर"94	दस्ती औजार, कृषि मशीनरी, भारी मशीन, रसायन एवं उर्वरक शैलेक, औषधि, रबड़ उत्पाद, हार्डवेयर, वस्त्र एवं चमड़े का सामान, कृषि उत्पाद इत्यादि
10.	तेहरान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, तेहरान (इरान) 2–9 अक्तूबर"94	आटो पार्ट, डीजल इंजन, वस्त्र मशीनें, बाइसिकिल एवं पार्ट, वैज्ञानिक एवं मापन यंत्र, वायर रोप, नट और बोल्ट, जमाया हुआ मांस, चाय, काफी, इलायची, मसाले कीटनाशक, चमड़ा उत्पाद, जूट एवं सिपन उत्पाद और परिधान।
11.	वेलेन्सिया अन्तर्राष्ट्रीय मेला, बेलेन्सिया (वेनेजुएला) 7–18 अक्तूबर" 94	प्लास्टिक की वस्तुएं, दस्ती औजार, स्टेनलैस स्टील कटलरी, बिजली उपकरण, बाइसाइकिल एवं आटो पार्ट, बिल्डिंग हार्डवेयर, सूती वस्त्र परिधान, खेल सामग्री एवं वस्त्र, डिब्बाबन्द खाद्य पदार्थ, दूध, वस्त्र एवं परिधान, कालीन हस्तशिल्प, जूट उत्पाद, चाय, मसाले, चमड़ा एवं चमड़े की वस्तुएं, रत्न एवं रत्न जड़ित आभूषण
12.	विश्व आधारभूत मंच जकार्ता, (इंडोनेशिया) 17–21 अक्तूबर" 94	आगामी 5,10,15 वर्षों हेतु आधारभूत विकास योजना सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के निर्णय लेने वाले सम्भावित निवेश और संयुक्त उद्यम/प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण
13.	क्वांग तुंग अन्तर्राष्ट्रीय मेला, हो–ची–मिन्ह सिटी (वियतनाम) 24–30 नवम्बर" 94	मशीनी औजार, वस्त्र, मशीनें, कृषि मशीनें मोटरगाड़ी, औषधियां एवं भेषजीय, परिष्कृत रसायन, खनन मशीनें, चमड़ा परिष्करण मशीनें
14.	डकार अन्तर्राष्ट्रीय मेला, डकार (सेनागेल) 1–12 दिसम्बर" 94	कृषि मशीनें, रसायन, हल्के, एवं भारी इंजीनियरी उपकरण, प्लास्टिक फर्नीचर एवं उत्पाद, उपभोक्ता एवं खेल सामग्री कार्यालय उपकरण, इलेक्ट्रोनिक एवं बिजली उपकरण, आप्टिकल एवं शल्य उपकरण, बायो प्रौद्योगिकी सेवा, दूरसंचार एवं परामर्श सेवा,
15.	वार्षिक वसन्त मेला, बसेल (स्विटजरलैण्ड) 17–26 मार्च" 95	उपभोक्ता सामग्री, पर्यटन वस्तुएं, उन्नत क्वालिटी की हस्तशिल्प की वस्तुएं, अनूठी वस्तुएं और पधिान इत्यादि
ख.	**विशेषीकृत वस्तु मेले**	
1.	एशिया पैसिफिक चमड़ा मेला, हांग–कांग	
(क)	कच्ची सामग्री और मशीनरी 18–22 अप्रैल"94	चमड़ा उद्योग के सभी पहलू यथा– मशीनें, अनुषंगी सेवा उद्योग, कच्ची सामग्री, रसायन एवं चमड़ा उद्योग में उपयोग की जाने वाली इकाइयां।
(ख)	फैशन एवं परिष्कृत उत्पाद 25 – 27 अप्रैल"94	परिष्कृत उत्पाद एवं फैशन वस्तुएं
2.	ए आई ई ई सिडनी (आस्ट्रेलिया) 30 मई–3 जून"94	आटोमेशन एवं प्रक्रिया नियंत्रण, इलेक्ट्रोनिक, विद्युत, इंजीनियरी उपकरण एवं सेवा, इन्स्ट्रूमेन्टेशन
3.	नेशनल हार्डवेयर शो शिकागो (स.रा.अ.) 14–17 अगस्त, 1994	सभी प्रकार की हार्डवेयर वस्तुएं
4.	प्रेट–ए–पोर्टर मेला, पेरिस (फ्रांस) 2–5 सितम्बर"94	महिलाओं के लिए तैयार वस्त्र एवं फैशन सामग्री
5.	सीमैन–हु–कुअर मेला, पेरिस (फ्रांस) 17–20 सितम्बर"94	चमड़ा एवं चमड़े की वस्तुएं
6.	आईएफएमए अन्तर्राष्ट्रीय मोटर साइकिल मेला, क्लोन (जर्मनी) 5–8 अक्तूबर"94	मोटर साइकिल, मोपेड और अनुषंगी सामान
7.	इन्टर स्टाफ एशिया मेला, हांग–कांग 19–21 अक्तूबर"94	धागे एवं परिधान
8.	सियाल, खाद्य पदार्थ मेला पेरिस (फ्रांस) 23–27 अक्तूबर"94	प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थ उत्पाद

1	2	3
9.	डामोटेक्स मेला, हेनोवर (जर्मनी) 8-11 जनवरी"95	हाथ एवं मशीन से बुने कालीन
10.	हिमटेक्सटाइल मेला, फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) 11-14 जनवरी"95	घरेलू फर्निशिंग, परदे, साज-सज्जा के वस्त्र, अपहोल्स्ट्री वस्त्र, वाल कवरिंग, फर्निशिंग, सनशेड, कालीन, घरेलू वस्त्र, बेड लिनेन, बेडिंग, टेबिल लिनेन, रसोई लिनेन, कम्बल चटाइयां, बेड वस्त्र डिजाइन
11.	प्रैट-ए-पोर्टर मेला, पेरिस (फ्रांस) 11-14 जनवरी, 1995	महिलाओं के तैयार वस्त्र उच्च फैशन परिधान एवं अन्य वस्तुएं जैस ब्लाउज, समर वियर, इवनिंग वियर, मिड्डी, टी-शर्ट, बैल्ट, पर्स, हैण्ड बैग, स्कार्प, मफलर, स्विम वियर, ऊनी वस्त्र तथा अन्य फैशन वस्त्र एवं कृत्रिम आभूषण आदि
12.	अन्तर्राष्ट्रीय हार्डवेयर मेला क्लोन (जर्मनी) 5-8 मार्च"95	सभी प्रकार के हार्डवेयर
13.	एशिया पैसिफिक चमड़ा मेला हांग-कांग	
(i)	कच्ची सामग्री एवं मशीनरी 27-30 मार्च"95	चमड़ा उद्योग के सभी पहलू-मशीनें, अनुषंगी सेवा उद्योग, कच्ची सामग्री, रसायन एवं चमड़ा उद्योग में उपयोग किए जाने वाली डांइयां
(ii)	फैशन एवं परिष्कृत उत्पाद 3-5 अप्रैल"95	परिष्कृत उत्पादें एवं फैशन वस्तुएं
ग.	**भारतीय प्रदर्शनियां**	
1.	भारतीय प्रदर्शनी मास्को 18-27 जुलाई" 94	इलेक्ट्रोनिक उपकरण एवं संघटक, कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर फोर्जिंग एवं कास्टिंग, दूरसंचार उपकरण-टेलीफोन सेट, मेडिकल उपकरण, प्रोसेस कन्ट्रोल उपकरण, माप उपकरण, साइकिल, मोटर साइकिल एवं मोपेड़, सेविंग मशीन एवं संघटक, दस्ती औजार एवं बागवानी औजार, उच्च कोटी के इंजीनियरिंग सामग्री फर्नीशिंग, कार्पेट एवं फ्लोर क्वरिंग, फर्नीचर
2.	भारतीय प्रदर्शनी, सेन्ट पीटर्सबर्ग 5-11 अगस्त"94	कट फ्लावर सहित पुष्पकृषि उत्पाद, हस्तशिल्प एवं गिफ्टवेयर, कृत्रिम एवं रतन जड़ित आभूषण, बिल्डर एवं हार्डवेयर, चमड़े का सामान एवं परिधान अन्तरंग वस्त्र, फुटवियर और हिस्से पुर्जे, ब्रीफकेस, जेकैट, ऊनी कपड़े, घरेलू और रसोई के उपकरण, क्राकरी, सेनेटरी वेयर, हार्डवेयर, सिले-सिलाए परिधान, रंग-रोगन और रसायन, वार्निस और सम्बद्ध उत्पाद, भेषज, बिजली और इलेक्ट्रोनिक्स के घरेलू उपकरण, टेबल लैम्प, म्यूजिक सिस्टम, स्त्री, टोस्टर मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीनें, वी.सी.आर., रंगीन टी.वी., कृषि आधारित खाद्य और पेय पदार्थ, फलों के रस, जेम, बीयर, जिन, रम, तथा अन्य अल्कोहलिक पेय पदार्थ, भेषज और दवाइयां चश्मों के फ्रेम
3.	भारतीय प्रदर्शनी, जोहन्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) 22-28 अगस्त"94	कृषि उद्योग मशीनरी, लघु उद्योग, भवन निर्माण सामग्री, विद्युत एवं वैज्ञानिक उपकरण व प्रौद्योगिकी, भेषज पदार्थ, रसायन और प्रसाधन सामग्री, लकड़ी, पेपर प्रिन्टिग और पैकेजिंग, वाहन, फोर्क लिफ्ट, स्कूटर, साइकिल आटोपार्ट, खनन उपकरण, ट्रेक्टर, पम्प, कागज और कागज उत्पाद जेनेरटिंग उपकरण, टायर और ट्यूब, कपड़ा और चमड़ा मशीनरी, लघु उद्योगों के प्लांट, अस्पताल उपकरण, बेकरी मशीनरी परिधान और कपड़ा खाद्य एवं पेय पदार्थ
4.	भारतीय प्रदर्शनी, यागोन (म्यामार) 17-25 फरवरी"95	उपभोक्ता सामान, टिकाऊ सामान, खाद्यान्न, कपड़े, दवाईयां एवं भेषज, औद्योगिक उपयोग का कच्चा माल और फालतू पुर्जे, औजार, पूंजीगत सामान-निर्माण, मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपकरण आदि

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने प्रश्न का उत्तर विस्तारपूर्वक दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि अलीगढ़ में कुछ व्यापारिक वस्तुओं जैसे बाथरूम की फिटिंग, ताले, दरवाजे के हैंडल आदि, के निर्यात को बढ़ावा देने से ट्रेड फेयर में क्या लाभ होगा, क्या आज इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण कर रहे हैं? यदि हां, तो वह कब तक होगा और यदि नहीं, तो क्यों?

आजकल खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी लगी हुई है जिसमें सब-स्टैन्डर्ड का माल आया हुआ है। क्या आपको इसकी सूचना मिली है और यदि मिली है तो आप उसके लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, विदेशों में आयोजित किये जाने वाले मेले एक वर्ग में आते हैं और देश में आयोजित किये जाने वाले मेले दूसरे वर्ग में आते हैं। "विदेशों में आयोजित किये जाने वाले मेलों" में दो प्रकार के मेले आते हैं - सामान्य मेले और उत्पाद विशिष्ट मेले। माननीय सदस्य ने जिन उत्पादों का उल्लेख किया है - ताले तथा इस तरह की अन्य चीजें - वे किसी सामान्य मेले में बड़ी वस्तुएं नहीं हो सकतीं और मैं नहीं समझता कि ऐसे किसी उत्पाद विशिष्ट मेले का आयोजन किया जायेगा जिनमें तालों तथा ऐसी अन्य चीजों की काफी गुजांइश होगी। भारत में बहुत से मेलों का आयोजन किया जाता है। वास्तव में, प्रगति मैदान में, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, लगभग हर सप्ताह एक मेले का आयोजन किया जाता है। एक सामान्य मेले में तालों तथा ऐसी अन्य चीजों के निर्माता स्थान ले सकते हैं और अपनी चीजों का प्रदर्शन कर सकते हैं। वास्तव में, भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन का काम केवल बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है तथा विभिन्न वस्तुओं के उत्पादकों को एक मंच उपलब्ध कराना है ताकि वे अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन कर सकें और व्यवसाय कर सकें।

जहां तक सर्वेक्षण का सम्बन्ध है, जिसके बारे में माननीय सदस्य से पूछा है, हम जानते हैं कि विदेशों में किन उत्पादों की अधिक मांग है और किस प्रकार की वस्तुओं और उत्पादों की ओर विदेशों में आयोजित किये जाने वाले मेलों में अधिक लोग आकर्षित होंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें कोई विशिष्ट सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। वास्तव में, विशेष हार्डवेयर मेलों का आयोजन किया जाता है। हमें इन हार्डवेयर मेला की जानकारी है। ऐसे मेले कोलोन और शिकागो में आयोजित किये जाते हैं। यदि माननीय सदस्य के पास में कोई विशेष बात है, तो मुझे उनके साथ बातचीत करने में खुशी होगी और मैं देखूंगा कि हम क्या कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बहुत सी प्रमुख वस्तुएं बनती हैं, जैसे मैंने अभी अलीगढ़ का उदाहरण दिया था। इसी तरह से मेरठ की कैंची, मुरादाबाद के ब्रास, आगरा की संगमरमर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या आप रीजनल ट्रेड फेयर को बढ़ावा देने के बारे में सोच रहे हैं। यदि इस तरह से रीजनल ट्रेड फेयर हों, तो क्या आपने उनके आयात-निर्यात का कुछ सर्वेक्षण करवाया है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, निस्संदेह क्षेत्रीय व्यापार मेलों का आयोजन भारत में किया जाता है। वास्तव में, अभी हाल में हमन कलकत्ता में चमड़े की वस्तुओं के एक बड़े मेले का आयोजन किया था।

श्रीमती शीला गौतम : वह राज्य में है।

श्री पी. चिदम्बरम : कलकत्ता मेले का आयोजन उद्योग के सहयोग से भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन द्वारा किया जाता है। निस्संदेह, मद्रास में आयोजित किया जाने वाला वार्षिक चमड़ा मेला विश्व विख्यात है।

मैं तत्काल यह नहीं बता सकता कि क्या हम अलीगढ़ और मुरादाबाद में क्षेत्रीय मेले का आयोजन कर सकते हैं। किन्तु कुछ ऐसी वस्तुओं का चयन किया जाये जिनका प्रदर्शन करने के लिए काफी लोग आगे आयें और जिनके खरीददार भी काफी हों, तो हम इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे और यह देखेंगे कि क्या जिस क्षेत्र का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उसमें किसी मेले का आयोजन किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री चेतन पी.एस. चौहान : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ट्रेड फेयर लगते हैं, इनके अन्दर जो पार्टीसिपेट करते हैं, जो स्टाल लेते हैं, वह बहुत महंगा पड़ता है। जो छोटी-छोटी अच्छी वस्तुऐं बनाते हैं, जो काटेज इण्डस्ट्रीज वगैरह अच्छी-अच्छी वस्तुऐं बनाते हैं,

[अनुवाद]

वे देहातों में और ग्रामीण तथा खादी उद्योग आदि में अच्छी-अच्छी वस्तुएं बनाते हैं। सरकार इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कर रही है ताकि इन व्यापार मेलों में उनकी वस्तुओं का भी प्रदर्शन किया जा सके और उनको कुछ क्रयादेश मिल सके? इस समय भारत में ग्रामीण और खादी उद्योग को काफी घाटा हो रहा है।

मैं चाहता हूं कि इन लोगों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाये। उन्हें अपने उत्पादों की बिक्री के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र के इन लोगों को सहायता करने के लिए क्या करने जा रही है?

श्री पी. चिदम्बरम : कुछ मेले ऐसे होते हैं जिनका पूरा खर्च सरकार उठाती है; कुछ मेले ऐसे होते हैं जिनका पूरा खर्च उद्योग से वसूल किया जाता है। सरकार तथा अनेक अन्य विभागों के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे हस्तशिल्प और ग्रामीण उत्पादों को सहायता

मिलती है। मैं यह नहीं कह सकता कि भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन द्वारा किसी उत्पाद अथवा किसी क्षेत्र को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता दी जायेगी। यदि आप कपड़े की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कपड़ा मंत्रालय की कुछ ऐसी योजनाएं होंगी; यदि आप खादी और ग्रामीण उद्योग की बात कर रहे हैं, तो उद्योग मंत्रालय के पास कुछ योजनायें होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि ऐसे निर्माताओं को इन योजनाओं का लाभ उठाकर विदेशों में अथवा भारत में आयोजित किये जाने वाले मेलों में अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन करने के लिए वित्तीय सहायता अथवा राजसहायता की मांग करनी चाहिए। भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन द्वारा सीधे कोई उत्पाद राजसहायता नहीं दी जा सकती।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए लघु उद्योगों से जो शुल्क वसूल किया जाता है, उसमें उन्हें 10 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री विजय एन. पाटील : विदेशों में जो ट्रेड फेयर होते हैं, उसके बाद क्या अपना परराष्ट्र मंत्रालय का वहां जो विभाग होता है, ट्रेड अटैची या सम्बन्धित अधिकारी, उनके द्वारा क्या कोआर्डीनेशन किया जाता है? दूसरे गैट करार साइन करने के बाद विदेश में होने वाले ट्रेड फेयर में कोई बदलाव आने की सम्भावना है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : जब कभी हम विदेशों में व्यापार मेलों का आयोजन करते हैं, तो हमारे मिशन हमें पूरा सहयोग देते हैं। वास्तव में, हाल ही में म्यांमार की राजधानी यंगून में भारतीय मेला आयोजित किया गया तो यंगून में स्थित भारतीय उच्चायोग की पूरी सहायता तथा सहयोग प्राप्त किया गया।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, गैट से हमारी व्यापार मेला नीति में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा; गैट का व्यापार मेलों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विदेश के अन्दर हिन्दुस्तान के जितने भी मेले लगते हैं, उसमें खास तौर से जो बिजनेस कण्ट्रीज हैं, बिजनेस सिटीज हैं, वहां मेले लगाये जाते हैं लेकिन जहां पर असल माने में सामान बिकता है, वहां पर हम अपने सामान का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। मैं खास तौर से गल्फ के बारे में कहना चाहता हूं कि गल्फ के एरिया में या अरब कण्ट्रीज के अन्दर जो सबसे बड़ा मार्किट है, वह सऊदी अरब में है लेकिन सऊदी अरब के अन्दर हमने कभी बड़े पैमाने पर कोशिश नहीं की कि हमारे अपने जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं या क्लोथ्स हैं या जिन हिन्दुस्तानी प्रोडक्ट्स की सऊदी अरब के अन्दर बड़े पैमाने पर आज खपत है, छोटा-मोटा तो हमने किया है लेकिन अब तक हमने वहां कोई बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं की कि बड़े पैमाने पर वहां पर हम मेला लगाकर सामान का प्रदर्शन करें।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का कोई प्रोग्राम है कि डायरैक्ट सऊदी अरब के अन्दर बड़ा मेला लगाकर अपने सामान का प्रदर्शन वहां कर सकें?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मेरे सामने व्यापार मेलों की एक बहुत लम्बी सूची है और सौभाग्य से सूची से मझे यह पता चला है कि हमने रियाध में एक व्यापार मेले-रियाध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-का आयोजन किया था जिसमें हमने वेशभूषा, कलपुर्जों, बिजली की वस्तुओं तथा फैशन के सामान जैसी चीजों का प्रदर्शन किया था। यह मेला 18 से 22 अप्रैल, 1993 तक चला। मैं सूची पर आगे नजर डाल सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या रियाध में किसी और मेले का भी आयोजन किया गया ।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन करने के लिए व्यापक आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है। सौभाग्यवश, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। किन्तु भारत की औद्योगिक राजधानी, मुम्बई में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन करने के लिए मुम्बई, मद्रास, बंगलौर, कलकत्ता तथा अन्य महानगरों में ऐसी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

श्री पी. चिदम्बरम : हमें भारत के बड़े महानगरों में मेलों का आयोजन करने के लिए आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने में खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या मुम्बई ऐसी सुविधाओं के लिए तैयार है?

श्री पी. चिदम्बरम : वास्तव में हमारी यह नीति है और हम कई वर्षों से तमिलनाडु और कर्नाटक की राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाये हुए हैं। मैं समझता हूं कि हम कर्नाटक से समझौता करने वाले हैं, किन्तु तमिलनाडु के मामले में अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से कोई प्रस्ताव आया है या नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। किन्तु, मैं इसपर विचार करूंगा और माननीय सदस्य को इस बारे में लिखूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : आज की दुनिया में ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारी चीजों के प्रदर्शन और हमारे उत्पादों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार ढूंढने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन दुर्भाग्यवश, हमारे व्यापार मेलों का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय मेलों के स्तर जैसा नहीं रहा है।

यह बात सरकार के ध्यान में कई बार लाई गई है कि हम सही समय पर आवश्यक तैयारी नहीं करते हैं। कई बार हमारे व्यापार मेलों का आयोजन बिना समुचित संगठन तथा बिना किसी तैयारी के किया जाता है। अन्यथा कई चीजें, जो दिल्ली में केन्द्रीय काटेज इम्पोरियम

में उपलब्ध हैं, विदेशियों को बहुत पसन्द आती हैं। क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि भविष्य में जो हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले आयोजित किये जायें, वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हों और इससे पहले कि हम विदेशों में व्यापार मेले आयोजित करने का निर्णय लें, उनके लिए समुचित तैयारी की जाये।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, एक सामान्य कथन के रूप में मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमें अपने मेलों का स्तर सुधारने के लिए निरन्तर प्रयास करने चाहिये और अन्य मेलों में भाग लें, तो उनका स्तर भी ऊंचा होना चाहिये। किन्तु, मैं समझता हूं यह कहना कुछ अनुचित होगा कि हमारे मेले बहुत घटिया स्तर के होते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैंने यह नहीं कहा कि हमारे मेले घटिया स्तर के होते हैं। मैंने यह कहा है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नहीं होते।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं समझता हूं हमारे कुछ मेले निस्संदेह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। वास्तव में वार्षिक मेला जो प्रगति मैदान में होता है और सी.आई.आई. द्वारा दो वर्षों में एक बार आयोजित किया जाने वाला मेला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेले जैसा होता है। अनेक विख्यात विश्व मेलों में हमारी भागीदारी भी अब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की होती है। किन्तु, माननीय सदस्य ने जिस भावना से सलाह दी है उसे मैं उसी भावना से स्वीकार करता हूं और आश्वासन देता हूं कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में अपना स्तर सुधारने तथा अपने मेलों का स्तर सुधारने का निरन्तर प्रयास करते रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, पुरानी कलात्मक वस्तुओं की धीरे-धीरे मांग होने के बावजूद भी अभाव बढ़ता जा रहा है और कृतियों की संख्या गिरती जा रही है। उदाहरण के लिए, बखीरा में पीतल के बर्तन बनते हैं। यहां के लोग प्रगति-मैदान के मेले में आए थे और मेले में इनके वस्तुओं की मांग बढ़ी। अब ये दोबारा इसलिए आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इतने शुल्क देने में असमर्थ हैं। मैं मंत्री महादेय से जानना चाहता हूं, ऐसी पुरातन कलात्मक कृतियों की मांगों को पूरा करने के लिए तथा कृतकारों को प्रोत्साहन देने के लिए इन मेलों में आप विशेष सुविधा प्रदान करेंगे, ताकि कृतियां पुनर्जीवित हो सकें?

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले इस प्रश्न का जवाब दे दिया है, फिर भी आप रिपीट कर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध उत्पादों पर लगने वाले करों से है। स्पष्ट बात यह है कि मैं इन करों में छूट देने की स्थिति में नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : माननीय सदस्य टैक्स की बात नहीं कह रहे हैं। आप पूछ रहे हैं, क्या आप पुराने लोगों को सुविधा देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे प्रदर्शन के लिए सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : जैसाकि मैंने पहले कहा है, हम कुछ उत्पादों के मामले में शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट देते हैं। आपने जो प्रश्न उठाया है, उसपर मैं विचार करूंगा अर्थात् मैं देखूंगा कि आपने जिन उत्पादों का उल्लेख किया है, उस पर कोई रियायतें दी जा सकती हैं, जब वे मेलों में भाग लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 265, श्री महेश कनोडिया-अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 266, श्रीमती गीता मुखर्जी-अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 267, श्री वेंकटेश्वर राव-अनुपस्थित

श्री आनन्द रत्न मौर्य-अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 268, श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल

हवाई अड्डों का दर्जा बढ़ाना

+

***268. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में हाल ही के वर्षों के दौरान भीड़-भाड़ हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) सरकार का विचार आगामी वर्षों में कुछ हवाई अड्डों का दर्जा बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर दिया गया है।

विवरण

(क) से (ख). 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से, केवल दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों पर ही पार्किंग स्थान की कमी और हवाई परिवहन नियंत्रण क्षमता की परिसीमा अनुभव की जाती है। अन्तर्देशीय हवाई अड्डों में, आगरा, बंगलौर, कालीकट, कोचीन, गोवा, हैदराबाद, इन्दौर, जम्मू, लखनऊ मदुरै, पुणे उदयपुर और बडोदरा पर भीड़-भाड़ रहती है। उड़ानों के जमघट, यातायात में वृद्धि और हवाई टैक्सी प्रचालकों के प्रचालनों में बढ़ोत्तरी के कारण भीड़-भाड़ रहती है।

(ग) और (घ). हवाई अड्डों और अन्य आधारसंरचनात्मक सुविधाओं का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और इसे प्रक्षेपित आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से हाथ में लिया जाता है।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिकल्पित उन्नयन संबंधी बड़ी परियोजनाएं नीचे दिए अनुसार हैं :-

(1) बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर हवाई परिवहन नियंत्रण सेवाओं का आधुनिकीकरण।

(2) हवाई अड्डा निगरानी राडारों और मोनोपल्स गौण निगरानी राडारों की प्राप्ति।

(3) उपस्कर अवतरण प्रणालियों की प्राप्ति।

(4) आदर्श हवाई अड्डों का विकास।

(5) बम्बई हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल कॉम्पलेक्स (चरण-3) का निर्माण।

(6) बम्बई हवाई अड्डे पर अंतर्देशीय टर्मिनल कॉम्पलेक्स (चरण-2) का निर्माण।

[हिन्दी]

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : अध्यक्ष महोदय, देश के हवाई अड्डों पर बढ़ती हुई यातायात के कारण कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उससे खासकर सुरक्षा की व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। इस बारे में सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ के महानिदेशक श्री जेनॉट भारत आए थे तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, क्या सुझाव है और उसके ऊपर क्या करने जा रहे हैं, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, यह प्रश्न सीधा इससे रिलेटिड नहीं है। इसके बारे में मैं माननीय सदस्य को पूरी डिटेल लिखकर भेज दूंगा।

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस समय देश में प्रति दिन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर औसतन कितने जहाजों का आना-जाना है? देश के बढ़ते हुए हवाई यातायात को देखते हुए हवाई अड्डो पर आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की क्या व्यवस्था की जा रही है? देश में कुछ ऐसे हवाई अड्डे हैं जहां पर्याप्त व्यवस्था होते हुए वायुदूत सेवा समाप्त करने के बाद वहां अब तक कोई नई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र शोलापुर में कब से हवाई सेवा शुरू करने की सरकार की योजना है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छोटे-छोटे विमान अड्डों पर यातायात चालू करने से बड़े अड्डों पर अपने आप ही भीड़ कम हो सकेगी, इसके लिए सरकार के पास योजना है?

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, जहां तक हवाई सर्विस का संबंध है पिछले वर्षों में हमारे पास वायुदूत सर्विस थी और जो जहाज सरकार के पास थे यह फ्यूल एफिशिएंट नहीं थे जिसके कारण तकरीबन दो सौ करोड़ का घाटा हुआ और वायुदूत को बंद करना पड़ा, उनको सिर्फ नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में रखा गया। इसके साथ-साथ बीच में लिब्रलाइजेशन पालिसी के अंतर्गत अब प्राइवेट एयरलाइंस बहुत सारे चल रहे हैं और उसमें 737 बड़े-बड़े हवाई पट्टियों पर जाते हैं लेकिन छोटे-छोटे एयरपोर्ट हैं उनके लिए हम प्राइवेट एयरलाइंस को एनक्रेज कर रहे हैं। इस वक्त बहुत सारे चल रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र के लिए भी हमारे पास कुछ और एप्लीकेशंस आई हैं उनको हम क्लियर कर रहे हैं ताकि जो छोटी-छोटी हवाई पट्टियां हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एयरपोर्ट हैं, उससे टूरिजम को भी लाभ मिले और डिस्ट्रिक्ट को भी स्टेट केपिटल से कनेक्ट किया जाएगा।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हरेक प्रश्न हमारे माध्यम से ही पूछे जाते हैं।

श्री हरिन पाठक : महोदय, गुजरात सरकार ने बार-बार अहमदाबाद हवाई अड्डे का अपग्रेडेशन करने के लिए मांग की है, करीब 5-7 बार तो हम लोगों ने भी की है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट, जो गुजरात का मुख्य हवाई अड्डा है, उसको आप नेशनल एयरपोर्ट का दर्जा कब देना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, जहां तक अहमदाबाद हवाई अड्डे का सम्बन्ध है, यह एक बहुत अच्छा हवाई अड्डा है। जहां तक आधुनिकीकरण कार्यक्रम का सम्बन्ध है, आधुनिकीकरण कार्यक्रम चल रहा है। हम अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक आधुनिक प्राथमिक और सैकंडरी राडार लगाने जा रहे हैं और इस पर लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सिविल और बिजली का काम पूरा हो गया है और राडार लगाने का काम जून, 1995 में आरम्भ होगा और इसे अक्तूबर, 1995 में चालू किया जायेगा।

श्री ई. अहमद : अध्यक्ष महोदय, विदेश यात्रा के लिए कालीकट हवाई अड्डे पर एक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कालीकट में उस अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट लांच का निर्माण कार्य इस समय किस चरण में है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उसमें आई.एल.एस. की स्थापना करने तथा रात को जहाज के उतरने की सुविधा की कालीकट में व्यवस्था करने के बारे में मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया था, उसके सम्बन्ध में क्या सरकार कोई कदम उठाने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : अब सामान्य बातें पूछने के स्थान पर विशेष बातें पूछी जा रही हैं। आपको मंत्री जी लिखित उत्तर भेज देंगे।

श्री ई. अहमद : मेरा एक प्रश्न कालीकट हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट लांच बनाने के बारे में है और दूसरा प्रश्न

कालीकट हवाई अड्डे पर आई.एल.एस. सुविधा तथा रात को जहाज के उतरने की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में है।

श्री गुलाम नबी आजाद : जहां तक टर्मिनल भवन के निर्माण का सम्बन्ध है। यह इमारत इस वर्ष जून तक तैयार हो जायेगी। अतः, मैं समझता हूं, वह यह जानकर प्रसन्न होंगे कि टर्मिनल इमारत तैयार हो जायेगी।

जहां तक इंस्ट्रूमेंट लैंडिग सिस्टम का सम्बन्ध है, यह पहले ही लगाया जा चुका है किन्तु इसे अभी तक चालू नहीं किया गया है क्योंकि इसकी ग्रेडिंग का काम चल रहा है।

श्री एस.बी. सिदनाल : हमें काफी आशायें हैं कि प्राइवेट कम्पनियों को हवाई जहाज चलाने की अनुमति दिये जाने के पश्चात् बेलगांव से नियमित रूप से उड़ानें होंगी। माननीय मंत्री जी ने प्राइवेट एयरलाइन का उद्घाटन किया था जिसको पूर्णतया बन्द कर दिया गया। कर्नाटक में केवल तीन या चार हवाई अड्डे हैं। बेलगांव हवाई अड्डे का अभी विकास नहीं किया गया है और वहां पर विमान पथ को बोइंग विमान उतारने लायक बनाने के लिए विमान पथ के सुधार की आवश्यकता है जिस पर केवल 16 या 17 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अतः, मैं जानना चाहता हूं कि क्या बेलगांव हवाई अड्डे के विमान पथ का सुधार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और क्या उड़ानें नियमित रूप से पुनः चालू करने की कोई व्यवस्था की गई है।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, जहां तक बेलगांव हवाई अड्डे का सम्बन्ध है, विमान पथ के सुधार का काम 173 लाख रुपये की लागत से पहले ही पिछले वर्ष जून में पूरा कर लिया गया है।

जहां तक डी.ओ.वी.आर. का सम्बन्ध है, 120 लाख रुपये की राशि खर्च की जा रही है और यह काम 1995 में पूरा हो जायेगा।

जहां तक प्राइवेट विमान कम्पनी का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले वर्ष मैं स्वयं मद्रास, बंगलौर से बेलगांव और हुबली के बीच प्राइवेट विमान कम्पनी की उड़ान का उद्घाटन करने गया था।

जहां तक हुबली का सम्बन्ध है, उस समय प्राइवेट विमान कम्पनी सप्ताह में केवल एक जहाज चलाना चाहती थी, किन्तु अब मुझे बताया गया है कि कम्पनी हर रोज जहाज चला रही है। अतः, यह यात्रियों की संख्या पर निर्भर करता है। जहां भी यात्री उपलबध हैं, वहां वे नियमित रूप से जहाज चलाते हैं। जहां यात्री उपलब्ध नहीं हैं वहां वे नियमित रूप से जहाज नहीं चलाते हैं।

श्री एस.बी. सिदनाल : महोदय, मंत्री जी ने विमान पथ के सुधार के बारे में मेरे अन्तिम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ : पूर्वोत्तर में संचार प्रणाली पूर्णतया असंतोषजनक है। वहां पर विमान संचार व्यवस्था भी दयनीय स्थिति में है। पूर्वोत्तर में कोई विमान पत्तन अच्छी स्थिति में नहीं है।

श्री गुलाम नबी आजाद : क्या आप अपना प्रश्न दोहरायेंगे?

श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ : मैं पूर्वोत्तर में विमान संचार व्यवस्था की बात कर रहा हूं। पूर्वोत्तर में विमान संचार व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। पूर्वोत्तर में हवाई अड्डे अच्छी स्थिति में नहीं है विशेष रूप से सिल्चर-कुंभीरग्राम हवाई अड्डे की स्थिति दयनीय है। आप जानते हैं कि जब कभी वहां मौसम खराब होता है तो वहां हवाई जहाज उतरने को तैयार नहीं होता। इसके अतिरिक्त, विमान पथ इतने तंग हैं कि जहाजों को खतरों के साथ उतरना पड़ता है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह पूर्वोत्तर में हवाई अड्डों का सुधार करने या दर्जा बढ़ाने का विचार रखते हैं और विशेष रूप से क्या वह कुंभीरग्राम हवाई अड्डे में कोई परिवर्तन करेंगे?

श्री गुलाम नबी आजाद : जहां तक सिल्चर का सम्बन्ध है, इमारत के विस्तार और सुधार का काम 4 करोड़ रुपये की लागत से अगले वर्ष दिसम्बर तक पूरा कर लिया जायेगा और डी.ओ.वी. आर. तथा दूरी मापक उपकरणों की स्थापना करने का काम भी 2.10 करोड़ रुपये की लागत से अप्रैल, 1996 तक पूरा कर लिया जायेगा। जहां तक पूर्वोत्तर का सम्बन्ध है। जहां भी संभव होता है, हम हवाई अड्डों का दर्जा बढ़ाने तथा उनका आधुनिकीकरण करने का प्रयास करते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : सबसे पहले मैं कलकत्ता हवाई अड्डे पर एक जगमगाते डोमेस्टिक लाउंज की व्यवस्था करने के लिए मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। इसका निर्माण अभी हाल ही में किया गया है। मैं महसूस करता हूं कि वह वित्त मंत्री के काफी करीब हैं।

श्री मुरली देवरा : वह वित्त मंत्री के करीब नहीं हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या वह नहीं हैं? बहरहाल, हुआ यह है कि सरकारी क्षेत्र की इण्डियन एयरलाइन्स को एक कोने में धकेल दिया गया है और साधारण यात्री वहां जाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। इसके स्थान पर प्राइवेट एयरलाइन्स को बड़ा क्षेत्र दिया गया है।

श्री मुरली देवरा : ऐसा नहीं है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आपने नया डोमेस्टिक लाउंज नहीं देखा है। कृपया मुझे यह न बतायें।

प्राइवेट एयरलाइन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं तो टिकट जारी करने के मामले में उनकी स्थिति काफी अनुकूल होती है और इण्डियन एयरलाइन्स ने इस पर आपत्ति की है। मंत्री महोदय क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार रखते हैं?

श्री गुलाम नबी आजाद : यह कार्य विमान पत्तन प्रबन्धक के स्तर पर अथवा प्रबन्धक के स्तर पर होता है न कि मंत्रालय के स्तर पर। बहरहाल, मैं इसकी छानबीन करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा क्यों नहीं बढ़ाते?

श्री गुलाम नबी आजाद : हम ऐसा कर रहे हैं। हम काफी धनराशि खर्च कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने यह नहीं बताया कि कितनी धनराशि खर्च की जा रही है।

श्री गुलाम नबी आजाद : 30 करोड़ रुपये।

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं शून्य काल आरम्भ होने से पूर्व एक प्रश्न पूछना चाहती हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आप कर दीजिये। नहीं तो धरना शुरू हो जायेगा।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : मंत्री महोदय जानते हैं कि सिल्चर पूर्वोत्तर का द्वार है और उत्तरी बंगाल में बागडोगरा हवाई अड्डे के अलावा कोई संचार सुविधा नहीं है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए बस सेवा भी बहुत खराब है।

क्या मंत्री महोदय बालूरघाट वायुदूत सेवा और पूर्णिया वायुदूत सेवा पुनः आरम्भ करने पर विचार करेंगे?

श्री गुलाम नबी आजाद : जहां तक बागडोगरा का सम्बन्ध है, हमें इसकी बहुत चिन्ता है क्योंकि यही एक हवाई अड्डा है जो यात्रियों और विशेष रूप से पर्यटकों को दार्जिलिंग और सिक्किम से जोड़ता है। काफी लोगों, विशेष रूप से पर्यटकों ने इसकी मांग की है। वास्तव में, हम टर्मिनल भवन के निर्माण और सुधार का काम काफी पहले आरम्भ करना चाहते थे। यह बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम इसे आरम्भ नहीं कर सके। जैसा कि अध्यक्ष महोदय जानते हैं, यह एक सैनिक हवाई अड्डा है। मैं पहली बार बागडोगरा उनके साथ गया जब वह रक्षा राज्य मंत्री थे। हम एक टर्मिनल भवन का निर्माण करना चाहते थे और जमीन उपलब्ध नहीं थी। अब हमने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत की है और काम कभी भी आरम्भ हो सकता है।

[हिन्दी]

श्री रामनिहोर राय : उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका ब्रिटिश काल से मयूरपुर हवाई अड्डा है, जहां पर जापान और इंग्लैंड के पैसे से थर्मल पॉवर का निर्माण किया जा रहा है। वहां पर सारी फैक्ट्रियां हिंडालको, बिरला और कनौडिया की हैं। वहां हाईटेक कार्बन है लेकिन वहां पर आने-जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी मयूरपुर हवाई अड्डे को पुनः चालू करवाने की व्यवस्था करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास इसका उत्तर नहीं है, तो आप उन्हें उत्तर बाद में भेजे सकते हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। मैं उन्हें इसका उत्तर भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरिलाल नानजी पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कच्छ में भुज का एयरपोर्ट डिफेंस एरिया में है।

[अनुवाद]

मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने रक्षा क्षेत्र से बाहर हवाई अड्डे की इमारत बनाने का कोई कार्यक्रम बनाया है।

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं पिछले साल भी कच्छ और भुज का जवाब दे चुका हूं। उसके लिए हमने पांच करोड़ रुपया रखा है, लेकिन उसके लिए डिफेंस वालों से बातचीत करनी पड़ेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कपड़ा बाजार में प्रवेश करने संबंधी समझौता

*262. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री वी. कृष्णा राव :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में अमरीका और यूरोपीय संघ के साथ कपड़ा बाजार में प्रवेश करने के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस समझौते के परिणामस्वरूप भारत को क्या लाभ होंगे;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को वस्त्र निर्यातकों/आयातकों से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां। सरकार ने दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 को संयुक्त राज्य अमरीका तथा ई.सी. के साथ दो पृथक वस्त्र करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) इस करार की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है :-

1. भारत-अमरीका करार :

(1) अन्य मेड-अप्स, जोकि अमरीका के लिए हमारे कुछ कोटाओं का लगभग 20 प्रतिशत है, सहित श्रेणी 369-ओ से विशिष्ट सीमा हटा ली गई है।

(2) श्रेणी 218 (यार्न रंजित फैब्रिक); 219 (डक फैब्रिक); 313 (सूती शीटिंग); 3421642 (सूती तथा मानव निर्मित

फाईबर एक्ट); 3471348 (ट्राऊजर/स्लैक्स तथा शर्ट्स) तथा ग्रुप-II के लिए आधार स्तर को 5 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।

(3) श्रेणी 3341634 (मैन्ज तथा ब्वायज कोट्स) तथा 351165 (पैजामे तथा नाईट वियर) में हथकरघा फैब्रिकों से शत प्रतिशत सूती परिधानों के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत कोटा दिए गए हैं।

(4) कतिपय श्रेणियों में, अतिरिक्त लोचशीलताएं अर्थात् स्विंग, विशेष स्विंग आदि प्रदान की गई हैं।

(2) भारत-ई.सी. करार :

(1) हथकरघा तथा कुटीर उद्योग उत्पादों के हमारे निर्यातों पर सभी नियंत्रण हटा लिए गए हैं।

(2) वर्तमान लोचशीलताओं के अतिरिक्त 1995 से 1997 की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 7,000 टन तथा 1998-2004 की अवधि के लिए 8,000 टन की अपवादात्मक लोचशीलताएं प्रदान की गई हैं।

अमरीका तथा ई.सी. की कुछ चिन्ताओं का समाधान करने के उद्देश्य से, भारत ने 3 से 7 वर्षों से शुरू होने वाली अवधियों के लिए परिवर्ती दरों पर कुछ वस्त्र मदों के लिए चरणबद्ध सीमा-शुल्क उदारीकरण समय-सारिणी देने के लिए सहमत हो गया है। इसके अतिरिक्त, भारत चरणबद्ध ढंग से वस्त्र उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने के लिए भी सहमत हो गया है।

करारों में सममूल्य शुल्क के एक विकल्प के रूप में विशिष्ट शुल्क सरकार विदेश से कम कीमत तथा घटिया दर्जे की वस्त्र मदों के आयात को निरूत्साहित करने के लिए प्रावधान है। करार में रक्षक उपबन्ध भी हैं। उरूग्वे दौर के वस्त्र तथा क्लोंथिंग पर करार (ए टी सी) में विकसित देशों के लिए विचारित एकीकरण प्रक्रिया, यदि ए टी सी से असंगत कारणों के कारण पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं होती अथवा विलम्बित की जाती है तो भारत के लिए टैरिफ स्तर 1 जनवरी, 1990 को प्रचलित स्तर पर ही प्रत्यावर्तित हो जाएगी।

(ग) आधार स्तरों में वृद्धि, श्रेणी 369-ओ (अन्य सूती मेड-अप्स) पर प्रतिबन्धों को हटाने तथा अमरीका द्वारा अतिरिक्त लोचशीलताएं प्रदान करने और हथकरघा तथा हमारे कुटीर उत्पादों के निर्यातों पर सभी नियंत्रणों को हटाने और ई.सी. द्वारा अपवादात्मक लोचशीलताएं प्रदान करने से इन देशों को हमारे परिधान तथा वस्त्र उत्पादों के बाजार प्रवेश बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

(घ) से (च). इन दो करारों का निर्यातकों/आयातकों द्वारा कुल मिलाकर स्वागत किया गया है। तथापि, उद्योग से कुछ अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रमुख अनुरोध/सुझाव शामिल है :-

(1) सभी प्रकार की टैक्सटाइल मशीनरी तथा सहायक सामग्री को ओ जी एल के अन्तर्गत शून्य/नाममात्र के शुल्क स्तर पर अनुमति दी जानी चाहिए।

(2) सभी वस्त्र मशीनरी पर उत्पाद शुल्क में कमी की जानी चाहिए।

(3) कपास की कीमतों को नियंत्रित की जानी चाहिए।

(4) ऊन की लुगदी जैसी अपरिष्कृत सामग्रियों, पी टी ए तथा अन्य पैट्रो-रसायन मदों पर आयात शुल्क, समानुपात शुल्क, बिक्री कर तथा स्थानीय करों में कटौती की जानी चाहिए ताकि हमारे प्रतिस्पर्धियों से इनकी तुलना की जा सके।

(5) बुनाई-पूर्व तथा बुनाई पश्चात् प्रसंस्करणों सहित, विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

(6) हथकरघा आरक्षण आदेश को वापिस लिया जाना चाहिए। विद्युतकरघा क्षेत्र को सभी वस्त्र मदों के विनिर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए।

(7) परिधान निर्यातकों को सस्ती दरों पर फैब्रिक उपलब्ध कराने के लिए फैब्रिकों पर उत्पाद शुल्क में कटौती की जानी चाहिए।

(8) एस एस आई क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की सूची में से सिले-सिलाए परिधानों को हटाया जाना चाहिए।

(9) वर्तमान श्रम कानूनों के अधिकार क्षेत्र से सिले-सिलाए वस्त्र परिधानों उद्योग को मुक्त किया जाना चाहिए।

उपयोग के अनुरोधों/सुझावों को नोट कर लिया गया है तथा उन पर अन्य मंत्रालयों की सलाह से उपयुक्त कार्यवाही शुरू की गई है।

[हिन्दी]

गोईपोरिया समिति

*265. **श्री माहेश कनोडिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोईपोरिया समिति द्वारा बैंकों के कार्यकरण के संबंध में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक सिफारिश के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इन सिफारिशों का कार्यान्वयन बहुत धीमा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). बैंकों में ग्राहक सेवा पर गोईपोरिया समिति ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हुए कई सिफारिशें की हैं :-

(एक) सुविधाओं का विस्तार कर ग्राहक सेवा में सुधार करना।

(दो) विशेष शाखाएं खोलना।

(तीन) कतिपय लेनदेनों में विलम्ब के लिए ग्राहकों की क्षतिपूर्ति करना।

(चार) कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदार और ग्राहकों के प्रति मैत्रीपूर्ण बनाना।

(पांच) प्रणालियों और प्रक्रियाओं का तकनीकी उन्नयन और उनकी पुनरीक्षा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही समिति की अधिकांश सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से कहा है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने इन सिफारिशों पर कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है और अधिकांश बैंकों में अधिकांश सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थायें

*266. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वित्तीय संस्थाओं और उनके नामित निदेशकों की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु कोई प्रणाली मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का निदेशक मण्डल संस्था की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई समग्र मंजूरियों और संवितरणों की स्थिति पर सरकार नजर रखती है और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों में अपने निदेशक नामित करती है। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सामान्य नीति और आम नीति से संबंधित मामलों पर अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यपालकों के साथ समय-समय पर होने वाली बैठकों में चर्चा की जाती है।

साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक में एक वित्तीय संस्था कक्ष भी स्थापित है जो मौजूद सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और बैंकों में और अधिक समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से मौद्रिक और ऋण संबंधी नीति के सहायक के कार्य की निगरानी और पर्यवेक्षण करता है। यह कक्ष अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच उन स्थूल नीतियों के क्षेत्र में आवधिक विचार-विमर्श की व्यवस्था भी करता है जिनमें सुधारों/परिवर्तनों की आवश्यकता है।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्राप्त कंपनियों के बोर्डों में नामित निदेशकों की नियुक्ति संबंधित अखिल भारतीय वित्तीय संस्था द्वारा की जाती है जो अपने नामित निदेशकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा भी करते हैं। नामित निदेशकों के संबंध में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने मार्ग-निर्देश तैयार किए हैं। इन मार्ग निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ नामित निदेशकों की नियुक्ति/उनकी वापसी, नामित निदेशकों की भूमिका और नामित निदेशकों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है।

निर्यातकों को प्रोत्साहन

*267. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए नये सिरे से कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निर्यातकों के लिए किन्हीं नई रियायतों की भी घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में ये रियायतें दी गई हैं; और

(ङ) इन रियायतों से निर्यातकों को अपने निर्यात में वृद्धि करने में कितनी सहायता मिली है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.चिदम्बरम) : (क) से (घ). निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है और व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा अन्य हितबद्ध संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श करके निर्यातों को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाते हैं। सरकार का निरंतर प्रयास रहता है कि वह निर्यातों को आकर्षक बनाए तथा नीतियों और क्रियाविधियों को अधिक निर्यात अभिमुखी बनाए। निर्यातों को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए किए जा रहे उपायों में शामिल हैं-निर्यात लाभों पर कर-छूट, अपेक्षाकृत सस्ते निर्यात ऋणों की उपलब्धता तथा बाजार विकास सहायता। कुछेक निर्यातों के लिए शुल्क मुक्त आयात के लिए सुविधाएं तथा कुछ निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात तथा शुल्क वापसी प्रणाली आदि भी नीति का एक भाग है जो निर्यातों को अधिक लाभप्रद बनाते हैं। हाल ही में सरकार ने एक स्कीम अधिसूचित की है जिसके अन्तर्गत देशीय इस्पात के उत्पादक इस्पात उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त निविष्टियों के आयात पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बराबर की कीमतों पर इंजीनियरी माल के निर्यातकों को लोहा और इस्पात के कच्चे माल की आपूर्ति करेगा। वर्ष 1995-96 के बजट में टैरिफ युक्ति संगत बनाने के अतिरिक्त, आयात टैरिफ को कम करके 65 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि आयातित निविष्टियों को कम महंगा किया जा सके।

(ङ) वर्ष 1993-94 में डालर के रूप में निर्यातों में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी और अप्रैल, 1994 से फरवरी, 1995 के दौरान डालर के रूप में और 17 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

कृषि आधारित उद्योग

*269. **श्रीमती विभू कुमारी देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि पर आधारित उद्यागों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकार की समग्र नीति के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि पर आधारित अर्थक्षम उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं। कुल अग्रिमों का 18 प्रतिशत कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों को देना होता है तथा इसमें से 25 प्रतिशत तक अप्रत्यक्ष कृषि गतिविधियों के लिए हो सकता है। उत्तरपूर्व क्षेत्र में बैंक शाखाओं के नेटवर्क में विस्तार हुआ है, तथापि, ऋण के खपाने की क्षमता में सुधार की काफी गुंजाइश है। 30.6.1993 की स्थिति के अनुसार 1875 शाखाएं थीं और प्रति शाखा कार्यालय औसत जनसंख्या 9000 से 17000 थी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता को सरल बनाने के लिए किए गए कुछ विशेष उपाय, जिनसे कृषि पर आधारित उद्योगों को सहायता मिलेगी, ये हैं :—

(i) नाबार्ड देश के अन्य भागों में 75 प्रतिशत के मुकाबले, संवितरणों के 90 प्रतिशत की सीमा तक पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है।

(ii) नाबार्ड लघु चाय उत्पादकों के लिए कार्यशील पूंजी और विपणन व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं के संदर्भ में एक विशेष अध्ययन आयोजित कर रहा है।

(iii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने गुवाहटी में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इन्टरप्रेन्योरशिप की स्थापना के लिए कारपस निधि के वास्ते 25 लाख रुपए मंजूर किए हैं।

(iv) नाबार्ड तकनीकी निगरानी और मूल्यांकन कक्षों की स्थापना करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहायता प्रदान करता है। नाबार्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक प्रयत्नों के समन्वय और निगरानी के लिए अपने प्रधान कार्यालय में एक कक्ष स्थापित किया है।

(v) पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक और आधारभूत विकास को सरल बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ एक नये पूर्वोत्तर विकास बैंक (नार्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट बैंक) की स्थापना की जा रही है।

[हिन्दी]

व्यापारिक समझौते

*270. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक देशों से उच्च-स्तरीय व्यापारिक शिष्टमंडलों ने वर्तमान व्यापार से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने तथा चालू वर्ष के दौरान द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का विस्तार करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके साथ किये गये विचार-विमर्श के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) हमारे उन व्यापारिक शिष्टमंडलों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने चालू वर्ष में अन्य देशों के दौरे किये; और

(घ) विश्व व्यापी व्यापार से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए निर्यात को अधिकाधिक बढ़ाने हेतु विदेशों में स्थित अपने दूतावासों को सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष के दौरान भारत का दौरा करने आए उच्चाधिकार प्राप्त व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

देश का नाम	अवधि	पद	प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के परिणाम
1	2	3	4
इटली	फरवरी, 1995	इटली के राष्ट्रपति	प्रतिनिधिमंडल ने संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठकें कीं। इन वार्ताओं ने भारत की आर्थिक नीति और आर्थिक सहयोग से संबंधित अन्य मुद्दों को अधिक स्पष्ट रूप समझने का पथ प्रशस्त किया।
तुर्की	जन-फरवरी, 1995	तुर्की के राष्ट्रपति	

1	2	3	4
ब्रिटेन	नवम्बर, 94 और फरवरी, 95	अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड यू.के. और यू.के. के व्यापार मंत्री	—
फ्रांस	फरवरी, 95	फ्रेंच एपेक्स ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री आर्गनाइजेशन के प्रमुख	—
फिनलैंड	जनवरी, 95	उप प्रधान मंत्री सह विदेश व्यापार मंत्री	—
जर्मनी	जनवरी-फरवरी, 1995	जर्मन राज्य मंत्री	—
बेल्जियम	26 से 29 मार्च, 1995	बेल्जियम के क्राउन प्रिंस एवं बेल्जियम के व्यापार मंत्री	—
स्विट्जरलैण्ड	फरवरी, 1995	उपराष्ट्रपति एवं अर्थव्यवस्था मंत्री	—
नेपाल	फरवरी, 1995	नेपाल के उप प्रधान मंत्री	द्विपक्षीय व्यापार और नेपाल की वस्तुओं का पारगमन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
ट्यूनीशिया	सितम्बर, 94	राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मंत्री	दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
इजरायल	दिसम्बर, 94	उद्योग और व्यापार मंत्री	व्यापार और आर्थिक सहयोग के एक करार को अन्तिम रूप दिया गया।
क्रोशिया	नवम्बर, 94	सहायक आर्थिक कार्य-मंत्री	द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों के सभी पहलुओं पर वाणिज्य सचिव से चर्चा की।
रोमानिया	फरवरी-मार्च, 95	वाणिज्य मंत्रालय, ओसिनिया प्रभाग के निदेशक	वाणिज्य मंत्री के साथ बैठकें कीं।
यू.एस.ए.	जनवरी, 95	यू.एस.ए. वाणिज्य सचिव	प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार-विमर्श से वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध सुदृढ़ होने तथा पूंजी निवेश बढ़ने एवं गैर सरकारी क्षेत्र के व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ होने की आशा है।
कनाडा	अक्तूबर, 94	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री	—
थाईलैंड	अगस्त, 94	डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय, थाईलैण्ड	भारत और थाईलैण्ड के बीच एक संयुक्त व्यापार समिति स्थापित करने के एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।
वियतनाम	नवम्बर, 94	व्यापार मंत्री	दोनों देशों के बीच व्यापार करने पर चर्चा की गई।
आस्ट्रेलिया	फरवरी, 95	व्यापार मंत्री	द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के विस्तार के लिए भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त द्विपक्षीय आयोग की बैठक की गई।
चीन	जून, 94	विदेश व्यापार और आर्थिक सहयोग मंत्री	वर्ष 1994-95 के लिए एक वार्षिक व्यापार प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग) चालू वर्ष के दौरान हमारे व्यापार-प्रतिनिधिमंडलों ने जिन विभिन्न देशों का दौरा किया उनका ब्यौरा :—

देश का नाम	अवधि	पद	प्रतिनिधिमंडलों के ब्यौरे
1	2	3	4
आस्ट्रिया	जून, 1994	संयुक्त सचिव	परस्पर द्विपक्षीय एवं आर्थिक
बेल्जियम	जून, 1994	संयुक्त सचिव	संबंधों के मामलों पर
	अक्तू., 94	वाणिज्य सचिव	विचार-विमर्श किया गया।
इटली	मई-जून, 94	वाणिज्य मंत्री	
बंगलादेश	अगस्त, 94	अध्यक्ष, भारत-बंगलादेश संयुक्त व्यापार परिषद्	द्विपक्षीय व्यापार की संभावनाओं, बंगलादेश व्यापार असन्तुलन के विशेष संदर्भ में दोनों दिशाओं में व्यापार बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।
सीरिया	जून, 94	वाणिज्य राज्य मंत्री	विचार-विमर्श में आर्थिक, वाणिज्यिक व्यापार संबंधों, कृषि एवं सिंचाई आदि के क्षेत्र में परस्पर हित के कई व्यापक पहलू शामिल किए गए थे।
यू.ए.ई.	नवम्बर, 94	संयुक्त सचिव	भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यू.ए.ई. के स्वास्थ्य प्राधिकारियों के साथ यू ए ई में भारतीय औषध एवं भेषज फर्मों/उत्पादों का पुनः पंजीकरण करने के लिए नए मानदंडों से उत्पन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया।
दक्षिण अफ्रीका	अगस्त, 94	वाणिज्य मंत्री वाणिज्य सचिव	व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए।
मारीशस	अगस्त, 94	वाणिज्य सचिव	भारतीय ओसन रिम ब्लॉक की स्थापना करने से संबंधित धारणा पर
	जून, 94		
	मार्च, 95	संयुक्त सचिव	विचार-विमर्श करने के लिए सीमा-व्यापार करार को लागू करने के लिए
म्यांमार	जन, 94	वाणिज्य सचिव	व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने हेतु द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई।
न्यूजीलैंड	जून, 1994	संयुक्त सचिव	दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बैठकें आयोजित की गईं।
मंगोलिया	सितम्बर, 94	वाणिज्य मंत्री	संयुक्त व्यापार उप-समिति स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भारत और मंगोलिया की सरकारों ने हस्ताक्षर किए।

1	2	3	4
इंडोनेशिया	जून, 95	वाणिज्य सचिव	द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने तथा, संयुक्त व्यापार परिषद् और एक दूसरे के देश में व्यापार सहयोगी कार्यालयों की स्थापना करने के लिए विचार-विमर्श किया गया।
रूस	मई, 94	संयुक्त सचिव एवं एम एम टी सी का प्रतिनिधि	व्यापार और आर्थिक संबंधों पर विचार-विमर्श किया गया
	जुलाई, 94	वाणिज्य राज्य-मंत्री	—
चैक गणराज्य	जनवरी, 95	वाणिज्य सचिव	द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं वाले एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए।

(घ) इस समय विदेशों में भारतीय मिशनों से संबद्ध 66 वाणिज्यिक कार्यालय हैं। वाणिज्य मंत्रालय का यह प्रयास रहा है कि इन कार्यालयों का कार्यचालन मजबूत किया जाए जिससे वे व्यापार एवं उद्योग क्षेत्रों की जरूरतों के लिए त्वरित तथा पर्याप्त रूप से प्रत्युत्तर दे सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सूचना अविलंब तथा समय से उपलब्ध होना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आवश्यक होती है, मंत्रालय में एक कंप्यूटरीकृत आंकड़ा-आधार आरंभ किया गया है ताकि विदेशों में स्थित वाणिज्यिक कार्यालयों के क्रियाकलापों को मानीटर किया जा सके। मिशनों के वाणिज्यिक कार्य को नियमित रूप से मानीटर किया जाता है।

2. विदेशों में क्षेत्रीय आधार पर भारत सरकार के साथ मिशनों के प्रमुखों की नियतकालिक बैठकें होती रहती हैं जिससे भारत के वाणिज्यिक क्रियाकलाप बढ़ाने के लिए अनेक समस्याओं, सुझावों, सिफारिशों और उपायों पर चर्चा हो सके। वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को निर्यात तथा आर्थिक क्षेत्रों में होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों की सूचना देते रहने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय की ओर से मिशनों के लिए एक "मंथली न्यूजलेटर" जून, 1994 से आरंभ किया गया है।

ग्रामवासियों को ऋण देने की प्रणाली

*271. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री सुकदेव पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों द्वारा ग्रामवासियों को ऋण देने की प्रणाली को सुदृढ़ और सुचारू बनाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसा अनुमान लगाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितनी राशि ऋण के रूप में दी जानी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए गये ऋणों का ब्यौरा क्या है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ ऋण के रूप में दी जाने वाली कुल राशि का अनुमान क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) बैंकों में ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत और युक्तियुक्त तथा कारगर बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। महत्वपूर्ण उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ). कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं के संबंध में योजना आयोग का कार्य दल पूर्वानुमान लगाता है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) देश के सभी जिलों के लिए संभाव्यता से जुड़ी ऋण योजनाएं तैयार करता है और प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों को कुल ऋण आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए नाबार्ड द्वारा इनका समेकन किया जाता है। विभिन्न अलग-अलग योजनाओं के लिए भी, संबंधित एजेंसियों द्वारा वास्तविकता और ऋण आवश्यकताओं दोनों के अनुसार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

(ङ) योजना आयोग के कार्य दल ने अनुमान लगाया है कि आठवीं योजना में कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों की ऋण आवश्यकताएं 105790 करोड़ रुपए की होंगी।

नाबार्ड से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 6वीं योजना और 7वीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया कुल ऋण संवितरण क्रमशः 30887 और 44286 करोड़ रुपए था। वर्ष 1992-93 और 1993-94 के वर्षों के लिए, यह संवितरण क्रमशः 15168 करोड़ रुपए और 17337 करोड़ रुपए है।

विवरण

बैंकों में ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत और युक्तियुक्त बनाने के लिये किये गये उपाय।

1. प्राथमिकता क्षेत्र, जिसमें कृषि, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, कारीगर, व्यापार इत्यादि शामिल हैं, के लिये अग्रिम निवल ऋण का कम से कम 40 प्रतिशत होना चाहिए।
2. कृषि के लिये अग्रिम निवल ऋण (40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के भीतर) का कम से कम 18 प्रतिशत होना चाहिए।
3. कमजोर वर्गों (अर्थात् लघु और सीमांत किसान अ.जा./अ.ज.जा., समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) हिताधिकारी, विभेदी ब्याज दर (डीआरआई हिताधिकारी आदि) निवल बैंक ऋण (40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के भीतर) का कम से कम 10 प्रतिशत होगा।
4. 25,000/- रुपए तक के ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के भीतर और 25,000/- रुपए से अधिक के ऋण आवेदनों का 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटान।
5. ग्रामीण शाखा प्रबंधक को मंजूरी की उपयुक्त शक्तियां प्रत्यायोजित करना ताकि कमजोर वर्गों से प्राप्त अधिकांश ऋण आवेदनों को शाखा स्तर पर ही मंजूर किया जा सके।
6. 15,000/- रुपए तक के फसल ऋण और 10,000/- रुपए तक के सावधि ऋणों, जहां चल परिसम्पत्तियां जुटायी जाती हैं, पर भूमि को बंधक रखकर भूमि पर प्रभार के रूप में सम्पार्श्विक प्रतिभूत या अन्य पक्ष गारंटी नहीं ली जानी चाहिए। जहां अंचल परिसम्पत्ति सृजित की जाती है वहां सीमा 5,000/- रुपए है।
7. अल्पावधि, मध्यावधि/दीर्घावधि के लिये 10,000/- रुपए तक के कृषि ऋणों के लिये कोई मार्जिन अपेक्षित नहीं है।
8. बैंकों से कहा गया था कि कृषि, खासकर जलीय उत्पादन (एक्वाकल्चर), पुष्प उत्पादन, टिश्यू कल्चर जैसे उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उच्च तकनीक वाले कृषि ऋणों का कार्य देखने के लिये प्रत्येक राज्य में वाणिज्यिक बैंक की कम से कम एक विशेषज्ञ शाखा (सम्बद्ध राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक द्वारा स्थापित) होनी चाहिए।

[अनुवाद]

निर्यात में वृद्धि

*272. **श्री के.जी. शिवप्पा :**
डा. असीम बाला :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल से नवम्बर, 1994 के दौरान व्यापार घाटा 1993 की इसी अवधि की तुलना में तीन गुना हो गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस व्यापार घाटे में वृद्धि होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष 1992-93 से इस व्यापार घाटे में लगातार वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो आज तक की स्थिति क्या है; और

(ङ) इस व्यापार घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) तथा (ख). व्यापार घाटे का अनन्तिम रूप से अनुमान अप्रैल-नवम्बर 1994 में लगभग 1,662 मिलियन अमरीकी डालर तथा अप्रैल-नवम्बर, 1993 में लगभग 533 मिलियन अमरीकी डालर लगाया गया है। इस वित्तीय वर्ष में व्यापार घाटा अपेक्षाकृत अधिक है जो मुख्य रूप से उद्योग और आयात से जुड़े निर्यातों में वृद्धि होने के परिणामतः पी ओ एल भिन्न आयातों में वृद्धि होने के कारण है। प्रमुख आयातों में कच्चा माल, मध्यवर्ती एवं पूंजीगत सामान सम्मिलित हैं।

(ग) तथा (घ). वर्ष 1992-93 में अनुमानित व्यापार घाटा 3,305 मिलियन अमरीकी डालर था जो वर्ष 1993-94 में घटकर 1039 मिर्लियन अमरीकी डालर रह गया। अप्रैल, 1994 से फरवरी, 1995 मिलियन अमरीकी डालर रह गया। अप्रैल, 1994 से फरवरी, 1995 की अद्यतन अवधि के इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध हैं। अनुमानित व्यापार घाटा लगभग 1814 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ङ) निर्यात संवर्धन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और व्यापार, उद्योग एवं अन्य संबद्ध हितों के परामर्श से निर्यात को बढ़ाने की कार्रवाई की जाती है। सरकार पर्यावरण नीति एवं क्रियाविधियों को और अधिक निर्यातोन्मुखी बनाने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार की कार्रवाई में शामिल हैं-निर्यात लाभों पर आय-कर की छूट प्रदान करना, परिवर्तनीय मुद्रा में निर्दिष्ट अधिक सस्ता निर्यात ऋण प्राप्त करने की पहुंच और निर्यात बाजार विकास के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों को सहायता प्रदान करना।

उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

*273. श्री श्रीकान्त जेना :
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चुनिंदा उपभोक्ता वस्तुओं के आयात की अनुमति देने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे आयात के लिए कोई शर्तें रखी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका घरेलू उत्पादन विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). चालू निर्यात एवं आयात नीति, 1992-97 के तहत उपभोक्ता वस्तुएं आयात की निषेधात्मक सूची के भाग-2 में रखी गई है। इनके आयात की अनुमति आयात लाइसेंस पर या इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयात करने पर ही दी जाती है। तथापि, कुछ विशिष्ट उपभोक्ता वस्तुओं के आयात की अनुमति या तो मुक्त रूप से की जाती है या हस्तांतरणीय विशेष आयात लाइसेंसों पर दी जाती है।

निर्यात एवं आयात नीति की पुनरीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें परिवर्तन करते समय लघु क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव सहित सभी संगत पहलुओं को हमेशा ध्यान में रखा जाता है।

राज्यों में आर्थिक सुधार

*274. श्री सोमनाद्रीश्वर राव वाडे :
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने अर्थव्यवस्था के समग्र विकास हेतु आर्थिक सुधारों को राज्य-स्तर पर लागू करने के लिए इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). हाल के वर्षों में अनेक राज्य सरकारों ने निम्न स्तर पर विशेष रूप से नई औद्योगिक नीतियों के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत सुधारों सहित प्रक्रियात्मक नीतियां शुरू की हैं।

(ग) से (ङ). भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक और वित्तीय नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकारों के साथ सघन परस्पर कार्रवाई को बनाए रखा है। ऐसी परस्पर कार्रवाइयां गत कुछ वर्षों से आर्थिक सुधारों की अवधि में निरन्तर सक्रिय हैं।

निर्यात जोन

*275. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ाने हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिये उन महत्वपूर्ण स्थानों/जोनों/केन्द्रों का पता लगाया है जहां निर्यात योग्य उत्पादों के विनिर्माता रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो पता लगाये गये जोनों/केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और उनके चयन हेतु क्या मानदंड है;

(ग) क्या सरकार को चयनित जोनों/केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिये संबंधित राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क करने हेतु योजना आयोग की स्वीकृति हाल ही में प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) उपर्युक्त जोनों/केन्द्रों के विकास से निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). वाणिज्य मंत्रालय विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्र में ऐसे भिन्न-भिन्न केन्द्रों का पता लगाने का कार्य कर रहे हैं जिनकी प्रस्तावित निर्यात प्रधान क्षेत्र योजना के अंतर्गत सिफारिश की जा सकती है। इन केन्द्रों पर अवरोधों को दूर करने की नीति बनाने हेतु वास्तविक अवस्थापना संबंधी सुधार करने की योजना शुरू करना है ताकि निर्यात-उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके।

(ग) योजना आयोग में हुए विचार-विमर्श के दौरान यह सुझाव दिया था कि संबंधित राज्य सरकारों को अपने निर्यात-प्रधान क्षेत्रों में अवरोधों को दूर करने की नीति बनाने संबंधी योजनाओं से जुड़ी स्कीमों को अपने योजना प्रस्तावों के भाग के रूप में शामिल करने की सलाह दी जाए जिन पर योजना आयोग द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है।

(घ) और (ङ). राज्य सरकारों को तदनुसार सलाह दे दी गई है। होने वाली प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

दक्षिण अफ्रीका को निर्यात

*276. **श्री रामपाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दक्षिण अफ्रीका को कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ख) निर्यात की गई मुख्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है; और

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिण अफ्रीका को किए गए निर्यात का मूल्य और निर्यातित मुख्य मदें इस प्रकार हैं :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु.)
1992-93	4.71*
1993-94	85.96
1994-95 (अप्रैल-दिसं.)	367.62 (अनन्तिम)

*(ये आंकड़े अप्रत्यक्ष निर्यात से संबंधित हैं।)

(स्रोत:डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता)

दक्षिण अफ्रीका को निर्यात की गई मुख्य मदें ये हैं : सूती यार्न, फैब्रिक, मेड-अप्स, चमड़ा, सिले-सिलाए सूती परिधान (अनुषंगी सामान सहित), मानव निर्मित यार्न, फैब्रिक, मेड-अप्स, मशीनें तथा उपकरण, धातु उत्पाद, औषधियां, भेषज, तथा सूक्ष्म रसायन, हस्तशिल्प (हाथ से बने कालीनों सहित) मानव निर्मित फाइबरों के सिले-सिलाए परिधान, अकार्बनिक, कार्बनिक, कृषि रसायन और ऊन के सिले-सिलाए परिधान।

(ग) तथा (घ). हालांकि कोई लक्ष्य निर्धारित तो नहीं किया गया है, किन्तु, ऐसी आशा है कि माह अगस्त, 1994 में औपचारिक व्यापार करार पर हस्ताक्षर हो जाने से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार में तेजी से वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक ऋण

*277. **डा. खुशीराम डुंगरोमल चेरवाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारी विदेशी ऋणों के एक बहुत बड़े हिस्से को बट्टे खाते में डालने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के साथ बातचीत शुरू करने हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सुझावों को स्वीकार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारत के व्यापार संबंधी अध्ययन दल

*278. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट) की अभिपुष्टि के बाद विश्व व्यापार में सम्भावित विस्तार को ध्यान में रखते हुए उन विशिष्ट क्षेत्रों, जिनमें निर्यात-निष्पादन में वृद्धि की जा सकती है, का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस दल की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त दल अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) तथा (ख). सरकार ने बाजार पहुंच बचनबद्धताओं संबंधी कार्यक्रमों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कराने का निर्णय लिया है, ताकि हमारे निर्यात वृद्धि की संभावना वाली वस्तुओं और क्षेत्रों तथा सहायक उपायों एवं नीतियों का पता लगाया जा सके जिससे उपायों एवं विश्व व्यापार में संभावित विस्तार होने पर कार्यान्वित करने में सहायता मिल सके। विभिन्न देशों के ये कार्यक्रम कानूनी दस्तावेजों में निहित हैं, जिनमें बहुपक्षीय व्यापार समझौता-वार्ताओं के उरुग्वे दौर के परिणाम को सम्मिलित किया गया है। ये अध्ययन देश में चुनिंदा अनुसन्धान संस्थानों द्वारा किए जाएंगे। इन अध्ययनों की देख-रेख करने और निर्देश देने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन दल गठित किया गया है। इस दल में कृषि, वाणिज्य, वित्त और उद्योग मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इन संस्थाओं से अध्ययन रिपोर्टें छह माह से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त होने की आशा है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

*279. **श्री अमर रायप्रधान :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में विश्व बैंक की सहायता से राज्य-वार कौन-कौन सी परियोजनायें चलायी जा रही हैं;

(ख) प्रत्येक योजना किस-किस वर्ष में आरम्भ की गई और कब तक पूरी होनी अपेक्षित हैं;

(ग) प्रत्येक योजना हेतु विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है और अब तक वास्तव में कितनी सहायता जारी की जा चुकी है; और

(घ) इन परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) सरकार ने राज्यों को 100 प्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत करने, अग्रिम केन्द्रीय सहायता के रूप में 25 प्रतिशत राशि जारी करने, बोली संबंधी दस्तावेजों का मानकीकरण करने, प्रशासनिक मंत्रालयों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने, केन्द्र के साथ-साथ राज्यों में परियोजना प्रबंधन एकक की स्थापना करने और विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों पर निगरानी रखने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने जैसे अनेक कदम उठा रखे हैं।

विवरण

(क) स (ग). राज्यों/बहुपक्षी राज्यों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चल रही परियोजनाओं की ब्यौरे-वार सूची

(मिलियन अमरीकी डालर में)

	परियोजना का नाम	दाता अभिकरण	आरम्भ होने का वर्ष/हस्ता. होने की तारीख	पूर्ण होने का वर्ष	ऋण की राशि	28.2.95 की स्थिति के अनुसार उपयोग
	1	2	3	4	5	6
	आन्ध्र प्रदेश					
1.	आंध्र प्रदेश वानिकी	आईडीए	09.03.94	30.09.00	77.40	4.127
2.	हैदराबाद जलापूर्ति और सफाई	आईडीए	25.05.90	31.03.98	79.90	40.295
	बिहार					
1.	बिहार पठार विकास	आईडीए	07.12.92	30.06.98	117.00	8.490
	गुजरात					
1.	गुजरात शहरी विकास	आईडीए	15.04.86	31.03.95	50.34	47.342
2.	गुजरात ग्रामीण सड़कें	आईडीए	12.05.87	31.12.95	96.75	81.595
	हरियाणा			95 तक बढ़ा दिया		
1.	हरियाणा जल संसाधन प्रबंधन	आईडीए	06.04.94	31.12.00	262.98	8.096
	कर्नाटक					
1.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई	आईडीए	04.06.93	31.12.99	92.00	5.450
2.	ऊपरी कृष्णा चरण-II	आईडीए	16.06.89	31.12.96	160.00	125.553
3.	कर्नाटक विद्युत	आईबीआरडी	21.12.87	31.12.95	69.64	69.637
4.	कर्नाटक विद्युत	आईबीआरडी	27.07.88	31.12.96	220.00	24.000
	महाराष्ट्र					
1.	महाराष्ट्र सिंचाई	आईडीए	05.12.85	30.06.96	128.82	105.880
2.	महाराष्ट्र विद्युत	आईबीआरडी	11.09.89	31.12.96	354.00	122.849

	1	2	3	4	5	6
3.	तृतीय मुम्बई जलापूर्ति	आईडीए	12.05.87	30.06.94 95 तक बढ़ाया	145.00	88.568
4.	तृतीय मुम्बई जलापूर्ति	आईबीआरडी	12.05.87	30.06.94 95 तक बढ़ाया	30.00	0.000
5.	महाराष्ट्र विद्युत-II	आईबीआरडी	08.07.92	30.06.98	350.00	35.524
6.	महाराष्ट्र वानिकी	आईडीए	29.01.92	30.09.98	124.00	16.264
7.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति	आईडीए	05.06.91	31.12.97	109.90	22.703
8.	महाराष्ट्र भूकम्प	आईडीए	06.04.94	30.06.97	250.67	26.853
	पंजाब					
1.	पंजाब सिंचाई	आईडीए	09.02.90	31.03.98	145.28	58.648
	राजस्थान					
1.	राजस्थान एडीपी	आईडीए		30.09.99	106.00	15.829
	तमिलनाडु					
1.	त.ना. कृषि विकास	आईडीए		30.09.98	87.53	32.161
2.	त.ना. कृषि विकास	आईबीआरडी		30.09.98	20.00	0.000
3.	त.ना. पोषाहार-II	आईडीए	14.09.90	31.12.97	67.00	32.576
	उत्तर प्रदेश					
1.	उ.प्र. क्षारीय भूमिसुधार	आईडीए	24.06.93	31.03.01	54.70	3.833
2.	उ.प्र. प्राथमिक शिक्षा	आईडीए	07.07.93	30.09.00	165.00	115.932
3.	उ.प्र. शहरी विकास	आईडीए	21.12.87	31.03.96	120.98	88.680
4.	ऊपरी इंद्रावती	आईडीए	08.06.83	31.12.94	170.00	189.340
	पश्चिम बंगाल					
1.	प. बंगाल वानिकी	आईडीए	25.03.92	30.09.97	34.00	10.175
	बहुराज्यीय					
1.	झींगा और मछली पालन (आं.प्र., बिहार, उड़ीसा, उ.प्र. और प. बंगाल)	आईडीए		30.06.99	85.89	5.606
2.	एकीकृत जल संभर विकास (मैदानी) (गुजरात, राजस्थान, और उड़ीसा)	आईडीए	22.08.90	31.03.98	58.17	16.170
3.	एकीकृत जलसंभर विकास (पहाड़ी) (हि.प्र., जम्मू और कश्मीर, पंजाब व हरियाणा)	आईडीए	11.01.91	30.06.97	77.56	27.046
4.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग (हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब और त.ना.)	आईडीए	18.06.92	30.06.01	153.00	15.382
5.	राज्य सड़क परियोजना (बिहार, महा., उ.प्र. और राजस्थान)	आईबीआरडी	17.11.88	30.06.95	115.00	41.155
6.	राष्ट्रीय जलप्रबंध (उ.प्र., आ.प्र., त.ना., म.प्र., केरल, कर्ना., महा., गुजरात, बिहार और हरियाणा)	आईडीए	12.05.87	31.03.95	114.00	128.071
7.	बांध सुरक्षा परियोजना (म.प्र., त.ना., उड़ीसा और राजस्थान)	आईडीए	10.06.91	30.09.07	130.00	18.002

1	2	3	4	5	6
8. बांध सुरक्षा परि. (म.प्र. त.ना., उड़ीसा और राजस्थान)	आईबीआरडी	10.06.91	30.09.97	23.00	0.000
9. तकनीकी शिक्षा-II (आन्ध्र प्रदेश, हि.प्र., प.बं., त.ना., असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब)	आईडीए		30.06.99	255.73	41.362
10. जनसंख्या-V (त.ना. और महाराष्ट्र)	आईडीए	16.09.88	31.12.95	57.00	47.804
11. तकनीकी शिक्षा-I (म.प्र., उ.प्र., बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान और गोआ)	आईडीए	13.08.90	30.06.98	210.73	87.133
12. एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आं. प्रदेश, और उड़ीसा)	आईडीए	23.10.90	31.12.97	74.35	32.025
13. परिवार कल्याण (असम, कर्नाटक और राजस्थान)	आईडीए	24.06.94	31.12.01	90.04	0.000
14. राष्ट्रीय रेशम कीट पालन (आ.प्र., जम्मू और कश्मीर, कर्ना. त.ना., और प. बंगाल)	आईडीए	16.06.89	31.12.96	133.35	84.616

दुर्घटना प्रवण खानें

*280. **श्री अन्ना जोशी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के देश में दुर्घटना प्रवण खानों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या उन कोयला खानों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). अभी तक पांच कंपनियों के अंतर्गत पैंतीस कोयला खानों की दुर्घटना उन्मुख खानों के रूप में पहचान की गयी है।

(ग) और (घ). जी, हां। टिपोना कोलियरी (नार्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स), कोटमा वेस्ट कोलियरी (साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स) और महावीर खानों नं. 1 (सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड) के विरुद्ध अभियोजन चलाए गए हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में बेरोजगार मजदूर

2642. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान जनवरी, 1995 तक अभ्रक की खानों के बन्द होने के कारण कितने मजदूर बेरोजगार हुए;

(ख) उनमें से कितने मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार दिया गया है; और

(ग) शेष बेरोजगार मजदूरों को शीघ्र वैकल्पिक रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रतिभूति घोटाला

2643. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभूति घोटाले संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद सरकार द्वारा दिसम्बर, 1993 में नियुक्त की गई उच्च स्तरीय अंतर्विभागीय समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो समिति के प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें क्या-क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अंतर-अनुशासनिक समूह ने अभी अपना विचार-विमर्श पूरा नहीं किया है और अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक

2644. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक देश में खोले गये गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने बैंकों को लाभ हो रहा है और कितने बैंकों को घाटा हो रहा है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने घाटे पर चल रहे बैंकों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, अब तक, गैर-सरकारी क्षेत्र में निम्नलिखित 6 नए बैंकों की स्थापना की गई है :-

1. इन्डसइंड बैंक लि.
2. यू टी आई बैंक लि.
3. आई सी आई सी आई बैंकिंग कार्पोरेशन लि.
4. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.
5. एच डी एफ सी बैंक लि.
6. सेंचुरियन बैंक लि.

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उपर्युक्त बैंकों के पहले वर्ष के परिचालनों के कार्यशील परिणामों की घोषणा अभी नहीं की गई है।

(ग) और (घ). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

इंडियन एयरलाइन्स के विमान का मार्ग बदलना

2645. श्री अमल दत्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स के विमान का दिसम्बर, 1994 से फरवरी, 1995 तक कितनी बार मार्ग बदला गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) कम दिखाई देने की स्थिति में विमान का मार्ग बदलने के लिए निर्णय लेने वाले सक्षम प्राधिकारी कौन-कौन हैं;

(ग) क्या 22 फरवरी, 1995 को कलकत्ता से दिल्ली आने वाले तीन विमानों में से उसी समय निजी विमान सेवा के विमान को उतरने की अनुमति दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारणों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 1 दिसम्बर, 1994 से 28 फरवरी, 1995 की अवधि के दौरान, इंडियन एयरलाइन्स की 41 उड़ानों का खराब मौसम के कारण और एक का रुके हुए धावनपथ के कारण मार्ग परिवर्तन किया गया था।

(ख) हवाई यातायात नियंत्रण के साथ समन्वय से, विमान का कमांडर निर्णय लेने में सक्षम है।

(ग) और (घ). 22 फरवरी, 1995 को मोटीलुफ्थ, इंडियन एयनलाइन्स और सहारा इंडिया के विमानों के दिल्ली हवाई अड्डे पर क्रमशः भारतीय मानक समय 2138, 2152 और 2207 बजे पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। पहले विमान (मोटीलुफ्थ) के अवतरण के बाद, दृश्यता में कमी आनी आरंभ हो गई और अवतरण के लिए न्यूनतम अपेक्षित स्तर से नीचे चली गई, इसलिए अन्य दो विमानों के अन्यत्र भेजना पड़ा।

बीड़ी श्रमिक

2646. श्री थाइल जॉन अंबलोच : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान करेल में बीड़ी करखानों से कितनी धनराशि उपकर के रूप में वसूल की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बीड़ी श्रमिकों के कल्याण पर कितनी राशि खर्च की गई?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख).

क्र.सं.	वर्ष	केरल में उपकर की वसूली	केरल के लिए जारी की गई राशि (रुपये हजारों में)
1.	1991-92	4471	3684
2.	1992-93	4792	3875
3.	1993-94	4429	8736

नशीली दवाओं की जब्ती

2647. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार महीनों के दौरान विभिन्न सुरक्षा और

प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भारी मात्रा में हशीश और अन्य नशीली दवाएं जब्त की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख). प्राप्त सूचना के आधार पर पिछले चार महीनों के दौरान (नवम्बर, 1994 से फरवरी, 1995 तक) हशीश तथा अन्य स्वापक औषधों की जब्त की गई मात्रा नीचे दी गई है :-

क्र.सं.	स्वापक औषध	जब्त की गई मात्रा (कि.ग्रा. में) (अनंतिम)
1.	हशीश	1534.000
2.	गांजा	61884.000
3.	हेरोइन	321.000
4.	अफीम	794.000
5.	मारफीन	9.000
6.	मैथाक्वालोन	15870.000

(ग) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन.डी.पी.एस. एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान करा दिए गए हैं। भारत-पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है। एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक जो भूमि तथा समुद्र तट पर लगाए गए हैं को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि स्वापक औषधों का प्रत्याख्यान हो सके।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

2648. श्री तरित बरण तोपदार :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री हाराधन राय :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 24 फरवरी, 1993 को आयोजित अपनी बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन संशोधनों को स्वीकार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ङ). 24.2.1993 को आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में निगम के कुछ सदस्यों ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 63 और कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 99-क को निरस्त करने से संबंधित मामले को उठाया था। चूंकि इस मामले के साथ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में संशोधन किया जाना अंतर्गस्त था अतः निगम ने इसे जांच-पड़ताल के लिए केन्द्रीय सरकार के पास संदर्भित कर देने का निर्णय लिया था। मामले की अब जांच पड़ताल कर ली गई है। न ही कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 63 को निरस्त किये जाने और न ही कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम सं. 99-क में विनिर्दिष्ट शर्तों को संशोधित किए जाने को वांछनीय समझा गया है क्योंकि इस प्रकार के किसी भी कदम से कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत देय लाभ का दुरूपयोग होगा।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रमुखतः स्वतः-वित्तपोषित योजना है। वर्तमान में इस योजना के पास पर्याप्त मात्रा में निधि है और यह वित्तीय रूप से मजबूत है। अतः कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिए केन्द्रीय सरकार के किसी अंशदान को जरूरी नहीं समझा जाता है।

आन्ध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

2649. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में हाल ही में शुरू की गई 2 रुपये किलो चावल योजना के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्य को कुल कितनी राजसहायता देगी;

(ग) क्या राज्य भी इस प्रकार की योजना अपने यहां शुरू करने पर राजी हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्यों को भी सहायता देने पर सहमत हो गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक समान केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, जिस पर केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के वर्तमान स्तर के आधार पर औसतन केन्द्रीय निर्गम मूल्य और चावल के लिए भारतीय खाद्य निगम की किफायती लागत पर आर्थिक सहायता 139 रु. प्रति क्विंटल बैठती है। केन्द्रीय पूल से आन्ध्र प्रदेश का चावल

के लिए वार्षिक उठाव (औसतन) 17 लाख टन है, जिस पर खाद्यान्न सहायता की मात्रा 236.3 करोड़ रु. है। इस प्रयोजन के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को किसी प्रकार का अतिरिक्त अनुदान या आर्थिक सहायता प्रदान करने का अब तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ). गुजरात सरकार ने यह सूचित किया है कि राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं वितरित करने की योजना आरम्भ की जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने भी सूचित किया है कि उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से दिए जा रहे चावल के अंतिम खुदरा मूल्य को दिनांक 1.4.1995 से 1 रुपया किलो घटाने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा तमिलनाडु में सामान्य चावल का वास्तविक मूल्य 2.50 रुपए प्रति किलो होगा और फाइन और सुपर फाइन चावल का मूल्य 3.75 रुपए प्रति किलो होगा।

(ङ) और (च). केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक समान केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है जिस पर केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस प्रयोजन के लिए किसी भी राज्य को अतिरिक्त अनुदान या आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

गुजरात में प्रति व्यक्ति ऋण

2650. श्री काशीराम राणा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो वर्षों के दौरान दिये गये प्रति व्यक्ति बैंक ऋण की तुलना में गुजरात में इसी अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति बैंक ऋण की कितनी धनराशि दी गयी; और

(ख) गुजरात में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण राशि में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गुजरात के संयोजक बैंक देना बैंक ने नीचे बताए गए अनुसार गुजरात और समग्र रूप से पूरे देश में पिछले दो वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा दिये गये प्रति व्यक्ति ऋण का ब्यौरा दिया है :-

(राशि रुपये में)

	मार्च 1993	मार्च 1994
गुजरात	2030	2059
अखिल भारत	1814	2017

(ख) गुजरात में प्रति व्यक्ति ऋण पूरे देश के लिये प्रति व्यक्ति बैंक ऋण की तुलना में अधिक है। तथापि, विभिन्न क्षेत्रों के लिये ऋण के प्रवाह की तालुक, जिला और राज्य स्तरीय ऋण समितियों में निरंतर निगरानी की जाती है।

बिहार में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2651. श्री राम टहल चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय किन-किन विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को कहां-कहां कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) इन परियोजनाओं को अब तक कितनी सहायता राशि दी गई है और ये कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ग) बिहार राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए कितना धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कॉफी की खेती

2652. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलपाईगुड़ी की मिट्टी कॉफी की खेती के लिये बहुत उपजाऊ है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में कॉफी की खेती बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि श्रमिक

2653. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं से कृषि श्रमिकों को कितना लाभ हुआ है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कुछ और कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य हेतु विशेष रूप से कोई योजनाएं स्वीकृत नहीं की गई हैं। तथापि, आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में कृषि कर्मकारों

सहित ग्रामीण कर्मकारों के कल्याण हेतु चलाई जा रही कुछ मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं :—

(I) एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) :

इस योजना के अंतर्गत, आय सृजन करने वाली परिसम्पत्तियां प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है जिसके अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. और महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान सहित छोटे कृषकों, सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण दस्तकारों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताएं और भिन्न दरों पर आवधिक ऋण प्रदान किये जाते हैं। 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान आंध्र प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या क्रमशः 1,79,038; 259,697 और 95,395 (जनवरी" 95 तक) है।

(II) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आई ई पी), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर एल ई जी पी) और जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) :

इन योजना का उद्देश्य अतिरिक्त लाभदायक रोजगार का सृजन और उत्पादनशील सामुदायिक परिसम्पत्ति निर्मित करना है। 1989 में दो योजनाओं (अर्थात् रा.ग्रा.रो. का और ग्रा.भू.रो.गा.का.) को मिलाकर नया नाम जवाहर रोजगार योजना दिया गया था जिसके परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई थी। वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में इस योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन क्रमशः 677.93, 903.6 और 451.33 (दिसम्बर" 94 तक) लाख श्रम दिवस हैं। यह योजना देश के उन 120 पिछड़े जिलों में और तेज कर दी गई है जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगारी का संक्रेन्द्रण है।

(III) स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवा प्रशिक्षण (ट्राइसेम) :

इस योजना का उद्देश्य स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं के कौशल का उन्नयन है।

(IV) रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस) :

2 अक्तूबर, 1993 को "रोजगार आश्वासन योजना" नामक एक नई योजना देश भर के 1752 अभिज्ञात पिछड़े ब्लॉकों में चालू की गई और इसका उद्देश्य गैर-कृषीय मौसम में अकुशल दस्ती कार्य का 100 दिन का आश्वस्त मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। यह योजना मुख्यतः कृषि कर्मकारों को लाभ प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास नामक योजना भी है जिसे सामूहिक पहुंच का प्रयोग करके गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों से संबंधित ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु उनके कौशलों और अभिरूचि के अनुरूप आय बढ़ाने वाले कार्यकलाप शुरू करने के लिए 1982-83 में संचालित किया गया था। इस योजना को ट्राइसेम और आई आर डी पी के सहयोग से संचालित किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बीमा सीमा के अंतर्गत लाने के लिए जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत 1987 में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभानुभोगियों के लिए 1988 में बीमा योजना जैसी विभिन्न बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भिन्न-भिन्न पात्रता शर्तों और पेंशन दरों वाली वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं चला रहा है।

वैस्ट लैंड हेलिकाप्टर

2654. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पवनहंस लिमिटेड के बेड़े में शामिल वैस्ट लैंड हेलिकाप्टरों की वर्तमान संख्या कुल कितनी है और इनमें से कितने हेलिकाप्टरों को फरवरी, 1991 में पवनहंस लि. द्वारा तकनीकी रूप से अक्षम पाये जाने एवं वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं पाये जाने के कारण उड़ान सेवाओं से हटा दिया गया;

(ख) क्या सरकार को घाटा पहुंचा रहे वैस्टलैंड हेलिकाप्टरों को पवनहंस लि. के बेड़े से हटाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन हेलिकाप्टरों पर कुल कितनी धनराशि निवेश की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार कम्पनी में अपनी साम्य पूंजी का विनिवेश करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पवनहंस लिमिटेड के पास कुल 19 वैस्टलैंड हेलिकाप्टर हैं। सभी हेलिकाप्टरों को फरवरी, 1991 में ग्राउंड कर दिया गया था।

(ख) और (ग). वैस्टलैंड हेलिकाप्टरों के सम्पूर्ण बेड़े को पहले विश्वव्यापी निविदाओं के माध्यम से निपटाने का निर्णय लिया गया था, परन्तु निर्धारित तारीख तक चूंकि कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए बाद में यह निर्णय लिया गया है कि इनकी खरीद में रूचि रखने वाली पार्टियों के साथ समझौता-वार्ता करके इन हेलिकाप्टरों और कुल-पुर्जों का निपटान कर दिया जाये।

(घ) हेलिकाप्टरों को 65 मिलियन पौंड की लागत से खरीदा गया था। सम्पूर्ण राशि यूनाईटेड किंगडम की सरकार से एक ओवरसीज विकास एजेंसी अनुदान के अन्तर्गत थी। इसके अलावा, पवनहंस लि. ने अलग से 6 अतिरिक्त इंजनों और कल-पुर्जों की खरीद के लिए 5 मिलियन पौंड अदा किये थे।

(ङ) और (च). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

जबलपुर हवाई पट्टी का विस्तार

2655. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर हवाई पट्टी का विस्तार किये जाने के लिए लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य की भूमि मुफ्त उपलब्ध कराई है;

(ख) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार इस शहर के लिए इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवाओं को पुनः चालू करने हेतु इस हवाई पट्टी का विकास करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) राज्य सरकार ने राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 37.37 एकड़ भूमि निःशुल्क दे दी है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकारी ने 17.56 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जबलपुर हवाई अड्डे के उन्नयन की योजना बनाई थी। वित्तीय कठिनाइयों के कारण, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

उद्यान पर्यटन

2656. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उद्यान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन दिल्ली में एक उद्यान उत्सव आयोजित करता है और चण्डीगढ़ प्रशासन चण्डीगढ़ में एक गुलाब उत्सव का आयोजन करता है। ये मेले प्रति वर्ष आयोजित किए जाते हैं और पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय सहायता के लिए अभिनिर्धारित किए गए हैं। 74 उत्सवों में से ये 2 उत्सव हैं, जो कि पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय और संवर्धनात्मक सहायता के लिए पूरे देश से अभिनिर्धारित किए गए हैं।

इन उत्सवों को सहायता देने का प्रयोजन इन गन्तव्य स्थलों के लिए स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन संवर्धन करना है।

इन उत्सवों को वित्तीय सहायता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विशेष प्रस्तावों के आधार पर प्रत्येक मामले के गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकताओं और निधियों की उपलब्धता को देखते हुए प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

औद्योगिक पार्क की स्थापना

2657. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आगरा में औद्योगिक पार्क की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्रमिक संघ

2658. श्री राम नाईक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय श्रमिक संघों की सदस्यता का सत्यापन संबंधी कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) ऐसे केन्द्रीय श्रमिक संघों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने दावे पेश किए हैं उनके द्वारा दावा किए गए सदस्यों की संख्या कितनी है तथा सरकार द्वारा यथा सत्यापित सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या कुछ केन्द्रीय श्रमिक संघों ने सत्यापन के सम्बन्ध में शिकायत की है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रीय श्रमिक संघों के नाम क्या हैं तथा उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विभिन्न शिकायतों के संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों के नामों, जिन्होंने 31.12.89 तक अपने दावे प्रस्तुत किए को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। सत्यापन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

(ग) तथा (घ). निम्नलिखित नौ केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों ने त्रुटियों और विलोपनों का उल्लेख किया है :—

(1) एच एम एस (2) एन एल ओ (3) ए आई टी यू सी (4) सीटू (5) यू टी यू सी (एल एस) (6) एन एफ आई टी यू (7) टी यू सी सी (8) इंटक (9) बी एम एस।

त्रुटियां/विलोपन मुख्यतः सत्यापन के लिए अपनायी गई प्रक्रिया, अभिलेखों की प्रस्तुति और वार्षिक विवरणियों की प्रस्तुति, संघों के

पंजीकरण और संबंधन, अभिलेखों के न होने की स्थिति में पुनर्सत्यापन न हो पाने, कतिपय संघों के संबंध में स्थल सत्यापन न होने आदि से संबंधित हैं।

(ङ) सामान्य सत्यापन संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष के. व्य.संघ संगठनों के परामर्श से मामले की जांच कर रहे हैं।

विवरण

दिनांक 31.12.1989 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों से संबद्ध संघों की सदस्यता के दावे

क्र.सं.	के.व्य.सं.संग. का नाम	दावा की गई कुल सदस्यता
1.	आई एन टी यू सी	54,35,705
2.	ए आई टी यू सी	29,73,933
3.	यू टी यू सी	7,84,695
	यू टी यू सी (एल एस)	11,97,607
	एच एम एस	43,56,034
6.	सी आई टी यू	23,96,242
7.	टी यू सी सी	5,13,420
8.	आई एफ एफ टी यू	5,14,770
9.	एच एम के पी	15,60,730
10.	बी एम एस	40,81,424
11.	एन एल ओ	6,61,313
12.	एन एफ आई टी यू	7,61,014
	कुल	2,52,26,887

[हिन्दी]

बीड़ी उद्योग

2659. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में बीड़ी उद्योग में कार्यरत कामगारों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) उन कामगारों में पहचान-पत्र धारकों की संख्या कितनी है तथा ऐसे कामगारों की संख्या कितनी है जिनके पास पहचान पत्र नहीं हैं;

(ग) उन्हें ठेका प्रणाली के उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है;

(घ) राजस्थान में बीड़ी कामगारों को तेन्दू पत्ता किस दर पर उपलब्ध कराया जाता है और उनको दी जाने वाली दैनिक मजदूरी की दर क्या है;

(ङ) क्या सरकार को बीड़ी पर उपकर से बचने के लिए बीड़ी-उद्योगपतियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जानकारी है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(छ) बीड़ी कामगारों की दयनीय स्थिति में सुधार करने, उन्हें नियमित रूप से भुगतान किए जाने तथा उन्हें प्राथमिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजस्थान में बीड़ी कर्मकारों की संख्या लगभग 1,00,000 आंकी गयी है जिसमें से 55, 761 बीड़ी कर्मकारों को परिचय-पत्र जारी कर दिये गये हैं।

(ग) बीड़ी उद्योग की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ठेका श्रम प्रथा को समाप्त करना व्यवहार्य नहीं है। बीड़ी कर्मकारों के शोषण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों से बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को कड़ाई से कार्यान्वित करने तथा कच्चे माल आदि को मानकीकृत करने के लिए त्रिपक्षीय समितियां गठित करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजस्थान में बीड़ियां लपेटने (रोलिंग) के लिए न्यूनतम मजदूरी साधारण बीड़ियों के लिए 18.62 रु. प्रति हजार तथा विशेष बीड़ियों के लिए 22/-रु. प्रति हजार है। नियोजकों/ठेकेदारों द्वारा बीड़ी कर्मकारों को तम्बाकू और तेंदू पत्ता जैसा कच्चा माल मुहैया करवाया जाता है।

(ङ) और (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(छ) 25.10.94 को जयपुर में आयोजित उत्तर और मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य विषयों के साथ बीड़ी कर्मकारों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बीड़ी कर्मकारों के लिए पहचान पत्र जारी किये जाने, बीड़ी उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न मानक निर्धारित करने के लिए त्रिपक्षीय समितियां गठित किये जाने, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किये जाने और उसमें आवधिक संशोधन किये जाने सहित अनेक सिफारिशें की गयीं। बीड़ी कर्मकारों को कल्याण निधि का उपयोग बीड़ी कर्मकारों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ग्रुप बीमा और मनोरंजन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने संबंधी योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है।

[अनुवाद]

चन्दन की लकड़ी का निर्यात

2660. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष और आगामी वर्षों में चंदन की लकड़ी और इसकी वस्तुओं के निर्यात पर लगी रोक में ढील देने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। वर्ष 1994-95 के दौरान 1500 मी. टन चंदन की लकड़ी हार्डवुड चिप्स, मिश्रित चिप्स तथा फ्लेक्स और 500 मी. टन सैपवुड-पावडर का कुछ शर्तों के अधीन निर्यात करने संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) चंदन की लकड़ी के निर्यात के संबंध में मौजूदा नीति में इस समय कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

उपदान संदाय अधिनियम, 1972

2661. श्री वसुदेव आचार्य : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1987 में उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में संशोधन करके इसमें अनिवार्य बीमा हेतु एक नई उपधारा 4क समविष्ट की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संशोधन को कार्यान्वयन हेतु अधिसूचित कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त संशोधन को शीघ्रतिशीघ्र अधिसूचित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ). उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 4क के प्रवर्तन के प्रश्न की भारतीय जीवन बीमा निगम के परामर्श से जांच की गई है लेकिन उसे संभाव्य नहीं पाया गया है क्योंकि जीवन बीमा निगम के पास इस संबंध में बीमा प्रीमियम के अनिवार्य रूप में वसूली सुनिश्चित करने के कोई तंत्र नहीं है। यदि नियोजक बीमा प्रीमियम के भुगतान में चूक करता है तो जीवन बीमा निगम को अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपदान के संदाय के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, धारा 4क के प्रवर्तन से निश्चित उद्देश्य शायद ही पूरा हो सकता है।

पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार तथा आर्थिक सहयोग

2662. श्री शिव शरण वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनेक भारतीय उत्पादों, जिनकी कि पूर्व समाजवादी देशों की अर्थव्यवस्था में बहुत विपणन क्षमता है की लागत प्रतिस्पर्द्धा का लाभ उठाने के लिए पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार तथा आर्थिक सहयोग का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों का विस्तार करने के लिए एक अनुकूल तथा प्रचलित कार्य-नीति अपनायी है। इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अपनायी जा रही नीति में मुख्य-थ्रस्ट निम्नलिखित बातों पर दिया गया है :—

(1) भूतपूर्व सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के उभरते हुए देशों के साथ व्यापार तथा आर्थिक सहयोग संबंधी नए द्विपक्षीय ढांचागत समझौतों पर हस्ताक्षर करना तथा रुपया भुगतान व्यापार का मानक परिवर्तनीय मुद्रा व्यापार समझौतों द्वारा प्रतिस्थापन।

(2) सी.आई.एस. देशों की तुलना में और ज्यादा उदारीकृत ऋण नीति बनाना, केन्द्रीय एशियाई गणराज्यों को 55 मिलियन अमरीकन डालर मूल्य के ऋण पहले ही दिए जा चुके हैं।

(3) पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ प्रति-व्यापार व्यवस्था का उदारीकरण।

(4) और ज्यादा व्यवहार्य परिवहन तथा पारगमन मार्गों की पहचान और उनका विकास ईरान के रास्ते मध्य एशिया को पारगमन रास्तों का अध्ययन करने के लिए बहुक्षेत्रीय अध्ययन दल की नियुक्ति; रूस के साथ व्यापार के लिए नोवोरोसिक के बंदरगाह के विकास के संबंध में पहल करना;

(5) प्रेषण निर्यात तथा भंडारण नियमनों का भारतीय रिजर्व बैंक से विचार-विमर्श करके उदारीकरण;

(6) द्विपक्षीय वायुमार्ग समझौतों का निष्कर्ष तथा सी.आई.एस. देशों की नई राजधानियों को सीधी उड़ानों की शुरूआत।

(7) अन्य बातों के अलावा व्यापार मेलों में भागीदारी के द्वारा सीधे व्यापार सम्पर्कों को प्रोत्साहन।

(8) संयुक्त आयोग, संयुक्त समितियों की स्थापना तथा उनकी बैठकें आयोजित करना।

(9) रूस के विशेष मामले में, अनेक पहल की गयी जिनमें शामिल हैं :—(क) संयुक्त आयोग को सक्रिय करना तथा इसकी पहली सफल बैठक का आयोजन और तदुपरान्त तीव्र अनुवर्ती कार्रवाई करना (ख) रूस के शीर्ष नेताओं के साथ गहन विचार-विमर्श के लिए उच्च-स्तरीय दौरे जिनमें प्रधान मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री के दौरे शामिल हैं। (ग) रूसी पक्ष द्वारा इस वचन को दुहराना कि ऋण पुनर्भुगतान कोषों के उपयोग के लिए एक क्रियाविधि बनाई जाएगी तथा धान्य, तम्बाकू इत्यादि का आयात दीर्घावधि आधार पर किया

जाएगा। (घ) परिवहन से जुड़े सभी मामलों को हल करने के लिए परिवहन पर एक उप-समूह का गठन तथा बैठक बुलाना (ङ) संयुक्त उद्यम बैंकों इत्यादि को प्रोत्साहन।

बेरोजगार

2663. श्री विजय एन. पाटील : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1993-94 के दौरान शिक्षित बेरोजगारों का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इंजीनियरों, डाक्टरों और डिप्लोमा धारियों की श्रेणियों में देश के विभिन्न रोजगार केन्द्रों में कितने बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत हैं; और

(ग) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए कौन-सी योजनाएं चल रही हैं या चलाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है तथा योजना नीति में रोजगार गहन क्षेत्रों, उप-क्षेत्रों तथा गतिविधियों की वृद्धि पर बल दिया गया है। योजना में श्रम बाजार में लचीलापन तथा प्रतिक्रियात्मकता पैदा करने हेतु शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रणाली के नवीकरण पर भी बल दिया गया है। रोजगार सृजन की सामान्य विकास प्रक्रिया में तीव्रता लाने के अतिरिक्त, प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) का विशेष उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व:रोजगार उद्यम स्थापित करवाना है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों द्वारा भी शिक्षितों को स्व-रोजगार हेतु प्रोत्साहित करने की योजनायें कार्यान्वित की गई है।

साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनमान

2664. श्री आनंद अडिरवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने का मामला सरकार के जांचाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों को कम्प्यूटरीकरण के लिए पहले ही एक वेतन वृद्धि दी जा चुकी है। हाल ही में साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों को पेंशन की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इन उपायों के वित्तीय प्रभाव की पूरी तरह जानकारी के बाद ही वेतनों में और आगे संशोधन किया जा सकेगा।

विदेशी मुद्रा के रूप में आस्तियां

2665. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1994 के अंत में विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी आस्तियां हुई थी; और

(ख) अप्रैल से दिसम्बर, 1994 के दौरान प्रतिमाह विदेशी मुद्रा में कितनी वृद्धि हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिसम्बर, 1994 के अन्त तक बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों 70,103 करोड़ रुपए थीं।

(ख) अप्रैल, 1994 से बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां से संबंधित आंकड़े नीचे की तालिका में दिए गए हैं :-

का अंतिम शुक्रवार	बकाया	31 मार्च, 1994 से उतार-चढ़ाव
	(करोड़ रुपए)	(प्रतिशत)
अप्रैल, 1994	56,551	5.3
मई, 1994	58,074	8.1
जून, 1994	60,014	11.7
जुलाई, 1994	63,849	18.8
अगस्त, 1994	64,866	20.7
सितम्बर, 1994	68,753	28.0
अक्तूबर, 1994	71,358	32.8
नवम्बर, 1994	71,847	33.7
दिसम्बर, 1994	70,103	30.5

बैंक डकैतियों में मारे गये/घायल हुए व्यक्ति

2666. श्री अन्ना जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 1993-94 के दौरान बैंक कर्मचारियों सहित कुल कितने व्यक्ति मारे गये/घायल हुए;

(ख) मृतकों के आश्रितों को/घायल व्यक्तियों को क्षति पूर्ति की कितनी धनराशि दी गयी; और

(ग) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा मृतकों के आश्रितों को दी गयी नौकरियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने महाराष्ट्र में 1993 में डकैती की एक घटना और 1994 में डकैती की 3 घटनाओं की सूचना दी है। चूंकि इन घटनाओं में न तो कोई घायल हुआ और न ही कोई मारा गया था अतः क्षतिपूर्ति की कोई राशि न तो दी गई न ही कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार ही दिया गया था।

रेशम का उत्पादन

2667. श्री जायनल अबेदिन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शहतूत और गैर-शहतूत रेशम कीट पालन राज्य-वार कितने क्षेत्र में होता है;

(ख) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान देश में शहतूत और गैर-शहतूत क्षेत्र में कच्चे रेशम तथा रेशम अपशिष्ट का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ;और

(ग) उक्त अवधि के दौरान रेशम की वस्तुओं तथा रेशम अपशिष्ट का कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और इससे कितने रुपये की आय हुई?

वस्त्र मंत्री (श्री पी. चेंकट स्वामी) : (क) देश में शहतूती तथा गैर-शहतूती रेशम उत्पादन की कृषि के अन्तर्गत राज्य-वार क्षेत्र को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ख) वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान देश में शहतूती और गैर-शहतूती क्षेत्र में कच्चे पटसन की तथा रेशम अवशिष्ट के उत्पादन की मात्रा को दर्शाने वाले ब्यौरे विवरण II और III में संलग्न हैं।

(ग) वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान रेशम माल तथा रेशम अवशिष्ट के निर्यात की मात्रा के साथ-साथ रुपयों में आय को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण IV में संलग्न है।

विवरण-I

देश में शहतूती तथा गैर-शहतूती कृषि के अन्तर्गत राज्यवार क्षेत्र (हेक्टर में)

राज्य	शहतूती (हेक्टर)	टसर (लाख हेक्टर)	एरी	मूंगा
आन्ध्र प्रदेश	79632	13.02		
असम	1749	—		
आन्ध्र प्रदेश	22	—		
बिहार	6025	9.18		
गुजरात	106	—		
हिमाचल प्रदेश	827	—		
हरियाणा	73	—		
जम्मू व कश्मीर	592	—		
कर्नाटक	160835	5.21		
केरल	1811	—		
मध्य प्रदेश	3972	50.44		
महाराष्ट्र	1992	10.04		
मणिपुर	21625	—		
मिजोरम	1674	—		
मेघालय	809	—		
नागालैंड	40	—		
उड़ीसा	3381	20.24		
पंजाब	65	—		
राजस्थान	1019	—		
सिक्किम	21	—		
तमिलनाडु	32858	—		
त्रिपुरा	1600	—		
उत्तर प्रदेश	99*	—		
प. बंगाल	20079	3.55		
कुल	341799	111.68	10000 #	3500 #

ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं *वन्य रोपण

विवरण–II

वर्ष 1991–92 से 1993–94 तक की अवधि के दौरान देश में शहतूती अपरिष्कृत रेशम तथा रेशम अपशिष्ट के उत्पादन की राज्य–वार मात्रा

(टन में)

राज्य	1991–92		1992–93		1993–94	
	अपरिष्कृत रेशम	रेशम अपशिष्ट	अपरिष्कृत रेशम	रेशम अपशिष्ट	अपरिष्कृत रेशम	रेशम अपशिष्ट
आन्ध्र प्रदेश	2846	1016	3139	1121	2858	1000
असम	18	2	20	—	28	5
अरुणाचल प्रदेश	1	नगण्य	1	—	1	—
बिहार	38	11	43	12	25	12
गुजरात	नगण्य	नगण्य	1	नगण्य	नगण्य	नगण्य
हिमाचल प्रदेश	4	—	9	—	11	—
हरियाणा	—	—	नगण्य	—	नगण्य	नगण्य
जम्मू व कश्मीर	27	40	23	33	15	33
कर्नाटक	5488	1647	7285	2426	8250	2788
केरल	1	1	—	—	2	—
मध्य प्रदेश	5	2	4	2	6	2
महाराष्ट्र	4	6	2	2	6	17
मणिपुर	36	6	39	12	41	13
मिजोरम	नगण्य	नगण्य	1	नगण्य	नगण्य	नगण्य
मेघालय	1	नगण्य	1	नगण्य	1	नगण्य
नागालैंड	1	नगण्य	1	नगण्य	1	—
उड़ीसा	4	1	4	—	7	2
पंजाब	नगण्य	नगण्य	—	1	नगण्य	—
राजस्थान		—	नगण्य	नगण्य	नगण्य	—
सिक्किम		—	—	—	—	—
तमिलनाडु	118*	424	1342	479	1099	385
त्रिपुरा		—	2	—	नगण्य	—
उत्तर प्रदेश	20	—	19	—	17	—
पं. बंगाल	871	388	1064	425	1024	410
कुल	10557	3544	13000	4513	13392	4667

विवरण-III

वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान देश में गैर-शहतूती अपरि[illegible] रेशम तथा रेशम अपशिष्ट के उत्पादन की राज्य वार मात्रा

(टन में)

राज्य	1991-92		1992-93		1993-94	
	अपरिष्कृत रेशम	रेशम अपशिष्ट	अपरिष्कृत रेशम	रेशम अपशिष्ट	अपरिष्कृत रेशम	रेशम अपशिष्ट
आन्ध्र प्रदेश	1	1	1	नगण्य	1	नगण्य
असम	447	15	449	23	486	25
अरुणाचल प्रदेश	4	नगण्य	5	नगण्य	6	नगण्य
बिहार	251	66	296	65	189	40
मध्य प्रदेश	16	उपलब्ध नहीं	20	उपलब्ध नहीं	39	16
महाराष्ट्र	2	2	2	2	2	2
मणिपुर	127	25	140	26	150	29
मिजोरम	1	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
मेघालय	127	—	137	—	155	—
नागालैंड	34	—	18	—	21	—
उड़ीसा	70	14	72	14	76	15
उत्तर प्रदेश	1	—	2	—	2	—
प. बंगाल	29	9	26	10	14	6
कुल	1105	132	1168	140	1141	133

विवरण-IV

वर्ष 1991-92 से 1993-94 की अवधि के दौरान रेशम माल तथा रेशम अपशिष्ट के निर्यात की मात्रा

मात्रा—लाख वर्ग मीटर में

मूल्य—लाख रु. में

रेशम अपशिष्ट—लाख किग्रा.

वर्ष	रेशम माल		रेशम अपशिष्ट		
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	कुल मूल्य
1991-92	388.88	67098.48	1.89	458.15	67558.63
1992-93	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	73422.44*
1993-94	466.32	78622.25	2.17	288.18	78910.43

*स्रोत : डी जी सी आई एस, कलकत्ता

उपलब्ध नहीं : वर्ष 1992-93 के दौरान रेशम के लदान पूर्व निरीक्षण बन्द कर दिया गया।

सेटेलाइट एअर फ्रेट सिटी

2668. श्री जगमीत सिंह बराड़ : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन और भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेटेलाइट एअर फ्रेट सिटी की स्थापना करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) आयातकों के साथ-साथ निर्यातकों को भी क्या लाभ प्रदान किए जाने की संभावना है और इसका देश से निर्यात बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). सेटेलाइट एअर फ्रेट सिटी प्रोजेक्ट विचाराधीन है। इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

बांग्लादेश के साथ व्यापार संबंध

2669. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश के उद्योग मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बांग्लादेश सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंध सुधारने हेतु व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति और खेलकूद के मामलों में भारत के साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने के लिए विस्तृत चर्चा हेतु आमंत्रित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। बांग्लादेश में उद्योग मंत्री महामहिम मिस्टर ए.एम. जहीरुद्दीन खान ने 20-24 नवम्बर, 1994 में भारत का दौरा किया।

(ख) अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बांग्लादेश में पूंजी निवेश करने तथा संयुक्त उद्यम लगाने जैसे मसलों समेत उद्योग क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार एवं सहयोग से जुड़े प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया।

(ग) तथा (घ). बांग्लादेश के साथ आपसी निकट संबंधों को बढ़ाने का भारत सरकार का सतत् प्रयास है जिसमें व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति एवं खेल-कूद के क्षेत्र भी शामिल हैं। बांग्लादेश की सरकार ने भी इस प्रकार के घनिष्ठ संबंधों के पक्ष में मन्तव्य व्यक्त किया है।

[हिन्दी]

मसालों का अनुसंधान और विकास

2670. श्री खेलन राम जांगड़े :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड और कृषि मंत्रालय के बीच समन्वय का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप मसालों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर दुष्प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). मसालों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के बारे में मसाला बोर्ड/वाणिज्य मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय के बीच बहुत अच्छा तालमेल है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) सहित कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि मसाला बोर्ड तथा मसाला बोर्ड से संबंधित अनुसंधान तथा विकास सहमति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार मसाला बोर्ड के वैज्ञानिक तथा वरिष्ठ कार्यकारियों को भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र की अनुसंधान परिषद् की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। आईसीएआर की बैठकों में वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं।

तालमेल को और सुदृढ़ करने के लिए सदस्य (कृषि), योजना आयोग की अध्यक्षता में कार्यक्रम और प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जिसमें वाणिज्य मंत्रालय, मसाला बोर्ड, योजना आयोग, आईसीएआर तथा कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि भी होते हैं।

[अनुवाद]

एम टी सी मिलों का आधुनिकीकरण

2671. श्री रामचन्द्र मारोतराव धंगारे : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र वस्त्र निगम (एम टी सी) द्वारा चलाई जा रही कुछ सूती वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण करने की केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं। वस्त्र मंत्रालय को ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कपड़ा मजदूर

2672. श्री मोहन रावले : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पलात ने मुम्बई के कुछ कपड़ा मजदूरों में फेफड़ों के लिए घातक "बाईसिनेसिस" नामक रोग का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मजदूरों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत कोई मुआवजा दिया गया है;

(घ) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत मुम्बई में सभी कपड़ा मिलों में "बाईसिनेसिस" का पता लगाने हेतु चिकित्सा शिविर लगाने और मजदूरों के स्वास्थ्य के हित में मिलों में रूई से निकलने वाली धूल की मात्रा को कम करने के तरीकों का सुझाव देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). वर्ष 1994 के दौरान, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर होने वाले दो कर्मकारों को बाइसिनेसिस से पीड़ित पाया गया था। एक कर्मकार के मामले में, विक्लांगता का निर्धारण कर लिया गया है और निगम ने दिनांक 24.12.94 से 18.55 रु. प्रतिदिन के हिसाब से स्थायी आंशिक विक्लांगता लाभ का भुगतान करने का निर्णय किया है। दूसरे कर्मकार का मामला विक्लांगता की जांच और निर्धारण करने के लिए विशेष चिकित्सा बोर्ड को संदर्भित कर दिया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के दायरे में आने वाले कर्मकार, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं है।

(घ) तथा (ङ). क.रा. बीमा निगम द्वारा बम्बई में सभी कपड़ा मिलों में बाइसिनेसिस अभिज्ञान चिकित्सा केम्पों का आयोजन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, निगम ने बाइसिनेसिस सहित व्यावसायिक बीमारियों के उचित निदान और शीघ्र अभिज्ञान के लिए, बम्बई में एक व्यावसायिक बीमारी केन्द्र (ओ डी सी) स्थापित करने का निर्णय किया है।

मुम्बई टेक्सटाइल मिल के प्रबंधन को हाथ से किए जाने वाले झाड़-पोंछ और सफाई के स्थान पर वैक्यूम क्लीनरों का प्रयोग करने का निर्देश दे दिया गया है। कर्मकारों द्वारा नियमित रूप में व्यक्तिगत संरक्षण फिल्टर कपड़े का उपयोग करके बाइसिनेसिस की घटना को कम करने की सलाह दी गयी है।

[हिन्दी]

घुंघरू घंटी का निर्यात

2673. डा. साधौची : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका का भारत से घुंघरू घंटी का आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो अमरीका से रुपयों में कितनी कीमत का निर्यात आदेश प्राप्त हुआ है;

(ग) इस उद्योग में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(घ) सरकार ने इस प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन से जुड़े व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख). घुंघरू घंटी का पहले से ही अमरीका को निर्यात किया जा रहा है। तथापि, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा घुंघरू घंटी के निर्यात के लिए अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते। घुंघरू घंटी सहित अमरीका को कलात्मक धातु पात्र का निर्यात वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान क्रमशः 185.65 करोड़ रु. तथा 248.90 करोड़ रु. का हुआ।

(ग) घुंघरू घंटी के विनिर्माण/संसाधन/परिष्करण में लगभग 6000 शिल्पी कार्यरत होने का अनुमान है तथा ये मुख्यतः जालेसर (एटा), अलीगढ़, राजस्थान में डुंगेरपुर, गुजरात में उराहा (कच्छ), केरल में अलप्पी, तमिलनाडु में कल्याकुमारी, कर्नाटक में मैसूर तथा बंगलौर में स्थित हैं।

(घ) घुंघरू घंटी सहित हस्तशिल्प के उत्पादन में कार्यरत व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम डिजाइन संवर्धन, प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, विपणन, शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना, शहरी हाट आदि हैं। जालेसर में कलात्मक धातु शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र पिछले कुछ वर्षों से घुंघरू घंटी शिल्प में प्रशिक्षण कर रहा है तथा अब तक 9 बैचों में लगभग 222 व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए हैं। अब तक प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों को उक्त शिल्पों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे देश के लिए अमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है।

[अनुवाद]

की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही

2674. डा. वसंत पवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभूति घोटाले में की गई कार्यवाही संबंधी संशोधित रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). संयुक्त संसदीय समिति (जे पी सी) की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के संशोधित पैराग्राफों में जेपीसी की सिफारिशों के अनुसरण में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल है: वित्तीय प्रणाली के कार्यकरण में नोट की गई विशिष्ट परिचालनात्मक कमियों को दूर करने के लिये उठाये गये कदम, बैंकों में आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली, बैंकों में लेखा परीक्षा और सतर्कता और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षण और निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये किये गये उपाय, व्यक्तिगत और साथ ही साथ संस्थागत स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये किये गये उपाय और दोषी को सजा देने के लिये शुरू की गई कार्रवाई, गैर कानूनी ढंग से धन को निकाल कर जुटाई गई परिसम्पत्तियों का पता लगाने और उसकी पहचान करने के लिये किये गये उपाय और भारतीय वित्तीय प्रणाली के वित्तीय स्वास्थ्य, कार्यनिष्पादन के मानकों और दक्षता में सुधार करने के लिये क्षेत्रीय स्तर पर सुधार करना।

इसके अलावा, सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई में, पहचान किये गये कर्मचारियों के विरूद्ध बैंक द्वारा शुरू की गई विभागीय कार्रवाई की निरंतर निगरानी, सी बी आई द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई, प्रणालीगत और परिचालनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी, विधायी संशोधनों के लिए कार्रवाई करना आदि।

[हिन्दी]

मखाना, लीची और केले का निर्यात

2675. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश, विशेष रूप से बिहार राज्य से लीची, मखाना और केले के निर्यात की विपुल संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मखाने का निर्यात पहले से ही किया जा रहा है और 1993-94 से लीची का निर्यात भी शुरू हो गया है;

(घ) क्या सरकार ने लीची, मखाना और केले के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारत लीचियों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। बिहार से उत्पादित लीची बहुत अच्छी क्वालिटी की है तथा निर्यात के लिए उपयुक्त है। यूरोपीय और पश्चिम एशियाई देशों ने भारत से लीची खरीदने की इच्छा व्यक्त की है।

विश्व में केलों के कुल उत्पादन का 14 प्रतिशत उत्पादन भारत में होता है और इसके निर्यात की अच्छी संभावना है। बिहार में पैदा होने वाला केला छोटे आकार का है और इस किस्म के केले के निर्यात की अधिक संभावना नहीं है।

मखानों के निर्यात के बारे में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) मखानों के निर्यात से संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। जहां तक लीची का संबंध है, वर्ष 1993-94 के दौरान बहुत कम मात्रा में लीची का निर्यात किया गया था।

(घ) तथा (ङ). लीची, मखाना और केला सहित फलों और सब्जियों के निर्यात संवर्धन के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं :

(i) बुनियादी सुविधाओं तथा फसल पकने के बाद की सुविधाओं की स्थापना निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ii) क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना और अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन का भुगतान

2676. श्री हाराधन राय : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के कर्मचारी वेतन तथा मजदूरी के देर से भुगतान तथा भुगतान नहीं किये जाने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). सरकार कतिपय रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मकारों को मजदूरी के विलम्ब से भुगतान किए जाने की समस्याओं से अवगत है।

श्रम मंत्रालय ने पहले ही संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों तथा वित्त मंत्रालय के साथ मामले को उठाया है ताकि रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मकारों को वेतन और मजदूरी का भुगतान किए जाने के लिए निधि समय से उपलब्ध करायी जाए।

बेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड को पुनः चालू करना

2677. श्री मनोरंजन सुर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक तथा वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड ने बेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड को पुनः चालू करने संबंधी योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयकर में छूट

2678. श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास क्षेत्र की परियोजनाओं हेतु विशिष्ट धनराशि दानस्वरूप देने के इच्छुक लोगों को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत 100 प्रतिशत तक छूट की अनुमति दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कौन-कौन-सी शर्तें पूरी करनी होती हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए स्थापित राष्ट्रीय निधि में अपने किए गए अंशदान की करदाता, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 ग म क और 80 छ छ क के अंतर्गत पूरी छूट पाने के हकदार होते हैं।

अधिनियम की धारा 35 क ग और 80 छ छ क के अंतर्गत करदाताओं को, राष्ट्रीय समिति द्वारा पात्र परियोजना या स्कीम को बताने के लिए अनुमोदित की गई सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी या स्थानीय प्राधिकरण या एसोशिएशन या संस्थान के संबंध में पूरी छूट की अनुमति होती है। सरकार द्वारा इस संबंध में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। राष्ट्रीय समिति के अनुमोदन के आधार पर केन्द्रीय सरकार पात्र परियोजना या स्कीम अधिसूचित करती है। जिसके पश्चात् अंशदाता अपने किए गए अंशदान के संबंध में पूरी छूट का दावा कर सकते हैं। पात्र परियोजना या स्कीम में ग्रामीण विकास की परियोजना शामिल होती है जिसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक कल्याण पर पड़ता है।

रुग्ण औद्योगिक एकक

2679. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1995 को औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत रुग्ण औद्योगिक एककों का राज्यवार क्या ब्यौरा है; और

(ख) इन्हें चालू करके अर्थक्षम बनाने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि 31 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार उसके पास रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के 1641 संदर्भ दर्ज थे। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि 31 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार 467 पुनर्वास योजनाओं को मंजूरी दी गई/का अनुमोदन किया। इनमें से 51 मामले शामिल हैं जो पुनर्वास योजना कार्यान्वित करने के बाद रुग्ण नहीं रही तथा 71 मामले समामेलन के शामिल हैं (जिनमें से 65 मामलों में समामेलन का काम पूरा हो गया है) ।

विवरण

31.1.1995 की स्थिति के अनुसार बाइफर के पास दर्ज मामले-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य	दर्ज किए गए और आवंटित मामलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	196
असम	7
बिहार	53
चण्डीगढ़	2
दादरा तथा नागर हवेली	2
गुजरात	145
गोवा, दमन व दीव	5
हरियाणा	51
हिमाचल प्रदेश	30
जम्मू व कश्मीर	5
केरल	58
कर्नाटक	112
महाराष्ट्र	265
मध्य प्रदेश	75
नागालैंड	1
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	11
उड़ीसा	33
पांडिचेरी	9
पंजाब	44
राजस्थान	77
तमिलनाडु	135
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	163
पश्चिम बंगाल	161
कुल	1641

तम्बाकू संबंधी समिति

2680. श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू संबंधी एक विशेषज्ञ समिति का गठन किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो समिति के कितने सदस्य होंगे और इसके प्रतिनिधियों का चयन करने के मानदण्ड क्या होंगे;

(ग) क्या उक्त समिति में बीड़ी उद्योग के केन्द्रीय श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ विचाराधीन ऐसे श्रमिक संघों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जुलाई, 1991 में सरकार ने तंबाकू या स्वास्थ्य संबंधी एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, सिगरेट निर्माता कंपनियों, तंबाकू उत्पादकों, अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, चिकित्सा वैज्ञानिकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और तंबाकू संबंधी सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

होटल तथा पर्यटन उद्योग में सीधा विदेशी निवेश

2681. श्री प्रेम चन्द राम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल तथा पर्यटन उद्योग 51 प्रतिशत तक सीधे विदेशी निवेश की स्वीकृति पाने के अधिकारी होंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). दिनांक 24 जुलाई, 1991 की औद्योगिक नीति के विवरण-पत्र में होटल और पर्यटन से संबंधित उद्योग को विदेशी निवेश और विदेशी सहयोग के उद्देश्य से उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योग घोषित किया गया है। तद्नुसार यह, 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन हेतु पात्र हैं। प्रत्येक प्रस्ताव के गुणों पर उच्च विदेशी निवेश की अनुमति भी दी जा सकती है। अनिवासी भारतीयों के मामले में 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी तक निवेश हेतु अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। ऐसे सभी अनुमोदन उपलब्ध हैं, बशर्ते कि विदेशी इक्विटी, महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा अपेक्षाओं को समाविष्ट करती हो।

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

2682. श्री पंकज चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नेपाल सीमा पर बड़े पैमाने पर तस्करी की गतिविधियां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष के दौरान भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सौनोली चौकी पर कितने मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारत-नेपाल सीमा पर देश में माल की तस्करी करने संबंधी प्रयासों के कुछेक मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) 1.4.1994 से 31.1.1995 तक की अवधि के दौरान भारत-नेपाल सीमा पर सौनोली चौकी पर पकड़े गए माल का ब्यौरा और मूल्य निम्नानुसार है :-

मामलों की सं.	मूल्य
21	15.79 लाख रुपये

पकड़ी गई मदों में सोना, कार्डलैस टेलीफोन, कम्प्यूटर के पुर्जे, कैमरे की रीलें, एमरजेन्सी लाइटें, परफ्यूम्ज आदि शामिल हैं।

(ग) भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी सहित तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने के लिए तस्करी रोधी एजेन्सियां सतर्क हैं।

[अनुवाद]

मणिपुर में हेरोइन के कारखाने

2683. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में स्वापक हेरोइन के कारखाने बन गए हैं;

(ख) क्या उक्त राज्य में नशीली दवाओं का अवैध व्यापार फल-फूल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस विषय में क्या कदम लिए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) ब्यूरो में प्राप्त आसूचना रिपोर्ट मणिपुर में हेरोइन कारखाने की विद्यमानता नहीं दर्शाती है। तथापि, संपूर्ण उत्तर-पूर्व भारत "गोल्डन ट्राइंगल" की सन्निकटता के आधार पर स्वापक औषध के अवैध व्यापार तथा दुरूपयोग के लिए संवेदनशील है।

(ख) जबकि स्वापक औषध व्यापार एक गुप्त प्रक्रिया है अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह मणिपुर में फल-फूल रही है अथवा घट रही है।

(ग) तथा (घ). स्वापक औषधों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए म्यांमार संघ सरकार के साथ एक विस्तृत द्विपक्षीय करार हुआ है। सचिव स्तर पर तथा दो देशों की प्रवर्तन एजेंसियों के बीच फील्ड स्तर की नियमित बैठकें हो रही हैं। प्रचालन सूचनाओं के त्वरित संचार के लिए संपर्क बिन्दु निर्दिष्ट किए गए हैं। उत्तर-पूर्व परिषद के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयासों के समन्वय के लिए राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रक अधिकारी नामित किए गए हैं। मणिपुर पुलिस विभाग ने स्वापक औषधों के लिए एक समर्पित कक्ष स्थापित किया है।

सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन.डी.पी.एस. एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सलबोनी में प्रिंटिंग प्रेस

2684. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल में सलबोनी में करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस लगाने के कार्य को पूरा करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक की अभी पूर्तिकारों के साथ पश्चिम बंगाल के सालबोनी में मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस के लिए मुख्य संयंत्र और उपस्कर हेतु बातचीत चल रही है। मुख्य संयंत्र और उपस्कर के आदेश दिए जाने के उपरान्त 18 महीनों में आरंभिक उत्पादन खेप के परिचालित होने की संभावना है और आदेश दिए जाने के बाद पूरी प्रेस 39 महीनों में पूरी तरह चालू हो जाएगी।

[हिन्दी]

ब्रिटेन का बेयरिंग्स बैंक

2685. श्री सत्यदेव सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन के बेयरिंग्स बैंक के दीवालिएपन के परिणामस्वरूप देश के शेयर बाजारों पर सम्भावित प्रभाव का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम मिला; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). बेयरिंग्स पी.एल.सी. और उसकी सहायक कंपनियों से संबंधित घटना का भारतीय स्टाक बाजार पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) हालांकि किसी भी बाजार को, जिसमें सीमा-पार के निवेश संबंधी अंतःप्रवाह की अनुमति दी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभावों से पूरी तरह अलग रखना संभव नहीं है, फिर भी किसी एक कंपनी में, कंपनी की पूंजी के 5 प्रतिशत की सीमा तक ऐसे निवेशों की सीमा के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशों पर मौजूदा प्रतिबंध, विदेशी संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों की कुल धारिता को किसी कंपनी में पूंजी के 24 प्रतिशत तक सीमित रखने और विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों पर ऋण संबंधी प्रतिभूतियों के असर पर उच्चतम सीमा लगाने का उद्देश्य इस प्रभाव को कम करना होता है।

[अनुवाद]

गया विमानपत्तन

2686. श्री हरिन पाठक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में गया तथा बोध गया के प्रमुख तीर्थस्थल होने की जानकारी है;

(ख) क्या दोनों तीर्थस्थल विश्वभर के बौद्धों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए गया विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में परिवर्तित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). भारत राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा गया विमानपत्तन का उन्नयन करने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है और यह पाया है कि जैट विमानों के परिचालन के लिए विमान पत्तन का उन्नयन व्यवहार्य है।

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी

2687. श्री रतिलाल वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 30 सितम्बर, 1994 कि स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में भारतीय स्टेट बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा की कितनी-कितनी शाखाएं हैं;

(ख) ऐसी शाखाओं की संख्या कितनी है जिनमें शाखा प्रबंधक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी हैं; और

(ग) उपरोक्त दोनों बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 30 सितम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक की संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ख) बैंक ऑफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि उनके पास 252 अनुसूचित जातियों के और 20 अनुसूचित जनजातियों के शाखा प्रबंधक हैं। जहां तक भारतीय स्टेट बैंक का संबंध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शाखा प्रबंधकों की संख्या संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार ने अ.जा./अ.ज.जा. की आरक्षण नीति के उपर्युक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वे उप महा प्रबंधक/सहायक महा प्रबंधक स्तर के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति सम्पर्क अधिकारियों के रूप में करें और आरक्षण नीति के उपार्युक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने केन्द्रीय कार्यालयों और साथ ही अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों में अ.जा. और अ.ज.जा. कक्षों की स्थापना करें।
2. सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने-अपने निदेशक बोर्डों के समक्ष, निर्धारित प्रपत्र में पिछले वर्ष के दौरान कार्यान्वित आरक्षण नीति में हुई प्रगति की वार्षिक पुनरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।
3. सरकार आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में बैंकों की ऊपर बताई गई वार्षिक रिपोर्टों की कमियों की, यदि कोई हों, बारीकी से समीक्षा करती है।
4. सरकार के बैंकिंग प्रभाग में सम्पर्क अधिकारी प्रत्येक तिमाही बैंक में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की गहराई से जांच करते हैं।
5. बैंकों से भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया है।
6. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का लिखित परीक्षाओं और साक्षात्कारों, दोनों में शिथिल मानदंडों के आधार पर विनिर्णय किया जाता है।
7. बैंकों से चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य शामिल करने के लिए कहा गया है।
8. बैंकों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघों को अनौपचारिक मान्यता प्रदान करने के लिए कहा गया है ताकि वे उनकी शिकायतों, यदि कोई हों, के निवारण के लिए उनके हितों की रक्षा कर सकें।
9. सभी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों से कहा गया है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही में एक बार बैठक करें और आरक्षण नीति के संबंध में उनकी शिकायतों की सुनवाई करें।

विवरण

30 सिम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं की संख्या

राज्य का नाम	भारतीय स्टेट बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	791	59
अरुणाचल प्रदेश	42	–
असम	199	12
बिहार	912	98
गोवा	47	26
गुजरात	429	641
हरियाणा	157	17
हिमाचल प्रदेश	141	5
जम्मू व कश्मीर	119	4
कर्नाटक	278	33
केरल	217	39
मध्य प्रदेश	692	82
महाराष्ट्र	774	267
मणिपुर	16	3
मेघालय	85	2
मिजोरम	24	–
नागालैंड	43	4
उड़ीसा	458	31
पंजाब	230	42
राजस्थान	160	298
सिक्किम	25	1
तमिलनाडु	559	86
त्रिपुरा	32	2

1	2	3
उत्तर प्रदेश	1344	478
प. बंगाल	717	92
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	18	–
चंडीगढ़	21	3
दादरा व नागर हवेली	1	–
दमन व दीव	3	–
दिल्ली	183	54
लक्षद्वीप	–	–
पांडिचेरी	12	1
कुल	8729	2380

[अनुवाद]

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में संशोधन

2688. श्री आर. अन्बारासु :
श्री अनन्तराव देशमुख :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें पायी गयी त्रुटियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में इन अधिनियमों में अनेक संशोधन करने की स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानूनों के प्रशासन में आने वाली विधिक और व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से इनकी पुनरीक्षा करने का कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। वित्त विधेयक, 1995 में हाल में शामिल किये गये कुछेक परिवर्तनों का आशय इसी उद्देश्य को प्राप्त करना है।

वित्त विधेयक, 1995 में यथा-प्रस्तावित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संक्षेप में ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वापसियों, प्रतिअदायगी की विलम्ब से अदायगी, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दोनों के संबंध में मांग किये गये शुल्कों की विलम्ब से अदायगी पर ब्याज की अदायगी करने के लिए व्यवस्था करना, पुनः आयात किये गये माल पर शुल्क की अदायगी के लिए व्यवस्था, यदि ऐसे माल को विशेष रूप से अधिसूचना द्वारा छूट न दी गयी हो, निर्यात किये जाने वाले माल के संसाधन या अन्य प्रक्रियाओं में प्रयुक्त निविष्टियों पर प्रति अदायगी के भुगतान के लिए व्यवस्था, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दोनों में ही विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के पदनामों में परिवर्तन, आदि।

(ङ) वित्त विधेयक, 1995 में यथा-प्रस्तावित संशोधनों के बारे में वर्तमान बजट सत्र के दौरान संसद में विचार-विमर्श किया जायेगा।

एम.एम.टी.सी. के पास चावल का भंडार

2689. अनंतराव देशमुख : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम.एम.टी.सी. के करनाल स्थित गोदाम में चावल का कितना भंडार है;

(ख) इस गोदाम में यह भंडार कब से पड़ा हुआ है;

(ग) इसमें भंडारित चावल किस दर पर खरीदा गया था; और

(घ) चावल के इस संचित भंडार के निपटान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) एम.एम.टी.सी. के करनाल स्थित गोदाम में इस समय चावल का कोई भण्डार नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

उत्तर बिहार के लिए हवाई सेवाएं

2690. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण तथा अन्य संबंधित कार्य करवा लिए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक कारणों से इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत की इस समय बिहार में किसी नये स्टेशन को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजना नहीं है। निजी प्रचालक अनुसूचित प्रचालनों के लिए खुले स्टेशनों पर किसी भी स्टेशन के लिए प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

वोस्त्रो लेखा

2691. श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में "वोस्त्रो लेखा घोटाले" का पता चला है जिसमें कि कुछ भारतीय व विदेशी बैंक शामिल थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) इस मामले में की गई छानबीन का विवरण क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस तरह के घोटालों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या एहतियाती उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). दिसम्बर, 1994 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने 166 करोड़ रु. की कुल राशि को वोस्त्रो खाते द्वारा अवैध रूप से भेजने या अवैध रूप से भेजने का प्रयास करने का पता लगाया है। मामले की जांच की जा रही है। इस राशि में 77.9 करोड़ रु. की राशि भी सम्मिलित है जिसकी उक्त निदेशालय द्वारा वर्ष 1992-93 में पहले ही जांच कर ली गई थी। भारत के रिजर्व बैंक ने संबंधित बैंकों द्वारा रखे जाने वाले वोस्त्रो खातों की विशेष लेखा परीक्षा करने का आदेश दिया है।

कटे-फटे नोटों का पुनः परिचालन

2692. श्री पी. कुमारासामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जलाए जाने के लिए रखे गए कटे-फटे नोटों के पुनः परिचालन में लिप्त किसी गिरोह को पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य में शामिल बैंक कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पंजीकृत बेरोजगार

2693. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कितनी है तथा इनमें तकनीकी तथा गैर-तकनीकी बेरोजगारों की अलग-अलग अद्यतन संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया तथा इनमें तकनीकी व गैर-तकनीकी बेरोजगारों की अलग-अलग संख्या कितनी थी;

(ग) वर्ष 1994 सहित अब तक कितने व्यक्तियों ने अपने नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कराये तथा इनमें तकनीकी व गैर-तकनीकी बेरोजगारों की संख्या कितनी थी; और

(घ) राज्य में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) दिसम्बर, 1994 के अंत में महाराष्ट्र में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों, यह अनिवार्य नहीं है कि वे सभी बेरोजगार हों, की कुल संख्या 34.4 लाख थी। तकनीकी तथा गैर-तकनीकी व्यक्तियों के संबंध में सूचना अलग से नहीं रखी जाती है। तथापि, 31.12.1992 की स्थिति के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध) शैक्षिक स्तर पर वर्गीकृत सूचना दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 1992, 1993 तथा 1994 के वर्षों के दौरान, रोजगार कार्यालयों द्वारा क्रमशः 26.9, 25.6 लाख तथा 24.6 हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। तकनीकी तथा गैर-तकनीकी व्यक्तियों के संबंध में अलग से सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, वर्ष 1990, 1991 तथा 1992 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान शैक्षिक स्तर पर वर्गीकृत, जिन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, उनकी संख्या संबंधी सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) वर्ष 1994 के दौरान रोजगार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत कराने वाले व्यक्तियों की संख्या 620 हजार थी। तकनीकी तथा गैर-तकनीकी व्यक्तियों के संबंध में अलग से सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, वर्ष 1992 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान किए गए पंजीकरणों की संख्या संबंधी सूचना संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) किसी भी राज्य में, इसी प्रकार गुजरात में भी, आमतौर पर रोजगार राज्य के विकास की गति तथा ढांचे पर निर्भर करता है, जिसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है। केन्द्र सरकार, केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्रीय क्षेत्र के विशेष रोजगार कार्यक्रमों जिनमें से महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं :-

(i) केन्द्र प्रायोजित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.

वाई.), नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई.) तथा रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.) तथा

(ii) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार हेतु केन्द्रीय क्षेत्र-विशिष्ट रोजगार योजना तथा प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के माध्यम से रोजगार अवसरों के सृजन में, राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है।

विवरण-I

महाराष्ट्र के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर, शैक्षिक स्तर पर वर्गीकृत, रोजगार चाहने वालों की संख्या

(हजार में)

	शैक्षिक स्तर	31.12.1992 की स्थितिनुसार चालू रजिस्टर पर संख्या
	1	2
1.	मैट्रिक से कम (असाक्षरों सहित)	1074.4
2.	मैट्रिक	1660.4
3.	हायर सैकण्डरी परीक्षा पास व्यक्ति (इंटर/स्नातक से कम योग्यता वाले)	282.9
4.	स्नातक (स्नास्तकोत्तर सहित)	
	कुल	270.4
	(i) कला	88.9
	(ii) विज्ञान	45.9
	(iii) वाणिज्य	80.7
	(iv) इंजीनियरिंग	10.8
	(v) चिकित्सा	3.0
	(vi) पशु-चिकित्सा	0.3
	(vii) कृषि	4.5
	(viii) विधि	0.6
	(ix) शिक्षा	28.4
	(x) अन्य	7.3
5.	इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में डिप्लोमाधारी	32.6
	कुल	3320.7

नोट : यह हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण योग में आंकड़े जोड़े न जाएं।

विवरण-II

महाराष्ट्र के रोजगार कार्यालयों द्वारा 1990, 1991, 1992 के दौरान शैक्षिक स्तर पर वर्गीकृत की गई नियुक्तियों की संख्या

(हजार में)

	शैक्षिक स्तर	की गई नियुक्तियां		
		1990	1991	1992
1.	मैट्रिक से कम (असाक्षरों सहित)	11.7	12.7	9.6
2.	मैट्रिक	10.2	10.2	10.5
3.	हायर सैकण्डरी परीक्षा पास व्यक्ति (इंटर/स्नातक से कम योग्यता वाले)	1.1	1.6	1.3
4.	स्नातक (स्नास्तकोत्तर सहित)			
	कुल	4.4	4.4	4.8
	(i) कला	0.7	0.7	0.8
	(ii) विज्ञान	0.5	0.3	0.6
	(iii) वाणिज्य	1.8	1.3	1.9
	(iv) इंजीनियरिंग	0.3	0.2	0.1
	(v) चिकित्सा	0.1	0.1	0.1
	(vi) पशु-चिकित्सा	–	*	*
	(vii) कृषि	*	*	0.1
	(viii) विधि	*	*	*
	(ix) शिक्षा	0.7	1.4	1.0
	(i) अन्य	0.2	0.2	0.2
5.	इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में डिप्लोमाधारी	0.5	0.7	0.7
	कुल	27.9	29.6	26.9

नोट : यह हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण योग में आंकड़े जोड़े न जाएं। * 50 से कम आंकड़े

विवरण–III

वर्ष 1992 के दौरान महाराष्ट्र के रोजगार कार्यालयों में, शैक्षिक स्तर पर वर्गीकृत पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या

(हजार में)

	शैक्षिक स्तर	वर्ष 1992 के दौरान किए गए पंजीकरणों की संख्या
1.	मैट्रिक से कम (असाक्षरों सहित)	150.2
2.	मैट्रिक	289.9
3.	हायर सैकण्डरी परीक्षा पास व्यक्ति (इंटर/स्नातक से कम योग्यता वाले)	54.2
4.	स्नातक (स्नात्तकोत्तर सहित)	
	कुल	49.7
	(i) कला	12.4
	(ii) विज्ञान	8.5
	(iii) वाणिज्य	15.1
	(iv) इंजीनियरिंग	2.9
	(v) चिकित्सा	0.7
	(vi) पशु–चिकित्सा	0.1
	(vii) कृषि	0.9
	(viii) विधि	0.2
	(ix) शिक्षा	7.0
	(x) अन्य	1.9
5.	इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में डिप्लोमाधारी	7.4
	कुल	551.4

नोट : यह हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण योग में आंकड़े जोड़े न जाएं

[अनुवाद]

विदेशी ऋण की अदायगी

2694. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान देश के विदेशी ऋण पर ब्याज के रूप में कुल कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान हुआ;

(ख) गत दस वर्षों के दौरान विदेशों से लिए गए ऋण की अदायगी के लिए भुगतान की गई निबल राशि कितनी है; और

(ग) आगामी पांच वर्षों के दौरान सभी प्रकार के ऋणों की अदायगी हेतु और ब्याज के भुगतान हेतु अनुमानतः कितनी राशि का भुगतान किया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). दाता देशों के साथ पारस्परिक सहमति से ऋण करार की शर्तों के अनुसार विदेशी ऋणों की वापसी अदायगी की जा रही है। वर्ष वार ऋण वापसी की विदेशी करेंसी के बराबर रुपया राशि संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) भविष्य में ऋण के भुगतान, अर्थात मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी न केवल पिछले उधारों पर बल्कि चालू तथा भविष्य के ऋणों पर भी निर्भर करेगी। ये भुगतान संतुलन के चालू तथा पूंजीगत, दोनों खातों के अन्तर्गत विभिन्न मदों की घट–बढ़ पर निर्भर करेंगी जबकि भुगतान संतुलन अनेक उपदानों पर निर्भर करता है। स्थिति की जटिलता को देखते हुए भविष्य में ऋण के सही भार और ऋण परिशोधन अनुसूची को बताना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऋण के भुगतानों के वित्तपोषण को भुगतान संतुलन के चालू तथा पूंजीगत दोनों खातों के अन्तर्गत विभिन्न मदों की घट–बढ़ में अलग से नहीं देखा जा सकता। दीर्घावधि में, ऋण परिशोधन की क्षमता का निर्धारण मोटे तौर पर निर्यात वृद्धि तथा अन्य विदेशी मुद्रा अर्जनों द्वारा किया जाता है। सरकार अपनी ऋण परिशोधन संबंधी सभी बाध्यताओं को, जब कभी वे उत्पन्न होती हैं, पूरा करने का प्रयास करती है।

विवरण

विदेशी वाणिज्यिक उधारों के संबंध में वर्षवार मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु.)

वर्ष	मूलधन	ब्याज
1984–85	1192.02	1241.16
1985–86	1585.82	1618.42
1986–87	2266.20	1994.93
1987–88	3605.65	2266.57
1988–89	4215.22	2737.36
1989–90	4837.21	3576.79
1990–91	5514.00	4042.20
1991–92	7431.81	5977.00
1992–93	9770.60	7430.61
1993–94	11258.48	7854.61

[हिन्दी]

बैंकों में कदाचार

2695. श्री छेदी पासवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में गड़बड़ी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि चार वर्षों में एक बार समवर्ती लेखा जोखा किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इन कदाचारों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में कदाचार की घटनाओं की वृद्धि के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा की आवधिकता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि समवर्ती लेखा परीक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए कोई आवधिकता निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने धोखाधड़ियों/कदाचारों को रोकने और उनका तत्काल पता लगाने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में बैंकों में नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विस्तृत मार्ग निर्देश, धोखाधड़ी के मामलों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर आधार पर समीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक में विशेष जांच कक्ष स्थापित करना, परिचालनात्मक कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण देना, बही खातों के संतुलन के बकाया काम को निपटाना तथा निरंतर आधार पर अंतर शाखा और अन्य लेखों का समाधान करना आदि शामिल हैं ताकि इन क्षेत्रों में धोखाधड़ियों/कदाचारों को रोका जा सके।

[अनुवाद]

पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट

2696. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री बेल्लैया नन्दी :
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :
श्री वी.एस. विजयराघवन :
श्री गोविन्दराव निकम :
श्री विजय एन. पाटील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने अंतरिम राहत की दूसरी किश्त तथा मंहगाई भत्ते के एक अंश को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में विलय करने संबंधी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये सिफारिशें कब तक कार्यान्वित कर दी जाएंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सिफारिशें देने की अंतिम तारीख क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आयोग को अपनी रिपोर्ट यथा संभव शीघ्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

[हिन्दी]

बैंक ऑफ बड़ौदा

2697. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में बैंक आफ बड़ौदा की राज्य-वार कितनी शाखाएं हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष शाखाओं को कितना मुनाफा और घाटा हुआ तथा इसका अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने काशीनाथ सेठ बैंक, शाहजहांपुर को बंद कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 31.12.1994 की स्थिति के अनुसार देश में कार्य कर रही बैंक ऑफ बड़ौदा की राज्यवार शाखाओं की संख्या नीचे दी गई है :-

राज्य का नाम	बैंक आफ बड़ौदा की शाखाओं की सं.
1	2
आन्ध्र प्रदेश	60
अरुणाचल प्रदेश	–
असम	12
बिहार	98
गोवा	26
गुजरात	642
हरियाणा	17
हिमाचल प्रदेश	5
जम्मू व कश्मीर	4
कर्नाटक	33
केरल	40
मध्य प्रदेश	82
महाराष्ट्र	268
मणिपुर	3
मेघालय	2
मिजोरम	–
नागालैंड	4
उड़ीसा	31
पंजाब	43
राजस्थान	298
सिक्किम	1

1	2
तमिलनाडु	86
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	478
पश्चिम बंगाल	92
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–
चण्डीगढ़	3
दादरा व नगर हवेली	–
दमन व दीव	–
दिल्ली	54
लक्षद्वीप	–
पांडिचेरी	1
कुल	2385

(ख) बैंक ऑफ बड़ौदा की उन शाखाओं की संख्या नीचे दी गई है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ हुआ और जिन्हें हानि हुई :-

के अनुसार स्थिति	लाभ अर्जित करने वाली शाखाओं की कुल संख्या	हानि उठाने वाली शाखाओं की कुल संख्या
31.3.1992	1898	418
31.3.1993	1746	614
31.3.1994	1963	432

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि काशीनाथ सेठ बैंक, शाहजहांपुर को अभी बन्द नहीं किया गया है लेकिन बैंक को 31 मार्च, 1995 तक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के तहत रखा गया है। यह आशा की जाती है कि नए प्रबंधन के तहत बैंक शीघ्र ही अपना कारोबार शुरू कर देगा।

कालीनों का निर्यात

2698. **श्री बलराज पासी :**
प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय देशों द्वारा भारत के कालीन उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों के शोषण संबंधी आरोप लगाए जाने के कारण भारतीय कालीनों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान कितने मूल्य के कालीनों का निर्यात किया गया; और

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए इसके निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). वर्ष 1993-94 के दौरान हाथ से बुने कालीनों के निर्यात 1390.00 करोड़ रु. (443.18 मिलियन अमरीकी डालर) के हुए तथा वर्ष 1994-95 के लिए 1570.00 करोड़ रु. (500 मिलियन अमरीकी डालर) का लक्ष्य निर्धारित दिया गया है।

[अनुवाद]

हैंक यार्न का निर्यात

2699. **श्री येल्लैया नंदी :**
श्री राज नारायण :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निर्धारित 60 काउंट की सीमा का घोर उल्लंघन करते हुए 300 से 320 काउंट हैंक यार्न का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कदाचार को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). ग्रुप 1-60 काउंटो में हैंक यार्न, जोकि हथकरघा क्षेत्र के लिए मुख्य कच्चा माल है, के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास के लिये मध्य प्रदेश को ऋण

2700. **श्री सूरजभानु सोलंकी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए ग्रुप उपलब्ध कराने हेतु क्या मानदंड निश्चित किये गये हैं और उसके लिये निर्धारित शर्तें क्या हैं; और

(ख) चुनिंदा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान अब तक मध्य प्रदेश के कितने गांवों का चयन किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया द्वारा बिक्री बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन

2701. श्री संदीपन भगवान थोरात : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिक्री बढ़ाने तथा विमानों की अधिकतम क्षमता का उपयोग हेतु इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया के यात्रियों के लिए कई सुविधाएं और रियायतें शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी प्रत्येक योजना के अन्तर्गत वास्तविक परिणामों का सही विश्लेषण किया गया है और लक्ष्य की दृष्टि से परिणाम क्या रहे हैं;

(घ) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत घोषित की गई/दी गई रियायतों का दुरूपयोग किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, हां। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने संयुक्त रूप से एक फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम शुरू किया है जिसके अंतर्गत नामांकित यात्री 'माइलेज प्वाइंट' एकत्र कर सकते हैं और कुछ शर्तों के अन्तर्गत निःशुल्क टिकटों के लिए उन्हें भुना सकते हैं। इसके अलावा, क्षमता उपयोग में सुधार के लिए इंडियन एयरलाइंस ने कुछ प्रोत्साहन योजनाएं आरंभ की हैं। जैसे निर्दिष्ट शर्तों के अन्तर्गत आठ अथवा अधिक लोगों के दल को किराए में 20 प्रतिशत तक छूट; केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को एल.टी.सी. योजना के अधीन यात्रा करने की स्थिति में 30 प्रतिशत छूट, वयोवृद्ध नागरिकों (65 वर्ष से अधिक आयु) को 50 प्रतिशत छूट, कुछ चुनिंदा मार्गों पर वापसी यात्रा में 25 प्रतिशत छूट आदि।

(ग) से (ङ). मार्केट में प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए प्रोत्साहन/छूट देना आवश्यक है। योजनाओं की आवधिक रूप से संवीक्षा की जाती है तथा किसी भी संभव दुरूपयोग को रोकने के लिए कदम उठाए जाते हैं। कुल मिलाकर, इन योजनाओं से विमान कंपनियों तथा यात्री जनता दोनों को ही लाभ हुआ है।

पटसन उद्योग

2702. प्रो. सुशांत चक्रवर्ती :
श्री तरित बरण तोपदार :
श्री इन्नान मोस्लाह :
श्री हाराधन राय :
श्री मंजय लाल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन उद्योग के विकास के लिए 1,200 करोड़ रुपए का एक पुनरूद्धार पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस समय कितने पटसन एकक बंद पड़े हैं;

(घ) इन मिलों को पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या एन.जे.एम.सी. मिलों के श्रमिकों को वेतन और अन्य सांविधिक देयों का भुगतान समय पर नहीं मिल रहा है; और

(च) यदि हां, तो पुनरूद्धार पैकेज को अंतिम रूप दिए जाने तक इस संबंध में किए जा रहे अंतरिम उपचारात्मक उपाय क्या हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तीन

(घ) पटसन मिलों को दोबारा खोलना राज्य का मामला है जिस पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जाती है। संबंधित राज्य सरकार का श्रम निदेशालय बन्द पड़ी पटसन मिलों को दोबारा खोलने के लिए सामान्यतः विचार-विमर्श करता है।

(ङ) इस समय एन.जे.एम.सी. की मिलों के कामगार समय पर अपनी मौजूदा मजदूरियां/वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंदौर विमानपत्तन का विस्तार

2703. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इंदौर विमानपत्तन का विस्तार कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन्दौर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क और अप्रवासन सुविधाओं की व्यवस्था के साथ आदर्श हवाई अड्डों के रूप में विकसित कर रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी

2704. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या

किन्हीं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में लाभ के पदों पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके भारतीय रिजर्व बैंक से सेवा निवृत्त होने और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में नियुक्त होने के बीच कितना समयान्तर है;

(ग) क्या सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी नियुक्तियों पर कब तक प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके कर्मचारी विनियमों के अनुसार, बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाला कोई भी अधिकारी, अंतिम रूप से बैंक की सेवा छोड़ने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अन्दर, बैंक के पूर्वानुमोदन के सिवाय, कोई भी वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार या शुरू नहीं करेगा। उसने यह भी सूचित किया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, उसने चार अधिकारियों के अनुरोधों पर विचार किया और उन्हें उपर्युक्त विनियमों के अनुसार आवश्यक अनुमति प्रदान की गई।

(ग) और (घ). इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

सोने की मांग

2705. श्री वृषभूषण शरण सिंह :
श्री रामपाल सिंह :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यू.जी.सी.) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1994 के अंत में सोने की मांग में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) क्या उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार सोने की मांग के कारण भारतीय विश्व में सोने के सबसे बड़े खरीददार हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का सोने की इस मांग को कम करने के लिए जो कि देश में धड़ल्ले से चलने वाले कालाबाजार के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है, क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने फरवरी, 1995 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि वर्ष 1994 की अन्तिम तिमाही में भारत में सोने की मांग में वृद्धि हुई है। तथापि, इस कथन की सत्यता की पुष्टि करना संभव नहीं है।

(ख) और (ग). भारतीय जनता द्वारा सोने में निवेश किये जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का नाम सोने के बड़े क्रेताओं में आता है।

(घ) सोने की खपत पर नियंत्रण लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार की प्रवर्तन एजेंसियां सोने में अवैध निवेश का पता लगाने और इसे रोकने के लिए सतर्क हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में तम्बाकू की फसल

2706. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के सिंगल तथा डबल बैरनों के लिए तम्बाकू की कुल कितनी मात्रा आवंटित की गई;

(ख) क्या सरकार को कर्नाटक विशेषकर मैसूर जिले में निर्यात किए जाने वाले अच्छे किस्म के तम्बाकू की खेती किए जा सकने के बारे में जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसानों ने सिंगल तथा डबल बैरनों के लिए 500 किलोग्राम तथा 1000 किलोग्राम अतिरिक्त आवंटन किए जाने की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(च) 1995-96 के दौरान कर्नाटक में विशेषकर मैसूर जिले में तम्बाकू की कितनी खेती किए जाने का अनुमान है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) तम्बाकू बोर्ड ने वर्ष 1995-96 फसल मौसम के लिए सिम्पलैक्स बार्न के लिए 1050 कि.ग्रा. एवं डुप्लेक्स बार्न के लिए 2100 बार्न के लिए प्राधिकृत किया है।

(ख) तथा (ग). जी, हां। ऐसा अनुमान है कि कर्नाटक राज्य 40 मि.कि.ग्रा. बर्जिनिया तम्बाकू उत्पन्न करने की क्षमता रखता है जिसमें मैसूर जिला ही 31 मि.कि.ग्रा. उत्पन्न करने की क्षमता रखता है।

(घ) तथा (ङ). सिम्पलैक्स बार्न के उत्पादन कोटे को 2000 कि.ग्रा. तक बढ़ाने तथा डुप्लेक्स बार्न का 4000 कि.ग्रा. प्रति बार्न तक बढ़ाने के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रति बार्न उत्पादन कोटा बढ़ाने के मामले पर विचार तभी किया जायेगा जब कर्नाटक की फसल की मांग बढ़ेगी।

(च) वर्ष 1995-96 के लिए तम्बाकू बोर्ड ने कर्नाटक राज्य के लिए 25.24 मि.कि.ग्रा. फसल का लक्ष्य रखा है जिसमें से लगभग 17.51 मि.कि.ग्रा. मैसूर जिले में पैदा किया जायेगा।

[हिन्दी]

बिहार में भारतीय पर्यटन विकास निगम के नये उद्यम

2707. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री लाल बाबू राय :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार में अपने नए उद्यमों में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(ख) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने बिहार में स्थित अपने एककों के विकास के लिए कुछ नई परियोजनाओं का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम ने बिहार में कोई नया उद्यम शुरू नहीं किया है।

(ख) और (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने बिहार में अपनी वर्तमान सम्पत्ति (अर्थात होटल बोध गया और होटल पाटलीपुत्र अशोक पटना) के नवीकरण/सुधार पर 63.79 लाख रु. का पूंजीगत व्यय किया है।

बीड़ी कामगारों के लिए अस्पताल

2708. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बीड़ी कामगारों की संख्या कितनी है;

(ख) मध्य प्रदेश में बीड़ी कामगार कल्याण कोष की सहायता से चलाए जा रहे अस्पताल तथा औषधालय कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ये अतिरिक्त सुविधाएं किन-किन स्थानों पर प्रदान की जाएंगी; और

(घ) इन चिकित्सा सुविधाओं से कितने बीड़ी कामगार लाभान्वित होंगे?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) मध्य प्रदेश में लगभग 6.60 लाख बीड़ी कर्मकार हैं।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य में बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत चलाये जा रहे औषधालयों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ). हाल ही में मध्य प्रदेश में खुराई, रोहली (जिला सागर), गोदरवाड़ा (जिला नरसिंहपुर), पाटन (जिला जबलपुर) और दमोह में पांच अतिरिक्त औषधालय स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है जिनसे लगभग 46,000 बीड़ी कर्मकार लाभान्वित होंगे और सागर में एक तीस बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित किया जायेगा जिससे सागार जिले और आस-पास के लगभग चार लाख बीड़ी कर्मकार लाभान्वित होंगे।

विवरण

जबलपुर क्षेत्र
मध्य प्रदेश

1. स्थिर-और सचल-औषधालय, सिहोरा, जिला-जबलपुर
2. स्थिर-और सचल-औषधालय, जबलपुर, जिला-जबलपुर
3. स्थिर-और सचल-औषधालय, गढ़कोटा, जिला-जबलपुर
4. स्थिर-और सचल-औषधालय, देओरी, जिला-सागर
5. स्थिर-और सचल-औषधालय, सागर, जिला-सागर
6. स्थिर-और सचल-औषधालय, दमोह, जिला-दमोह
7. स्थिर-और सचल-औषधालय, हट्टा, जिला-दमोह
8. स्थिर-और सचल-औषधालय, नोहाटां, जिला-दमोह
9. स्थिर-और सचल-औषधालय, ग्वालियर, जिला-ग्वालियर
10. स्थिर-और सचल-औषधालय, बेगमगंज, जिला-रायसेन
11. स्थिर-और सचल-औषधालय, भोपाल, जिला-भोपाल
12. स्थिर-और सचल-औषधालय, सांवर, जिला-खड़गोन
13. स्थिर-और सचल-औषधालय, रीवा, जिला-रीवा
14. स्थिर-और सचल-औषधालय, धमतरी, जिला-रायपुर
15. स्थिर-और सचल-औषधालय, राजनन्द गांव, जिला-राजनन्द गांव
16. स्थिर-और सचल-औषधालय, झाड़ौसा, जिला-रतलाम
17. स्थिर औषधालय, सतना, जिला-सतना
18. स्थिर औषधालय, इन्दौर, जिला-इन्दौर
19. स्थिर औषधालय, कतंगी, जिला-जबलपुर
20. स्थिर औषधालय, बरसियोमी, जिला-बालाघाट
21. स्थिर औषधालय, गुना, जिला-गुना
22. स्थिर औषधालय, बुरहानपुर, जिला-खंडवा

ऊनी कालीन बुनाई केन्द्र

2709. श्री छीतूभाई गामीत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, ऊनी कालीन बुनाई केन्द्र स्थापित करने तथा अन्य उद्देश्यों के लिए गुजरात खेत विकास परिषद, अहमदाबाद को कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या हस्तशिल्प विकास आयुक्त को उपर्युक्त धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार किया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) गुजरात खेत विकास परिषद, अहमदाबाद को केवल ऊनी कालीन बुनाई केन्द्रों की स्थापना के लिए राशि प्रदान की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

1991-92 1992-93	10.37 लाख रु.
1993-94	शून्य

(ख) तथा (ग). जी, हां। श्री अमर सिंह चौधरी, भूतपर्व मुख्य मंत्री, गुजरात से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी विधिवत जांच की गई। परिषद द्वारा राशि के किसी प्रकार के दुरूपयोग की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमानों का आयात

2710. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी विमान कंपनियों के संचालकों द्वारा विमानों का आयात करने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में निजी विमान कम्पनियों तथा इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में वृद्धि करने की अनुमति देने का है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). भारत में अन्तर्देशीय हवाई परिवहन उद्योग की सुरक्षा तथा सुव्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं के विस्तृत मूल्यांकन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर विमानों के आयात की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

(ग) 01.3.94 को जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, अनुसूचित अंतर्देशीय प्रचालकों को ट्रंक/शाखा मार्गों पर लगाई गई क्षमता की कम से कम 10 प्रतिशत क्षमता उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, अण्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में मार्गों पर लगानी होती है। इस प्रकार लगाई गई क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत इस क्षेत्र विशेष के अंदर ही होना चाहिए।

[हिन्दी]

गुजरात में तम्बाकू नीलामी केन्द्र की स्थापना

2711. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के तम्बाकू उत्पादकों से गुजरात में तम्बाकू नीलामी केन्द्र की स्थापना करने और उन्हें लाभकारी मूल्य प्रदान कराने के लिए कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). तम्बाकू बोर्ड को गुजरात राज्य में तम्बाकू नीलामी केन्द्र स्थापित करने के संबंध में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। तम्बाकू बोर्ड पंजीकृत उपजकर्त्ताओं द्वारा उत्पादित वर्जीनिया तम्बाकू की नीलामी के लिए नीलामी मंच स्थापित करता है। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा केवल वर्जीनिया तम्बाकू के उपजकर्त्ताओं का पंजीकरण किया जाता है। अतः प्राप्त प्रतिवेदनों को स्वीकार नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

पर्यटन सलाहकार समिति

2712. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पर्यटन उद्योग का विकास करने के लिए पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया है; और

(ख) इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद से सऊदी अरब का विमान सम्पर्क

2713. **श्री अरविंद त्रिवेदी** :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री संदीपन भगवान थोरात :
श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हज तीर्थयात्रियों के लिए अहमदाबाद से सऊदी अरब तक सीधी उड़ान सेवा आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). हज 1995 के दौरान, प्रचालनात्मक तंगी के कारण, अहमदाबाद से सीधी उड़ानें शुरू नहीं की जा रही हैं। इस अवस्था में इन उड़ानों को प्रचालित करने की समय-सीमा बताना भी संभव नहीं है।

रुग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाना

2714. श्री सूरज मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए गठित औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सरकार का पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या रुग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों को लागू नहीं किया जा रहा है और अभी तक एक भी उद्योग को इसकी सिफारिशों के आधार पर दंडित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को पर्याप्त सहायता प्रदान करती है।

(ख) और (ग). औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा मंजूर पुनरुज्जीवन योजनाएं सभी संबंधितों पर बाध्यकारी है और कार्यान्वयन न किए जाने पर रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 33 में निहित दंडात्मक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि संभावित रूप से अर्थक्षम रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के पुनरुज्जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हुआ है, उसने उक्त प्रावधान का उपयोग किया है।

[हिन्दी]

पान के पत्तों का निर्यात

2715. डा. रामकृष्ण बुसमरिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पान के पत्तों का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ख) सरकार ने पान के पत्तों का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान निर्यात किए गए पान के पत्तों की देशवार कुल मात्रा तथा मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) यद्यपि पान के पत्ते के निर्यात को बढ़ाने हेतु कोई निश्चित उपाय नहीं किए गए हैं, किन्तु कृषि क्षेत्र के लिए घोषित प्रोत्साहनों और एक्जिम नीति, 1992-97 में किए गए परिवर्तनों के फलस्वरूप शर्तों पर आसानी से ऋण की उपलब्धता आदि से पान के पत्तों के निर्यात में वृद्धि होगी।

विवरण

वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान निर्यात किए गए पान के पत्तों के देशवार कुल मात्रा तथा मूल्य

मात्रा : कि.ग्रा. में
मूल्य (रु. में)

देश का नाम	1991-92		1992-93		1993-94	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
बहरीन आई एस	18	165	–	–	15	450
कनाडा	9178	511170	19453	563992	22583	578261
केनारी आई एस	15020	568941	–	–	–	–
डेनमार्क	–	–	–	–	77	2190
जिबूटी	28	2730	180	1812	–	–
मिस्र एआरपी	–	–	–	–	600	13800
फ्रांस	879	20394	1942	19467	1437	14701
जर्मनी एफआरईपी	1147	70725	2975	60804	4863	106820

1	2	3	4	5	6	7
आइवरी कोस्ट	–	–	–		1200	21603
इटली	–	–	5375	454289	–	–
जापान	–	–	–	–	124	2910
केन्या	11891	688300	10218	803055	13614	766278
कोरिया आरपी	–	–	–	–	200	15949
कुवैत	–	–	–	–	20	280
ओमान	1800	24167	–	–	–	–
पाकिस्तान	846938	13941035	1510780	24101182	2059163	32928712
पुर्तगाल	84	3321	398	11120	1330	55880
सऊदी अरब	4666	106062	300	2600	24270	814224
श्रीलंका	887	15228	30000	1962164	38787	2545832
स्वीडन	12	969	–	–	60	600
स्विट्जरलैंड	326	21536	2102	31078	1776	25623
सिंगापुर	–	–	12	400	–	–
स्पेन	–	–	70	772	–	–
तंजानिया आरईपी	–	–	–	–	828	32794
टॉगा	–	–	–	–	113	3750
संयुक्त अरब अमीरात	105261	3675931	2140	104772	9922	163946
यू.के.	49795	1354692	46314	1472655	91125	1942255
यू.एस.ए.	2992	47100	625	6929	–	–
यमन आर.ई.पी.	30	1040	–	–	3643	105765

[अनुवाद]

संस्थानों और समितियों को सहायता अनुदान

2716. श्री राधनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कतिपय संस्थाओं, निगमों और समितियों को सहायता अनुदान प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गये ऐसे सहायता-अनुदानों का ब्यौरा क्या है और ये किस प्रयोजनार्थ दिए गए थे;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र है जिससे सहायता अनुदान लेखाओं को विनियमित किया जाता है अथवा लेखा परीक्षा की जाती है ताकि इन अनुदानों के दुरूपयोग को रोका जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सहायता अनुदान राशि के दुरूपयोग को रोकने हेतु कोई विशेष कदम उठाने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं/सोसाइटियों को सहायता अनुदान सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 148 से 151 के अनुसार विनियमित होता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आर्थिक रूप से व्यवहार्य ऋण वसूली प्रणाली

2717. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक रूप से व्यावहारिक ऋण वसूली प्रणाली तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और विभिन्न प्रकार के ऋण हेतु वर्तमान ऋण वसूली प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हुए समझौते ज्ञापन की बाध्यताओं/प्रतिबद्धताओं में से एक बाध्यता/प्रतिबद्धता महाप्रबंधक के चार्ज में प्रधान कार्यालय में एक वसूली कक्ष की स्थापना करने से संबंधित थी ताकि संबंधित बैंकों द्वारा अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली पर निगरानी रखी जा सके। अधिकांश बैंकों ने तदनुसार प्रधान कार्यालय में वसूली कक्षों की स्थापना की है। राष्ट्रीयकृत बैंक इस बात पर सहमत हैं कि शाखावार वसूली लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मासिक आधार पर वसूली कार्य निष्पादन की समीक्षा करेंगे और निदेशक मंडल इसकी तिमाही आधार पर समीक्षा करेंगे। अनुपयोज्य आस्तियों की कमी पर भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में भी टिप्पणी की जाती है और उस पर निगरानी रखी जाती है। निरीक्षण रिपोर्टों के निष्कर्षों पर भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च प्रबंधन के साथ बैंकों के अध्यक्षों की चर्चा के समय भी बेहतर वसूली कार्य निष्पादन की जरूरत पर बल दिया जाता है।

सामान्यतया जब वसूली के सभी अवसर समाप्त हो जाते हैं तो बैंक वसूली के लिए मुकदमा दायर करते हैं। ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करने से बैंकों के वसूली कार्यनिष्पादन में सुधार होने की आशा की जाती है।

[अनुवाद]

मुद्रण एवं प्रकाशन मीडिया कामगार

2718. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिकी प्रिंटिंग मीडिया के आ जाने से देश में परम्परागत मुद्रण और प्रकाशन कार्य बड़े पैमाने पर बन्द होता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का परम्परागत मुद्रण और प्रकाशन मीडिया में कार्यरत कामगारों को जीवन यापन के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). इलैक्ट्रोनिक मुद्रण मीडिया के आ जाने के फलस्वरूप परम्परागत मुद्रण और प्रकाशन कार्य के बंद होने संबंधी आंकड़े अलग से संकलित नहीं किये जाते हैं। सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण से प्रभावित कर्मकारों के प्रशिक्षण, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिए योजनाओं को समर्थन दिया है और परम्परागत मुद्रण तथा प्रकाशन मीडिया में लगे कर्मकार इन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

तिरूअनंतपुरम हवाई अड्डे पर उड़ान पट्टी का विस्तार

2719. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तिरूअनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की उड़ान पट्टी का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1994-95 के दौरान तिरूअनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर धावनपथ को 350 मीटर बढ़ाने की योजना है। 1994-95 के दौरान, प्राधिकरण ने त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के विस्तार और विकासात्मक कार्यों पर 7.36 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है।

गुजरात में उद्योगों के लिए कर में छूट

2720. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार से आयकर अधिनियम, 1961 के 80-आई.ए. के अन्तर्गत औद्योगिक एककों को कर में छूट देने हेतु किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए जिले के स्थान पर तालुक/ब्लाक को इकाई मानने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). अनेक राज्यों में तालुका स्तर पर विभिन्न आर्थिक और अवसंरचनात्मक इंडीकेटरों पर तुलनीय और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इससे राष्ट्रीय समान मानदण्डों पर तालुकाओं की पहचान करना वास्तव में असंभव हो जाता है।

अट्टापडी के पारिस्थितिकी-विकास का वित्त पोषण

2721. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के पलक्कड जिले में अट्टापडी बंजर भूमि के समेकित एवं स्थायी पारिस्थितिकी-विकास के वित्त पोषण के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) परियोजना को कब तक शुरू किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि केरल के पलक्कड जिले में अट्टापडी बंजर भूमि के समेकित एवं स्थायी आर्थिक विकास के लिए 127 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली परियोजना की जापान सरकर की विदेशी आर्थिक सहकारी निधि द्वारा समीक्षा की जा रही है। इस योजना को 1995-96 से 1999-2000 के दौरान कार्यान्वित किया जाना है।

तमिलनाडु को रुई की आपूर्ति

2722. श्री ई. अहमद :
श्री पी. कुमारासामी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सूती धागे के दामों में भारी वृद्धि के कारण हथकरघा क्षेत्र कठिन संकट के दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संघ सरकार ने राज्य में हथकरघा क्षेत्र को राजसहायता प्राप्त रुई की आपूर्ति और प्रति किलोग्राम सहायता राशि बढ़ाने का भी आश्वासन दिया है जैसाकि दिनांक 21 जनवरी, 1995 के "इकोनोमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त प्रस्ताव कब तक लागू कर दिये जायेंगे?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ). कपास के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण सूती धागे के मूल्यों में हुई वृद्धि से हथकरघा क्षेत्र में हुई कठिनाई केवल तमिलनाडु राज्य तक ही सीमित नहीं है। सूती हैंक यार्न के मूल्यों में दिसम्बर, 1993 से अप्रैल, 1994 के दौरान वृद्धि हुई। सूती हैंक यार्न के मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुए भारत सरकार ने अप्रैल, 1994 के दौरान 5 माह की अवधि के लिए 20 मिलियन किलो, 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी देने की हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना घोषित की। सूती हैंक यार्न के मूल्यों में जून, 94 के बाद गिरावट का रुख रहा और अक्तूबर, 94 तक इसके मूल्य स्थिर रहे। यह योजना बाद में 31.3.95 तक बढ़ा दी गई। तथापि कपास के मूल्यों में और वृद्धि होने के कारण नवम्बर, 94 से सूती हैंक यार्न के मूल्यों में पुनः वृद्धि होनी आरंभ हुई। नवम्बर 1993 और फरवरी, 1995 के दौरान सूती हैंक यार्न के मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

2. चूंकि कपास के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण नवम्बर, 1994 से सूती हैंक यार्न के मूल्यों में वृद्धि का रुख रहा इसलिए भारत सरकार हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना को वर्ष 1995-96 के लिए भी लागू करने का विचार कर रही है।

3. इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार को 35 लाख किलोग्राम का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन राज्य सरकार की योजना को देखते हुए इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य को पुनः बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम कर दिया गया है।

विवरण

कोइम्बतूर बाजार में माह के अंत में ईंक यार्न के मूल्य

काउंट	नव. '93	दिस. '93	जन. '94	फर. '94	मार्च '94	अप्रैल '94	मई '94	जून '94	जुलाई '94	अगस्त '94	सित. '94	अक्तू. '94	नव. '94	दिस. '94	जन. '94	फर. '94	जन 93/ फर. 95 के बीच प्रतिशत अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10 एस	38.51	42.66	45.53	48.79	60.43	55.55	54.52	54.65	58.66	57.93	58.13	58.78	66.33	67.07	74.28	72.44	88.1
20 एस	54.07	57.44	63.88	67.76	91.41	89.94	85.49	74.59	75.77	77.53	76.45	78.32	81.36	88.29	97.74	97.47	80.3
30 एस	61.38	62.78	66.08	71.26	94.16	99.12	91.85	85.90	84.80	85.90	84.58	86.23	87.56	93.06	99.39	100.50	63.7
40 एस	68.41	70.80	74.34	79.87	91.53	100.17	98.94	91.11	94.24	96.13	96.24	95.94	97.34	103.88	111.19	110.04	60.9
50 एस कार्डेड	87.99	87.65	96.05	98.78	108.13	111.72	121.88	112.95	112.93	112.81	112.22	113.18	114.44	119.14	125.00	133.63	51.9
60 एस कम्बड	117.05	120.20	123.68	126.46	131.37	136.47	136.63	129.77	132.16	133.04	133.81	135.02	137.89	140.89	148.95	157.32	34.4
80 एस कामब्ड	145.24	148.54	154.87	154.50	163.00	172.38	167.57	161.48	161.53	163.18	162.87	162.87	166.86	172.91	183.65	191.06	31.5
औसत प्यार*	63.90	66.87	71.91	72.73	88.26	90.02	87.60	80.99	82.97	84.01	83.57	84.31	87.40	92.65	99.83	100.45	57.2

टिप्पणी 1. मूल्य में उत्पाद शुल्क शामिल नहीं है।

2. स्रोतः वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुम्बई

सिण्डीकेट बैंक के कर्मचारी संघों को वेतन से चन्दा काट लिए जाने की सुविधा प्रदान करना

2723. श्री राम विलास पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिण्डीकेट बैंक ने बैंकों में चल रहे सभी कर्मचारी संघों को, चाहे वे मान्यता प्राप्त हों अथवा न हों, उनका चन्दा कर्मचारियों के वेतन से काट लिए जाने की सुविधा प्रदान कर दी है;

(ख) क्या वेतन से चन्दा काट लिए जाने की सुविधा केवल एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठन को ही दी गई है, जबकि सिण्डीकेट बैंक में दो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दो संगठन चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या कारण हैं;

(घ) क्या सिण्डीकेट बैंक का वेतन से चन्दा काट लिए जाने की सुविधा को अखिल भारतीय सिण्डीकेट बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ (पंजीकृत) को भी प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). सिंडिकेट बैंक ने सूचित किया है कि बैंक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के अधिसंख्य समर्थकों का दावा करने वाले सिंडिकेट बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के विशिष्ट अनुरोध पर, इस संघ को 1.4.95 से चेक आफ सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार की चैक आफ सुविधा प्रदान करने के लिये आल इंडिया सिंडिकेट बैंक एस सी/एसटी एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन" नामक दूसरे संघ के अनुरोध को बैंक ने फिलहाल स्वीकार नहीं किया है। बैंक चैक आफ सुविधा प्रदान करने के दूसरे संघ के दावे पर तभी विचार करेगा, जब अधिसंख्य समर्थकों वाले पहले संघ का दावा प्रतिकूल साबित हो जाता है।

खाड़ी देशों को हवाई उड़ानें

2724. श्री रमेश चेन्निथला : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम से खाड़ी देशों के लिये संचालित की जाने वाली हवाई उड़ानों की संख्या कितनी है;

(ख) वहां से अन्य देशों के लिये संचालित की जाने वाली हवाई-उड़ानों की संख्या क्या है;

(ग) क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से और अधिक हवाई-उड़ानें आरंभ करने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). इस समय त्रिवेन्द्रम से गल्फ देशों के लिए प्रति सप्ताह 25 उड़ानों और अन्य देशों को प्रति सप्ताह 22 उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) सीमित आधारभूत सुविधाओं और हमारी राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के लिए अपर्याप्त पारस्परिक अधिकारों के अभाव के कारण अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति के लिए नीति

2725. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति हेतु वर्तमान नीति और मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उपरोक्त नीति की समीक्षा के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

(ख) और (ग). दिसम्बर 1992 में अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में सुविख्यात अर्थशास्त्री, बैंकिंग विशेषज्ञ और सत्यनिष्ठा तथा बेदाग रिकार्ड वाले व्यावसायिक शामिल होने चाहिए। सभी संम्बद्ध पहलुओं पर विचार करने के बाद दिनांक 28 मार्च, 1994 से भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड का गठन किया गया है।

गैट समझौते का भारतीय श्रमिकों पर प्रभाव

2726. श्री सुधीर सावन्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैट समझौते का भारतीय श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विकसित देशों में रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे भारतीय तकनीशियनों और अन्य अर्हताप्राप्त लोगों की संख्या क्या है;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैट समझौते के तहत बढ़े हुए रोजगार के अवसरों का लाभ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो, किसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाये जाने की आवश्यकता है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च). डब्ल्यू टी ओ करार प्रत्यक्षतः किसी श्रमिक मुद्दों से संबंधित नहीं है। तथापि, भारतीय सामान एवं सेवाओं के लिए अधिक पहुंच, विश्व व्यापार एवं आर्थिक क्रियाकलाप में वृद्धि होने के अनुमान से भारत में खासकर प्रतिष्ठित क्षेत्रों में और प्रतिस्पर्धा की संभावना वाले क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की संभावना है।

विदेशों में अलग-अलग रोजगार क्षेत्रों के आंकड़े आम सरकारी कार्य के दौरान संकलित नहीं किए जाते हैं।

डब्ल्यू टी ओ करार एवं इससे संबद्ध अनुसूचियां विश्लेषण करने के लिए शीर्षस्थ उद्योग संगठनों को परिचालित की जा चुकी हैं और सरकार ने हमारे संभाव्य उत्पादों एवं बाजारों को अभिज्ञात करने के लिए अनुसंधान करना भी शुरू कर दिया है। सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं ने उरुग्वे दौर के परिणामों का प्रचार-प्रसार करने के लिए कई कार्यशालाएं, सेमीनार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि वे अपनी व्यापार क्षमता को अनुभव कर सकें।

गुजरात में मुक्त व्यापार क्षेत्र

2727. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात स्थित मुक्त व्यापार क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार गुजरात से बढ़ते हुए निर्यात को देखते हुए नए मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये क्षेत्र कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). गुजरात राज्य में कॉण्डला में एक मुक्त व्यापार जोन कार्यरत है। मौजूदा निर्यात संसाधन क्षेत्रों में इष्टतम बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों तथा धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार के पास फिलहाल देश में कोई नया निर्यात संसाधन क्षेत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, निर्यात संसाधन क्षेत्र अब राज्य सरकारों द्वारा अथवा संयुक्त/निजी क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

बोधगया के साथ हवाई सम्पर्क

2728. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार सरकार से बोधगया स्थित बौद्ध सर्किट को जोड़ने तथा इसे हवाई मानचित्र पर लाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने वहां पर विदेशी पर्यटकों के आने की अत्यधिक संभावनाओं को देखते हुए कोई सर्वेक्षण करवाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). गया को विमान मार्ग से जोड़ने के संबंध में बिहार सरकार से 1993 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। गया में उपलब्ध धावनपथ इंडियन एयरलाइंस के किसी भी विमान के प्रचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। आर्थिक और प्रचालनात्मक कारणों से वायुदूत गया से/को प्रचालन करने की स्थिति में नहीं है।

(घ) और (ङ). हवाई अड्डे के विकास के लिए राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने एक व्यवहार्यता अध्ययन किया। संसाधनों की कमी के कारण परियोजना शुरू नहीं की जा सकी।

[अनुवाद]

एयरपोर्ट स्लॉट

2729. डा. मुमताज अंसारी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर देर रात की उड़ानों की संख्या अधिक होने के कारण होने वाली समस्या को हल करने के लिए परिवर्तनीय दरों पर एयरपोर्ट स्लॉटों का विपणन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु क्या मानदंड अपनाए जाएंगे?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात के बैंकों में अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा धनराशि

2730. श्री दिलीप भाई संघाणी :
डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1994-95 के दौरान अब तक गुजरात के सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में अनिवासी भारतीयों द्वारा बैंक-वार कितनी धनराशि जमा की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तंबाकू की खेती करने वाले कृषक

2731. डा. आर. मल्लू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड तम्बाकू की खेती करने वाले कृषकों को अन्य फसल उगने के लिए कोई वित्तीय सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादकों के लाभ बढ़ाने के लिए तम्बाकू-बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तंबाकू बोर्ड द्वारा तंबाकू-कृषकों की आय बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) मांग और पूर्ति का सन्तुलन बनाए रखने के लिए तंबाकू उत्पादन की योजना तथा विनियमन;

(2) तंबाकू की क्वालिटी तथा पैदावार में सुधार करने के लिए विभिन्न विकास एवं विस्तार योजनाओं का क्रियान्वयन;

(3) सही तुलाई, वर्गीकरण तथा प्रतियोगी कीमतें सुनिश्चित करने के लिए नीलामियों का आयोजन;

(4) फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू की न्यूनतम गारन्टी कीमत के निर्धारण के लिए तंबाकू व्यापारियों से बातचीत; और

(5) प्रशिक्षण कार्यक्रमों/बैठकों/प्रचार के जरिए कृषकों को केन्द्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान द्वारा सुझाई गयी उन्नत किस्मों तथा पद्धति पैकेज की सलाह देना।

[हिन्दी]

प्याज का निर्यात

2732. श्री राम सिंह कस्वां : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान आज की तारीख तक प्याज की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) प्याज का निर्यात बढ़ाए जाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1994 और 1995 (जनवरी से 15 मार्च, 1995 तक) के दौरान निर्यातित प्याज की कुल मात्रा तथा मूल्य इस प्रकार हैं :—

मात्रा : मी. टन में
मूल्य : लाख रु. में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1994 (जनवरी-दिसम्बर)	420150	23575.77
1995 (जनवरी-15 मार्च)	156146.94	7550.98

(स्रोत : नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया लि.)

(ख) प्याज का निर्यात बढ़ाने हेतु किए गए उपायों में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) प्याज उपजकर्ताओं को क्वालिटी/प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना;

(2) बुनियादी ढांचे/फसल-पश्चात् सुविधाओं और निर्यात संवर्धन एवं बाजार विकास के लिए वित्तीय सहायता देना; और

(3) क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता।

[अनुवाद]

रूस के साथ व्यापार

2733. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत और रूस के बीच कोई समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत वर्ष 1995 में रूस भारत से 700 करोड़ रुपये की वस्तुएं खरीदेगा;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के अंतर्गत रूस को कौन-कौन सी जिंसों का निर्यात किया जाएगा;

(ग) क्या इस 700 करोड़ रुपये के निर्यात में तम्बाकू की खरीद के लिये कोई राशि नियत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). रूसी प्रधान मंत्री श्री चेर्नोमीर्दिन की दिसम्बर, 1994 में भारत यात्रा के दौरान भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच दिनांक 23 दिसम्बर, 1994 को एक करार पर हस्ताक्षर

किए गए जो रूस द्वारा भारत से 1995-97 की अवधि के दौरान निम्नलिखित लगभग मात्रा/मूल्य की वस्तुओं की खरीद के बारे में था :—

(1) तंबाकू-20,000 मी. टन

(2) चाय-30,000 मी. टन

(3) सोयावीन खाद्य-100,000 मी. टन

(4) भेषज-मूल्य : 100 मिलियन अमरीकी डालर

किन्तु, इन मदों की निश्चित मात्रा अथवा मूल्य रूसी पक्ष द्वारा भारतीय पक्ष को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की प्रथम तिमाही में सूचित किया जाएगा। रूस द्वारा ये खरीदारियां भारत को पूर्ववर्ती सोवियत संघ द्वारा दिए गए सरकारी ऋण के भुगतान के रूप में रूसी पक्ष को मिलने वाली निधियों में से की जाएंगी।

रूसी पक्ष इस समझौते के अनुसार खरीद को कार्यरूप देने के लिए इस समय एक उपयुक्त तंत्र पर कार्य कर रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तीर्थस्थलों को वायु-मार्ग से जोड़ने हेतु छोटे विमान

2734. श्री एन. डेनिस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइंस और अन्य निजी कम्पनियों को तीर्थस्थलों के बीच छोटे विमान चलाने हेतु निर्देश देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विमानों की यात्री वहन क्षमता कितनी होगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) सन्धि

2735. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) की स्थापना के बाद एक ओर भारत और दूसरी ओर विकासशील देशों और अमेरिका के बीच किन-किन क्षेत्रों में मतभेद है; और

(ख) मतभेदों को दूर करने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) की स्थापना के जिस मुख्य मुद्दे पर भारत व अन्य विकासशील देश तथा दूसरी ओर यू एस ए व कुछ विकसित देशों के बीच मतभेद हैं वह मुद्दा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और श्रम मानदंडों को जोड़ने का प्रयास है।

(ख) इस समय इस मामले पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में विचार विमर्श हो रहा है और अब तक के वाद-विवाद से यह स्पष्ट हुआ है कि इस विषय पर व्यापक मतभेद हैं। इस मामले पर विश्व व्यापार संगठन में विचार नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

निर्यातकों द्वारा लाइसेंस वापस करना

2736. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निर्यातकों ने 137 लाइसेंस वापस किए हैं जिनमें निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के अंतर्गत निर्यात देनदारियां भी शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे निर्यात पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) टैरिफ में कटौती, बैंक गारन्टी मिलने में कठिनाइयां, विदेशी मुद्रा ऋण की अनुपलब्धता और निर्यात दायित्व निभाने में आत्मविश्वास की कमी जैसे अनेक कारणों से लाइसेंस लौटाए गए थे।

(ग) तथा (घ). निर्यात पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि लौटाए गए लाइसेंसों की संख्या इस तरह के जारी कुल लाइसेंसों की संख्या के 5 प्रतिशत से भी कम है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों और किसानों को ऋण

2737. श्री नवल किशोर राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने लघु उद्योगों और कृषि क्षेत्र को ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु देश में अपनी नई शाखाएं खोली हैं;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 और 1994-95 के दौरान कुल कितनी नई शाखाएं खोली जायेंगी और क्या इनसे लघु उद्योगों और किसानों की वित्तीय समस्यायें सुलझेंगी;

(ग) उपरोक्त क्षेत्रों को 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान दिए गए कुल ऋण में से दिए गये ऋण का अनुपात कितना है; और

(घ) इस संबंध में 1995-96 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान स्थापित किये गये विशेषज्ञ लघु उद्योग और विशेषज्ञ कृषि वित्त शाखाओं के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	विशेषज्ञ कृषि वित्त शाखा	विशेषज्ञ लघु उद्योग
1993-94 (अप्रैल-मार्च)	—	9
1994-95 (अप्रैल-दिसम्बर)	13	30

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान निवल बैंक ऋण की तुलना में लघु उद्योग और कृषि को दिये गये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋण का प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

की स्थिति के अनुसार बकाया	लघु उद्योग	कृषि
मार्च, 20, 1992	15.5	15.5
मार्च, 19, 1993	14.1	14.1
मार्च, 18, 1994	14.8	13.9

(घ) प्राथमिकता क्षेत्र का समग्र निर्धारण निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत है और कृषि के लिये उपलक्ष्य निवल बैंक ऋण के 18 प्रतिशत है। लघु उद्योग के लिये ऋण को निवल बैंक ऋण के 40 प्रतिशत के समग्र निर्धारण में शामिल किया गया है और लघु उद्योग के लिये कोई उपलक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

प्रवासी श्रमिक

2738. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम कानूनों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा प्रवासी श्रमिकों को मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में एक व्यापक कानून बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) तथा (ख). अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अनुसार, ठेकेदार प्रत्येक अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं कर सकता है; साथ ही उसको भुगतान की जाने वाली मासिक मजदूरी के 50 प्रतिशत के बराबर विस्थापना भत्ता अथवा पचहत्तर रुपये जो भी अधिक हो; आवास स्थान से कार्य स्थान तक आने-जाने के किराये के बराबर यात्रा-भत्ता तथा यात्रा अवधि की मजदूरी का भुगतान करना होता है। उसे मजदूरी के नियमित भुगतान समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्य की उपयुक्त दशायें, तथा उचित आवासीय सुविधा मुहैय्या कराने एवं उसका रख-रखाव करने; निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं तथा सुरक्षात्मक वस्त्र प्रदान करना सुनिश्चित करना भी आवश्यक होता है। कर्मकार की सांघातिक दुर्घटना अथवा शारीरिक गम्भीर चोट के मामले में, उसे दोनों राज्यों के विशिष्ट प्राधिकारियों और कर्मकार के नजदीकी संबंधी को सूचित करना भी आवश्यक होता है।

(ग) अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 पहले ही नियम पुस्तक में शामिल है।

विदेशी पर्यटकों हेतु किराये में संशोधन

2739. कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री गुरुदास कामत :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी यात्रियों के संबंध में किराया ढांचे में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स का प्रत्येक सैक्टर के लिए अपने डॉलर किराए को रुपये किराये से 15 प्रतिशत अधिक पर (यात्री सेवा शुल्क और अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर सहित) पुनर्निर्धारित करने का प्रस्ताव है। डॉलर किराए में औसतन लगभग 6 प्रतिशत वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में पर्यटन स्थल

2740. श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय सहायता से कितने नये पर्यटन स्थल विकसित किए गए, उनके नाम क्या हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली में पर्यटन के विकास के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में नए पर्यटक स्थलों का विकास करने के लिए भलस्वालेक पर दो पर्यटक-परिसर और नई

दिल्ली में आई एन ए मार्केट, के सामने एक (दिल्ली-हाट) फूड क्राफ्ट बाजार का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई थी।

(ख) दिल्ली में पर्यटन के विकास के लिए 1991-92 में 18.94 लाख रु., 1992-93 में 57.28 लाख रु. तथा 1993-94 में 119.23 लाख रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की गई है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानें

2741. प्रो. के.वी. थामस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानपत्तनों पर संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत शुल्क मुक्त दुकान खोले जाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान शुल्क मुक्त दुकानों से कितना लाभ अर्जित हुआ;

(घ) भारतीय विमानपत्तनों पर कितनी शुल्क मुक्त दुकानें चल रही है;

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्तमान विमानपत्तनों तथा नए विमानपत्तनों पर नई शुल्क मुक्त दुकान खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1993-94 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम की शुल्क मुक्त दुकानों ने 15.48 करोड़ रु. का लाभ (कर से पहले) अर्जित किया।

(घ) वर्तमान में भारत पर्यटन विकास निगम, छः अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर 29 शुल्क मुक्त दुकानों का प्रचालन कर रहा है।

(ङ) और (च). जी, हां। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का, मौजूदा टर्मिनलों में अतिरिक्त शुल्क मुक्त दुकानें तथा अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल बम्बई, जो कि निर्माणाधीन है, के फेज-3 में अनन्य शुल्क मुक्त दुकानें चलाने का विचार है।

असंगठित श्रमिक

2742. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार इस संबंध में क्या कदम उठाए गए?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). ग्रामीण क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई कुछ प्रमुख योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(एक) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)

इस योजना के अंतर्गत, आय बढ़ाने वाली परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान सहित छोटे कृषकों, सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण दस्तकारों के लिए विविध प्रकार की मिश्रित आर्थिक सहायता और भिन्न-भिन्न दरों पर आवधिक ऋण शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	सहायता प्राप्त परिवार
1991-92	25,36,566
1992-93	20,68,773
1993-94	25,34,925

वर्ष 1994-95 के लिए इस योजना के अंतर्गत निधियों का आवंटन 1098.22 करोड़ रु. है। उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य-वार वित्तीय प्रगति विवरण-I में संलग्न है।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर एल ई जी पी) और जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई)

इस योजना का उद्देश्य अतिरिक्त लाभदायक रोजगार का सृजन करना और उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन करना है। इन दोनों योजनाओं (अर्थात एन आर ई पी और आर एल ई जी पी) को आमेलित कर दिया गया था तथा परिव्यय में काफी बढ़ोत्तरी करके 1989 में इसे जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) का नाम दे दिया गया। इस योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिवसों में)
1991-92	8092
1992-93	7821
1993-94	9523

इस योजना को देश के उन 120 पिछड़े जिलों में तेज किया गया है जिनमें बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की अधिकता है। इस योजना के अंतर्गत 1994-95 के लिए 2800 करोड़ रुपये की निधियां आवंटित

की गयी हैं। पिछले तीन वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत उपयोग में लायी गयी राज्य-वार निधियां दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

(तीन) रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.)

2 अक्तूबर, 1993 को, 1752 पहचान किये गये पिछड़े ब्लाकों में "रोजगार आश्वासन योजना" नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य अपर्याप्त कृषि सीजन में अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार संबंधी शारीरिक कार्य मुहैय्या करवाना है। इस योजना से मुख्य रूप से कृषि श्रमिक लाभान्वित होंगे। इस योजना के अंतर्गत 1994-95 के लिए 1200 करोड़ रुपये की निधियां आवंटित की गयी हैं। 1993-94 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा विवरण-III में संलग्न है।

(चार) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी डब्ल्यू सी आर ए)

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास नामक योजना भी है जिसे सामूहिक पहुंच का प्रयोग करके गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों से संबंधित ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु उनके कौशलों और अभिरूचि के अनुरूप आय बढ़ाने वाले कार्यकलाप शुरू करने के लिए 1982-83 में संचालित किया गया था। इस योजना को ट्राइसेम और आई आर डी पी के सहयोग से संचालित किया जाता है।

(पांच) स्वतः रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम)

इस योजना का उद्देश्य स्वतः रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का कौशल उन्नयन करना है।

(छः) कल्याण निधियां

श्रम मंत्रालय, बीड़ी कर्मकारों, सिने कर्मकारों और चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह, मैंगनीज, क्रोम और अभ्रक खानों में कार्यरत कर्मकारों के लिए आवास, शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए पांच कल्याण निधियां संचालित कर रहा है।

(सात) समूह बीमा योजना और वृद्धावस्था पेंशन

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बीमा सीमा के अंतर्गत लाने के लिए जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत 1987 में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभानुभोगियों के लिए 1988 में बीमा योजना जैसी विभिन्न बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई हैं। श्रम मंत्रालय ने 1992-93 से बीड़ी कर्मकारों के लिए एक समूह बीमा योजना शुरू की है। विभिन्न राज्य सरकारें भिन्न-भिन्न अर्हकारी मानदण्डों और पेंशन दरों के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं चला रही हैं। केरल की राज्य सरकार ने विभिन्न व्यवसायों के लिए बहुत सी कल्याण निधियां स्थापित की हैं जिनके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बहुत से असंगठित कर्मकारों के लिए बहुत सी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। गुजरात की राज्य सरकार भी ग्रामीण कर्मकारों के लिए एक समूह बीमा योजना कार्यान्वित कर रही है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक सामाजिक सहायता पैकेज की घोषणा की है जिसमें 75/-रु. प्रति माह की एक राष्ट्रीय न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन और मूल उपजीवी की मृत्यु पर एक ग्रामीण परिवार को 5000/- रु. का एक मुश्त राशि उत्तरजीवी लाभ और पहले दो बच्चों के जन्म पर गरीब परिवार की महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले और उसके बाद की देखरेख के लिए पोषणाहार की व्यवस्था शामिल है। इसे एक नई समूह बीमा योजना के नाम से जाना जाएगा और इसे ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और इसके अंतर्गत 5000/- रु. के जीवन कवर की व्यवस्था की जाएगी तथा इसके प्रीमियम को केन्द्रीय सरकार, सम्बन्धित राज्य सरकार और लाभानुभोगी द्वारा 25 : 25 : 50 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

विवरण-I

1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान आई आर डी पी के अन्तर्गत किये गए व्यय का राज्य वार ब्यौरा।

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	1991-92	1992-92	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	6548.98	5411.42	8813.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	294.47	426.52	523.65
3.	असम	1587.04	1584.46	1844.78
4.	बिहार	8384.64	7726.73	10873.59
5.	गोवा	67.30	53.54	24.51
6.	गुजरात	2307.69	2204.50	3354.85
7.	हरियाणा	756.84	796.25	1318.31
8.	हिमाचल प्रदेश	352.47	291.88	378.02
9.	जम्मू और कश्मीर	421.07	385.47	426.67
10.	कर्नाटक	2782.63	2671.68	4026.36
11.	केरल	1784.84	1647.95	1973.75
12.	मध्य प्रदेश	9353.08	7336.37	10040.21
13.	महाराष्ट्र	5633.70	5332.16	7329.26
14.	मणिपुर	153.20	86.42	175.91
15.	मेघालय	162.62	173.80	158.33
16.	मिजोरम	169.72	212.29	282.09

1	2	3	4	5
17.	नागालैंड	299.15	236.84	[illegible]
18.	उड़ीसा	3671.71	3373.97	[illegible]
19.	पंजाब	858.45	935.95	1471.24
20.	राजस्थान	4079.89	3258.25	4213.30
21.	सिक्किम	47.39	39.71	40.96
22.	तमिलनाडु	4527.72	4436.01	7269.39
23.	त्रिपुरा	397.81	414.47	540.29
24.	उत्तर प्रदेश	16226.71	14395.38	20197.02
25.	पश्चिम बंगाल	6317.73	5758.50	2959.40
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	38.06	39.34	17.51
27.	चंडीगढ़	—	—	—
28.	दादरा और नागर हवेली	8.67	10.41	14.89
29.	दिल्ली	22.57	—	—
30.	दमण और दीव	11.28	16.30	18.74
31.	लक्षद्वीप	7.80	8.60	6.59
32.	पांडिचेरी	33.35	42.47	36.29
	अखिल भारत	77308.78	69307.64	95591.38

विवरण–II

1991–92, 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान चे आर वाई पर हुए व्यय का राज्य–वार ब्यौरा

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991–92	1992–92	1993–94
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	19065.78	19866.06	28568.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	221.17	234.80	191.60
3.	असम	5000.44	4034.49	7911.51
4.	बिहार	37580.16	41257.59	60445.49
5.	गोवा	364.56	340.36	353.83
6.	गुजरात	10039.31	8327.77	10533.51
7.	हरियाणा	2353.04	2012.13	2164.35
8.	हिमाचल प्रदेश	1186.15	1049.73	1303.08
9.	जम्मू और कश्मीर	2046.35	1635.94	1080.67
10.	कर्नाटक	11082.63	12533.91	17567.06
11.	केरल	7252.79	6843.94	7788.33
12.	मध्य प्रदेश	31681.83	29328.16	36260.38
13.	महाराष्ट्र	18124.11	18648.24	25626.40
14.	मणिपुर	206.77	292.23	310.82
15.	मेघालय	481.47	413.10	359.46
16.	मिजोरम	260.51	213.27	350.70
17.	नागालैंड	733.84	637.21	661.66
18.	उड़ीसा	14033.59	13067.13	19532.43
19.	पंजाब	1053.97	2590.84	1922.31
20.	राजस्थान	13206.41	12246.06	14247.06
21.	सिक्किम	328.62	303.56	273.07
22.	तमिलनाडु	21134.07	20094.35	26530.04
23.	त्रिपुरा	602.99	485.48	838.66
24.	उत्तर प्रदेश	18146.83	52257.00	69531.24
25.	पश्चिम बंगाल	19342.16	21412.74	24031.32
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	86.73	67.50	107.20
27.	दादरा और नागर हवेली	03.31	76.31	80.68
28.	दमण और दीव	27.23	5.33	25.94
29.	लक्षद्वीप	49.15	61.66	73.58
30.	पांडिचेरी	193.27	139.39	122.53
	अखिल भारत	265989.24	270476.20	358841.82

विवरण–III

रोजगार आश्वासन योजना पर हुए व्यय का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रो.आ.यो. (1993–94) (रु. लाखों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2566.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	136.17
3.	असम	963.09
4.	बिहार	1608.36
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	146.21
7.	हरियाणा	993.85
8.	हिमाचल प्रदेश	2.47

1	2	3
9.	जम्मू और कश्मीर	133.75
10.	कर्नाटक	678.26
11.	केरल	171.20
12.	मध्य प्रदेश	2503.49
13.	महाराष्ट्र	430.10
14.	मणिपुर	35.46
15.	मेघालय	—
16.	मिजोरम	470.90
17.	नागालैंड	975.15
18.	उड़ीसा	1280.35
19.	पंजाब	—
20.	राजस्थान	926.99
21.	सिक्किम	20.27
22.	तमिलनाडु	319.48
23.	त्रिपुरा	659.35
24.	उत्तर प्रदेश	647.68
25.	पश्चिम बंगाल	2621.00
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2.41
27.	दादरा और नागर हवेली	1.51
28.	दमण और दीव	—
29.	लक्षद्वीप	—
30.	पांडिचेरी	—
	कुल	18293.60

शहरी सहकारी बैंक

2743. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी सहकारी बैंकों की स्थापना संबंधी कितने प्रस्ताव मन्जूरी के लिए सरकार के पास लम्बित है;

(ख) स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

2744. श्री शरत पटनायक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि की राज्यवार कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) इस राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) चूककर्ता नियोजकों के विरूद्ध कार्यवाही करने के बाद कितनी राशि एकत्रित की गई है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) क्षेत्र-वार सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) क.भ.नि. बकाया राशि को वसूल करने के लिए चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क, 8ख और 14 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कानूनी और दाण्डिक कार्रवाई की जाती है।

(ग) क.भ.नि. संगठन ने सूचित किया कि 1991-92 में 41.22 करोड़ रुपए, 1992-93 में 46.64 करोड़ रुपए तथा 1993-94 में 52.68 करोड़ रुपए की धनराशि एकत्र की गयी है।

विवरण

क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
आन्ध्र प्रदेश	724.91	988.29	1618.22
बिहार	891.50	747.97	1116.18
दिल्ली	246.07	382.78	364.30
गुजरात	675.70	436.76	620.08
हरियाणा	662.67	710.54	838.84
कर्नाटक	354.68	370.50	508.80
केरल	318.68	356.83	350.35
मध्य प्रदेश	1395.11	1893.32	1989.56
महाराष्ट्र	2178.58	2396.13	3137.41
उ.पू. क्षेत्र	124.13	172.20	232.15
उड़ीसा	513.12	472.56	425.39
पंजाब	126.89	687.71	1595.54
राजस्थान	483.38	266.35	331.22
तमिलनाडु	866.76	834.71	923.92
उत्तर प्रदेश	925.21	1920.67	3511.26
पश्चिम बंगाल	12455.58	14103.28	18536.47
कुल	22942.97	26740.60	36099.69

[हिन्दी]

वायुदूत के कर्मचारी

2745. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायुदूत के कर्मचारियों को इंडियन एयरलाइंस में खपाया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और क्या इन कर्मचारियों को भी वहीं सुविधाएं मिलेंगी जो इंडियन एयरलाइंस में कार्यरत कर्मचारियों को मिल रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सरकार ने वायुदूत के कर्मचारियों के इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में खपाये जाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं, खपाये जाने की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) और (ग). वायुदूत के 985 कर्मचारियों को इंडियन एयरलाइंस के नये बनाये गए शार्ट हाल प्रभाग में विभिन्न श्रेणियों में खपाया जा रहा है, खपाये जाने पर वे भी इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों और सुविधाओं के पात्र होंगे।

[अनुवाद]

भारतीय श्रम सम्मेलन

2746. **श्री चित्त बसु :**
कुमारी क्रिडा तोपनो :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जनवरी में इक्कतीसवां भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) सम्मेलन में पारित किए गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां। भारतीय श्रम सम्मेलन का 31वां सत्र नई दिल्ली में 3 से 4 जनवरी, 1995 को आयोजित किया गया था।

(ख) से (घ). सम्मेलन की कार्य-सूची में (I) आर्थिक सुधारों के संदर्भ में औद्योगिक संबंध और (II) रोजगार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण विषय शामिल थे। अन्य बातों के साथ-साथ सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि (1) व्यापक औद्योगिक कानून को साकार बनाने के लिए सभी सामाजिक रहनुमाओं को एकजुट होना चाहिए; (2) अपनी क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करके और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों और सेवाएं उत्पादित करने के लिए उपायों/कार्यों के माध्यम से आर्थिक उद्यमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। (3) भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए प्राथमिकता आधार पर पेंशन योजना शुरू की जानी चाहिए; (4) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत रूग्ण औद्योगिक उद्यमों के मामले में शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए; (5) श्रमिकों के कौशल सम्मुन्नयन और पुनर्प्रशिक्षण की सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए और (6) सन् 2000 तक जोखिमकारी उद्योगों में बाल श्रम को समाप्त करने से संबंधित उपायों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। विभिन्न कार्यक्रमों और प्रस्तावों को तैयार करते समय सरकार भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को ध्यान में रखती है।

[अनुवाद]

मंत्रालय के अंतर्गत समितियां

2747. **श्री एस.एम. लालचान वाशा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम मंत्रालय के अंतर्गत इस समय कार्यरत विशेषज्ञ समितियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसी समितियों के गठन के प्रयोजन क्या हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). श्रम मंत्रालय ने कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त नहीं की है। तथापि, श्रम से संगत विषयों की समीक्षा करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए इस मंत्रालय ने कई त्रिपक्षीय समितियां गठित की हुई हैं।

बैंकों के चेयरमैन के सेवाकाल में वृद्धि

2748. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के इन चेयरमैन का बैंक-वार ब्यौरा क्या है जिनका सेवाकाल पूरा हो चुका है और जो अभी भी अपने-अपने पदों पर बने हुए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) चालू वर्ष में जिन चेयरमैन के सेवाकाल पर हो रहे हैं, उनका बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके स्थान पर नये चेयरमैन कब तक नियुक्त कर दिये जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) ऐसा कोई मामला नहीं है।

(ख) पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, इंडियन बैंक और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक चालू वर्ष में अपना-अपना अधिसूचित कार्यकाल पूरा करेंगे।

(ग) संभावित रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

चाय नीलामी केन्द्र/प्लेटफार्म

2749. श्री अमर रायप्रधान : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में चाय का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा 1995 के दौरान गुणवत्ता-वार तथा राज्य-वार चाय का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार ने चाय उत्पादकों के उत्पादों को उठाने के लिए चाय नीलामी केन्द्र प्लेटफार्म स्थापित किये हैं;

(ग) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चाय का राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए किस्म-वार उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उत्पाद की किस्म अलग-अलग बगीचे के अनुसार अलग-अलग होती है।

वर्ष 1995-96 के लिए चाय का उत्पादन लक्ष्य 780 मिलियन किग्रा. निर्धारित किया गया है।

(ख) से (घ). उत्पादकों द्वारा बड़ी मात्रा में बिक्री किये जाने के लिए कलकत्ता, कोचीन, कुन्नूर, अमृतसर, गुवाहाटी, सिलिगुड़ी और कोयम्बटूर में नीलामी केन्द्र संचालन में हैं।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में चाय का राज्य-वार उत्पादन

राज्य	चाय का उत्पादन (मिलियन किग्रा. में)		
	1992	1993	1994
उत्तर भारत			
असम	387.81	402.95	399.33
पश्चिमी बंगाल	150.24	168.02	156.50
अन्य	7.27	7.75	8.10
कुल उत्तर भारत	545.32	578.72	563.93
दक्षिण भारत			
तमिलनाडु	99.44	108.65	110.75
केरल	55.14	66.69	65.14
कर्नाटक	4.03	4.00	3.96
कुल दक्षिण भारत	158.61	179.34	179.85
योग अखिल भारत	703.93	758.06	743.78

स्रोत : चाय बोर्ड

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणें

2750. डा. लाल बहादुर रावल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न राष्ट्रीकृत बैंकों की जमा राशियां कितनी थीं और इन बैंकों ने बेरोजगार युवाओं तथा विभिन्न परियोजनाओं के लिए लघु/मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को कितनी धनराशि के ऋण वितरित किए;

(ख) इस संबंध में वर्ष 1995-96 के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बैंकों के पास खादी ग्रामोद्योग की कई योजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का इन योजनाओं को स्वीकृत करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). मार्च, 1992, मार्च, 1993, और मार्च, 1994 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत राष्ट्रीकृत बैंकों की जमाराशियां नीचे दर्शाई गई है :-

को समाप्त वर्ष	जमाराशियां (करोड़ रु.)
मार्च, 1992	14140.78
मार्च, 1993	16052.83
मार्च, 1994	18653.24

भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए छोटे/मझौले उद्योगपतियों और बेरोजगार युवकों का संवितरित किए गए ऋणों की राशि के संबंध में अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती।

अलबत्ता, भारत सरकार विभिन्न योजनाएं परिचालित कर रही है, जिसमें उद्योगों सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए बेरोजगार युवकों और अन्यों को ऋण मंजूर किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संवितरित किए गए कुल अग्रिमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

योजना	वर्ष	संवितरित की राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
समन्वित ग्रामीण	1991-92	298.30
विकास कार्यक्रम	1992-93	290.00
	1993-94	426.19

1	2	3
शिक्षित बेरोजगार	1991-92	15.52
युवकों का स्वरोजगार	1992-93 *	19.38
प्रदान करने की योजना	1993-94 *	10.28
प्रधान मंत्री की रोजगार	1993-94	1.21
योजना	1994-95	19.39
	(28 फरवरी तक)	
विभेदी ब्याज दर	मार्च, 1991	16.48
योजना	मार्च, 1992	22.78
	(अद्यतन उपलब्ध)	*आंकड़े अनन्तिम

(ग) से (ङ). ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन को दिए गए महत्व को और चूंकि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग इस प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 1991 और मार्च, 1993 में बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्डों और इसकी अन्य सहयोगी संस्थाओं तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण संबंधी निर्णय लेने में विलंब के कारण कठिनाई न हो। इसके अलावा, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग क्षेत्र के लिए ऋण के अधिक प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र को दिए गए सभी अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के रूप में माना जाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

2751. **श्री राजेश कुमार :** क्या वित्त मंत्री भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बारे में 12 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1565 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नई दिल्ली कार्यालय में "डिस्पेंसरी सुरपवाइजर" के आरक्षित पदों को अनारक्षित करने के लिए इस बीच सक्षम अधिकारी से भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृति/सहमति ले ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह स्वीकृति कब तक प्राप्त कर ली जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

कॉफी की बिक्री

2752. **श्री पी.सी. चाको :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कॉफी उत्पादकों से कॉफी की पैदावार की कॉफी उत्पादकों से खरीद किये जाने के बाद उसकी बिक्री की मौजूदा पूल व्यवस्था में परिवर्तन करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूल व्यवस्था समाप्त किये जाने के बाद कॉफी के बीजों की सम्पूर्ण पैदावार को कॉफी उत्पादक घरेलू बाजार में बेच सकें, इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). कॉफी उपजकर्ताओं ने प्रस्ताव किया है कि उन्हें 50 प्रतिशत मुक्त बिक्री कोटे की बजाए कॉफी की खुल मुक्त बिक्री की अनुमति दी जाए। सरकार ने इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

नमक की तस्करी

2753. **श्रीमती गिरिजा देवी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर बंगाल के सीमावर्ती जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा तथा नादिया में बंगलादेश सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा नमक तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की तस्करी किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बंगलादेश सीमा पर तस्करी की गतिविधियों में सीमा सुरक्षा बल की मिली-भगत होने का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक कर्मियों के लिए स्थानांतरण नीति

2754. **श्री वी. धनंजय कुमार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के विभिन्न जोनल कार्यालयों में बहुत से अधिकारी लम्बे समय से कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ग्रेड में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जोनवार स्थान विशेष पर वे लोग कितनी अवधि से काम कर रहे

(ग) किसी स्थान विशेष पर प्रत्येक ग्रेड के अधिकारी की तैनाता की अवधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बैंक कर्मियों के लिए बनाई गई स्थानांतरण नीति के विरुद्ध पदोन्नत किए गए अधिकारियों को उनके पहले के तैनाती के स्थान पर ही नियुक्त किया जा रहा है अथवा बनाए रखा जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो ग्रेड-वार तथा जोनवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अनियमितता को कब तक समाप्त कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कामगारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

2755. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने संरचना समायोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कामगारों को पुनः प्रशिक्षण तथा पुनः रोजगार देने हेतु 21 व्यावसायिक संस्थाओं का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य-वार किए गए वित्तीय आबंटन का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) 21 संस्थाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया है। विवरण-I बताए गए 6 संस्थान रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के सीधे नियंत्रणाधीन हैं तथा विवरण-II में बताए गए 15 संस्थान संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन हैं।

(ग) युक्तियुक्त औद्योगिक कामगारों के पुनः प्रशिक्षण हेतु योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 1994-95 हेतु निधियों का ब्यौरा विवरण-III में दिया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एन.आर.एफ.) के अधीन युक्तियुक्त औद्योगिक कामगारों के प्रशिक्षण हेतु शिनाख्त किए गए, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के तहत 6 संस्थानों के ब्यौरे

क्र.स.	संस्थान	राज्य	स्थान
1.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान	महाराष्ट्र	बम्बई
3.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान	पंजाब	लुधियाना
4.	अनुदेशकों हेतु केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान	तमिलनाडु	मद्रास
5.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान	उत्तर प्रदेश	कानपुर
6.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान	पश्चिम बंगाल	हावड़ा

विवरण-II

राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एन.आर.एफ.) के अधीन युक्तियुक्त औद्योगिक कामगारों के प्रशिक्षण हेतु शिनाख्त किए गए राज्य सरकारों के तहत् औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	शहर	आई.टी.आई.
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	आई.टी.आई. हैदराबाद
2.	बिहार	पटना	आई.टी.आई. डिगाघाट
3.	गुजरात	गांधी नगर	आई.टी.आई. गांधी नगर
4.	हरियाणा	अम्बाला कैंट	आई.टी.आई. अम्बाला कैंट
5.	केरल	कोचीन	आई.टी.आई. कोचीन

1	2	3	4
6.	कर्नाटक	बैंगलोर	आई.टी.आई. होसुर रोड
7.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	आई.टी.आई. जबलपुर
8.	महाराष्ट्र	पुणे	आई.टी.आई. पुणे
9.	उड़ीसा	कटक	आई.टी.आई. कटक
10.	पंजाब	लुधियाना	आई.टी.आई. लुधियाना
11.	राजस्थान	जोधपुर	आई.टी.आई. जोधपुर
12.	तमिलनाडु	मद्रास	आई.टी.आई. गिण्डी
13.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	आई.टी.आई. कानपुर
14.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	आई.टी.आई. गरिया हाट
15.	दिल्ली	दिल्ली	आई.टी.आई. पूसा

नोट : यदि उक्त प्रस्तावित आई.टी.आई. उपयुक्त नहीं पाये जाते तो राज्य निदेशक अपनी इच्छानुसार किसी अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का चयन कर सकता है।

विवरण-III

वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए युक्तियुक्त औद्योगिक कर्मकारों के पुनः प्रशिक्षण हेतु योजना के कार्यान्वयन के लिए "निधियों" का ब्यौरा

मद-I

क्र.सं.	राज्य	1994-95 के लिए बजट आवंटन (रु. लाख में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.357
2.	बिहार	-वही-
3.	गुजरात	-वही-
4.	हरियाणा	-वही-
5.	केरल	-वही-
6.	कर्नाटक	-वही-
7.	मध्य प्रदेश	-वही-
8.	महाराष्ट्र	-वही-
9.	उड़ीसा	-वही-
10.	पंजाब	-वही-
11.	राजस्थान	-वही-
12.	तमिलनाडु	-वही-
13.	उत्तर प्रदेश	7.359
14.	पश्चिम बंगाल	7.357
15.	दिल्ली	7.000
		110.000

मद-II

1	2	3
	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय के अधीन छः संस्थान	
1.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद	6.67
2.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई	6.67
3.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना	6.67
4.	अनुदेशकों हेतु केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास	6.65
5.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर	6.67
6.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हावड़ा	6.67
		40.00

योग I+II (21 संस्थानों हेतु) रु- 1,50,00,000.00

(एक करोड़ पचास लाख रु. केवल)

मादक पदार्थों की तस्करी

2756. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में पाकिस्तान से भारत और अन्य देशों में संचालित एक अन्तर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ-तस्कर गिरोह का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मादक पदार्थों की तस्करी और पाकिस्तानियों की घुसपैठ को रोकने हेतु भारत-पाक सीमा को पूरी तरह से सील करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) वर्ष 1994 और वर्ष 1995 में अब तक देश में पता लगाए गये मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी मामलों की संख्या कितनी है; और

(ङ) मादक पदार्थों के तस्करों/अवैध व्यापारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख). स्वापक औषध प्रवर्तन एजेंसियों ने अब तक भारत तथा अन्य देश में संचालित किसी अन्तर्राष्ट्रीय पदार्थ तस्कर गिरोह का पता लगाने के प्रमाण की रिपोर्ट नहीं की है।

(ग) भारत-पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है। सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन.डी.पी.एस. एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन एवं संचार उपस्कर प्रदान करा दिए गए हैं। एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक जो भूमि और समुद्र तट पर लगाए गए हैं। को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान कर दी गई है ताकि स्वापक औषधों को प्रत्याख्यान हो सकें।

(घ) स्वापक औषधों के पता लगाए गए मामलों की संख्या वर्ष 1994 में 13,915 तथा वर्ष 1995 के दौरान 28.2.95 तक 345 रही है।

(ङ) स्वापक औषध के अवैध व्यापारियों के विरूद्ध मुकदमा चलाया जाता है जिसके अतंर्गत कठोर दण्ड का प्रावधान है।

[हिन्दी]

"नाबार्ड" द्वारा महाराष्ट्र को ऋण

2757. श्री विलासराव नामनाथराव गूंडेवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान "नाबार्ड" द्वारा महाराष्ट्र को योजना-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) इससे कितने किसान लाभान्वित हुए; और

(ग) अब तक कितनी ऋण राशि वसूल की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में योजनाबद्ध और गैर-योजनाबद्ध ऋण के अन्तर्गत, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों की उद्देश्य-वार जानकारी विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) और (ग). आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है।

विवरण-I

1992-93, 1993-94, और 1994-95 के वर्षों के दौरान योजनाबद्ध ऋण के अन्तर्गत महाराष्ट्र में नाबार्ड द्वारा संवितरित पुनर्वित्त सहायता का उद्देश्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

उद्देश्य	1992-93	1993-94	1994-95 (20.3.95 की स्थिति के अनुसार)
लघु सिंचाई	10935	12575	7353
भूमि विकास	6	92	123
कृषि यंत्रीकरण	3745	5251	4871
वृक्षारोपण/बागवानी	1870	2471	2210
मुर्गीपालन/भेड़/सुअर पालन	1109	1245	1646
मछली पालन	94	100	518
डेयरी	1036	1675	1419
भंडारण और मार्केट यार्ड	473	289	296
वानिकी	550	178	5
गोबर गैस	89	48	58
गैर-कृषि क्षेत्र	1652	2358	2487
अन्य	740	742	3419
आईआरडीपी	4908	5630	5357
योग	27207	32654	29762

विवरण-II

1992-93, 1993-94, और 1994-95 के वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा मैद-योजनाबद्ध ऋण के अन्तर्गत की गई पुनर्वित्त सहायता का संवितरण

(करोड़ रुपए)

उद्देश्य	1992-93		1993-94		1994-95	
	मंजूर की गई सीमाएं	उपयोग	मंजूर की गई सीमाएं	उपयोग	मंजूर की गई सीमाएं	उपयोग
(I) सहकारी संस्थाएं						
1. अल्पकालिक (एसएओ)	300.85	192.57	67.70	41.60	194.80	56.20
2. बुनकर समितियों का उत्पादन और विपणन	13.34	9.78	10.82	9.00	9.38	9.00
3. मध्यावधि परिवर्तन	91.73	41.23	-	-	-	-
4. मध्यावधिक अनुमोदित कृषि उद्देश्य (कलैंडर वर्ष)	3.92 (1992)	2.12	1.73 (1993)	-	-	1.36
(II) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक						
1. अल्पकालिक (एसएओ)	4.00	6.16	11.28	10.60	13.59	12.61
2. एसएओ के अलावा	0.25	1.93	0.57	2.26	2.46	1.65
3. मध्यावधि ऋण	5.21	0.89	3.83	1.91	8.99	7.23
4. मध्यावधि परिवर्तन	0.19	0.16	-	-	-	-

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार माध्यम

2758. श्री दत्ता मेघे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी पर्यटकों को भारत आने के लिए आकर्षित करने हेतु अपनाएं जा रहे विभिन्न प्रचार मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास और महा-वाणिज्य निदेशालय इस संबंध में कोई भूमिका अदा करती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) भारत में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए प्रारंभ किए गए विभिन्न क्रियाकलापों में शामिल हैं-प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन प्रचार सामग्री तैयार करना तथा उसका वितरण करना, यात्रा प्रचालकों और यात्रा अभिकर्ताओं को सहायता प्रदान करना, मेलों और त्योहारों में भाग लेने वाले पर्यटकों के लिए एयर वाटरों का संवर्धन करना, सीधी डाक सेवा के माध्यम से संवर्धन करना, विभाग के आतिथ्य कार्यक्रम में यात्रा उद्योग पर सम्मति बनाने वालों को आमंत्रित करना, और फिल्मों बहु-दृश्य प्रस्तुतियों एवं ब्रोशरों, पोस्टरों तथा वैयक्तिक सम्पर्कों के माध्यम से देश में पर्यटक आकर्षणों को उजागर करना।

(ख) और (ग). विषय अथवा क्रियाकलाप की प्रकृति पर निर्भर करते हुए विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास व विदेश स्थित वाणिज्य कार्यालय भी पर्यटन विभाग के संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में सम्मिलित रहते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय श्रम कल्याण आयोग का गठन

2759. डा. पी. वल्लाल पेरुमान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय श्रम कल्याण निकाय/आयोग की स्थापना हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निकाय को सौंपे जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत अन्य कल्याण निकायों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग गठित किये जाने के बारे में श्रम मंत्रालय को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और ऐसा आयोग गठित किये जाने के मुद्दे पर सरकार विचार कर रही है।

(घ) श्रम मंत्रालय पांच कल्याण निधियों का संचालन कर रहा है :-

(1) लौह-अयस्क, मैगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976;

(2) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946;

(3) चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि, अधिनियम, 1972;

(4) सिने कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981; और

(5) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976।

कमजोर बैंकों की आमूल परिवर्तन प्रक्रिया (टर्न अराउन्ड) में विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी

2760. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों के घटिया कार्य-निष्पादन संबंधी आमूल परिवर्तन प्रक्रिया (टर्न अराउन्ड) में विदेशी बैंकों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत स्थित विदेशी बैंकों के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए भी कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सेवाओं में व्यापार के संबंध में सामान्य करार (जीएटीएस) के तहत की गई प्रतिबद्धताओं के अनुसार भारत में विदेशी बैंकों के प्रसार की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दी जाएगी :-

(I) नए प्रवेशकों और वर्तमान बैंकों, दोनों के लिए प्रत्येक वर्ष अधिकतम पांच लाइसेंस;

(II) यदि विदेशी बैंकों की परिसंपत्तियों का बाजार हिस्सा, बैंकिंग प्रणाली की कुल परिसंपत्तियों के 15 प्रतिशत से अधिक हो, तो नए विदेशी बैंकों को लाइसेंस देने से इंकार किया जा सकता है।

बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक

2761. श्री सी.के. कुप्पुस्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर-सरकारी निदेशकों के पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पदों को कब तक भर लिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). 1994 में बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 में किए गए संशोधनों में यह प्रावधान है कि प्रत्येक बैंक के निदेशक बोर्ड में 7 गैर-सरकारी सदस्य (वर्तमान 9 के स्थान पर) होंगे। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, नए गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की जा रही है।

कम्पनियों के प्रोमोटर

2762. श्री पीयूष तीरकी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पता लगाया है कई कम्पनियां ऐसी हैं जो वस्तुतः उस कम्पनी/ग्रुप के प्रोमोटर हैं, जो इन धनराशियों के वास्तविक लाभार्थी होने के साथ-साथ इन कम्पनियों के प्राधिकृत हस्ताक्षरी भी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विसंगति को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियमों के अनुसार, किसी कम्पनी के, किसी प्रमोटर अथवा उसके समूह की किसी एक या अधिक कम्पनियों द्वारा प्रवर्तित किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है बशर्ते की शेयरों की सार्वजनिक पेशकश करने वाले दस्तावेजों में पूरी सूचनाएं दी गई हों। "सेबी" के दिशानिर्देशों में पूंजी जुटाने वाली कम्पनियों से यह अपेक्षा भी की गई है कि वे उसी वर्ग की अन्य कम्पनियों, तथा उनके वित्तीय कार्यनिष्पादन, पिछले पब्लिक इशुओं आदि का ब्यौरा दें। दी गई सूचनाओं तथा लीड मैनेजरों द्वारा प्रस्तुत किए गए उचित सचेतना प्रमाणपत्र के आधार पर, सेबी द्वारा पेशकशी दस्तावेजों की पुनरीक्षा की जाती है। "सेबी" द्वारा की गई सभी टिप्पणियों को पेशकशी दस्तावेजों में शामिल किया जाना भी आवश्यक होता है ताकि निवेशक पेशकश के संबंध में तटस्थ तथा जानकारी पूर्ण मूल्यांकन कर सके।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2763. श्री राजवीर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मौजूदा ढांचे में कुछ परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निरंतर घाटे में चल रहे हैं। सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिये परामर्श की प्रक्रिया शुरू की है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक सहित विभिन्न वैकल्पिक माडलों पर विचार करने के पश्चात्, "स्टैंड एलोन" आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलन पत्रों को ठीक करके उन्हें पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के

संबंध में 28 फरवरी, 1994 को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने मई, 1994 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पता लगाया है जिन्हें निश्चित वित्तीय मानदंडों/पैरामीटरों के आधार पर पुनर्गठन के लिए लिया जा सकता है। सरकार ने समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 49 का पुनर्गठन करने की स्वीकृति दे दी है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पुनर्गठन के लिए पता लगाए गए 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सूची

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश (16)	1. श्री रामा ग्रामीण बैंक
		2. गोदावरी ग्रामीण बैंक
		3. कनकदुर्ग ग्रामाण बैंक
		4. श्री सातवाहना ग्रामीण बैंक
2.	अरुणाचल प्रदेश (1)	5. अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
3.	असम (5)	6. प्रागज्योतिश गानालिया बैंक
4.	बिहार (22)	7. मगध ग्रामीण बैंक
		8. गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
		9. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक
		10. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
		11. सियान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
5.	गुजरात (9)	12. वलसाड डांग ग्रामीण बैंक
		13. सूरत भारूच ग्रामीण बैंक
6.	हरियाणा (4)	14. गुडगांव ग्रामीण बैंक
7.	हिमाचल प्रदेश (2)	15. हिमाचल ग्रामीण बैंक
8.	जम्मू एवं कश्मीर(3)	16. जम्मू व कश्मीर ग्रामीण बैंक
9.	कर्नाटक (13)	17. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक
		18. बीजापुर ग्रामीण बैंक
		19. मालप्रभा ग्रामीण बैंक
10.	केरल (2)	20. दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक
11.	महाराष्ट्र (9)	21. थाणे ग्रामीण बैंक
		22. औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक
12.	मणिपुर (1)	23. मणिपुर ग्रामीण बैंक
13.	मेघालय (1)	24. खासी जंयतिया बैंक
14.	मिजोरम (1)	25. मिजोरम ग्रामीण बैंक
15.	मध्य प्रदेश (24)	26. रिवा सिद्धी ग्रामीण बैंक
		27. दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक
		28. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद
		29. शारदा ग्रामीण बैंक
		30. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
16.	नागालैंड (1)	31. नागालैंड ग्रामीण बैंक
17.	उड़ीसा (9)	32. कोरापुट पंचवटी ग्रामीण बैंक
		33. कटक ग्रामीण बैंक
18.	पंजाब (5)	34. फरीदकोट भटिंडा ग्रामीण बैंक
19.	राजस्थान (14)	35. जयपुर नगर आंचलिक ग्रामीण बैंक
		36. भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
		37. शेखावती ग्रामीण बैंक
20.	तमिलनाडु (3)	38. वल्लालर ग्रामीण बैंक
21.	पश्चिम बंगाल (9)	39. हावड़ा ग्रामीण बैंक
		40. बर्दमान ग्रामीण बैंक
22.	उत्तर प्रदेश (40)	41. भगीरथ ग्रामीण बैंक
		42. सरयु ग्रामीण बैंक
		43. विन्ध्यावासिनी ग्रामीण बैंक
		44. अवध ग्रामीण बैंक
		45. समयुत ग्रामीण बैंक
		46. फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक
		47. प्रथम बैंक
		48. बस्ती ग्रामीण बैंक
		49. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राज्य में कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दर्शाते हैं)

[अनुवाद]

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2764. डा. वी.एल. कन्नीचिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की उत्पादकता और कार्यक्षमता में कमी के कारणों का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का है जिनके कारण इन उपक्रमों का घाटा होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की निम्न उत्पादकता/दक्षता का अध्ययन करने के लिए किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का कोई

प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। अब उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार का मसला एक चुनिंदा विषय नहीं रह गया है अपितु इस प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में यह उत्तर-जीवन से सम्बन्धित विषय हो गया है। उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार के मध्य उत्पन्न दूरी को कम करने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने पूरे देश में संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, बैठकों, वार्तालापों के माध्यम से उत्पादकता जागरूकता सृजित करने का कार्य शुरू किया है।

[हिन्दी]

बैंकों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे

2765. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में देश के सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों में छापे मारे और धोखाधड़ी के कुछ मामलों का पता लगाया;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) इस संबंध में क्या दंडात्मक कदम उठाए गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सूचित किया है कि 1993 और 1994 के पिछले दो वर्षों के दौरान उसने इस अवधि में दर्ज किये गये बैंक धोखाधड़ियों के 133 मामलों की जांच के संबंध में विभिन्न बैंक कर्मचारियों के आवासीय/कार्यालय परिसरों की 282 तलाशियां ली हैं। वर्ष 1993 ओर 1994 के दौरान अचल सम्पत्ति सहित तलाशियों में अन्तर्ग्रस्त राशि क्रमशः 113.62 लाख रु. और 50.64 लाख रु. थी।

सीबीआई ने सूचित किया है कि उपर्युक्त मामलों के लिये दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू की गई है।

[अनुवाद]

निवेशकों को गारंटी

2766. श्री मंजय लाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और निवेशकों ने देश के विद्युत और सिंचाई क्षेत्र में निवेश करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कतिपय कंपनियों के प्रस्तावों पर गारंटी देने का प्रस्ताव किया है और कुछेक कंपनियों को गारंटी देने के लिए मना किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार गारंटी देने की नीति जारी रखने का है; और

(च) यदि हां, तो इस तरह की कांऊटर गारंटी के वित्तीय प्रभाव क्या होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। अक्तूबर, 1991 में निजी क्षेत्र संबंधी विद्युत नीति के सूत्रपात से, 75230 मैगावाट की क्षमता के सृजन हेतु 189 विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए दिलचस्पी दिखाई गई है। जहां तक सिंचाई क्षेत्र का संबंध है, विदेशी सहायता के प्रमुख स्रोत विश्व बैंक और द्विपक्षीय अभिकरण हैं।

(ग) और (घ). भावी निवेशकों में विश्वास पैदा करने के लिए, विदेशी निवेश हेतु मंजूर की गई 8 आरंभिक परियोजनाओं के मामले में निजी उत्पादन-कंपनियों के प्रति राज्य बिजली बोर्डों के भुगतान संबंधी दायित्वों के लिए भारत सरकार की कांउटर गारंटी को राज्य सरकार की गारंटी तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र की 8 कंपनियों को 1994-95 के दौरान, कतिपय मामलों में भारत सरकार की गारंटी के साथ मध्यम अवधि के तथा दीर्घावधिक विदेशी वाणिज्यिक उधार दिए गए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल

2767. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकिंग सेवा से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त लोकपाल पद की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यह पद कब तक सृजित किया जाएगा; और

(घ) किन शर्तों के अंतर्गत लोकपाल कार्य करेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैंक ओमबड्समैन योजना तैयार की है। सरकार ने कतिपय संशोधनों के अध्यधीन इस योजना के लिए अपनी सामान्य सहमति प्रदान कर दी है। यह योजना इस समय भारतीय रिजर्व बैंक में अंतिम रूप प्रदान किए जाने के आखिरी चरण में है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का निर्यात

2768. श्री राम पूजन पटेल :
डा. आर. मल्लू :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में खाद्यान्नों की विभिन्न मदों का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और देश-वार इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या उपरोक्त मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई सुझाव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खाद्यान्नों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए विभिन्न खाद्यान्नों की कुल मात्रा एवं मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

मात्रा : मी.टन में
मूल्य : करोड़ रु. में

मद	1991-92		1992-93		1993-94	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. चावल	678463	755.59	580409	975.60	805442	1280.09
2. गेहूं	658250	144.38	36749	10.21	390	0.20
3. दालें	25859	39.13	37420	54.74	42880	73.72
4. मोटे अनाज	14150	7.01	17058	10.16	194120	48.30
कुल खाद्यान्न का निर्यात	1376722	946.11	671636	1050.71	1042832	1402.30

मोटे अनाजों में शामिल हैं- ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, मक्का, इत्यादि
स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता

देश-वार निर्यात के आंकड़ों के ब्यौरे वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन में उपलब्ध है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ). सरकार की नीति यह है कि घरेलू उपलब्धता एवं मांग को ध्यान में रखते हुए कृषिजन्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए।

खाद्यान्नों के निर्यात को बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये उपाय शामिल हैं; (I) चावल के बारे में न्यूनतम निर्यात मूल्य एवं मात्रात्मक सीमा समाप्त करना; (II) चालू वर्ष के लिए बिना किसी न्यूनतम निर्यात मूल्य के गैर-दुदुम गेहूं के लिए 5 लाख मी.टन तथा दुदुम गेहूं के लिए 3 लाख मी.टन मात्रा की सीमा तय करना, दालों के लिए 10,000 मी. टन की मात्रा तथा रागी, ज्वार, जौ, मक्का आदि जैसे मोटे अनाजों के लिए 1,50,000 मी. टन की संयुक्त मात्रा तय करना और (III) क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, प्रचार-प्रसार, शिष्टमंडलों को देश में आमंत्रित करना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, उन्नत पैकिंग गुणवत्ता नियंत्रण एवं ब्रांड नामों का संवर्धन।

सोने की तस्करी

2769. श्री बारे लाल चाटव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 दिसम्बर, 1994 के "संडे मेल" में "सोने की तस्करी के नये अड्डे रेल पार्सल घर" के शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). देश में सोने की तस्करी करने के लिए तस्करों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले विभिन्न तरीकों की सरकार को जानकारी है। रेलवे पार्सल घर के माध्यम से तस्करी करने के प्रयास सहित सोने की तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने के लिए तस्करी-रोधी एजेन्सियां सतर्क हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में उद्यमियों को बैंकों से ऋण

2770. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कितने उद्यमियों को बैंकों से ऋण दिये गये हैं;

(ख) उन शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनके नामों की सिफारिश जिला उद्योग केन्द्र द्वारा की गई थी, परन्तु उन्हें अभी तक ऋण नहीं मिला है; और

(ग) सभी अर्ह व्यक्तियों को कब तक ऋण दे दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). संभवतः माननीय सदस्य का आशय शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना (एसईईयूवाई) और प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अन्तर्गत बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ऋणों से है। दिनांक 2 अक्तूबर, 1993 को आरम्भ की गई पीएमआरवाई का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना है। पहली अप्रैल, 1994 से एसईईयूवाई योजना, पीएमआरवाई में शामिल कर दी गई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक, देना बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गुजरात राज्य में 1993-94 और 1994-95 (28 फरवरी, 1995 तक) के वर्षों के लिए पीएमआरवाई के तहत प्राप्त हुए और मंजूर किए गए आवेदन पत्रों की संख्या से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :-

वर्ष	जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा संस्तुत आवेदनों की संख्या	ऋण मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या
1993-94	1618	476
1994-95 (28 फरवरी, 1995 तक)	9011	3993

बैंकों को 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा वाले ऋण आवेदन पत्रों को दो सप्ताह के अन्दर और 25,000/- रुपए से अधिक की ऋण सीमा वाले आवेदन पत्रों को 8 से 9 सप्ताह के अन्दर निपटाना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार ने बैंकों से कहा है कि वे निर्धारित समय सीमाओं के अंतर्गत आवेदन पत्रों को निपटाएं।

भारतीय वस्तुओं के आयात पर शुल्क लगाया जाना

2771. श्री गुरुदास कामत :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ ने भारत को शुल्क रहित सामान्यीकृत योजना के अन्तर्गत मिल रही पाथमिकता को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संघ ने भारत से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क लगा दिया है;

(घ) यदि हां, तो इससे हमारे निर्यात पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). यूरोपीय संघ की पूर्ववर्ती जी एस पी योजना में शून्य टैरिफ का प्रावधान था, परन्तु बाजार पहुंच कोटों और उच्चतम सीमाओं से आबद्ध थी। दिसम्बर, 1998 तक वैध नई योजना में कोई कोटा और उच्चतम सीमाएं नहीं हैं। विकासशील देशों से जिन उत्पादों की अनुमति दी गई है, उन्हें "अति संवेदनशील" (एम एफ एन टैरिफ का 85 प्रतिशत) "संवेदनशील" (एम एफ एन टैरिफ का 70 प्रतिशत) "अर्द्ध संवेदनशील" (एमएफएन टैरिफ का 35 प्रतिशत) और गैर-संवेदनशील (शून्य टैरिफ) की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

2. हमारे निर्यात पर यूरोपीय संघ की नई नीति का जो प्रभाव पड़ेगा वह इस तथ्य की वजह से संयत हो जाएगा कि हमारे प्रमुख प्रतियोगी भी इससे समान रूप से प्रभावित होंगे। इसके अलावा जिन विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय 6000 डालर से अधिक हो जाएगी, उन्हें दिनांक 1 जनवरी, 1996 से जी एस पी लाभ नहीं मिलेगी।

3. जी एस पी एक गैर-संविदाकारी दस्तावेज है, जिसके द्वारा औद्योगीकृत देश एक पक्षीय रूप से विकासशील देशों को टैरिफ रियायतें देते हैं। यूरोपीय संघ की नवीनतम योजना बनाए जाते समय भारत सहित कुछ देशों द्वारा कई सुझाव दिए गये लेकिन योजना यूरोपीय संघ द्वारा स्वतंत्र रूप से तैयार की गई है।

पूर्वोत्तर राज्यों में बैंकिंग सुविधाएं

2772. श्रीमती विभू कुमारी देवी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान पूर्वोत्तर भाग के प्रत्येक राज्य में अपनी शाखाएं खोली है;

(ख) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों के सभी जिलों और गांवों में बैंक सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान

खोली गई सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों के सभी जिला मुख्यालयों में पर्याप्त बैंकिंग सुविधायें हैं और वहां इस समय कम से कम एक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये शाखा विस्तार नीति (1990-95) के अन्तर्गत, अपनी ग्रामीण शाखाओं के सम्बद्ध सेवा क्षेत्रों में अतिरिक्त ग्रामीण शाखायें खोलने के लिये संभावित केन्द्रों/गांवों की पहचान करने का कार्य अलग-अलग बैंकों के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। बैंकों द्वारा पहचान किये गये और राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किये गये केन्द्रों के आधार पर, बैंकों को ग्रामीण केन्द्र आबंटित किये जाते हैं।

बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करने के लिये, भारतीय रिजर्व बैंक ने विवरण-II में दिये गये अनुसार विभिन्न बैंकों को शाखायें आबंटित की हैं। बैंकों से आधारभूत व्यवस्था करने और भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करने के लिये कहा गया है।

विवरण-I

1993-94 में खोली गई शाखाएं

राज्य	बैंक	केन्द्र
1	2	3
असम	भारतीय स्टेट बैंक	लुमडिंग
	बैंक आफ इंडिया	बंगला रूकेरी
	इंडियन बैंक	बेलटोला
	केनरा बैंक	कछिलपारा
	बैंक आफ इंडिया	हेंगोराबारी
त्रिपुरा	केनरा बैंक	बनमालीपुर (एन) अगरतला
मिजोरम	मिजोरम ग्रामीण बैंक	वेयवाकेन
	- तदैव -	चांदमारी
	- तदैव -	जामबावक
मेघालय	केनरा बैंक	गुरीखाना शिलांग
	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	जेल रोड (शिलांग)
नागालैंड	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	दिमापुर

1994-95 में खोली गई शाखाएं

मणिपुर	सेन्ट्रल बैंक	चेकन बाजार

विवरण-II

राज्य	बैंक का नाम	केन्द्र का नाम
1	2	3
असम	भारतीय स्टेट बैंक	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज सिलचर
	केनरा बैंक	दुलियाजान
	पंजाब नेशनल बैंक	गोलाघाट-बेंगनखाम
	भारतीय स्टेट बैंक	नुमालीगढ़
	इंडियन बैंक	तेजपुर
	यूको बैंक	दिगबोई
	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	जोरहाट
	कारपोरेशन बैंक	गुवाहाटी-मेकाखोन
	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	गुवाहाटी-एम.सी. रोड
	भारतीय स्टेट बैंक	गुवाहाटी औद्योगिक वित्त शाखा
	इंडियन ओवरसीज बैंक	गुवाहाटी-चांदमारी
नागालैंड	भारतीय स्टेट बैंक	रंगापाहार आर्मी
	- तदैव -	केन्टोनमेंट
	- तदैव -	कोहुलंग
	- तदैव -	खरंग
मेघालय	पंजाब नेशनल बैंक	वायलोई
	विजया बैंक	फलांगवानब्रोई
	केनरा बैंक	बोवाई
	भारतीय स्टेट बैंक	उमसोहपिंग
	- तदैव -	क्लांगरिन
मणिपुर	केनरा बैंक	इफाल-मोरोजखो बाजार
	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (एसएएफबी)	इंफाल
	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	इंफाल-लाम्पलेपाल क्रेसेन्ट बाजार
	भारतीय स्टेट बैंक	इंफाल-बांगखेरी
	- तदैव -	कैथल-असांथी
	- तदैव -	अगरतला चितरंजन रोड (नियर रामठाकुर संघ)
त्रिपुरा	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	अगरतला (सीवल) कंटोरएट काम्प्लेक्स
	यूनाइटेड बैंक (एसएएफबी)	अगरतला

पर्यटन पर निवेश हेतु समझौता ज्ञापन

2773. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में पर्यटन हेतु निवेश आकृष्ट करने के संबंध में सिंगापुर और कतिपय राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे समझौते ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है और ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). कर्नाटक राज्य ने पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं के लिए सिंगापुर स्थित कम्पनियों के साथ निम्नलिखित 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं :-

(1) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र परिसर स्थापित करने के लिए चेस्टरफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन।

(2) लियाउसिन और कोच सेवा कम्पनी की स्थापना के लिए रेडेवको प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन।

(3) बंगलौर, मैसूर, हसन, शिमोगा और हम्पी में पांच, चार सितारा होटलों का निर्माण करने के लिए चेस्टरफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन।

(ग) प्रस्तावित परियोजना से कर्नाटक में पर्यटक आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि होगी। पूरे हो जाने पर, ये और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेंगी तथा विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि करेंगी, जिसका अनुमान इस स्थिति में नहीं लगाया जा सकता।

राष्ट्रीय रेशम कीट पालन परियोजना

2774. श्री प्रबीन डेका : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में राष्ट्रीय रेशम कीट पालन परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अंतर्गत क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या थे और इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

वस्त्र मंत्री (श्री वी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). केन्द्रीय रेशम बोर्ड असम के जोरहाट तथा शिवसागर जिलों में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना क्रियान्वित कर रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत बोर्ड ने राज्य में 1 मूल बीज फार्म, क्षेत्रीय फार्म 1 क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, रीलिंग के लिए प्रदर्शन सह प्रशिक्षण केन्द्र, कोसा प्रशिक्षण तथा ग्रेडिंग सुविधाओं सहित 1 कोसा बाजार तथा 9 तकनीकी सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में रेशम उत्पादन संवर्धन कार्य शुरू करने के लिए 5 गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी गई है तथा एक महाविद्यालय को क्षेत्रीय विशिष्ट अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए एक अनुसंधान परियोजना सौंपी गई है।

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए लक्ष्य तथा दिसंबर, 1994 के अंत तक उपलब्धि निम्नानुसार है :-

कार्य	लक्ष्य	उपलब्धि
शहतूत (एकड़)	185	112.48
लाभभोगी (संख्या)	415	278
पौध (लाख)	1·1	4.26
डी एफ एल (लाख)	1	0.55
कोसा उत्पादन (एमटी)	46	18.94
प्रशिक्षण (व्यक्ति)	370	166

साधारण बीमा-निगम में स्थानान्तरण संबंधी नीति

2775. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य बीमा निगम (जी.आई.सी.) में अधिकारी संवर्ग हेतु प्रोन्नति और स्थानान्तरण संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस नीति के अनुसार प्रोन्नतियां और स्थानान्तरण किए जा रहे हैं;

(ग) सामान्य बीमा निगम की प्रत्येक सहायक कम्पनी द्वारा वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितने अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया गया;

(घ) दिल्ली में प्रत्येक कंपनी में एक ही स्थान पर पिछले दस वर्षों तथा उससे भी अधिक समय से लगातार काम कर रहे अधिकारियों की श्रेणी-वार संख्या क्या है; और

(ङ) उच्च श्रेणियों में उनकी प्रोन्नति के बाद भी उन्हें 10 वर्षों से भी अधिक समय तक एक ही कार्यालय और एक ही स्थान पर रखे जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्रमिकों से संबंधित लंबित मामले

2776. श्री एन.वे. राठवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1995 तक गुजरात में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) के पास कितने मामले लंबित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामले निपटाए गए तथा इन मामलों में दिए गए दंड का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाकी बचे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अहमदाबाद के 2416 अभियोजन संबंधी मामले जनवरी, 1995 तक संबंधित अदालतों में लम्बित थे।

(ख) वर्ष 1992-94 के दौरान 852 मामले निपटा दिए गए थे। 5,77,565/- रु. का जुर्माना किया गया था और एक मामले में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1949 के अंतर्गत एक दिन की साधारण सजा दी गई थी।

(ग) सम्बन्धित अदालतों से मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए पैरवी की जा रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों की परिसम्पत्तियां

2777. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास हजारों करोड़ अथवा इससे अधिक मूल्य की ऐसी परिसम्पत्तियां हैं जिनका लाभकारी उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन परिसम्पत्तियों का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). बैंकों की आस्तियों में मुख्यतः अग्रिम, निवेश और अचल आस्तियां आती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण मार्गनिर्देश लागू किए जाने के बाद बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों का कुछ भाग अनुपयोजित आस्तियों में बदल गया है। ऐसी अनिष्पादित आस्तियों से होने वाली ब्याज की आय की पहचान केवल उगाही आधार पर होती है जिसका प्रभाव बैंकों की लाभप्रदता पर पड़ता है। अनुप्रयोजित आस्तियों में कमी लाने को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और यह भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच हुए कार्यनिष्पादन समझौते का हिस्सा है।

वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा परियोजना ऋण

2778. श्री अमल दत्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए परियोजना ऋणों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) स्वीकृत किए गए ऐसे प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि वितरित की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपए)

	मंजूरी *	संवितरण *
1991-92	23446.7	16833.3
1992-93	34265.0	23564.4
1993-94	42094.9	26442.0

* संस्थाओं में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि., भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, एससीआईसीआई लि., भारतीय जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि., भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और सूचना कंपनी लि., भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि., भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय साधारण बीमा निगम और भारतीय निर्यात आयात बैंक शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा प्रदान किए गए परियोजना ऋणों का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और यथा उपलब्ध ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भारत पर्यटन विकास निगम के विदेश स्थित कार्यालय

2779. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़े उपाय के रूप में विदेशों में भारतीय पर्यटन विकास निगम के कार्यालयों को पुनः स्थापित करने तथा इनके स्तरोन्नयन का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल एजेंटों और विदेशी पर्यटकों को क्या-क्या सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं; और

(घ) प्रस्तावित मूलभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). भारत पर्यटन विकास निगम का विदेश में कोई कार्यालय नहीं है।

(ग) और (घ). भारत पर्यटन विकास निगम ने विपणन नीति के रूप में व्यापार का परिमाण और सीजन-समय जैसे विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए यात्रा अभिकर्ताओं को विशेष दरें प्रस्तुत की हैं। आगे फिर, विदेशी पर्यटकों में अशोक होटल समूह का संवर्धन करने की दृष्टि से भारत पर्यटन विकास निगम निम्न का आतिथ्य करता है :-

(1) विदेशी यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा प्रायोजित परिचायक टुअर ।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय एयरलांइस कार्यपालकों के परिचायक टुअर।

(3) अपने होटलों में विदेश यात्रा लेखकों और दूरदर्शन टीमों का। इसके अतिरिक्त विदेशी यात्रा अभिकर्ता अपने यात्रा वृत्तान्तों में जब अशोक होटल समूह को शामिल करते हैं तो उन्हें ब्रोशर सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है।

हैदराबाद का शारजाह से विमान संपर्क

2780. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद को ए 300 विमान के द्वारा कई देशों से जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हैदराबाद को विमान द्वारा शारजाह से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क). से (घ). इंडियन एयरलांइस ने 11.1.95 से ए-300 विमान से हैदराबाद, शाहजाह सैक्टर पर सप्ताह में दो सेवाएं शुरू की हैं। एयर इंडिया हैदराबाद जद्दाह मार्ग पर सप्ताह में तीन सेवाओं का प्रचालन करता है।

कालीकट हवाई अड्डे का विकास

2781. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट विमानपत्तन विकास समिति ने केरल में कालीकट विमानपत्तन के विकास हेतु विदेशों से कोई धनराशि जुटाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) जुटाई गई धनराशि से कालीकट विमानपत्तन पर क्या विकास कार्य शुरू किए गए हैं;

(घ) क्या उन लोगों को कोई विशेष सुविधा/विशेषाधिकार दिया गया है जिन्होंने उक्त निधि में योगदान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां। केरल राज्य सरकार ने कालीकट हवाई अड्डे पर धावनपथ के विस्तार के लिए अनिवासी भारतीयों सहित जनता से संसाधन जुटाने के लिए मालावार अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन विकास समिति का गठन किया है।

(ख) मालावार अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन विकास समिति द्वारा वित्तीय संस्थाओं और भारत में तथा विदेशों में रह रहे व्यक्तियों से ऋण और अंशदानों के रूप में 60 करोड़ रुपये एकत्र किए जा चुके हैं।

(ग) अभी तक इस प्रकार एकत्र किए गए धन में से कोई भी धनराशि हवाई अड्डा विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को नहीं दी गई है।

(घ) और (ङ). जिन व्यक्तियों ने कालीकट हवाई अड्डा विकास निधि में निर्धारित सीमा से अधिक अंशदान दिया है उनके प्रयोग के लिए एक विशेष लाउंज हेतु राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अस्थायी रूप से स्थान मालाबार अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन विकास समिति को उपलब्ध कराया है।

उड़ानों को रद्द किया जाना

2782. श्री जितेन्द्र नाथ दास :
प्रो. के.वी. थामस :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस की कितनी उड़ानें रद्द की गई तथा इसके क्या कारण थे;

(ख) इन दोनों विमान कंपनियों को इस कारण अलग-अलग कुल कितना-कितना नुकसान उठाना पड़ा; और

(ग) इस स्थिति से बचने और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). वर्ष 1994-95 के दौरान इंडियन एयरलाइंस ने 3157 तथा एयर इंडिया ने 1003 उड़ानें रद्द की थीं। उड़ानें रद्द करने के प्रमुख

करण, अभियांत्रिकी खराबियां, मौसम, विमानपत्तन प्रतिबन्ध, वाणिज्यिक प्रचालनात्मक समस्याएं, कर्मचारियों की हड़तालें, बन्द आदि थे। उड़ानें रद्द करने के कारण हुई हानि का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) संबंधित विमान कम्पनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से अपरिहार्य परिस्थितियों में ही उड़ानें रद्द की जाती हैं।

बैंकों में कम्प्यूटरीकरण

2783. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री अन्ना जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में अब तक पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान उपरोक्त राज्यों में शहरी तथा जनजातीय क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकृत किए जाने वाली बैंक शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अलग-अलग अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी; और

(घ) उपरोक्त बैंकों का कम्प्यूटरीकरण कब तक कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मुम्बई-अहमदाबाद-इंदौर-भोपाल-कलकत्ता विमान सेवा

2784. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस की मुम्बई, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, कलकत्ता विमान सेवा सप्ताह में दो बार चलाई जाती थी;

(ख) क्या यह उड़ान विमान चालकों की हड़ताल के समय से बन्द कर दी गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मार्ग पर उड़ानें शुरू करने का है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) इंडियन एयरलाइंस का फिलहाल इस उड़ान को पुनः आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

चाय उद्योग को विश्व बैंक की सहायता

2785. **श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत चाय उद्योग को धनराशि प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या भारतीय चाय संघ भी विश्व बैंक की शर्तें स्वीकार करने का इच्छुक है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में चाय उद्योग के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली अनुमानित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) से (घ). चाय उद्योग के विकास के लिए विदेशी सहायता प्रदान करने के संबंध में विश्व बैंक को एक प्रस्ताव भेजा गया है। विश्व बैंक ने इस प्रस्ताव पर सरकार के साथ और व्यापक विचार-विमर्श करने की इच्छा जाहिर की है तथा प्रस्तावित परियोजना पर एक विस्तृत कार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। प्रस्तावित परियोजना के विस्तृत आयामों और अन्य शर्तों को विश्व बैंक के साथ चर्चा के उपरान्त अन्तिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

सोना और नशीले पदार्थों का जब्त किया जाना

2786. **प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों से गत दो वर्षों के दौरान सोना और नशीले पदार्थों को कितनी मात्रा में जब्त किया गया;

(ख) इस संबंध में गुप्त सूचना देने वाले मुखबिरों को इनाम के रूप में कितनी धनराशि दी गयी और इन मुखबिरों की संख्या कितनी है;

(ग) केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग के तन्त्र को सुदृढ़ करने और इन वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या सरकार को जब्त की गयी वस्तुओं के संबंध में हेराफेरी की कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) विगत दो वर्षों के दौरान सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों द्वारा राजस्थान में पकड़े गये सोने और नशीले औषध द्रव्यों की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

मद	1993-94	1994-95
सोना	43.030 कि.ग्रा.	0.374 कि.ग्रा.
चरस	212.94 कि.ग्रा.	164.635 कि.ग्रा.
अफीम	0.5 कि.ग्रा.	—
हेरोइन	10.715 कि.ग्रा.	40.700 कि.ग्रा.
अफीम का रस	0.2 कि.ग्रा.	—
मनःप्रभावी पदार्थ	—	2.105 कि.ग्रा.
एसेटिक एनहाईड्राइड	—	280.00 लीटर्ज

(ख) जिन मुखबिरों ने गुप्त सूचनाएं दी थी, उन्हें दिए गए पुरस्कार की राशि निम्नानुसार है :—

	मुखबिरों की सं.	पुरस्कार की राशि
1993-94	शून्य	शून्य
1994-95	02	40,000 रुपये

(ग) क्षेत्रीय कार्यालयों की तस्करी को रोकने के लिए बेहतर साधनों, अर्थात् आधुनिक संचार नेटवर्क और वाहन, हथियार और गोला-बारूद आदि से लैस करके सशक्त बनाया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने के लिए सतर्क हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा भण्डार

2787. श्री अन्ना जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा भण्डार पर निगरानी संबंधी आकस्मिक योजना का आधार तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अनुसार आदर्श विदेशी मुद्रा भण्डार कितना नियत किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसका हमारी अर्थव्यवस्था, आयात और निर्यात पर क्या समग्र प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). विदेशी मुद्रा भंडार सुखद स्तरों पर बने हुए हैं। विभागीय निवेश अन्तर्प्रवाह के घटक जो संभावित रूप से परिवर्तनशील हैं, संचयी आधार पर, पिछले 4 वर्षों से सकल विदेशी मुद्रा भंडारों का 30 प्रतिशत से भी कम है। इस कारण किसी बाह्य प्रवाह से भंयकर संकट उत्पन्न नहीं होगा।

(ग) प्रारक्षित मुद्रा भंडारों के स्तर का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) चूंकि निकट भविष्य में विदेशी मुद्रा भंडारों के निरन्तर सुखद बने रहने की सम्भावना की गई है, वैदेशिक क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव सकारात्मक होगा।

रेशम की बुनाई

2788. श्री जावनल अबेदिन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने हथकरघों और विद्युतकरघों पर केवल रेशम की बुनाई की जाती है;

(ख) देश में राज्यवार कितने रेशम बुनकर हैं;

(ग) इन बुनकरों द्वारा प्रति वर्ष राज्यवार कितनी मात्रा में रेशमी कपड़ा तैयार किया जाता है; और

(घ) देश में प्रतिवर्ष उत्पादित रेशमी कपड़ों में कितनी मात्रा में रेशमी धागे की खपत होती है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्यों में रेशम क्षेत्र में हथकरघों का विवरण निम्नानुसार है :—उत्तर प्रदेश-66533, तमिलनाडु-59967, आन्ध्र प्रदेश-28279, प. बंगाल-21214, कर्नाटक-13119, बिहार-7645 तथा अन्य प्रदेश-30944। इसी प्रकार राज्यों के रेशम क्षेत्र में विद्युत करघों की संख्या उत्तर प्रदेश-5000, कर्नाटक-23300, बिहार-750 तथा अन्य राज्य-290 है।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) देश में उत्पादित रेशम फैब्रिक के लिए रेशम यार्न की अनुमानित खपत कुल घरेलू उत्पादन (14,500 मी. टन की मात्रा में) तथा आयात (वर्ष 1993-94 में 4850 मी. टन की मात्रा) जितनी है।

विवरण

रेशम बुनकरों की संख्या के संबंध में राज्यवार जानकारी तथा बुनकरों द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्पादित रेशमी कपड़े की मात्रा

राज्य	रेशम बुनकरों की संख्या	प्रत्येक वर्ष उत्पादित रेशमी कपड़े की मात्रा (लाख वर्गमीटर)
1	2	3
उत्तर प्रदेश	71533	490
तमिलनाडु	59967	270
आंध्र प्रदेश	28279	130

1	2	3
पश्चिम बंगाल	21214	
कर्नाटक	36419	920
बिहार	8395	66
अन्य राज्य	31234	150
योग :	257041	2122

बासमती तथा अन्य किस्मों के चावल का निर्यात

2789. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बासमती तथा अन्य किस्मों के चावल का कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य पर निर्यात किया गया और इससे गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देशवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(ख) 1995-96 के दौरान बासमती और अन्य किस्मों के चावल का कुल कितनी मात्रा में और किन-किन देशों को निर्यात किया जायेगा तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी और किन-किन देशों से आयात के आर्डर प्राप्त हुए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्यात किए गए बासमती और गैर-बासमती चावल की कुल मात्रा और मूल्य निम्नलिखित है :—

मात्रा : एम टी में

मूल्य : लाख रुपए में

मद	1991-92		1992-93		1993-94	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बासमती चावल	266528	49917.85	324790	80064.42	536534	103095.29
गैर-बासमती चावल	411935	25640.9	255619	17495.7	268908	24913.78
योग :	678463	75558.75	580409	97560.12	805442	228009.07

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता

विदेशी मुद्रा अर्जन के देशवार आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशक (डी जी सी आई एण्ड एस) कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन में दिए गए हैं इसकी प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान बासमती और गैर-बासमती चावल के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी। इसका आंकलन करना सम्भव नहीं है क्योंकि निर्यात के लिए उपयुक्त मदों की सम्भावित मात्रा घरेलू उपलब्धता और मांग पर निर्भर करेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी परिसंपत्तियां

2790. श्री चरणजीत सिंह बराड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी परिसंपत्तियों में अत्यधिक सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 तथा 1993-94 के तुलनात्मक आंकड़ों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान इस क्षेत्र में और सुधार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख).जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में 1994-95 में 16 मार्च, 1995 तक 5463 मिलियन अमरीकी डालर की तथा 1992-93 एवं 1993-94 के दौरान क्रमशः 803 मिलियन अमरीकी डालर तथा 8634 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। भुगतान संतुलन आंकड़े जो मुद्रा भण्डार में परिवर्तन लाने वाले कारकों का एक विश्लेषित चित्र प्रस्तुत करते हैं-अप्रैल-सितम्बर 1994 तक उपलब्ध हैं और इन आंकड़ों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ). जुलाई, 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरूआत होने के पश्चात् बाह्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इस सुधार के ऊपर मध्यावधि नीति संबंधी प्राथमिकता का निर्णय हो रहा है।

विवरण

भुगतान संतुलन : प्रमुख संकेतक

(मिलियन अमरीकी डालर)

		1990–91 (पी.)	1991–92 (पी.)	1992–93 (पी.)	1993–94 (क्यू.ई.)	अप्रैल–सितम्बर 1993	(क्यू.ई.)
1.	निर्यात	18477	18266	18869	22700	10590	11853
2.	आयात	27914	21064	23237	23985	11436	13385
	जिसमें से पी.ओ.एल.	6028	5364	6100	5653	3045	2652
3.	व्यापार संतुलन	–9437	–2798	–4368	–1285	–846	–1532
4.	अदृश्य (निवल)	–243	.1620	842	970	–92	1096
	गैर–उपादान सेवाएं	979	1207	1128	777	उ.न.	उ.न.
	निवेश आय	–3752	–3830	–3422	–4002	उ.न.	उ.न.
	निजी हस्तांतरण	.2069	3783	2773	3825	उ.न.	उ.न.
	अनुदान	461	460	363	370	उ.न.	उ.न.
5.	चालू खाता	–9680	–1178	–3526	–315	–938	–436
6.	बाह्य सहायता (निवल)	2210	3037	1859	1700	48	281
7.	वाणिज्यिक ऋण (निवल)	2249	1456@	–358	839	254	–302
8.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (निवल)	1214	786	1288	191	236	–1134
9.	अनिवासी जमा–राशियां (निवल)	1536	290	2001	940	657	536
10.	रुपया ऋण सेवा	–1193	–1240	–878	–745	–690	–650
11.	विदेशी निवेश	68	154	585	4110	608	2586
	जिसमें से :						
	(i) डा.एफ.आई.	68	154	344	620	299	466
	(ii) एफ.आई. आइज	0	0		1665	240	1017
	(iii) यूरो इक्विटीज	0	0	240	1460	69	903
12.	अन्य प्रवाह ×	2318	271	–243	2148	1018	2441
13.	पूंजी खाता योग (निवल)	3402	4754	4254	9183	2131	3758
14.	प्रारक्षित प्रयोग	1277	–3576	–728	–8868	–1192	–3322

पी. प्रारंभिक वास्तविक आंकड़े। क्यू. ई. = त्वरित अनुमान

@ इसमें भारत विकास बांड शामिल हैं। उ.न. = उपलब्ध नहीं।

× इसमें देर से आई निर्यात प्राप्तियां तथा भूल–चूक लेन–देन शामिल हैं। वर्ष 1992–93 के लिए इसको अन्तर्गत उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली (एल. ई.आर.एम.एस.) के तहत प्रयोज्य दोहरे विनिमय दरों से उत्पन्न भूल–चूक भी शामिल हैं।

व्यापार घाटा

2791. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान चालू खाते में व्यापार घाटे के नवीनतम प्राक्कलन क्या हैं;

(ख) 1993-94 की इसी अवधि की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है;

(ग) इस परिवर्तन का क्या कारण है; और

(घ) व्यापार घाटे को कम करने और इसे नियंत्रण में रखने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). अप्रैल, 1994 से जनवरी, 1995 के दौरान 1637 मिलियन अमरीकन डालर का व्यापार घाटा होने का अनुमान है जो कि अप्रैल, 1993 जनवरी, 1994 के दौरान हुए करीब 582 मिलियन अमरीकन डालर के अनुमानित व्यापार घाटे से काफी ज्यादा है। उद्योग में बढ़ी हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप गैर-पी ओ एल आयातों में वृद्धि तथा आयात से जुड़े निर्यातों के कारण इस वित्तीय वर्ष में व्यापार घाटा और ज्यादा हुआ है। कच्चे मालों, मध्यवर्ती तथा पूंजीगत वस्तुएं आयात के मुख्य भाग हैं।

(घ) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है तथा व्यापार, उद्योग तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श करके निर्यात बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। सरकार नीतियों और क्रियाविधियों को और ज्यादा निर्यात अनुकूल बनाने के लिए प्रयास कर रही है। इन उपायों में शामिल हैं :—निर्यात-लाभों पर आयकर में छूट, परिवर्तनीय मुद्रा में नामोदिष्ट और ज्यादा सस्ते निर्यात ऋण की उपलब्धता, तथा निर्यात बाजार विकास के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों को सहायता।

श्रमिकों के लिए आचार संहिता

2792. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने देश में पहली बार मजदूर आतंकवाद के कारण श्रम दिवसों के नुकसान को रोकने हेतु मजदूरों और प्रबंध मंडल के लिए आचार संहिता शुरू करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने भी एक व्यापक ट्रेड यूनियन अधिनियम लागू किया है;

(ग) क्या ऐसा कानून बनाने पर केन्द्रीय सरकार भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार देश में मजदूरों और प्रबन्ध मंडल के लिए आचार संहिता कब तक बनाने पर विचार कर रही है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). केरल सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने श्रम और प्रबंधन के लिए कोई आचार संहिता नहीं बनाई है। तथापि, उन्होंने राज्य विधान सभा में व्यवसाय संघ को केरल की मान्यता विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति मांगी है। इस विधेयक के अंतर्गत व्यवसाय संघों को एक मात्र सौदाकारी एजेंट के रूप में मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (ट क) के साथ पठित पांचवीं अनुसूची में एक ओर नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के व्यवसाय संघों और दूसरी ओर कर्मकारों और कर्मकारों के व्यवसाय संघों के आधार पर अनुचित श्रम व्यवहार को संहिताबद्ध किया है।

राष्ट्रीय निवेश संवर्धन बोर्ड

2793. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय निवेश संवर्धन बोर्ड गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह बोर्ड कब तक गठित होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

हवाला भुगतान में सी.बी.आई. जांच

2794. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री सैयद शहाबुद्दीन :
श्री वी.एल. शर्मा प्रेम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करोड़ों के "हवाला" लेन-देन की जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मई, 1991 में दिए गए जांच आदेश पिछले तीन वर्षों से कायम हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक की जांच के क्या परिणाम निकले और इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया या पूछताछ की गई;

(ग) अन्तिम रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में और इस मामले में अभियोग शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कब तक पूरा कर लेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). प्रश्न में उल्लिखित व्यापार के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने भारत में जांच पूरी कर ली है। तथापि हवाला चैनल के द्वारा प्राप्त होने वाली निधियों का स्रोत पता करने के लिए विदेश में जांच जारी है। जांच पूरी करने के लिए किसी समय सीमा का देना कठिन है। सी.बी.आई. ने इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय सी.बी.आई. की रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस और अपराधिक शिकायतें तैयार कर रहा है।

आर्थिक सुधारों का मध्यावधि मूल्यांकन

2795. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री डा. वेंकटेश्वर राव :
श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री अमर पाल सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री रामपाल सिंह :
श्री देवी बक्श सिंह :
श्री लाल कृष्ण आडवाणी :
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट और कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि भारत में आर्थिक सुधार भारतीय कृषि के लिए हानिकारक हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में की गई प्रमुख टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उद्योग संबंधी संसदीय समिति ने भी 1991-94 के दौरान औद्योगिक प्रगति के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या हर क्षेत्र में आर्थिक सुधार कार्यक्रम की विफलता को देखते हुए इनका मध्यावधि पुनर्मूल्यांकन कराने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने "विश्व रोजगार 1995" शीर्षक से फरवरी 1995 में जारी एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डाला है :—

(एक) आधुनिक क्षेत्र के रोजगार में 1980 के दशक में 1.6 प्रतिशत प्रति वर्ग की मामूली अभिवृद्धि हुई है।

(दो) रोजगार के ढांचे पर कृषि से बाहर एक सामान्य गति द्वारा ध्यान दिया गया है। 1980 के दशक के दौरान समग्र रूप में गरीबी के स्तर में गिरावट आई।

(तीन) ग्रामीण इलाकों में कम रोजगार ज्यादा है।

(चार) रोजगार की उच्च प्रमात्रा शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में है।

(पांच) भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का 20 प्रतिशत प्रत्यक्ष पूंजी निर्माण में आवंटित किया है।

(छः) तथापि, कृषि संबंधी विकास पर नई आर्थिक नीति के सम्भावित प्रभाग पर कुछ चिन्ता जताई गई है। विशिष्ट आशंकाएं सार्वजनिक निवेश में कमी, कृषि संबंधी ऋण के लिए प्रावधान में से राज्य द्वारा निकासी तथा विस्तार सेवाओं की कमी पर हैं।

वित्त मंत्रालय के लिए तैयार की गई नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत अभिवृद्धि और उत्पादकता के लिए कृषिकीय क्षेत्र की पुर्नसंरचना पर अध्ययन में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एस.एस. जॉल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की, "नई आर्थिक नीति के तहत जो वातावरण तैयार किया गया है तथा तैयार किया जा रहा है, औद्योगिक तथा सेवा संबंधी क्षेत्रों पर उसका निःसन्देह, गहरा सकारात्मक तथा स्वस्थ प्रभाव पड़ रहा है, फिर भी इस परिवर्तन की हवाओं से कृषि क्षेत्र पर अभी तक किसी सकारात्मक दिशा में प्रभाव नहीं पड़ा है। नई आर्थिक नीति ने इस क्षेत्र पर जो कुछ भी प्रभाव डाला हो, यह ज्यादातर कुछ विकृतियों के स्वरूप में है जिसने इस क्षेत्र की अभिवृद्धि तथा विकास को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसलिए यह मुख्य रूप से इस क्षेत्र की आंतरिक ढांचागत कमजोरियों के कारण है जो नई आर्थिक नीति द्वारा लाई गई महत्वपूर्ण परिवर्तनों से लाभ पहुंचाने में अक्षम बना देता है।"

(ग) समुचित नीतियां बनाते समय सरकार विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखती है।

(घ) उद्योग संबंधी संसदीय समिति ने और बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की है कि "1994-95 की पहली तिमाही में संभावित जानकारी के बावजूद, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान औद्योगिक अभिवृद्धि की मंदी दरों के बारे में चिन्ता करने के कारण हैं; अभिवृद्धि की यह दर स्वतंत्रता से लेकर किन्हीं 3 वर्ष की अवधि में शायद सबसे कम है।"

(ङ) से (छ). आर्थिक सुधारों से पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। सकल आर्थिक अभिवृद्धि 1991-92 में 0.9 प्रतिशत से सुधर कर 1992-93 और 1993-94 के प्रत्येक वर्ष में 4.3 प्रतिशत हो गई और 1994-95 में इसके 5.3 प्रतिशत होने की आशा है। औद्योगिक अभिवृद्धि 1991-92 में 0.6 प्रतिशत से सुधर कर 1993-94 में 4.4 प्रतिशत और अप्रैल-नवम्बर, 1994 में 8.7 प्रतिशत हो गई। 1991-92 में वास्तविक गिरावट की तुलना में डालर के संबंध में निर्यात अभिवृद्धि सुधर कर

1993-94 में 19.6 प्रतिशत और अप्रैल-जनवरी, 1994-95 में 17.3 प्रतिशत हो गई। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां जून, 1991 में मुश्किल से 1 बिलियन डालर के स्तर से बढ़कर 10 मार्च, 1995 को 20 बिलियन डालर से भी अधिक हो गई।

सूत का आयात

2796. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूत और सूती वस्त्रों के शुल्क रहित आयात की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके कारण स्वदेशी बाजार में सूत के मूल्यों में कमी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो स्वदेशी बाजार के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख). घरेलू स्रोत से कपास की उपलब्धता की जटिल स्थिति तथा देश में कपास की कुछ किस्मों की कीमतों में वृद्धि होने को ध्यान में रखते हुए 19.4.94 से शून्य शुल्क पर ओ.जी.एल. के अन्तर्गत के आयात की अनुमति दी गई थी। सरकार ने शून्य शुल्क पर सूती वस्त्रों के आयात की अनुमति नहीं दी है। तथापि, वस्त्र के कच्चे माल सहित कच्चे माल के आयात की अनुमति अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त आधार पर दी जाती है।

(ग) विभिन्न कारणों से कपास की कीमतों में मामूली कमी हुई है।

(घ) सरकार स्थिति की निरन्तर मानीटरी कर रही है। कपास की उपलब्धता तथा कीमतों को विनियमित करने के लिए मिलों तथा व्यापारियों द्वारा रखे जाने वाले कपास के स्टाक की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए 5 लाख गांठ की घोषित मात्रा में से अब तक निर्यात के लिए केवल बंगला देशी कपास की। लाख गांठों की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

खान दुर्घटनाओं के संबंध में जांच

2797. श्री रामपाल सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 तथा 1994-95 के दौरान खान दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इन दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए कोई जांच समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति के क्या निष्कर्ष हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा खान संबंधी सुरक्षा उपायों में सुधार लाने तथा भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) क्रमशः 259 और 310।

(ख) और (ग). ईस्टर्न कोलफील्डस लि. की न्यू केन्डा कोलियरी में 25.1.94 की हुई घातक दुर्घटना के संबंध में जांच करने के लिए एक जांच न्यायालय का गठन कर दिया गया है। जांच न्यायालय के निर्णयों की प्रतीक्षा है।

अन्य दुर्घटनाओं की जांच-पड़ताल खान अधिनियम, 1952 में दी गई व्यवस्था के अनुसार खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा की गयी थी।

(घ) खान अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों में सुरक्षा उपायों के प्रावधान है। जबकि मूल दायित्व खान प्रबंधनों का है, खान सुरक्षा महानिदेशक निरीक्षणों और अभियोजनों आदि के माध्यम से उपबंधों का प्रवर्तन सुनिश्चित करता है। खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर अनिवार्य दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। सांविधिक उपायों के अतिरिक्त, खान सु.प.नि. द्वारा सुरक्षा सप्ताह, सुरक्षा सम्मेलन, कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण, सुरक्षा पुरस्कार आदि आयोजित करने जैसे सहायक कार्यकलापों का भी आयोजन किया जाता है।

[अनुवाद]

टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को अर्थक्षम बनाने की योजना

2798. श्री पी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इलाहाबाद बैंक सहित कुछ वित्तीय संस्थाएं अर्थक्षम बनाने के प्रस्ताव से अलग हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि उसके प्रारूप पुनरूद्धार योजना से संबंधित सुझावों/आपत्तियों, यदि कोई हों, की सुनवाई करने के लिए मैसर्स टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के मामले की पिछली सुनवाई

6.3.1995 को की थी। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, जो एक अर्थ-न्यायिक निकाय है, टीसीआईएल के संबंध में, बैंकों सहित सभी संबंधितों के विचारों की सुनवाई करने के बाद रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेगा।

बेरोजगारी

2799. श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीड़ी विरोधी विधान को ध्यान में रखते हुए बीड़ी कामगारों को रोजगार के पर्याप्त नए अवसर देने हेतु योजनाएं बनायी हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है और इसके लिए राज्य-वार कितनी धनराशि नियत की गयी है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्तावित विधान का उद्देश्य केवल तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाना है और इसमें तंबाकू के प्रयोग या विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की परिकल्पना नहीं है। अतः यह महसूस किया जाता है कि इसके परिणामस्वरूप वर्तमान में बीड़ी कर्मकारों के मध्य बेरोजगारी की कोई आशंका नहीं है।

[हिन्दी]

अफीम की तस्करी

2800. श्री पंकज चौधरी :
श्री रामपाल सिंह :
श्री वृजभूषण शरण सिंह :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश से बड़ी मात्रा में अफीम का अवैध रूप से निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान अफीम के अवैध निर्यात के कारण अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई; और

(ग) सरकार ने अफीम के अवैध निर्यात को रोकने हेतु क्या कड़ी कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) देश से बड़ी मात्रा में अफीम के अवैध रूप से निर्यात किए जाने की कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि वर्ष 1994 के दौरान देश से अवैध रूप से निर्यात किए जाने के समय कुल 3.186 कि.ग्रा. अफीम जब्त की गई।

(ख) अफीम का गैरकानूनी रूप से निर्यात एक गुप्त प्रक्रिया है अतः विदेशी मुद्रा की हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) अफीम का उत्पादन तथा निर्यात केन्द्रीय सरकार द्वारा विनियमित तथा सख्त नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में है। विभिन्न कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां पोस्त की खेती पर सख्त नजर रखती हैं तथा किसी प्रकार के उल्लंघन पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत कठोर दण्ड संबंधी कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

सीमा-शुल्क अधिकारियों के खिलाफ मामले

2801. श्री वसुदेव आचार्य :
डा. सुधीर राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड के सतर्कता विंग द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 73 अधिकारियों के खिलाफ जांच की है।

[हिन्दी]

तुर्की के साथ समझौता

2802. श्री सत्यदेव सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहरे कराधान से बचने के लिए तुर्की के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) कब से उक्त समझौता लागू किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). जी, हां। भारत और तुर्की ने दोहरे कराधान से बचने के लिए एक करार किया है, जिस पर तुर्की के राष्ट्रपति की सरकारी यात्रा के दौरान 31.1.1995 को सरकारी स्तर पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इस करार का उद्देश्य दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी, पूंजी-निवेश और सेवाओं के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना है।

इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान है :-

(क) एक देश के व्यापारिक उद्यमों पर दूसरे देश में केवल तभी कराधान किया जाएगा यदि दूसरे देश में इसे स्थायी रूप से स्थापित किया गया हो;

(ख) पूंजी-निवेश आय जैसे लाभांश एवं ब्याज तथा तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियों और शुल्कों पर कराधान की कम दरें; और

(ग) दोनों देशों के बीच, विशेषकर करों की धोखाधड़ी या अपवंचन को रोकने के लिए सूचना का आदान-प्रदान।

एक पारस्परिक करार प्रक्रिया तैयार कर दी गयी है ताकि इस प्रक्रिया के द्वारा कर संबंधी विवादों को हल किया जा सके।

यह करार संविदाकार देशों द्वारा कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद पश्चात्वर्ती अधिसूचना प्राप्त होने के अगले महीने की पहली तारीख से लागू किया जाना है। भारत द्वारा इन प्रक्रियाओं के पूरा करने के संबंध में तुर्की सरकार को अधिसूचित करने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

लागू होने पर यह करार भारत में कर निर्धारण वर्ष 1995-96 और उससे आगे के संबंध में करों के लिए प्रभावी होगा।

[अनुवाद]

एअर इंडिया द्वारा विनिवेश

2803. **श्री हरिन पाठक :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया का विचार अपना आधुनिकीकरण कार्यक्रम को शुरू करने के लिए निजी निवेशकों से धन जुटाने हेतु विनिवेश करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). उपयुक्त अवस्था में, अपनी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संसाधन जुटाने के लिए एअर इंडिया पूंजी बाजार से धन एकत्र कर सकता है।

[हिन्दी]

महिला उद्यमी

2804. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री तेजनारायण सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का विचार उच्च तकनीकी गुणवत्ता उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात संवर्धन करने हेतु प्रतिस्पर्धी विपणन नीति अपनाने के लिए महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). विशेषकर विश्व के चोटी के बाजारों की व्यापार आसूचना के संवितरण और निर्यात उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन को प्रोत्साहित करके निर्यात के मामले में सहायता पहुंचाना एक सतत प्रक्रिया है। इसमें महिला उद्यमियों को दी जाने वाली सहायता भी शामिल है।

हवाई अड्डों का निर्माण

2805. **श्री महेश कनोडिया :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों अथवा विदेशी कंपनियों से हवाई अड्डे बनाने तथा देश में वायु सेवा की शुरूआत करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों में सूरत हवाई अड्डे से संबंधित कोई प्रस्ताव भी सम्मिलित है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). अनिवासी भारतीयों की सहायता से कोचीन में नेदुबसेरी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण के लिए केरल राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी अनापत्ति दे दी है।

एक अनिवासी भारतीय से भारत में अनुसूचित एयरलाइन आरंभ करने के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदक ने कोई ब्यौरे नहीं दिए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एअर इंडिया का शेयर

2806. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में एअर इंडिया का शेयर 1981 में सर्वाधिक 42 प्रतिशत के स्तर से तेजी से गिरकर 1994 में 18.1 प्रतिशत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). भारत से/के लिए एअर इंडिया के यात्री यातायात का मार्केट अंश वर्ष 1981 में 33.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1993 में

20.4 प्रतिशत हो गया। तथापि, जहां तक यात्रियों का संबंध है एअर इंडिया ने वर्ष 1981 में 13.13 लाख यात्रियों की तुलना में वर्ष 1993 में 15.30 लाख यात्रियों का वहन किया। इस अवधि में भारत से/के लिए कुल अन्तर्राष्ट्रीय यातायात 39.20 लाख यात्रियों से बढ़कर 73. 50 लाख यात्री हो गया। वर्ष 1994 के पूरे ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं है। एयर इंडिया के वहन में वृद्धि कुल यातायात में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं हो पायी है, भले ही एअर इंडिया के यात्री भार गुणक में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

सूती धागे

2807. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत सूती धागे के निर्यात से कदाचार पैदा हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को बंद करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). आयातित कपास के आधार पर सूती यार्न के निर्यात की अनुमति उच्चतम सीमा के प्रतिबन्धों के बिना अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत दी जाती है। इस परिपेक्ष में महानिदेशक विदेश व्यापार (डी.जी.एफ.टी.) अग्रिम लाइसेंसों पर यह शर्त लागू कर रहा है कि योजना के अन्तर्गत सूती यार्न के निर्यात से पहले कपास की अपेक्षित मात्रा का आयात किया जाना चाहिए। वस्त्र मंत्रालय के अनुरोध पर डी जी एफ टी ने कपास के पूर्व आयात से संबंधित आदेशों को अपने सभी क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों के कड़ाई से अनुपालन हेतु पुनः दोहराया है।

निजी क्षेत्र की कम्पनियों में धोखाधड़ी

2808. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक विकास बोर्ड और भारतीय यूनिट ट्रस्ट में बैंकिंग प्रभाग का प्रतिनिधित्व है;

(ख) यदि हां, आज की स्थिति के अनुसार इन बोर्डों से इनके प्रतिनिधित्व का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित निजी क्षेत्र की कम्पनियों में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) बैंकिंग प्रभाग से सरकारी निदेशकों की नियुक्ति भारतीय *औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि.* के बोर्डों में की जाती है।

(ख) इस समय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बोर्ड में विशेष सचिव (बैंकिंग) और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. के बोर्ड में एक संयुक्त सचिव सरकारी निदेशक हैं।

(ग) वित्तीय संस्थान उन गैर-सरकारी कंपनियों के बोर्डों में अपने स्वयं के निदेशक नामित करते हैं जिनमें उनका पर्याप्त धन लगा होता है। इन नामित निदेशकों से आशा की जाती है कि वे वित्तीय संस्थानों के हितों की रक्षा करें और जब कभी कोई कार्रवाई अपेक्षित या आवश्यक हो तो संबंधित वित्तीय संस्थानों को सूचित करें। ऐसी गैर-सरकारी कंपनियों में बैंकिंग प्रभाग का कोई नामित निदेशक नहीं है।

इंटिग्रेटिड कन्वेंशन सैन्टर

2809. श्री पी. कुमारासामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने इंटिग्रेटिड कन्वेंशन सैन्टर स्थापित करने के लिए पर्यटन वित्त निगम से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र कहां-कहां पर स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय पर्यटन निगम लिमिटेड (टीएफसीआई) ने सूचित किया है कि उसे इंटिग्रेटिड कन्वेंशन सैन्टर स्थापित करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

[हिन्दी]

विद्युत करधा श्रमिक

2810. श्री राधेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम की सहायता से विद्युत करघा श्रमिकों के लिए एक सामूहिक बीमा योजना आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने विद्युत करघा श्रमिकों को लाभ पहुंचेगा?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :–

(1) वे सभी विद्युत करघा कामगार पात्र हैं जिनकी आयु 18–60 वर्ष के बीच है तथा जिन्होंने वर्ष के दौरान कार्य किया है।

(2) परिवार का प्रत्येक सदस्य जोकि कम से कम 700 रु. प्रतिमाह का न्यूनतम औसत वेतन अर्जित करता है, योजना में भाग ले सकता है।

(3) 10,000रु. की बीमा राशि के लिए प्रति वर्ष 120 रु. का प्रिमियम अदा करना पड़ेगा जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा विद्युत करघा कामगारों को बराबर–बराबर अंशदान करना होगा।

(4) दुर्घटना से मृत्यु हो जाने की स्थिति में 20,000 रु. की राशि अदा की जाएगी।

(ग) योजना के अंतर्गत लाभान्वित किए गए विद्युत करघा कामगारों की राज्य–वार संख्या निम्नानुसार है :–

	राज्य	(वर्ष 1994–95 तक) शामिल किए कामगार
1.	दिल्ली	13
2.	मध्य प्रदेश	2119
3.	राजस्थान	1682
4.	हिमाचल प्रदेश	118
5.	उत्तर प्रदेश	26000
6.	उड़ीसा	2500
7.	आंध्र प्रदेश	20873
8.	कर्नाटक	25000
		78305

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन

2811. श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994–95 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय सरकार को कौन–कौन सी योजनाएं भेजी हैं;

(ख) किन–किन योजनाओं को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ग) इन योजनाओं पर कितनी धन राशि खर्च होगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) इन योजनाओं के कार्यान्वित से रोजगार के कितने अवसर सृजित होने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार से जो स्कीमें/परियोजनाएं, प्राप्त हुई हैं तथा केन्द्रीय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदित हुई हैं, सम्भावित खर्च के साथ इन परियोजनाओं/स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इन स्कीमों के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा।

विवरण

वर्ष 1994–95 के लिए केन्द्रीय आर्थिक सहायता

क्र.सं.	परियोजनाएं/स्कीमें	प्राक्कलित व्यय (केन्द्रीय घटक) (लाखों में रु.)
1.	सारनाथ में पर्यटक स्वागत केन्द्र	28.24
2.	सारनाथ में ध्यान केन्द्र	64.71
3.	चौखण्डी स्तूप के गिर्द के क्षेत्र का विकास	3.40
4.	रेस्टोरेंट–व–प्रतीक्षा कक्ष, श्रावस्ती	12.26
5.	रेस्टोरेंट–व–प्रतीक्षा कक्ष, कुशीनगर	12.25
6.	रेस्टोरेंट–व–प्रतीक्षा कक्ष, पलिया	12.26
7.	ताज महोत्सव	5.00
8.	अवध उत्सव	1.50
9.	वाराणसी घाटों पर स्मारकों का परिप्रदीप्तिकरण	20.00
	जोड़ :	159.62

[हिन्दी]

पांच सितारा होटल

2812. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में, राजस्थान में कितने पांच सितारा होटल हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान में पर्यटकों की रूचि को बढ़ाने की दृष्टि से ऐसे और होटल खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) फिलहाल, राजस्थान में 7 वर्गीकृत पांच सितारा और पांच सितारा डीलक्स होटल हैं।

(ख) होटलों का निर्माण करना मुख्यतः निजी क्षेत्र के कार्यकलाप है। सरकार की एक स्कीमं है जिसके द्वारा वह विभिन्न श्रेणियों में परियोजना तैयार करने की स्थिति में होटलों का अनुमोदन करती है।

(ग) सरकार ने राजस्थान में पांच सितारा श्रेणी में और होटल परियोजनाओं का अनुमोदन किया है।

[अनुवाद]

कर्मचारियों की भविष्य निधि

2813. श्री विजय एन. पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों को बेहतर लाभांश देने के लिए उनकी सामान्य भविष्य निधि की विभिन्न प्रत्याभूतियों में निवेश की प्रतिशतता तथा इससे संबंधित मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भविष्य निधि के निवेश में उपयुक्त परिवर्तनों के लिए सुझाव देने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकारी कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि लोक लेखे का एक भाग है। किसी वर्ष की निवल जमा रकमों को संसाधनों की कमी की पूर्ति हेतु पूंजीगत प्राप्तियों के तौर पर लिया जाता है। सामान्य भविष्य निधि की अधिशेष रकम पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज की भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में गौचर में हवाई अड्डे की स्थापना

2814. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में गौचर में हवाई अड्डे की स्थापना के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की गौचर (उत्तर प्रदेश) में हवाई अड्डा बनाने की कोई योजना नहीं है।

बैंक ऑफ इंडिया के रोक दिए गए खाताधारी

2815. श्री तारा सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक ऑफ इंडिया जोन कार्यालय, पूर्वी क्षेत्र कलकत्ता ने अपने कुछ उन संगठकों/खाताधारियों को हुए घाटों की क्षति पूर्ति करने का निश्चय किया है जिनके खातों पर बैंक शाखाओं द्वारा विभिन्न कारणों से रोक लगा दी गयी थी;

(ख) क्या इस संबंध में शीघ्र निर्णय किए जाने के लिए बैंक को विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बैंकों में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

2816. श्री लाल बाबू राय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु विद्यमान तंत्र प्रभावी है;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं द्वारा बैंकों के विरूद्ध दायर किये गये मामलों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो बैंकों में शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी गोइपोरिया समिति ने अपनी रिपोर्ट में बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सुधारने के लिए कई सिफारिशें की हैं। भारतीय रिजर्व ने बैंकों को इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए पहले ही सूचित कर दिया है। इसके अलावा, बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक "ओमबड़समैन" किस्म के प्राधिकरण की स्थापना करने पर विचार किया जा रहा है।

विदेशी पर्यटकों का आगमन

2817. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन और विदेशी मुद्रा के उपार्जन के क्या लक्ष्य तय किये गये हैं;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि रही है;

(ग) क्या आठवीं योजना के लिये तय लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पर्यटक आगमन और पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय के अन्तिम वर्ष लक्ष्य के क्रमशः 2.57 मिलियन पर्यटक और 7000 करोड़ रु. विदेशी मुद्रा है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान पर्यटक आगमन 1.87 मिलियन था और उनसे होने वाली प्राक्कलित विदेशी मुद्रा आय 6509 करोड़ रु. (संशोधित) थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कपड़ा उद्योग द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन

2818. डा. परशुराम गंगवार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीन, दरी और कपड़ा उद्योग श्रम कानूनों का बहुत ज्यादा उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले उद्योगपतियों के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के कार्य संचालन में सुधार लाना

2819. श्री बेल्लीया नंदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के कार्य संचालन और कार्यकरण में सुधार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या-क्या योजनाएं बनायी गई हैं;

(ग) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक देश में लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के मामले में अपने उद्देश्यों को पूरा करने में काफी हद तक असफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब से कुशलतापूर्वक कार्य करने लगेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). लघु उद्योग क्षेत्र तथा कुटीर और ग्रामोद्योगों को सहायता के प्रवाह में तेजी लाने के वाणिज्यिक बैंकों के प्रयत्नों में सहायता प्रदान करने के लिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) वर्तमान योजनाओं का उदारीकरण, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और नई योजनाओं की शुरूआत करता रहा है ताकि ऋण वितरण तंत्र के वर्तमान ढांचे के अंतरालों को पूरा किया जा सके। सिडबी के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को सहायता के प्रवाह में वृद्धि हुई है। पिछले चार वर्षों के दौरान, सिडबी द्वारा प्रदान की गई सहायता में, मंजूरी के मामले में 12.4 प्रतिशत संवितरण में 13.9 प्रतिशत की मिश्र वृद्धि दर दर्ज की गई।

(ग) और (घ). सिडबी ने सूचित किया है कि पिछले चार वर्षों के दौरान, परिचालनों की प्रवृत्ति के अनुसार, चालू वर्ष में भी उसके परिचालनों में निरंतर वृद्धि हुई है। सिडबी ने अप्रैल 1994-फरवरी, 1995 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में, मंजूरी में 34 प्रतिशत और संवितरण में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है।

कलकत्ता हवाई अड्डा

2820. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे पर कार्यरत ठेके के श्रमिकों को विश्राम गृह, भोज कक्ष और चिकित्सा सुविधाओं आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). हवाई अड्डों पर स्टाफ कैन्टीन, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, चिकित्सा सहायता संबंधी सुविधाओं को ठेकेदारों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। परन्तु आराम गृह की सुविधाओं की व्यवस्था ठेकेदार के कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं कराई जाती क्योंकि उन्हें बीना किसी विराम के निर्दिष्ट घंटों के लिए यात्री टर्मिनल अथवा प्रचालनात्मक क्षेत्र में काम करना होता है।

[हिन्दी]

सोने की तस्करी

2821. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान देश में अवैध रूप से लाया गया कितना सोना पकड़ा गया और कुल मूल्य कितना था;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(ग) सोने की अवैध तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कड़ी कार्यवाही किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान देश में पकड़े गये सोने की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

मात्रा	मूल्य
522 कि.ग्रा.	2446 लाख रुपये

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) सोने की अवैध तस्करी को रोकने के लिए न्यायनिर्णयन कार्यवाही के दौरान भारी अर्थ दंड लगाकर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाती है। सोने की तस्करी के गंभीर मामलों में अपराधियों पर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत मुकदमे चलाये जाते हैं और उन्हें नजरबंद किया जाता है।

[अनुवाद]

आयकर छापे

2822. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री 12 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2938 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना हिसाब-किताब की आस्तियां इकट्ठी करने और करापवंचन के लिये डाबर इंडिया लिमिटेड के निदेशकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है :—

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). इस समूह के मामलों में अघोषित आय आदि का अनुमान लगाते हुए धारा 132 (5) के अंतर्गत सांविधिक आदेश पारित किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार तलाशियों के दौरान अभिगृहीत की गई परिसंपत्तियों को रोके रखने के आदेश दिए गए हैं।

(ग) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

बीमा क्षेत्र में सुधार

2823. श्री अमर पाल सिंह :
श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :
श्री मोहन रावले :
श्री पवन कुमार बंसल :
श्री राम नाईक :
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :
डा. वसंत पवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना की स्थिति क्या है;

(ख) बीमा क्षेत्र में सुधार के लिये मल्होत्रा समिति द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सामान्य बीमा निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने 16 फरवरी, 1995 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी;

(घ) यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगे क्या थी; और

(ङ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि उनके कर्मचारियों ने 16.2.1995 को एक दिन की हड़ताल की थी और उनकी मुख्य मांगे थीं कि बीमा उद्योग का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए; पेंशन समझौते को कार्यान्वित किया जाना चाहिए और वेतन के संबंध में बातचीत तत्काल शुरू की जानी चाहिए। सरकार को मल्होत्रा समिति की इस सिफारिश पर कि निजी क्षेत्र को बीमा कारोबार में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए, अभी निर्णय करना है। बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। सरकार उपयुक्त समय पर वेतन संबंधी बातचीत पर विचार करेगी।

व्यापार-संतुलन

2824. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान किये गये आयात और निर्यात व अनुमानित मूल्य कितना है और रुपयों, डालरों और ए.डी. रुपयों में कितना व्यापार हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन मदों का ब्यौरा क्या है जिनके निर्यात में कुल वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि रिकार्ड की गई;

(ग) आयात करने वाले देशों में वे कौन से देश हैं जिन्होंने वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान कम आयात किया;

(घ) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान रुपए, डालर और एसडीआर में आयात निर्यात एवं व्यापार-संतुलन का अनुमानित (अनन्तिम) मूल्य निम्नलिखित है :—

	1993-94			1994-95 (अप्रैल-जनवरी)		
	करोड़ रु.	मिलि. अमरीकी डालर	एसडीआर	करोड़ रु.	मिलि. अमरीकी डालर	एसडीआर
निर्यात	69546.97	22173.06	15847.19	65482.99	20871.01	14406.49
आयात	72806.01	23212.13	16589.80	71247.90	22708.42	15674.80
व्यापार संतुलन	(-) 3259.04	(-) 1039.07	(-) 742.61	(-) 5764.91	(-) 1837.41	(-) 1268.31

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान समग्र वृद्धि की तुलना में जिन मदों के निर्यात में धीमी वृद्धि हुई है, वे हैं : चमड़ा एवं चमड़े से बनी वस्तुएं; हस्तशिल्प एवं कालीन। वर्ष 1994-95 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान धीमी वृद्धि-दर वाकी मदों में मसाले, अयस्क एवं खनिज, इंजीनियरी माल तथा रत्न एवं आभूषण शामिल हैं।

(ग) वर्ष 1993-94 (अप्रैल-दिसम्बर) की तुलना में, वर्ष 1994-95 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान प्रमुख आयातक देशों में से जिन देशों ने कम आयात किया, उनमें अफगानिस्तान, बहरीन द्वीप समूह, चीन, चेक गणराज्य, हंगरी, ईरान, कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य, मोजाम्बिक, कतार, रोमानिया, सऊदी अरब, तुर्की, उक्रेन और यमन गणराज्य शामिल हैं।

(घ) तथा (ङ). निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा अन्य सम्बन्धित पक्षों से परामर्श करके निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय किए जाते हैं। सरकार नीतियों एवं क्रियाविधियों को निर्यात के लिए और अधिक अनुकूल बनाने के प्रयास कर रही है। इन उपायों में निर्यात लाभों पर आय-कर में छूट, परिवर्तनीय मुद्राओं में निर्धारित आसान निर्यात ऋण उपलब्धता तथा निर्यात बाजार विकास के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों को सहायता देना शामिल है।

[अनुवाद]

कपड़ा व्यापारियों द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी

2825. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जनवरी, 1995 के "दि इकानौमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार कपड़ा व्यापारियों द्वारा की जा रही उत्पाद शुल्क की चोरी को रोकने के लिये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने कोई प्रयास किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने, अभी हाल ही में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन रोकने के लिए निवारक कार्यकलापों को तेज कर दिया है। इसके परिणामतः, कपड़ों सहित उत्पाद शुल्क माल का चोरी-छिपे विनिर्माण करने और उसे हटाने के धन्धे को रोकने के लिए आसूचना इकट्ठा करने, उत्पादन एवं निकासियों की आकस्मिक जांच करने और मार्गस्थ जांच करने का कार्य तेज कर दिया गया है। अप्रैल, 1994 और फरवरी, 1995 के बीच, सूरत में ऐसे 270 से अधिक मामलों का पता लगाया गया जिनमें लगभग 4.8 रुपए का शुल्क अपवंचन अन्तर्ग्रस्त था।

चाय के पौधों पर मूल्यह्रास के मानदंड

2826. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चाय के पौधों पर मूल्यह्रास के संबंध में मानदंड बनाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मूल्यह्रास के प्रयोजनार्थ चाय के पौधों को आयकर अधिनियम की दृष्टि से प्लांट और मशीनरी मानने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) किसी कर निर्धारिती द्वारा पुरानी चाय की झाड़ियों के स्थान पर नयी झाड़ियां लगाने पर हुए व्यय के संबंध में कटौती के लिए आयकर नियमावली, 1962 के नियम 8(2) में पहले ही प्रावधान है। नियम 8(2) के अन्तर्गत कटौती की स्वीकृति मूल्य ह्रास के बदले में है। इस प्रकार, चाय की झाड़ियों के संबंध में मूल्य ह्रास की स्वीकृति दोहरी कटौती के समान होगी। एक बार नयी झाड़ियां लगाने की लागत के रूप में और इसके बाद दुबारा मूल्य ह्रास छूट के रूप में। स्पष्टीकरण के तौर पर वित्त विधेयक, 1995 में चाय की झाड़ियों को "प्लांट" शब्द के अर्थ से अलग रखने का प्रस्ताव है।

क्षेत्रीय डिजायन और तकनीकी विकास केन्द्र

2827. श्री राम कापसे : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई स्थित क्षेत्रीय डिजाइन और तकनीकी विकास केन्द्र को इसके कर्मचारियों सहित भोपाल में स्थानांतरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भोपाल में स्थानांतरित कर्मचारियों के व्यवधान के संबंध में किए गए प्रबंधों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख). क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र, बंबई द्वारा अधिकृत परिसर को बंबई उच्च न्यायालय के दिनांक 1.12.94 के निर्णय के अनुसार खाली किया जाना था। उक्त निर्णय का कार्यान्वयन बंबई के शरीफ द्वारा स्थानीय पुलिस की सहायता से किया गया। यद्यपि स्टाफ तथा सामग्री को बंबई में ही किसी उपयुक्त स्थान पर बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास किए गए, किन्तु कोई भी वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं हो सका। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र के लिए भोपाल में एक उपयुक्त स्थान मुहैया करवाया। अतः क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र को बंबई से भोपाल स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।

(ग) एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी दो महीने का वेतन तथा स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता पेशगी पाने के हकदार है। तदनुसार स्टाफ से ऐसी हकदारियों के लिए दावे प्राप्त होने पर दो मास का एडवांस वेतन तथा स्थानांतरण यात्रा भत्ता की स्वीकृति के आदेश दिनांक 9.1.1995 को जारी किए गए। तैनाती के नए स्थान पर ज्वाइन करने पर अन्य हकदारियों जैसे स्थान की उपलब्धता पर स्टाफ की वरीयता के आधार पर सरकारी आवास का आवंटन अथवा इसके बदले में मकान किराया भत्ता, नगर भत्ता, डाक्टरी सहायता, बाल शिक्षा भत्ता आदि उपलब्ध हैं।

सिगरेट पर उत्पाद शुल्क

2828. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार देश में कितने सिगरेट निर्माता हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान सिगरेट का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) इस अवधि के दौरान सिगरेटों पर उत्पादन कर के रूप में कम्पनी-वार कितनी धनराशि एकत्र की गयी;

(घ) इन सिगरेट निर्माताओं के यहां उत्पाद कर की बकाया राशि का कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) वित्त वर्ष में ही उत्पाद कर की सारी बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(च) क्या सरकार को इन कम्पनियों को बंद करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (छ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

साधारण बीमा कंपनी और भारतीय जीवन बीमा निगम के डी.ओज. को पारिश्रमिकों का भुगतान

2829. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साधारण बीमा कम्पनी और भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे केन्द्रीय और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में भी पारिश्रमिक को उत्पादकता से जोड़ने की नीति अपनाने का है जैसाकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, नहीं। साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के पारिश्रमिक को उत्पादकता से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों के लिए एक स्कीम है, जिसमें प्रोत्साहनों के भुगतान का

प्रावधान है जो व्यवसाय के निष्पादन, लाभ देयता और लागत से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त, 2500/- रुपये तक की कुल परिलब्धियां प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को उसी पैटर्न पर तदर्थ बोनस दिया जाता है जिस पैटर्न पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है।

निर्यात बीमा योजना

2830. श्री परसराम भारद्वाज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों के लिये कोई निर्यात बीमा योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय निर्यातकों और वाणिज्यिक बैंकों को निर्यात ऋण बीमा तथा गारण्टी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारण्टी निगम (इं सी जी सी) विभिन्न योजनाएं चला रही है। राजनीतिक/अपागमन समस्याओं से ग्रस्त वाले देशों को निर्यात से सम्बन्धित जोखिम को कवर करने के लिए एक पृथक राष्ट्रीय निर्यात बीमा सहायता सृजित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था परन्तु विपरीत राजनीतिक अवरोधों के रूप में होने वाले जोखिमों के कारण इसको क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

रुपए का अवमूल्यन

2831. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही रुपए का अवमूल्यन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। रुपए की मुद्रा दर बाजार से निर्धारित होती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ानें रद्द करना

2832. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर एयर इंडिया को अपनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये यात्रियों की कमी का सामना करना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया को अपनी उड़ानों में कुल कितने यात्रियों की कमी रही;

(घ) क्या एयर इंडिया ने यात्रियों की संख्या कम होने के कारण त्रिवेन्द्रम से अपनी किसी उड़ान को रद्द किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). वर्ष 1992-93 के बाद कुछ सीमा तक एयर इंडिया की त्रिवेन्द्रम से उड़ानों पर यात्री भार गुणांक में गिरावट तो आई है, परन्तु यात्रियों की कोई कमी नहीं है।

(घ) और (ङ). एयर इंडिया ने 7.1.1995 को बम्बई-त्रिवेन्द्रम् आबू धाबी-बम्बई मार्ग पर कम भार के कारण एक उड़ान रद्द की।

अहमदाबाद से नैरोबी तक सीधी उड़ानें

2833. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री काशीराम राणा :
श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों से अहमदाबाद से जोहन्सबर्ग होते हुये नैरोबी और केपटाउन के लिये सीधी उड़ानें शुरू करने के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली-अहमदाबाद-मस्कट तक की उड़ानों को नैरोबी तक बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) अहमदाबाद से नैरोबी और जोहन्सबर्ग के लिए सीधी उड़ानें आरंभ करने के गुजरात सरकार तथा कुछ अन्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) अपर्याप्त यातायात संभावनाओं के कारण, प्रस्तावित सेवाओं को आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं समझा जाता।

(ग) से (ङ). इंडियन एयर लाइन्स द्वारा इस समय दिल्ली-अहमदाबाद-मस्कट मार्ग पर ए-320 विमान से प्रचालन किया जा रहा है जिसमें नैरोबी तक के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य उड़ान भरने की अपेक्षित क्षमता नहीं है।

निजी कंपनियों में निवेश

2834. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान निजी वृक्षारोपण कंपनियों द्वारा विभिन्न समाचार-पत्रों में भारी संख्या में जारी किए गए विज्ञापनों की ओर दिलाया गया है जिनमें एक निर्दिष्ट अवधि में कई-गुणा वृद्धि का वादा करते हुए निवेश आमंत्रित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे निवेश के आमंत्रण हेतु इन कंपनियों के पास वैध लाइसेंस/परिमिट हैं;

(ग) क्या इन कंपनियों का कारोबार भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति के निवारण हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। निवेश मांगने के लिए ऐसी कंपनियों द्वारा सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।

(ग) जी, नहीं। चूंकि ये कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय-कंपनियों की श्रेणी से बाहर मानी जाती हैं, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के नियम और विनियम वृक्षारोपण कंपनियों पर लागू नहीं होते।

(घ) अन्वेषण और पंजीकरण महानिदेशक ने अनुचित व्यापार व्यवहार में रत कुछ वृक्षारोपण कंपनियों के वि ◌ एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष कुछ शिकायतें फाइल की हैं।

बैंकों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी

2835. श्री राम विलास पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग प्रभाग के अधिकारियों की अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बैंक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ 1 जनवरी, 1995 को बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय लिये गये;

(ग) क्या कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों एवं भारतीय बैंक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण उनकी बहुत सी मांगों को पूरा नहीं किया गया;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये, जिसके लिये उन्होंने 12 दिसम्बर, 1994 को जन्तर-मन्तर, नयी दिल्ली पर एक हड़ताल की थी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बैंक कर्मचारी संघ (पंजीकृत) के प्रतिनिधियों और संबद्ध अधिकारियों सहित बैंकिंग प्रभाग के अधिकारियों के बीच शीघ्र ही कोई बैठक करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। अलबत्ता, दिनांक 17.1.95 को आल इंडिया एस.सी./एस.टी. बैंक एम्पलाइज फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई थी।

(ख) से (ङ). बैठक में फेडरेशन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की गई थी और फेडरेशन के प्रतिनिधियों को यह सूचित किया गया था कि अधिकांश मुद्दों पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है और उस पर विचार करने के लिए इन विभागों को उपयुक्त संदर्भ भेजा जा सकता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा भारतीय बैंक संघ को उपयुक्त संदर्भ भेज दिए गए हैं।

उपकरण अवतरण प्रणाली

2836. श्री रमेश चेन्निथला : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से विमान पत्तनों पर उपकरण अवतरण प्रणाली नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). किसी विमान पत्तन पर उपस्कर अवतरण प्रणाली संस्थापित किए जाने की आवश्यकता का निर्धारण वहां मौसम के करण दृश्यता संबंधी स्थिति, विमान पत्तन के आस-पास के भू-भाग की किस्म, प्रचालन किए जाने वाले विमान के प्रकार जैसे पहलुओं के आधार पर किया जाता है। तद्नुसार, राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के 25 विमान पत्तनों पर यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की छः और विमान पत्तनों पर इस सुविधा को संस्थापित करने की योजना है।

राष्ट्रीय वेतन बोर्ड

2837. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये बोनस की अदाय अधिकतम सीमा बढ़ाने, मंहगाई भत्ते में संशोधन करने तथा पेंशन योजनाएं लागू करने हेतु एक राष्ट्रीय वेतन बोर्ड या पैनल गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वेतन बोर्ड के निदेश-पद क्या हैं; और

(ग) इन मुद्दों पर कब तक निर्णय लिया जायेगा?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बोनस की उच्चतम सीमा, मंहगाई भत्ता और पेंशन योजना के मुद्दे पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय मजदूरी बोर्ड अथवा पैनल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों को सहायता

2838. श्री काशीराम राणा :
श्री खेलन राम जांगडे :
श्री मानवेन्द्र शाह :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिये अपनाये जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सहायता और ऋण सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड क्षेत्र के विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिये और अधिक केन्द्रीय सहायता/ऋण देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विशेष उद्देश्यों या वित्तीय संकट का सामना कर रहे राज्यों को अधिक केन्द्रीय सहायता/ऋण देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए दिसम्बर, 1991 में हुई बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित फार्मूले को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में है।

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए केन्द्रीय सहायता (फार्मूला आधारित) के सकल आबंटनों तथा वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (अब तक) के दौरान राज्य सरकारों को जारी किए गए लघु बचत ऋणों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ). जी, हां। वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ङ) से (छ). वर्ष 1994-95 के लिए राज्य को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता/ऋण सहायता को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है। जहां तक 1995-96 का प्रश्न है, योजना आयोग ने अधिकांश राज्यों की योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है, किन्तु कुछ राज्यों की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है।

विवरण-I

केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए दिसम्बर, 1991 में हुई बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित फार्मूला

I. कुल केन्द्रीय सहायता में से, बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए अपेक्षित धन राशि अलग रखकर, जैसा कि अब किया जा रहा है;

II. शेष राशि में से विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों, अर्थात्;
- (क) पर्वतीय क्षेत्र;
- (ख) आदिवासी क्षेत्र;
- (ग) सीमा क्षेत्र, और
- (घ) एन.ई.सी., के लिए यथोचित राशि उपलब्ध कराना;

III. शेष में से 10 विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 30 प्रतिशत रखना; और

IV. शेष राशि को निम्नलिखित मानदंड के अनुसार 15 विशेष श्रेणी भिन्न राज्यों के बीच आवंटित करना;

	मानदंड	भार (%)
I.	**जनसंख्या (1971)**	60%
II.	प्रति व्यक्ति आय, जिसमें	25%
	(क) "डबिएशन" मेथड-कवरिंग के अनुसार राष्ट्रीय औसत से नीचे प्रति व्यक्ति एस.डी.पी. वाले राज्य	20%
	(ख) "डिसटेंस" मैथड-कवरिंग के अनुसार सभी 15 राज्य	5%
III.	**निष्पादन**	7.5%
	जिसमें	
	(क) पूर्व गाडगिल फार्मूले में यथा परिभाषित "कर प्रयास" (टैक्स एफर्ट) के अनुसार	2.5%
	(ख) पहले के संशोधित फार्मूले में यथा परिभाषित राजकोषीय प्रबंधन के अनुसार; तथा	2.5%
	(ग) राष्ट्रीय उद्देश्यों के संबंध में प्रगति के अनुसार	2.5%
IV.	**विशेष समस्याएं**	7.5%

टिप्पणी : 1. राजकोषीय प्रबंधन का निर्धारण, अंतिम पांच वर्षों पर विचार करते हुए वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देते समय आंकलित राज्यों के अपने कुल योजना संसाधनों और उनके वास्तविक निष्पादन के बीच अंतर के रूप में किया जाता है।

2. राष्ट्रीय प्राथमिकता के कतिपय कार्यक्रमों के संबंध में निष्पादन के मानदंड के तहत, अनुमोदित फार्मूले में चार उद्देश्य शामिल किए जाते हैं अर्थात, (I) जनसंख्या नियंत्रण, (II) निरक्षरता उन्मूलन, (III) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, और (IV) भूमि सुधारों में सफलता।

विवरण–II

(करोड़ रु. में)

राज्य	केन्द्रीय सहायता का सकल आबंटन* (फार्मूला आधारित)			निम्न वर्षों के दौरान राज्यों को जारी किए गए लघु बचत ऋण		
	1992–93	1993–94	1994–95	1992–93	1993–94	1994–95
1	2	3	4	5	6	7
I. विशेष श्रेणी राज्य :						
1. अरुणाचल प्रदेश	247.60	277.49	306.84	1.45	2.04	5.35
2. असम	756.41	846.99	898.67	94.89	98.01	387.98
3. हिमाचल प्रदेश	277.99	333.07	386.37	76.80	75.61	266.04
4. जम्मू व कश्मीर	730.64	790.44	839.83	42.49	59.06	93.21
5. मणिपुर	193.70	207.70	248.37	2.66	3.65	4.95
6. मेघालय	172.86	183.50	236.85	4.73	10.04	11.34
7. मिजोरम	161.49	177.48	216.68	3.37	2.67	3.84
8. नागालैंड	164.48	187.05	252.90	0.90	0.59	1.78
9. सिक्किम	98.41	107.96	134.96	0.25	0.63	2.74
10. त्रिपुरा	211.01	224.58	251.10	13.77	15.10	16.11
जोड़–I	**3014.59**	**3336.26**	**3772.57**	**241.31**	**267.40**	**793.34**
II. विशेष श्रेणी–भिन्न राज्य :						
1. आंध्र प्रदेश	552.50 @	607.50	747.50	172.01	337.93	591.30
2. बिहार	776.31	870.31	957.31	148.71	168.99	245.10
3. गोवा	42.00 @@	43.00	50.34	15.21	8.20	23.00
4. गुजरात	245.72	255.22	281.55	392.76	456.06	626.27
5. हरियाणा	121.37	158.37	198.71	117.65	141.72	237.67
6. कर्नाटक	265.34	280.34	308.15	254.01	229.54	747.07
7. केरल	324.33	369.28	384.88	112.29	167.26	393.23
8. मध्य प्रदेश	493.30	536.03	567.03	112.98	145.79	267.55
9. महाराष्ट्र	434.24	438.24	460.24	678.05	513.37	766.73
10. उड़ीसा	339.90	339.90	379.90	110.11	114.17	211.51
11. पंजाब	162.92	162.92	169.26	166.07	247.40	411.06
12. राजस्थान	385.76	396.51	438.51	273.84	285.09	450.31
13. तमिलनाडु	515.92	550.92	654.14	401.58	331.36	569.91
14. उत्तर प्रदेश	1142.71	1192.80	1293.80	607.35	797.39	1644.17
15. पश्चिम बंगाल	425.72	463.54	524.64	460.18	788.33	1351.43
जोड़–II	**6228.04**	**6664.88**	**7415.96**	**4022.80**	**4732.60**	**8536.31**
कुल जोड़ (I+II)	**9242.63**	**10001.14**	**11188.53**	**4264.11**	**5000.00**	**9329.65**

* विशेष समस्याओं के तहत राशि सहित

@ 1991-92 के 23 करोड़ रु. की बकाया राशि को छोड़कर

@@ पूर्व की सहायता के रूप में विधान सभा भवन के लिए 10 करोड़ रु. को छोड़कर।

[अनुवाद]

नशीली दवाओं का निर्यातक पाकिस्तान

2839. श्री सुधीर सावंत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 नवंबर, 1994 के "टाइम्स आफ इंडिया" में पाक इकानॉमी रिलाइज आन ड्रग ट्रेफिकिंग यू.एन. शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार सीमा के पार स्वापक औषधों के अवैध व्यापार की समस्या के प्रति पूर्ण रूप से सतर्क है। सरकार द्वारा स्वापक औषधों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

स्वापक औषधों का क्षेत्र में पता लगाने के लिए दो देशों की प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग पर द्विपक्षीय करार हुआ है।

सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन.डी.पी.एस. एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अन्तर्गत प्रयास बढ़ाएं और अत्यधित सतर्कता बरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान करा दिए गए हैं। भारत-पाक सीमा के एक भाग को घेराबंदी कर दी गई है। एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक जो भूमि और समुद्र तट पर लगाए गए हैं को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान कर दी गई है ताकि स्वापक औषधों का प्रत्याख्यान हो सके।

गुजरात के नमक कामगार

2840. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के नमक कामगार अत्यधिक गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इन नमक-श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना को कब तक लागू करने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

जिम्बाबवे में निवेश

2841. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिम्बाबवे सरकार ने अपने देश में निवेश करने के लिए भारतीय उद्यमियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जिनमें निवेश के लिए भारतीय उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है और निवेश के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(ग) इस निवेश से भारतीय उद्यमियों को कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) फरवरी, 1995 में भारत के दौरे पर आए जिम्बाबवे निवेश केन्द्र मिशन के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संयुक्त मण्डल (एसोचैम) के सदस्यों के साथ मुलाकात की तथा अपनी चर्चाओं के दौरान उन्होंने कृषि प्रसंस्करण, वस्त्र तथा सिले-सिलाए परिधान खनन, भेषज, होटल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में जिम्बाबवे में पूर्ण स्वामित्व वाले एकक स्थापित करने के लिए भारतीय उद्यमियों को आमंत्रित किया। निवेश को जिन प्रोत्साहनों की पेशकश की गयी उनमें 40 प्रतिशत की दर के स्थान पर पांच वर्षों के लिए कर में 10 प्रतिशत की छूट, वाणिज्यिक भवनों के निर्माण पर होने वाले खर्च के लिए 25 प्रतिशत का विशेष निवेश भत्ता, व्यय की विशेषीकृत मदों पर 15 प्रतिशत का निवेश भत्ता, निवेश पूंजी का मुक्त प्रत्यावर्तन तथा लाभ और लाभांश का 100 प्रतिशत प्रेषण शामिल है।

(ग) जिम्बाबवे में भारतीय उद्यमियों द्वारा अर्जित की जाने वाली संभावित विदेशी मुद्रा की मात्रा का अनुमान अभी से नहीं लगाया जा सकता है।

[अनुवाद]

हैंक धागे को बेचने के लिए दुकानें

2842. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता कपड़ों के निर्माण हेतु हथकरघा बुनकरों के लिए हैंक धागा बेचने हेतु दुकानों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी दुकानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में ऐसी कितनी और किन-किन स्थानों पर दुकानें खोलने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं

(ख) से (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्यटन परियोजनाएं

2843. श्री खोलन राम जांगडे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई और इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(ख) ये परियोजनाएं किन-किन स्थानों पर क्रियान्वित की जानी थी;

(ग) किन-किन परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है और उक्त परियोजनाओं में से प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) शेष परियोजनाओं पर कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 230.46 लाख रु. की लागत की 22 परियोजनाओं/स्कीमों को मंजूरी दी है। स्वीकृत की गई परियोजनाओं/स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि निम्नलिखित परियोजनाएं/स्कीमें पूरी हो चुकी हैं :

1. सांची में कैफेटेरिया।
2. कासकूल में मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण।
3. मन मंदिर, ग्वालियर में ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन।
4. सांची, खजुराहो में प्रसाधन और पेयजल सुविधाओं का प्रावधान।
5. बांधवगढ़ के लिए मिनी बसें।
6. शिवपुरी के लिए जीपें।
7. शिपुरी के लिए मिनी बसें।
8. करेरा में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं।
9. बीर सिंह देव पैलेस, दतिया की प्रकाश पुंज व्यवस्था।
10. कान्हां राष्ट्रीय उद्यान के लिए मिनी बसों की खरीद।
11. खालघाट में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं।
12. ओरछा (टिकमगढ़) के निकट फिशिंग हट्स।

(घ) राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे इन परियोजनाओं को आठवीं योजना के दौरान पूरा कर लें।

विवरण

मध्य प्रदेश

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत और रिलीज की गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	सांची में कैफेटेरिया	1985-86	8.32
2.	केसकल (जिला बस्तर) में मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण	1985-86	4.90
3.	मोहना में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण	1985-86	13.71
4.	जगदलपुर (बस्तर) में पर्यटक परिसर का निर्माण	1985-86	31.86
5.	मन मंदिर, ग्वालियर में ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन	1985-86	28.83
6.	सांची, खजुराहो में (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से (प्रसाधन और पेयजल सुविधाओं का प्रावधान	1985-86	3.00
7.	बांडवगढ़ के लिए मिनी बसें	1985-86	4.06
8.	शिपुरी के लिए जीपें	1985-86	2.02
9.	कान्हां के लिए मिनी बसें	1985-86	4.06
10.	बियोरा (राजगढ़) में मार्गस्थ सुख-सुविधाओं (मोटल) का निर्माण	1985-86	18.36
11.	कनकर (दांतेवाडा से स्थानांतरित) में कैफेटेरिया-व-प्रसाधन सुविधाओं का निर्माण	1988-89	12.54

1	2	3	4
12.	कवर्धा (राजनंदगांव) में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	1988-89	18.36
13.	चित्रकूट (बस्तर) में कैफेटेरिया व शौचालय का निर्माण	1988-89	12.54
14.	चंदेरी में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	1988-89	8.05
15.	भोरमदेव (राजनंदगांव) में मार्गस्थ सुख सुविधाएं	1988-89	3.67
16.	करेरा (मोराना) में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	1988-89	8.05
17.	बीर सिंह देव पैलेस, दतिया में प्रकाश पुंज व्यवस्था	1988-89	2.12
18.	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के लिए मिनी बसों की खरीद	1989-90	7.03
19.	खालघाट धार में मार्गस्थ सुख सुविधाएं	1989-90	14.87
20.	मिजाग्वा (पन्ना) में कैफेटेरिया व प्रसाधन सुविधाएं	1989-90	9.32
21.	ओरछा (रगढ़) के निकट फिशिंग हट्स	1989-90	6.44
22.	दतिया में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	1989-90	8.35
	जोड़		230.46

[अनुवाद]

तम्बाकू बोर्ड द्वारा पारित संकल्प

2844. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू बोर्ड सहित विभिन्न बोर्डों के नीतिगत सुझावों तथा उनके द्वारा पारित किए गए संकल्पों को गम्भीरता से लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तम्बाकू बोर्ड द्वारा पारित किये गये संकल्पों तथा उनके सुझावों का मूल्यांकन करने और उन पर विचार करने हेतु यथा यंत्र विद्यमान है;

(ग) उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत सांविधिक निकायों की निगरानी संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे भी सांविधिक निकायों में उनके मंत्रालय के प्रतिनिधि भी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) तथा (ख). वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन तंबाकू बोर्ड सहित विभिन्न बोर्डों से प्राप्त संकल्पों तथा सुझावों पर गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है और सरकार की नीतियों के अनुसार उन पर यथोचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) विभिन्न बोर्डों के कार्य-निष्पादन की वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियतकालिक आधार पर समीक्षा की जाती है।

(घ) से (च). वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न बोर्ड/सांविधिक निकाय जिनके बोर्डों में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व है, ये हैं- मसाला बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) और समुद्री खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा)। अन्य बोर्डों में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व इस समय आवश्यक नहीं समझा गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक

2845. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्गठित करने के कई वैकल्पिक माडलों पर विचार करने के पश्चात्, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्वयं सक्षमता (स्टैण्ड एलोन) के आधार पर उनके तुलन पत्रों में सुस्पष्टता लाकर उन्हें पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 1994 को अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 1994-95 के दौरान पूरे देश में स्थित 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 50 बैंकों के संबंध में उनके तुलन पत्रों में सुस्पष्टता लाने तथा नयी पूंजी प्रदान करने समेत उनका व्यापक रूप से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है। इन 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से होने वाला अनुभव बाद के वर्षों

में दूसरे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रति दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करेगा। इसका लक्ष्य वर्तमान रुग्ण और बीमार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विकेन्द्रित ग्रामीण बैंकिंग के वित्तीय रूप से अर्थक्षम और प्रभावी माध्यम में परिवर्तित करने का है।

[अनुवाद]

स्विट्जरलैंड के साथ आर्थिक समझौता

2846. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री तेजनारायण सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विस के आर्थिक मामलों के मंत्री ने भारत की यात्रा के दौरान केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच किन-किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों पक्षों द्वारा समान हितों के विभिन्न द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई।

(ग) और (घ). स्विस मंत्री के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच न कोई करार किया गया अथवा न ही करार किए जाने पर विचार किया गया।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिया जाने वाला ऋण

2847. श्री नवल किशोर राय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में उपरोक्त दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान अलग-अलग उनके उत्पादन के आधार पर लघु स्तर के उद्योगों को चल पूंजी के रूप में ऋण का कितना प्रतिशत प्रदान किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) नायक समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों की स्वीकृति के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए विस्तृत मार्ग-निर्देशों के ब्यौरे में अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं :—

(एक) उन लघु उद्योगों को, जिनकी ऋण सीमा अलग-अलग मामलों में एक करोड़ रुपए से कम है उनके अनुमानित वार्षिक कारोबार के न्यूनतम 20 प्रतिशत के आधार पर परिकलित कार्यशील पूंजी ऋण सीमा मंजूर करना;

(दो) इस क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते समय ग्रामोद्योगों, अत्यंत लघु उद्योगों और अन्य लघु उद्योग एककों को उसी क्रम में वरीयता देना।

(तीन) "निचले स्तर" (बाटम अप) पर वार्षिक बजट तैयार करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लघु उद्योगों की विधि सम्मत आवश्यकताओं को आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पूर्ण रूप से पूरा किया जाता है।

(चार) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की "एकल खिड़की योजना" को सभी जिलों में लागू करना।

(पांच) यह सुनिश्चित करना कि लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की मंजूरी और संवितरण में कोई देरी न हो।

(छः) बैंकों को ऋण सीमाओं को मंजूर करने के लिए मुआवजे के रूप में अनिवार्य जमा राशियों पर जोर नहीं देना चाहिए।

(सात) विशेषज्ञ लघु उद्योग शाखाएं खोलना अथवा उन शाखाओं को विशेषज्ञ शाखाओं में परिवर्तित करना, जिनके पास लघु उद्योग उधार खातों की संख्या काफी अधिक है।

(आठ) अर्थक्षम रुग्ण एककों की पहचान की जानी चाहिए और उनको पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।

(नौ) ऋणों के लिए आवेदन करने के वास्ते लघु उद्योग एककों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले मानकीकृत ऋण आवेदन पत्रों को और सरल बना दिया गया है।

(ख) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक को आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछ गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उपर्युक्त मार्गनिर्देशों के आधार पर, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने इस संबंध में अपनी शाखाओं तथा अपने संबंधित नियंत्रक कार्यालयों को अनुदेश दिए हैं। सितम्बर/अक्तूबर 1994 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए 218 बैंक शाखाओं के अध्ययन से पता चला है कि बैंक शाखाओं द्वारा कुल मिलाकर उसके मार्गनिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विमानों के आवश्यक प्रबन्ध हेतु सुविधा

2848. प्रो. के.वी. थामस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी विमान सेवाओं के चलने के कारण भूमि तथा आकाश में आवश्यक प्रबन्ध के लिए विमानों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) हवाई अड्डा प्राधिकारियों ने हवाई यातायात सेवाओं के आधुनिकीकरण, अतिरिक्त टैक्सी पथों के निर्माण और एप्रनों के विस्तार आदि के कार्यक्रम शुरू किये हैं।

विदेशी स्टाक बाजारों में पूंजी निवेश

2849. श्री शरत पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीयों को विदेशी स्टाक बाजारों में पूंजी निवेश करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्देश तैयार किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जोशीमठ के विकास के लिए सहायता

2850. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश में जोशीमठ के विकास के लिए कोई सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग, भारत सरकार पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों से विशेष प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जोशीमठ के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, गढ़वाल क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है :—

1991–92	(रु. लाखों में) स्वीकृत
जल-क्रीड़ा उपकरण	24.73
1992–93	
नंदप्रयाग में तम्बुओं में आवास स्थापित करना	6.38

[अनुवाद]

भारतीय पटसन निगम

2851. श्री चित्त बसु : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पटसन निगम का अस्तित्व सुनिश्चित रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का भारतीय पटसन निगम को बंद कर देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निगम के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). वर्ष 1994-95 के दौरान 6 करोड़ रु. के बजट प्राक्कलन की तुलना में भारतीय पटसन निगम को 18 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाना

2852. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया देश में समुद्री मत्स्यन उद्योग तथा जहाजों की खरीद के लिए वित्त उपलब्ध करा रहा है जिसके लिए मूल रूप से इसकी स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग को वित्त उपलब्ध कराने के मामले में शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की भूमिका की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एस.सी.आई.सी.आई. ने सूचित किया है कि यद्यपि उनके द्वारा आंतरिक कार्य निष्पादन बजट नियत किया जाता है, लेकिन उद्योग से संबद्ध कोई स्थित लक्ष्य नहीं हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान नौवहन और मत्स्यन क्षेत्रों को प्रदान की गई वास्तविक मंजूरियां निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रुपए)

	नौवहन	मत्स्यन
1991-92	298.50	7.75
1992-93	234.30	1.87
1993-94	571.80	

(घ) और (ङ). कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी, एस.सी.आई.सी.आई. का नियंत्रण, उसके निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीतियों द्वारा किया जाता है। जहां तक भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति द्वारा नौवहन और मत्स्यन कंपनियों को मंजूर किए गए ऋणों का संबंध है, एस.सी.आई.सी.आई. पोर्ट फोलिया की वसूली/नियंत्रण के लिए तैयार के एजेंट (पदनामित व्यक्ति) के रूप में कार्य करता है।

[हिन्दी]

अमेरिका के साथ व्यापार समझौता

2853. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री सुधीर सावंत :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के वाणिज्य सचिव की हाल की यात्रा के दौरान भारत तथा अमेरिका के बीच व्यापारिक सहयोग के लिए किसी व्यापार समझौते अथवा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समझौतों के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं; और

(ग) उक्त समझौते कब से लागू होंगे तथा इससे अमेरिका के साथ हमारे व्यापार पर क्या असर पड़ेगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.चिदम्बरम) : (क) से (ग). जनवरी, 1995 में संयुक्त राज्य के वाणिज्य सचिव के हाल के ही भारत दौरे के समय भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत वाणिज्यिक संधि तैयार करने संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इस संधि में परिकल्पना की गई है कि सूचना, प्रौद्योगिकी, परिवहन, अवस्थापना, खाद्य-प्रसंस्करण जैसे निश्चित क्षेत्रों में दोनों देशों के गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि वाणिज्यिक सहयोग पर चर्चा करेंगे तथा व्यापार/ व्यवसाय विकास कार्यक्रमों को लागू करेंगे। समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के 90 दिनों के अन्दर इस संधि के प्रचालन में आने की आशा है।

इसके अलावा, बड़ी अमरीकन कम्पनियों के 25 मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी अमरीकी वाणिज्य सचिव के साथ आए तथा विभिन क्षेत्रों में अनेक समझौता ज्ञापनों/समझौतों इत्यादि पर हस्ताक्षर किए गए या उसकी घोषणा की गई। इन क्षेत्रों में ऊर्जा, दूरसंचार, पैट्रो रसायन शामिल हैं। इन समझौतों के लागू होने के परिणामस्वरूप भारत-संयुक्त राज्य व्यापार तथा वाणिज्यिक संबंधों में वृद्धि होने की संभावना है।

[अनुवाद]

हथकरघा बुनकरों का कल्याण

2854. श्री अंकुशराव टोपे :
श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :
डा. परशुराम गंगवार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हथकरघा बुनकरों को दी जाने वाली धनराशि समय से उनके पास नहीं पहुंचती जिसके परिणामस्वरूप बुनकरों की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो बुनकरों की आर्थिक दशा सुधारने और उन्हें धनराशि शीघ्र प्रदान किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकेट स्वामी) : (क) और (ख). हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए दी गई राशि उन्हें समय पर मिलती रहे इसके लिए सरकार में विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से कई विशेष कदम उठायें हैं। इनका अनुपालन करते हुये सरकार द्वारा राज्य सरकारों से पूर्व में जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और इस संबंध में हुई प्रगति की रिपोर्ट मंगवाई जाती है। इसके अतिरिक्त पत्राचार व समय-समय पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठकों के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में की गई प्रगति की समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

बैंकों की सुरक्षा

2855. श्री राम कृपाल यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकों की सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकारों को सौंपने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). बैंकों के करेंसी चेस्टों सहित महत्वपूर्ण अधिष्ठापनों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। इस समय, भारतीय स्टेट बैंक के कुछ करेंसी चेस्टों को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के करेंसी चेस्टों की सुरक्षा राज्य पुलिस या पंजाब में आईटीबीपी और सीआरपीएफ/बीएसएफ जैसे अन्य अर्ध-सैनिक बलों द्वारा की जाती है, जो करेंसी चेस्टों के परिचालन क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की सुरक्षा बैंकों के अपने गार्डों द्वारा की जाती है।

रुकी हुई धनराशि

2856. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1990 से अप्रैल 1994 तक उद्योग और कृषि क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी धनराशि रुकी पड़ी थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान लघु उद्योगों तथा बड़े उद्योगों में कितनी-कितनी धनराशि रुकी पड़ी थी; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान लघु और सीमान्त किसानों के पास ऋण के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी धनराशि रुकी पड़ी थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि आधारित उद्योग

2857. डा. लाल बहादुर रावल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने उत्तर प्रदेश में किसी कृषि आधारित उद्योग की स्थापना की है अथवा स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने उत्तर प्रदेश में कृषि पर आधारित न तो कोई उद्योग स्थापित किया है और न ही ऐसा करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) नाबार्ड एक शीर्ष स्तरीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिये की गई है। औद्योगिक एककों की स्थापना करना इसकी भूमिका और उद्देश्यों की सीमा से बाहर है। तथापि, नाबार्ड कृषि पर आधारित उद्योग की स्थापना करने सहित कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के निवेश का वित्त पोषण करने के लिये बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।

पटसन से बना कपड़ा

2858. श्री सुकदेव पासवान :
श्री मंजय लाल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तम किस्म के पटसन धागों के उत्पादन और पटसन से बने कपड़े के निर्माण के लिए प्रशिक्षण देने हेतु कोई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत शमिल किए गए राज्यों के नाम क्या हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). यू एन डी पी सहायित राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों को परिष्कृत पटसन यार्न और फैब्रिक का उत्पादन करने के लिए अनुसंधान व विकास क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए निधियां प्रदान की गई हैं। तीन मानव संसाधन विकास संस्थान अर्थात् पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान, कलकत्ता, पी एस जी कालेज आफ टेक्नोलाजी, कोयम्बटूर तथा टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट आफ टैक्सटाइल्स एंड साइंसिज, भिवानी विभिन्न राज्यों में अनेकों उद्यमियों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं।

जापान से सहायता

2859. डा. साक्षीजी :
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान जापान से कुल कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए यह सहायता दी गई है;

(ग) इस धनराशि के उपयोग पर सरकार निगरानी किस तरह रखती है;

(घ) क्या जापान ने भारत की सहायता करने के लिए और अधिक ऋण देने तथा निवेश करने की पेशकश की है ताकि भारत अपने आर्थिक सुधारों में आगे बढ़ सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जापान सरकार से प्राप्त कुल सहायता राशि 357.313 बिलियन येन है।

(ख) पिछले तीन वर्षों की परियोजनाओं की सूची संलग्न है।

(ग) इस विभाग में परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ उपयुक्त उपयोग के प्रबोधन हेतु समय-समय पर परियोजना समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है।

(घ) से (च). सामान्यतः जापान की सरकार वार्षिक आधार पर सहायता प्रदान करने पर विचार करती है। इस संबंध में, 29 परियोजनाओं की एक लम्बी सूची जापान सरकार को वर्ष 1995-96 की एकमुश्त समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की गई है। अन्तिम परिणाम भारत विकास फोरम की जून, 1995 के दौरान किसी समय पेरिस में आयोजित की जाने वाली बैठक के बाद ही ज्ञात होंगे।

वर्ष 1992-93 की परियोजनाएं

1. यमुना कार्य योजना परियोजना
2. श्री सेलम विद्युत पारेषण प्रणाली परियोजना
3. अनपारा "बी" तापीय विद्युत परियोजना (IV)
4. गांधार गैस आधारित विद्युत परियोजना (III)
5. अमोनिया संयंत्र प्रतिस्थापन परियोजना
6. हाइड्रो कार्बन क्षेत्र कार्यक्रम

वर्ष 1993-94 की परियोजनाएं

1. अनपारा बी तापीय विद्युत परियोजना (चरण V)
2. बक्रेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र परियोजना
3. फरीदाबाद तापीय विद्युत केन्द्र परियोजना
4. नैनी परियोजना के निकट यमुना नदी के पास पुल
5. राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 से चार लेन निकालने की परियोजना
6. लघु क्षेत्र उद्योग विकास कार्यक्रम (चरण IV)

वर्ष 1994-95 की परियोजनाएं

1. श्री सेलम लैफ्ट बैंक हाइड्रो विद्युत केन्द्र परियोजना (चरण-II)
2. श्री सेलम विद्युत पारेषण प्रणाली परियोजना (चरण-II)
3. असम गैस विद्युत केन्द्र और पारेषण लाइन निर्माण परियोजना (चरण-III)
4. बक्रेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र विस्तार परियोजना
5. पुरूलिया पम्पड स्टोरेज स्कीम परियोजना
6. कोठागुदम की तापीय विद्युत केन्द्र परियोजना का अवधि विस्तार
7. राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 से चार लेन निकालने की परियोजना
8. राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 से चार लेन निकालने की परियोजना
9. मद्रास जल और मलव्ययन व्यवस्था परियोजना
10. भोपाल परियोजना की उच्च और निम्न झीलों का परिरक्षण
11. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना
12. राजस्थान वनरोपण परियोजना

अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर

2860. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर के रूप में कितनी धनराशि एकत्रित हुई;

(ख) क्या इस धनराशि को नागर विमानन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यय किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस शीर्ष के अन्तर्गत एकत्रित कर की धनराशि को सरकार द्वारा किस प्रकार निवेश किया गया अथवा किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू वायु यात्रा कर से प्राप्त आय निम्न रूप में हैं :

वर्ष	(लाख रुपए)
1991-92	12234.90
1992-93	16050.68
1993-94	13878.16

(ख) से (घ). राजस्व प्राप्तियों के रूप में आय प्राप्त की जाती हैं और भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती हैं तथा नागर विमानन क्षेत्र सहित भारत सरकार के व्यय के वित्तपोषण के लिए संसाधन के रूप में प्राप्त किए जाते हैं।

[अनुवाद]

रूसी ऋण

2861. श्री राम नाईक :
श्री सुधीर सावंत :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय रुपये की तुलना में रूस के रूबल की क्या कीमत है;

(ख) क्या पूर्व सोवियत संघ का रूबल ऋण जनवरी, 1993 में तय कर लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो उस समझौते का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार रूस के रूबल के गिरते हुए मूल्य को देखते हुए उस समझौते को रद्द करने/पुनरीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रुपए के विपरीत रूस के रूबल की कीमत का बाजार भाव नहीं बताया गया है।

(ख) और (ग). भूतपूर्व सोवियत संघ ने भारत सरकार को भारत में रक्षा और (असैनिक) सिविलियन दोनों क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए कई सरकारी ऋण दिए। इन ऋणों का मूल्य रूबलों में था परन्तु भारत ने इनकी वापसी सोवियत संघ को भारतीय सामानों के निर्यात स्रोत द्वारा रुपए में की। दोनों देशों के बीच, रुपए और रूबल के बीच मुद्रा विनिमय दर नवम्बर, 1978 के प्रोटोकोल द्वारा स्थापित की गई थी। इस सूत्र में 16 मुद्रा समूह के संबंध में रुपए के मूल्य में परिवर्तन की व्यवस्था है परन्तु यह माना गया है कि रूबल का मूल्य स्थिर रहेगा। इस सूत्र के अनुसार जब 1978 के प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर हुए तो रूबल का मूल्यांकन 1 रूबल = 10 रुपए से बढ़कर 1.4.92 को इसका मूल्यांकन 1 रूबल = 31.7514 रुपए हो गया।

जनवरी, 1993 में रुपया रूबल विनिमय दर के विषय में और भूतपूर्व सोवियत संघ को भारत के ऋण की वापसी पर रूस सरकार के साथ एक करार निष्पन्न हुआ। इस करार में व्यवस्था है कि 1.4.1992 की यथास्थिति अनुसार रूबल मूल्य के ऋण के मूलधन को, जैसी 1978 के प्रोटोकोल द्वारा निर्धारित (1रूबल-19.9169 रुपए की गई थी, 1.1.90 की यथा स्थिति अनुसार विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रूबल को रुपए में में बदला जा रहा है। 1.4.92 की यथा स्थिति अनुसार मूल ऋण राशि भी 1978 के प्रोटोकोल द्वारा निर्धारित (1रूबल=31.7514 रुपए) 1.4.92 की विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रूबल से रुपए में बदली गई थी। ऊपर परिकल्पित दोनों राशियों के अन्तर का निर्धारण रुपए में किया गया तथा भुगतान की वापसी 45 वर्षों की अवधि तक ब्याज मुक्त वार्षिक किश्तों में भुगतान का पुनः निर्धारण किया गया।

1.1.90 तक व्याप्त विनिमय दर पर रूबल ऋण के परिवर्तन के तदनुरूप ऋण के पुनः निर्धारित हिस्से से भिन्न का मूल्यांकन भी रुपए में किया गया और ऋण के इस हिस्से के मूलधन और ब्याज का वापसी भुगतान तत्संबंधी अन्तःसरकारी ऋण करारों में से प्रत्येक के लिए लागू अनुसूची के अनुसार किया जाएगा।

(घ) से (च). रूबल की गिरती हुई कीमत का 1993 के करार की निरन्तर वैधता से कोई संबंध नहीं है।

कॉफी उद्योग में घाटा

2862. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी उद्योग घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कॉफी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कॉफी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित कदम उठाए जा रहे हैं :-

(i) गहन कृषि के तरीके अपनाना।

(ii) पुराने तथा मरणासन्न कॉफी पौधों की जगह पर नई और अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का पुनर्रोपण।

(iii) प्रभावी रूप से सिंचाई की सुविधाओं का संवर्धन।

(iv) कॉफी के बेरी बोरर नाशी कीट तथा अन्य बीमारियों का रोधक नियंत्रण।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में उद्यमियों को ऋण

2863. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने उद्यमियों को बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ऋण दिये गये; और

(ख) उन शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें जिला औद्योगिक केन्द्रों ने ऋण देने की सिफारिश की थी परन्तु उन्हें ऋण अभी तक नहीं दिये गये हैं और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय शिक्षित

बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान की योजना (एसईईयूवाई) और प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अन्तर्गत बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ऋणों से है। दिनांक 2 अक्तूबर, 1993 को आरम्भ की गई पीएमआरवाई का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना है। पहली अप्रैल, 1994 से एसईईयूवाई योजना, पीएमआरवाई में शामिल कर दी गई है। 1993-94 और 1994-95 (28 फरवरी, 1995 तक) के वर्षों के लिए पीएमआरवाई के तहत महाराष्ट्र राज्य में प्राप्त हुए और मंजूर किए गए आवेदन पत्रों की संख्या से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	संस्तुत आवेदनों की संख्या	मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या
1993-94	12202	4850
1994-95 (28 फरवरी, 1995 तक)	46915	18913

बैंकों को 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा वाले ऋण आवेदन पत्रों को दो सप्ताह के अन्दर और 25,000/- रुपए से अधिक की ऋण सीमा वाले आवेदन पत्रों को 8 से 9 सप्ताह के अन्दर निपटाना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार ने बैंकों से कहा है कि वे निर्धारित समय सीमाओं के अन्दर आवेदन पत्रों को निपटायें।

[अनुवाद]

वित्तीय क्षेत्र में सुधार का प्रभाव

2864. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित अध्ययन दल ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का सफलता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन दल की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर भारतीय रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसे किसी अध्ययन का प्रायोजन नहीं किया है। अलबत्ता, वित्त मंत्रालय ने श्री डी. खटखटे को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था जो इस समय परीक्षणाधीन है।

बाल मजदूर

2865. डा. पी. बल्लल पेकमान : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में विशेषकर कालीन उद्योग में बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "सार्क", "यूनीसेफ" तथा भारत जर्मनी निर्यात संवर्धन परिषद ने बाल मजदूरों के विकास पर धनराशि खर्च करने के लिए एक कोष की स्थापना करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने देश में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। 1986 में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 नामक एक विस्तृत कानून अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग क और ख में उन व्यवसायों और प्रक्रियाओं के नाम दिए गए हैं जिनमें 14 वर्ष से कम की आयु के बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर प्रवर्तन तंत्र विद्यमान हैं और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर नियोक्ताओं के विरूद्ध अभियोग चलाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के अनुसार बाल श्रम की समस्या से (क) विधान (ख) बाल श्रमिकों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों के माध्यम से और (ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से निपटा जा रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आई पी ई सी) का भागीदार भी है।

विशेष करके कालीन उद्योग में बाल श्रम को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कालीन बेल्ट में संगत बाल श्रम कानूनों के प्रवर्तन को सुदृढ़ किया गया है और हाथ से बुनी हुई कालीन का निर्यात करने के लिए कालीन निर्यात संवर्धन परिषद का पंजीकरण-और-सदस्यता अनिवार्य कर दी गई है। इस परिषद के पास एक स्वतः विनियमन आचार संहिता है। दो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश (मिर्जापुर भदोही) और बिहार (धारवाह) प्रत्येक में एक-एक जिसके अंतर्गत 1850 बालकों को शामिल किया गया है। मिर्जापुर स्थित 950 बालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्ष 1995-96 में एक नई योजना शुरू करके आने वाले वर्षों में इस उद्योग से और अधिक बालकों को निकाल कर स्कूल भेजे जाने हेतु उत्प्रेरित करने की आशा की जाती है।

(ग) और (घ). सार्क, यूनिसेफ और भारत-जर्मन निर्यात संवर्धन परिषद के अंतर्गत बाल श्रम के विकास हेतु व्यय की जाने वाली निधि की स्थापना के संबंध में सूचना निम्नानुसार है :-

(एक) विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सार्क के अंतर्गत कोई निधि स्थापित नहीं की गई है।

(दो) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1993 में यूनिसेफ कार्यक्रमों की मध्यावधि समीक्षा में बाल विकास, पोषणाहार, महिला विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, बाल श्रम, विकट परिस्थितियों में फंसे बालक, जल एवं स्वच्छता, सूचना और संचार तथा सेवा कार्यक्रमों का समुदाय आधारित संकेद्रण के क्षेत्र में

सामुदायिक प्रतिभागिता और कार्यक्रमों का प्रबंधन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।

(तीन) कपड़ा मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद संबंधी समिति ने 1.1.1995 से एक बाल कल्याण निधि स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसमें सदस्य अपने हस्तनिर्मित कालीनों और अन्य फर्श पर बिछाने वाली वस्तुओं के निर्यात की पोत पर्यंत निःशुल्क की कीमत का 0.25 प्रतिशत अंशदान देंगे। इस प्रकार एकत्र की गयी राशि भारतीय कालीन उद्योग में कार्यरत बुनकरों के कल्याण हेतु खर्च की जायेगी।

बेरिंगस बैंक

2866. श्री पीयूष तीरकी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बेरिंगस बैंक, लंदन की कोई शाखा कार्यरत है; और

(ख) यदि हां, तो देश में इसके संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के लिए पर्यटन परियोजनाएं

2867. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में पर्यटनों को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(ख) इन परियोजनाओं को किन-किन स्थलों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था;

(ग) इनमें से किन-किन परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है तथा इसमें से प्रत्येक परियोजना पर कितना खर्च हुआ; और

(घ) शेष परियोजनाओं का काम कब तक पूरा हो जाएगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं/स्कीमों के ब्यौरे और इस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई राशि सहित अवमुक्त राशि, स्थिति के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) पर्यटन परियोजनाओं के निष्पादन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, स्वीकृत तथा रिलीज की गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	स्थिति/पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	कोर्बेट, दुधवा और चिल्हा के लिए मिनी बसें और हाथी	1985-86	5.15	5.14	खरीदी गई।
2.	मथुरा में पर्यटक बंगला	-वही-	27.64	21.00	पूरी हो गई।
3.	गोमती नदी पर जलक्रीड़ाएं	-वही-	3.16	2.80	खरीदी गई।
4.	लखनऊ महोत्सव	-वही-	2.05	2.05	पूरी हो गई।
5.	हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए स्विस कुटीरें	-वही-	17.48	15.73	पूरी हो गई।
6.	सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और फतेहपुर सीकरी में पेयजल और प्रसाधन सुविधाएं	-वही-	6.00	4.00	शीघ्र पूरा हो जाने की संभावना है।
7.	गढ़वाल क्षेत्र के लिए फाइबर-ग्लास हट्स	1986-87	33.75	32.00	पूरी हो गई।
8.	इलाहाबाद में यात्री निवास	-वही-	29.42	28.00	शीघ्र पूरा हो जाने की संभावना है।

1	2	3	4	5	6
9.	कोसी रेस्तरां का नवीकरण	1986-87	19.80	19.29	पूरी हो गई। (आइटीडीसी)
10.	मास्टर प्लान की प्रतियों के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को शेष भुगतान	-वही-	0.01	0.01	-वही-
11.	कोसी में पर्यटक परिसर	1988-89	39.13	38.00	पूरी हो गई। (आईटीडीसी)
12.	कुंभ मेला, इलाहाबाद के लिए फास्ट फूड काउंटर	-वही-	3.18	3.18	-वही-
13.	कानपुर जिले में महाराजपुर में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	1989-90	9.93	9.43	पूरी हो गई।
14.	कानपुर जिले में फतेहपुर रोशनाई पर मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	-वही-	9.93	9.43	पूरी हो गई।
15.	इलाहाबाद में नेहरूघाट का विकास	-वही-	37.18	34.95	शीघ्र पूरी हो जाने की संभावना है।
16.	गढ़वाल क्षेत्र के लिए ट्रैकिंग उपकरण	-वही-	11.47	8.60	खरीदी गई।
17.	नौ स्थानों (गोरखपुर, झांसी, हरिद्वार फर्रूखाबाद, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ) में जन सुविधाएं	-वही-	60.56	27.00	जून, 1995
18.	आम्र उत्सव	-वही-	1.40	1.40	पूरी हो गई।
19.	योगा उत्सव	-वही-	2.50	2.50	-वही-
	जोड़		319.74	264.51	

[अनुवाद]

गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात

2868. श्री पी.सी. चाको : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यातोन्मुख एककों द्वारा गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात संबंधी नीति बनाने के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारत में विदेशी बैंक

2869. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारीकरण की नीति लागू किए जाने के परिणामस्वरूप विदेशी बैंकिंग कम्पनियों द्वारा भारत में कितनी शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) ये कम्पनियां किन-किन देशों की हैं;

(ग) देश में इन विदेशी वित्तीय संस्थानों को कारोबार करने की अनुमति दिए जाने के कारण भारतीय बैंकिंग उद्योग को अनुमानतः कितना लाभ मिलेगा/कितनी हानि होगी; और

(घ) इस संबंध में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के हितों को बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) चार।

(ख) नीदरलैंण्ड, सिंगापुर, मारीशस और यू.एस.ए.।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इसकी प्रमात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(घ) भारतीय बैंकिंग उद्योग के हितों की सुरक्षा करने के लिए किए गए कुछ उपाय ये हैं :—प्रति वर्ष लाइसेंसों की संख्या सीमित करना, बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों की तुलना में विदेशी बैंकों की आस्तियों के अधिकतम हिस्से का निर्धारण, उनके भारतीय परिचालनों के लिए अलग से पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड निर्धारित करना और उनके निवल बैंक ऋण के 32 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के लक्ष्य को पूरा करने की आवश्यकता आदि।

पंजाब नेशनल बैंक तथा केनरा बैंक की शाखाएं

2870. श्री रति लाल वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में पं॰ नेशनल बैंक तथा केनरा बैंक की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान इन बैंकों की शाखाओं ने कितना लाभ अर्जित किया या कितनी हानि उठानी पड़ी;

(ग) क्या सरकार का विचार घाटे में चल रही शाखाओं को बंद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की देश में कार्य कर रही शाखाओं की संख्या तथा वर्ष 1993-94 (अद्यतन उपलब्ध) के लिए उन बैंकों का निवल लाभ नीचे दिया गया है :—

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या (31.3.94 की स्थिति के अनुसार)	निवल लाभ (करोड़ रुपए)
केनरा बैंक	2088	120.35
पंजाब नेशनल बैंक	3676	तुलन पत्र को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते ज्ञापन में पंजाब नेशनल बैंक या केनरा बैंक की किसी भी शाखा को बंद करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मणिपुर के रास्ते म्यानमार के साथ सीमा व्यापार

2871. डा. सी.एल. कनीचिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और म्यानमार के बीच मणिपुर में मोरेह के रास्ते भूमि पथ के द्वारा सीमा व्यापार आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार म्यानमार को दिए जाने वाले निर्यात को बढ़ावा देने हेतु मणिपुर के मोरेह सीमावर्ती क्षेत्र में विकास और अन्य बुनियादी सुविधाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). मणिपुर में मोरेह में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के जरिए म्यांमार में सीमा व्यापार का संवर्धन करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग, सीमाशुल्क तथा प्रवर्जन व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने मोरेह और इम्फाल में इस राज्य के द्वारा सीमा व्यापार को सुकर बनाने हेतु व्यापारिक केन्द्रों की स्थापना के लिए मणिपुर सरकार को 2 करोड़ रुपये भी मंजूर किये हैं।

12.00 मध्यान्ह

[अनुवाद]

शिवसेना के एक नेता द्वारा एक समुदाय विशेष के लोगों को दी गई कथित धमकी के वक्तव्य से उत्पन्न स्थिति

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने एक वचन दिया था। मैं उस वचन को पूरा करने जा रहा हूं। आप कृपया एक के बाद एक बोलें। मैं एक के बाद दूसरे को समय दूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। (व्यवधान)। हमारे लोकतांत्रिक देश में संघीय ढांचा है और हमारी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आदर करता है। हमारा एक बहुत बड़ा देश है जहां

विभिन्न जातियों, मतों और समुदायों के लोग मिल-जुलकर रहते हैं क्योंकि हम अनेकता में एकता के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। किन्तु जो घटना हुई है वह हमारे लिए बड़े दुःख की बात है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आज महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, वह केवल महाराष्ट्र के लिए खतरनाक नहीं है, अपितु पूरे देश के लिए खतरनाक है क्योंकि इससे देश विभाजित होगा। **(व्यवधान)** मेरे पास **हिन्दुस्तान टाइम्स** और **टाइम्स ऑफ इंडिया** की प्रतियां हैं लेकिन उनसे कोई उद्धरण नहीं दे रही हूं। तथापि, मैं **सामना** से उद्धरण दूंगी। **सामना** श्री बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना का अखबार है। **(व्यवधान)** जो कुछ इस अखबार में कहा गया है, उससे वह नहीं मुकर सकते। मैं **सामना** से उद्धरण दे रही हूं जो शिव सेना का अखबार है। इस अखबार में जो कुछ छपा है उससे वह इन्कार नहीं कर सकते। उनका कहना है : "यदि किसी ने ऐसी धमकी को कार्यान्वित करने का साहस किया, तो राज्य से तथा देश से पूरे समुदाय का सफाया कर दिया जायेगा।" यह मराठी से अनुवाद है। आप जानते हैं कि मुझे मराठी भाषा नहीं आती। किन्तु मैंने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाया है। **(व्यवधान)** मैं चुनौती दे रही हूं कि यदि मैं कोई गलत बात कहती हूं तो आप मेरे विरूद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ वही उद्धृत कर रही हूं जो उन्होंने कहा है। **(व्यवधान)** यदि कोई व्यक्ति विशेष श्री बाल ठाकरे को धमकी देता है तो इस मामले की जांच की जा सकती है। उनकी अपनी सरकार है। मैं श्री बाल ठाकरे का समर्थन नहीं कर रही हूं। मैं इस धमकी निन्दा करती हूं। लेकिन उनकी अपनी सरकार है। वे इस मामले की जांच कर सकते हैं और तदनुसार कार्यवाही कर सकते हैं। किन्तु, बाल ठाकरे जी यह नहीं कह सकते कि वह पूरे समुदाय का सफाया कर देंगे। उनके वक्तव्य के अनुसार अब स्थिति इतनी खराब है कि बंगाली भाषी लोगों को भी डर के कारण बंगाली में बोलने की इजाजत नहीं दी जाती। बंगाली महिलायें डर के कारण परम्परागत बंगाली साड़ी नहीं पहन रही हैं। बम्बई से अनेकों लोग आ रहे हैं क्योंकि उनके हर रोज धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। ये लोग वहां तीस-चालीस वर्षों से रह रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं समझता हूं यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक सदस्य को, जो बोलना चाहता है, बोलने की अनुमति दी जायेगी। यदि आप खण्डन करने के लिए कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो आपको वक्तव्य देने की भी अनुमति दी जायेगी। किन्तु आपको स्मरण रखना चाहिये कि आप कई बार ऐसे मामले उठाने पर बल देते हैं जो नहीं उठाये जा सकते। मेरी राय में यह महत्वपूर्ण मामला है। इस पर तटस्थता से विचार किया जाना चाहिये। इस पर इस ढंग से विचार किया जाना चाहिये कि देश में तथा देश से बाहर कोई गलत संदेश न जाये।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मैं समझती हूं उन्हें मुझे बोलने देना चाहिये। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूं।... ये क्या हो रहा है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय। मैं आप से केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या गृह मंत्री को उपस्थित नहीं रहना चाहिये। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के समय गृह मंत्री को उपस्थित रहना चाहिये...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह क्या है? वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह इम्पार्टेंट इश्यू है। आप होम मिनिस्टर को यहां बुला लें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : ठीक है, मैं अखबारों से उद्धृत नहीं करूंगी। महोदय, मैं अखबारों के बिना बोलूंगी।

अध्यक्ष महोदय : यह विधान सभा का मामला नहीं है। यह कुछ दूसरा मामला है। कृपया समझिये। यह ठीक नहीं है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको जानना चाहिये कि आपने भी कई बार ऐसे मामले उठाये हैं।...

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : यदि वे बोलना चाहें तो वे भी बोल सकते हैं किन्तु वे मेरी आवाज नहीं रोक सकते। **(व्यवधान)** महोदय, वे मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्हें मुझे बोलने देना चाहिये। **(व्यवधान)**। आप कृपया अपने साथियों से कहें कि वे मुझे बोलने दें...**(व्यवधान)** महोदय, यह क्या हो रहा है? उन्हें मेरी बात सुननी चाहिये...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, वे हमें धौंस नहीं दिखा सकते। हम कहना चाहते हैं कि इस देश को बेचा नहीं जा सकता। हम देश को एक और विभाजन की ओर ले जा रहे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइये...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बारे में मामला उठाने के लिए अपनी व्यवस्था दीजिये।. ..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया पहले बैठ जाइये...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा...

(व्यवधान)*

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें देश के सभी नागरिक दिलचस्पी रखते हैं। केवल दो या अधिक पहलू हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब इसे बन्द कीजिये। इससे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे बन्द कीजिये...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा की कार्यवाही नहीं रोक सकते। मैं आपको वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा लेकिन आप चर्चा नहीं रोक सकते...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आपको बैठना पड़ेगा...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल विहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, धन्यवाद

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल विहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपने महिला सदस्या को कुछ और मामला उठाने के लिए बुलाया था और उन्होंने कुछ और मामला उठा दिया।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अटल विहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, इस सदन में अगर आप कोई मामला महत्वपूर्ण समझते हैं और उस मामले को उठाने की इजाजत देते हैं तो हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं, हम उस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं मगर हमारे सदस्यों को शिकायत इसलिए होती है कभी-कभी ऐसा लगता है कि नापने के लिए दो गज अपनाए जा रहे हैं।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि रेप के केसेज भी आपके सदस्यों ने उठाए हैं। इसलिए यह दो तरह का मापदंड इधर से भी नहीं लगना चाहिए।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : नहीं लगना चाहिए। न हम लगाना चाहते हैं, न आप लगाते हैं और न हमारे कांग्रेस के सदस्यों को लगाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सही है।

[हिन्दी]

श्री अटल विहारी वाजपेयी : महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए हैं और वहां अभी सरकार बनी है। ये अभी हार कर आए हैं और हारने के बाद...**(व्यवधान)** ये क्या बात है कि ये इस तरह से मामला उठा रहे हैं।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री पवन बंसल और कुमारी ममता बनर्जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल विहारी वाजपेयी : अब ये मुझे बोलने नहीं देंगे। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : फातमी जी आप बैठ जाइए। आप लोग जो बिना समझ के बात करते हैं उसी से गड़बड़ हो जाती है।

[अनुवाद]

श्री वाजपेयी जी चर्चा चलाने का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आप कृपया समझें और बैठ जायें।

(व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री सी.के. चापर शरीफ) : महोदय, मैं एक मिनट के लिए बोलना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल विहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, क्या ये गलत बात है कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के चुनाव में हार गई है? ये गलत तो नहीं है। और अगर मैं कोई तथ्य कहता हूं तो ये इतना क्यों बिगड़ रहे हैं?...**(व्यवधान)**

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (पोन्नानी) : हार-जीत की बात नहीं है। बाल ठाकरे की बात की गई है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूं कि जिस विषय पर चर्चा हो रही है क्या वह पार्टी का मामला है? भारत के लोगों को इस तरह उत्तेजित किया जा रहा है और तथाकथित शिव सैनिकों ने पूरे राज्य को अपने कब्जे में ले लिया है। क्या यह एक पार्टी का मामला है?...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, चटर्जी साहब कांग्रेस पार्टी की मदद के लिए आ गए हैं, यह बहुत अच्छा है।... **(व्यवधान)** वैसे मैं समझता था कि आज समाचार पत्रों में श्री बाल ठाकरे का जो वक्तव्य आया है, उसके बाद सारा विवाद खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये विवाद राजनीति से प्रेरित है। आप उठाना चाहते हैं तो उठाइए। हम हर बात का जवाब देने को तैयार हैं।...**(व्यवधान)**

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : बाल ठाकरे देश से माफी मांगें। ...**(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अगर महिलाओं पर बलात्कार की जांच हो रही है तो उस पर भी चर्चा करायी जाए। मेरा निवेदन है कि हमको उस पर चर्चा करने का मौका दिया जाए। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। सी.बी.आई. ने इस पर रिपोर्ट हाई कोर्ट में दे दी है। मैं चाहता हूं कि उस पर भी चर्चा हो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : फातमी जी, आप क्यों बाधा डाल रहे हैं? जब मैं आपका नाम लूं तो आपको यह नहीं समझना चाहिए कि मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। जब मैं आपका नाम लेता हूं तो इसका एक अर्थ होता है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

देखिए, ये बहुत संवेदनशील मामला है और इसके लिए दोनों तरफ से अपने-अपने मत व्यक्त किये जा सकते हैं और अगर ये महत्वपूर्ण हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस ढंग से इसको सदन में रखें कि वह बिल्कुल तथ्यों के अनुसार हो और देश में उसका बुरा असर न हो और बाहर के लोग भी उसका उपयोग हमारे देश के खिलाफ न करें।

इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर आप इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वाजपेयी जी अगर बोलना चाहेंगे तो मैं जरूर अलाऊ करूंगा लेकिन जो पीछे की बैंचेज् पर बैठे हुए हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। जहां तक यू.पी. का सवाल है, मैं जानता हूं कि मेरे ना कहने पर भी यहां पर झगड़ा करके आपने उसके ऊपर डिस्कसन किया है और मैंने डिस्कसन दिया है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : मुजफ्फरनगर काण्ड पर सी.बी.आई. की रिपोर्ट पर चर्चा हो जायेगी क्या?...**(व्यवधान)**

श्री सी.के. जाफर शरीफ् : मैं माननीय वाजपेयी जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। आप कह रहे थे कि हम हारकर आये। हम कह रहे हैं कि हम हार गए हैं मगर ये जीतकर भी मनहूस हो गए हैं। ये अपनी आंख बंद न करें।

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी अपोजिशन लीडर हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करती हूं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए, उनकी हिन्दी में एक काव्य है, उसको आप समझिए और उसकी तारीफ कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं उनका सम्मान करती हूं लेकिन साथ में बी.जे.पी. के दोस्त क्यों चिल्लाते हैं यह मुझे मालूम नहीं है। मैं जो बात कहना चाहती हूं वह आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं किसी इंडिविजुअल के खिलाफ बोलने के लिए खड़ी नहीं हुई हूं। मगर, मैं जो बात कहना चाहती हूं वह यह है कि अगर देश में कोई गलत मैसेज आएगा, अगर हमारे किसी स्टेट में कोई व्यक्ति कहेगा कि इस स्टेट में हम बाहर के किसी व्यक्ति को आने नहीं देंगे। बाहर का क्या मतलब है? हिन्दुस्तान का हर सिटीजन हर स्टेट में रह सकता है, जैसे हमारे बंगाल में है।

[अनुवाद]

कलकत्ता में केवल 40 प्रतिशत लोग बंगाली हैं और 60 प्रतिशत लोग गैर-बंगाली हैं। हमें इस पर गर्व है क्योंकि हमारा कलकत्ता एक महानगर है और हम वहां सभी लोगों का स्वागत करते हैं।

[हिन्दी]

लेकिन बॉम्बे के साथ में हम लोगों का रिश्ता जुड़ा हुआ है और वह इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि बॉम्बे में इन्फ्रास्ट्रक्चर है, इण्डस्ट्रीज हैं, कम्युनिकेशन से लेकर एम्पलॉयमेंट है, मैडिकल ट्रीटमेंट व एजुकेशन के लिए देश के कोने-कोने से लोग आते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि देश के कोने-कोने से जो आदमी आता है उसके साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता हम लोगों के साथ टूट जाये। यह कोई हारने-जीतने की बात नहीं है। लोकतंत्र में कोई पार्टी इलेक्शन में हारेगी तो कोई पार्टी जीतेगी। लेकिन हारेंगे तो क्या है? हमने स्वीकार किया है। आप लोग अच्छा कीजिए, आप लोगों का हमने स्वागत किया है लेकिन, [अनुवाद] हमने जनता के जनादेश को स्वीकार किया है। इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हमें अपने देश में लोकतांत्रिक ढांचे में आस्था रखनी होगी।

[हिन्दी]

अगर बाल ठाकरे के किसी आदमी ने ग्रेट किया है तो मैं उसका सपोर्ट नहीं करती हूं। राज्य सरकार उनकी अपनी है वे चाहते तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत मिलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं लेकिन कोई आदमी कानून को हाथ में नहीं ले सकता। कोई व्यक्ति यह नहीं बोल सकता कि हम पूरी कम्युनिटी को फिनिश कर देंगे।

जब इंदिराजी का कत्ल हुआ था तो कोई एक कम्युनिटी का एक आदमी कर सकता है लेकिन हर सम्प्रदाय इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। राजीव जी के मर्डर के बाद भी मालूम हुआ था कि राजीव गांधी जी को एक कम्युनिटी के एक व्यक्ति ने मार दिया। मैंने तो इलेक्शन में जाफना कम्युनिटी को प्रोटेक्शन दिया था। ऐसे वक्त में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ सी.पी.एम. का बहुत झगड़ा हुआ।

[अनुवाद]

मेरे ऊपर कई बार आक्रमण किया गया। हमें राजनैतिक रूप से और वैचारिक रूप से लड़ना होगा। हमें राजनीति के मूल्यों को पहचानना होगा। मैं एक बंगाली के रूप में नहीं बोल रही हूं। मैं वहां के अल्पसंख्यक सम्प्रदाय की ओर से बोल रही हूं। यह तथ्य है कि बंगाल में बंगालियों का बहुमत है, महाराष्ट्र में मराठियों का बहुमत है और बिहार में बिहारियों का बहुमत है, बम्बई में हम अल्पसंख्यक हैं दक्षिण भारत में दक्षिण भारतीय लोगों का बहुमत है और अन्य लोगों का अल्पमत है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप अन्य समुदायों का सफाया कर देंगे।

महोदय, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि महिलायें रो रही हैं क्योंकि डर के कारण वे अपनी भाषा नहीं बोल सकती। वे परम्परागत बंगाली ड्रेस, साड़ी भी नहीं पहन सकतीं क्योंकि वे डरती हैं।

श्री बाल ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि यह उसका हुक्म है। उनका कहना है : "मैं आपको उन लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने और उनका सफाया करने का हुक्म दे रहा हूं।"

[हिन्दी]

अगर यह गलती है तो मैं आपसे रिक्वैस्ट करना चाहती हूं, वाजपेयी जी से रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि आप इसे कन्ट्राडिक्ट करिये। ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं यहां लीडर ऑफ अपोजीशन से रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि अगर यह सच है, जब वहां की विधान सभा में विपक्ष के नेता ने क्वैश्चन किया था और उसके जवाब में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने यदि ऐसा कहा था तो यह एक सीरियस मामला है।

[अनुवाद]

मुझे और मेरी सरकार को श्री बाल ठाकरे के इस वक्तव्य पर गर्व है।

[हिन्दी]

इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि यदि आपने इसे कंट्राडिक्ट करना है तो आप कंट्राडिक्ट करिये। हम लोग कुछ नहीं करेगा लेकिन अगर यहां से ऐसा मैसेज जायेगा तो बम्बई से बहुत सारे माईनौरिटी के लोग भागेंगे, हर रोज भागने के लिये तैयार हैं। आज बहुत से लोग रोते हैं और रास्ते में पड़े हैं। मैं इसीलिए कहना चाहती हूं कि

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री श्री राजेश पायलट भी यहां उपस्थित हैं। उन्हें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिये और इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। गृह मंत्री को यह मामला राज्य सरकार के साथ भी उठाना चाहिये। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा होने दिया गया तो हमारा देश समाप्त हो जायेगा। यह न समझिये कि आपका तरीका बहुत अच्छा है और यह कहने की जल्दी न करें कि इस देश में आपका निष्कर्ष ही अन्तिम है। एक तरह का खाना एक आदमी के लिए तो सुपाच्य हो सकता है लेकिन यह दूसरे के लिए सुपाच्य नहीं होता। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि ऐसी कोई गलत चीज न करें जिससे ऐसा वातावरण देश में पैदा हो जो इस देश को जला दे और हमारे देश के टुकड़े कर दे तथा इसे अस्थिर बना दे।

[हिन्दी]

हमारे गुरुदास कामत जी को भी ऐसी ही थ्रैटनिंग मिलती रहती है, हमें भी ऐसी ही धमकियां रोज मिलती रहती हैं लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करते, ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते। मैं मानती हू कि बाल ठाकर को भी थ्रैटनिंग मिली होगी लेकिन आप ऐसे स्टेटमेंट क्यों देते हैं। इसलिये मैं यहां अपोजीशन के लीडर से रिक्वैस्ट करना चाहता हू

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय जी, आप भी उसी राज्य के हैं और हम आप से अपील करते हैं कि कृपया अल्पसंख्यकों और इस देश के लोगों के हितों की रक्षा करें। हम लोगों को विभाजित नहीं करना चाहते, हम उनको जोड़ना चाहते हैं। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री, गृहमंत्री, श्री वाजपेयी और आप से मेरा यह अनुरोध है कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसा न हो।

श्री संजय दत्त के बारे में समाचार है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो श्री संजय दत्त का जीवन बरबाद कर देगा। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह सभा को नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दें। जहां तक 'टाडा' का सम्बन्ध है, निर्दोष लोगों को रिहा कर दिया जाना चाहिये ताकि वे सुरक्षित महसूस करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री शहाबुद्दीन।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, हमने भी नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं ममता जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय महत्व का और एक बड़ा ही नाजुक मामला उठाया है। यों कहिये कि बम्बई के शेर को बीच-बीच में गुर्राने की आदत है। लेकिन अब स्थिति भिन्न है। कल...

अध्यक्ष महोदय : मैं कहूंगा कि किसी को न तो ज्यादा महत्व दें और न ही किसी की निन्दा करें?

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मैं उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दे रहा। कल तक वह एक राजनैतिक पार्टी के नेता थे लेकिन आज वह सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। अतः, यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसका इस्तेमाल इस ढंग से किया जाना चाहिये कि इससे किसी तरह उनकी

अपनी पार्टी के सदस्यों, अपनी सरकार के सदस्यों तथा उस पार्टी के सदस्यों को भी कोई परेशानी न हो। जिनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है। अतः, सबसे पहले मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपनी जुबान को थोड़ी लगाम दें और भावुक न हों। यदि यह सही है कि उनको धमकी दी गई तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के नाते उनके लिए सामान्य रास्ता यह था कि वह राज्य सरकार से इसकी आवश्यक जांच करने के लिए कहते और दोषी व्यक्ति को तेजी से पकड़ने और उसे दण्डित करने के लिए कानून का सहारा लेते। तब किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन उन्होंने वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने एक पूरे समुदाय का सफाया करने की धमकी दी है। महोदय, मैं नहीं जानता कि वह वास्तव में ऐसा करना चाहते थे लेकिन इससे एक स्पष्ट धारणा बनी है और इससे मुम्बई के लोगों में आतंक पैदा हो गया है। लोग आतंकित हैं और मुम्बई छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह विदेशी नागरिकों के बारे में है। इस सम्बन्ध में मेरा निश्चित मत है और पूरी सभा इससे सहमत होगी कि हमारे देश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है।

घुसपैठियों की पहचान की जानी चाहिये और उनके विरूद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये। परन्तु प्रश्न यह है कि उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उनकी पहचान की जानी चाहिये। किसी व्यक्ति विशेष अथवा दल विशेष या नेता विशेष की इच्छानुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करना होगा और उच्चतम न्यायालय ने यह प्रक्रिया निर्धारित की है कि यदि किसी व्यक्ति के विरूद्ध, जो भारतीय नागरिक होने का दावा करता हो लेकिन वास्तव में भारत का नागरिक न हो, **प्रथम दृष्टया** कोई मामला बनता हो तो उस स्थिति में सरकार के पास जो सबूत हो वह उसे दिया जाये। उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिये कि उसे विदेशी राष्ट्रिक घोषित क्यों न किया जाये और फिर भी प्रथम दृष्टया मामला बने तो मामला न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों को सौंपा जाये जो इस उद्देश्य से बनाये गये हैं। लोकतंत्र में यही सामान्य प्रक्रिया है और पूरे समुदाय को धमकी देने के स्थान पर इस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये।

महोदय, अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम मध्यकाल में नहीं रह रहे हैं जहां बाप के पापों के लिए बेटा को सजा भुगतनी पड़ती थी अथवा एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे समुदाय को दण्ड मिलता था।

अतः, महोदय, यदि घुसपैठ हुई है और कोई घुसपैठिया हमारे समाज में घुस गया है तो आप यह नहीं कह सकते कि भाषा की दृष्टि से या धर्म की दृष्टि से जिस किसी की भी उससे पहचान मिलती जुलती है उसे निष्कासित कर दिया जायेगा या उसका सफाया कर दिया जायेगा। बहरहाल, मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के पास सीमित अधिकार हैं और निश्चित रूप से श्री बाल ठाकरे अपनी सरकार को उन्हें भारत से निष्कासित करने के लिए नहीं कह सकते। यह काम भारत सरकार का है।

अतः, निष्कर्ष यह है कि इस वक्तव्य से लोगों के मन में बहुत ही भय पैदा हो गया है। लोग आतंकित हैं; वे बम्बई छोड़ रहे हैं इससे हमारा देश बदनाम हुआ है।

जिस समय बम्बई जल रही थी उस समय भी कुछ वक्तव्य दिय गये थे और अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस ने उनकी ओर ध्यान देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस में मोटे-मोटे शीर्षकों के अन्तर्गत उन्हें छापा था। आपका यह कहना बिल्कुल ठीक है कि हमारे नेताओं को बोलना चाहिये और अपने विचारों तथा भावनाओं को इस तरीके से अभिव्यक्त करना चाहिये कि हम दूसरे देशों में बदनाम न हों। इसलिए सरकार से मेरा आखिरी अनुरोध यह है कि सरकार इसे गम्भीरता से ले। यदि इस वक्तव्य का खण्डन किया जाता है, या महाराष्ट्र सरकार इसकी निन्दा करती है तो यह समाज के हित में होगा और इससे एकता और सुरक्षा बहाल होगी।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : और उन्हें उनके विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : किन्तु यदि नहीं, तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले की जांच करे, वह इस वक्तव्य की छानबीन करे, इसकी गहराई में जाये और कानूनी कार्यवाही करे।

अध्यक्ष महोदय, इस देश में कोई एक व्यक्ति कानून अथवा विधि के शासन से ऊपर नहीं है और इस देश का शासक कानून के अनुसार ही चलाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : माननीय अध्यक्ष जी, दो-तीन दिन से यह विषय पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं ही नहीं बल्कि पूरा सदन और पूरा देश इस विषय पर चर्चा करना चाहता है। हम भी चाहते हैं कि इस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। विषय बड़ा गम्भीर है। इसलिए जो यह प्रश्न विदेशी घुसपैठियों का उठा है, यह मामला कोई आज का मामला नहीं है। बहुत दिनों से इसी प्रकार के मामले उठते रहे हैं और बार-बार कहा जाता रहा है कि विदेशी घुसपैठियों को इस देश से निकाला जाए। पिछली बार इसी सदन में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि विदेशी घुसपैठियों की पहचान करना बहुत कठिन है। यह हमारी एक समस्या है।

अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले ही नयी सरकार बनी है और उसने इस दिशा में अगर कदम उठाया है, तो मुझे लगता है कि इन लोगों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए था,...

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिए, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कहा भी नहीं, किया भी नहीं। बिला-वजह उनको न खींचिए।

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, मैं खींच नहीं रहा हूं। जो इन्होंने माननीय सदन में कहा है, मैं उसी बात को कह रहा हूं। अध्यक्ष जी, आपने ठीक कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी ऐसा नहीं कहा

है। बाल ठाकरे ने कहा है। श्री बाल ठाकरे न तो लोक सभा के सदस्य हैं और न विधान सभा के सदस्य हैं और मुझे नहीं मालूम कि उनके सम्बन्ध में यहां चर्चा हो भी सकती है या नहीं क्योंकि वे अपना बचाव करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं। मुझे यह जानकारी नहीं है। यदि यह चर्चा नहीं हो सकती तो यह विषय बाल ठाकरे के नाम पर यहां नहीं उठना चाहिये था।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास कुछ कहने के लिए है तो कहकर बैठ जाइए।

श्री विनय कटियार : मुझे बहुत कुछ कहना है, दो मिनट कहने का मौका तो दीजिए। आज जब बाल ठाकरे ने प्रश्न उठा दिया कि विदेशी घुसपैठियों को यहां से निकाला जाए तो...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : वह उत्तेजित कर रहे हैं. ..**(व्यवधान)**

श्री किरिप चलिहा (गुवाहाटी) : यह आरोप क्यों लगाया जाये?...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : उन्होंने एक बात और कही कि यदि कोई मेरे ऊपर हमला करेगा तो उसके लोगों को सफाया कर दिया जाएगा। ...**(व्यवधान)** गुंडों की न कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है और यदि उनका सफाया कर दिया जाएगा तो इसका लोक सभा में स्वागत होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कुछ मित्रों ने इसे सम्प्रदाय के साथ जोड़ दिया। उन्हें यह बात ध्यान में आ गई होगी कि 1984 के दंगों में एक ही सम्प्रदाय के लोगों का पूरे देश में जो सामूहिक नरसंहार हुआ था, वह शायद इन कांग्रेसियों ने किया था। जिस तरह से पूरे देश में बच्चे से लेकर बुढ़े तक लोगों को इन्होंने मरवाया था, उसका उदाहरण सबके सामने है।...**(व्यवधान)** सी.बी. आई. की जांच हो चुकी, उस पर रिपोर्ट आ चुकी, कार्यवाही हो रही है। बाल ठाकरे ने किसी सम्प्रदाय विशेष का नाम नहीं लिया। यदि किसी विशेष सम्प्रदाय का नाम लिया होता तो यह बात समझ में आती। उन्होंने कहा कि यदि कोई हमला करता है तो उसका सफाया होना चाहिए।...**(व्यवधान)** जहां तक घुसपैठियों का सवाल है, यह बात समझ में नहीं आ रही कि कश्मीर में कई लाख लोगों को निकाल दिया गया। जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र करवाने के लिए सब प्रकार की कुर्बानी दी, इस देश को स्वतंत्र करवाने के लिए जिन माता-बहनों का सुहाग लुट गया, आज उसी कश्मीर के लोग हिन्दुस्तान की सड़कों पर दूसरे नम्बर के नागरिक बनकर घूम रहे हैं लेकिन हमारे मित्र जाफर शरीफ को रत्तीभर भी दया नहीं आ रही कि उनको भी यहां पर बसाया जाए, आजाद साहब को दया नहीं आ रही कि उनका नेतृत्व करें, उनको सुरक्षा दें।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : यह संगत नहीं है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह आपके कदमों पर चल रहे हैं...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसी कश्मीर में यदि कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसे 30 से 40 रुपये तक खुराक दी जाती है और देशभक्तों को जीवन निर्वाह के लिए 2 से 4 रुपये तक प्रति व्यक्ति दिए जाते हैं। यह कैसा मापदंड है, यह कैसी दोहरी नीति है, मेरी समझ में नहीं आता। यह केवल धर्म का सवाल नहीं है, मैं समझता हूं कि यदि जाफर शरीफ कश्मीर के संबंध में इसी तरह उत्तेजित होकर प्रधान मंत्री को ज्ञापन देते, सदन में उसे उठाते तो मैं उनका स्वागत करता, उनका अभिनन्दन करता, केवल लोक सभा में नहीं, पूरे देश में करता।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात कहिये...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : शाही इमाम न जाने कितने प्रकार के बयान देश में दे रहे हैं।...**(व्यवधान)** 1984 के दंगों को गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बता रही है।...**(व्यवधान)** राजेश पायलट जी यहां बैठे हुए हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह श्री बाल ठाकरे के वक्तव्य को उचित ठहरा रहे हैं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : हिन्दुस्तान की विभिन्न अदालतों में 84 केस लंबित हैं लेकिन आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, यहां तक कि वे संसद अदालत में हाजिर नहीं हो सके।...**(व्यवधान)** एक तरफ बाल ठाकरे का नाम लिया जा रहा है। और अगर 6 दिसम्बर की घटना होती, उसमें उनको दोषी बनाया जाता तो अदालत का सम्मान करने के लिए वह अदालत के अन्दर उपस्थित होते, वहां हाजिर होते, लेकिन उनके खिलाफ आज तक भारत सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही, उनको उपस्थित नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूं कि अगर बाल ठाकरे जी ने ऐसा बयान दिया कि विदेशी नागरिकों को वहां से निकाला जाय तो मैं समझता हूं कि पूरे हाउस को इसमें स्वागत करना चाहिए था, उनको सहयोग करना चाहिए था और इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया। मैं आपको असीमित समय नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप नहीं समझते कि आप क्या कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, अब भाजपा है तो परेशानी हो रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं असीमित समय देने के पक्ष में नहीं हूं। अन्य सदस्यों ने भी बोलना है।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वैसे तो यह विषय यहां उठाना नहीं चाहिए था। वहां विधान सभा चल रही है, इसलिए यह विषय यहां आना नहीं चाहिए था। क्योंकि आप नहीं माने और कई बार यह प्रश्न यहां हुआ है, यहां हम लोगों को टोका है...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आज आप लोगों ने यह विषय उठाया है।...

(**व्यवधान**)

श्री विनय कटियार : लेकिन आज आपने अनुमति दे दी इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार की अनुमति आप समय-समय पर हम लोगों को देते रहें. ..(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : समय-समय पर नहीं, आप योग्य हैं तो मैं अनुमति दे दूंगा, आप अयोग्य हैं तो मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री विनय कटियार : ताकि राज्यों के सम्बन्ध में इसी प्रकार का मामला यहां उठता रहे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो का मामला और मुजफ्फरनगर की घटना के सम्बन्ध में भी यहां चर्चा होनी चाहिए। उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसपर भी एक बार चर्चा करने की आप अनुमति दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नेताओं को अन्त में बोलने की अनुमति दूंगा ताकि वे महत्वपूर्ण मुद्दे सामने रख सकें।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : अध्यक्ष महोदय, श्री बाल ठाकरे की कुछ गैर-जिम्मेदाराना, अवांछनीय टिप्पणियों पर आज पूरा देश चिन्तित है। उन्होंने जो कुछ कहा वह बिल्कुल स्पष्ट है। मैं असंगत बातों की ओर नहीं जाना चाहता। मैं सीधे मसलों पर आऊंगा। श्री बाल ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि यदि किसी व्यक्ति ने उन पर हमला किया तो पूरे समुदाय का सफाया कर दिया जायेगा। उनका किस समुदाय से अभिप्राय था? उनका अभिप्राय केवल मुसलमानों से था। इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका कहना था कि पूरे समुदाय का सफाया कर दिया जायेगा। यह एक गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य है। मैं चाहता हूं कि सरकार आगे आये...*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : उन्होंने ऐसा कहा है। उन्हें दण्डित किया जाना चाहिये। उन्हें दण्ड दिये बिना कुछ नहीं बदलेगा। महोदय, आपको एक चीज समझनी चाहिये कि मुसलमान देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं। शिव सैनिक केवल महाराष्ट्र में हैं। क्या शिव सैनिक पूरे मुसलमान समुदाय का सफाया कर देंगे जो इस देश के कोने-कोने में फैला हुआ है? इस देश के हर कोने में करोड़ों मुसलमान हैं। कोई शक्ति उनका सफाया नहीं कर सकती क्योंकि वे इस देश के सपूत हैं। यदि ऐसी चीजें होती हैं तो वे इनका पूरी तरह विरोध करेंगे।

महोदय, आपको एक बात अवश्य समझनी चाहिये। श्री बाल ठाकरे ने आदेश दिय हैं। उन्होंने किसे आदेश दिये हैं? उन्होंने शिव सैनिकों को आदेश दिये हैं।

उनका कहना था : "मैं सभी विदेशियों की पहचान करने का शिव सैनिकों को आदेश देता हूं।" कृपया इसे समझिये। विदेशियों की पहचान करने का शिव सैनिकों को क्या अधिकार है? उनकी पहचान किसे करनी चाहिये? कानून को अपना रास्ता अख्तियार करना चाहिये। सरकार को न कि शिव सैनिकों को विदेशियों की पहचान करने का अधिकार है। लेकिन अब शिव सैनिकों को विदेशियों की पहचान करने का अधिकार दिया गया है।

एक बात और है। श्री बाल ठाकरे ने कहा है कि मुसलमानों को शिव सैनिकों को सहयोग देना चाहिये और यदि वे सहयोग नहीं देते तो उनका सफाया कर दिया जायगा। कृपया इन सभी चीजों की बारीकियों को समझें। कृपया समझें कि यह कितना खतरनाक है। क्या हम सभी इन चीजों को सहन कर सकते हैं? ऐसे वक्तव्य को सहन नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे तबाही होगी और इससे देश की शांति और स्थिरता भंग होगी। इससे देश में गृहयुद्ध आरम्भ हो जायेगा।

मुझे कांग्रेस मित्रों के विरूद्ध भी शिकायत है। मैं इस पहलू को भी नहीं भूल सकता। श्री शरद पवार का अब कहना है कि श्री ठाकरे को गिरफ्तार किया जाना चाहिये। जब 1992 में बम्बई जल रही थी तो श्री शरद पवार कहां थे? श्री बाल ठाकरे ने उस समय घोषणा की थी : "इस संकट के लिए मैं जिम्मेदार हूं" बम्बई से मुसलमानों को

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खदेड़ दिया जाना चाहिये।" कांग्रेस नेता उस समय कहां थे? उस समय श्री शरद पवार सत्ता में थे। उन्होंने श्री बाल ठाकरे को जेल में नहीं डाला। आज वह कहते हैं कि श्री बाल ठाकरे को गिरफ्तार किया जाये और उन्हें जेल में डाला जाये। अतः इस प्रकार दोहरे मानदंड नहीं अपनाये जाने चाहिये। यह बहुत गम्भीर है। यदि कार्यवाही की गई होती तो ऐसी घटनायें न हुई होतीं। अब कोई आदमी इनकी अनदेखी नहीं करेगा। यदि ऐसी चीजें होने दी गई तो कल वे देश को जला देंगे। श्री बाल ठाकरे इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अतः, आप यह देखें कि इस मामले में उचित कार्यवाही की जाए और इस व्यक्ति को सजा दी जाये ताकि वह भविष्य में ऐसी बात कहने का साहस न करें।.. .(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप भी बहुत वैसी बातें करते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम यहां इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इसका कोई सही समाधान ढूंढा जा सके। हम इस पर और समस्यायें पैदा करने के लिए विचार नहीं कर रहे हैं। अतः, आप यहां जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं उसके प्रयोग में सावधानी बरतें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति वक्तव्य देता है जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो वह भी कठिनाइयां पैदा करता है। हमें इसे सही परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे वाजपेयी जी ने कहा है कि हमने महाराष्ट्र का चुनाव जीता है। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने चुनाव जीता है। हम भी मानते हैं कि उनकी सरकार बनी है। इसके मायने यह नहीं है, वाजपेयी जी, कि वहां पर जो भी लोग रहते हैं, बाल साहब ठाकरे ने जो भी स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट देने के बाद महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, श्री मनोहर जोशी, हाउस के अन्दर कहते हैं कि बालसाहब ठाकरे ने जो बात कही है, वह सही बात है और मैं प्राउड हूं। एक मुख्य मंत्री महाराष्ट्र का यह कहता है और बाल साहब ठाकरे कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो भी काम चलेगा, मैं रिमोट कन्ट्रोल से चलाऊंगा। यह कौन सी लोकशाही की बात हो रही है। जो लोग चुनकर आए हैं, उनको वहां पर काम करना चाहिए, लेकिन मनोहर जोशी जी कहते हैं कि बालसाहब ठाकरे जो बोल रहे हैं, वह सही बोल रहे हैं और मुझे इस बात का अभिमान है।...(व्यवधान) मुझे बोलने दो।...(व्यवधान) गलत बात नहीं है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री मनोहर जोशी महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री हैं। क्या मुख्य मंत्री के विरूद्ध आरोप लगाये जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आरोप लगाये जाते हैं तो इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : मैं एलीगेशन की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो हाउस की बात, जो पेपर में है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मेघे जी, श्री नाईक का कहना सही है। वह यहां नहीं है और उनके विरूद्ध सीधे कोई मामला नहीं है। मुझे आशा है कि आप सही ढंग से वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज श्री जोशी की सभी बातें ठीक हैं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : महाराष्ट्र के अन्दर बालसाहब ठाकरे इसके पहले भी बम्बई में रहे हैं और उनको पूरी सुरक्षा महाराष्ट्र सरकार ने दी है, जब वे सरकार में नहीं थे, तब भी उनके साथ ढेर सिक्योरिटी थी, जो केन्द्र ने दी और राज्य ने दी। कोई भी आदमी बाल ठाकरे जी के बाल तक नहीं पहुंच सकता है। यह हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है। लेकिन कोई सादे पेपर में और फोन पर धमकी देता है और वह कौन आदमी है, उसका भी पता लगाया जाना चाहिए। उसको सजा होनी चाहिए। बालसाहब ठाकरे जैसे आदमी को फोन आना यह भी गलत है। जो किया है, उसको भी पकड़ लेना चाहिए। इसमें दो राय नहीं हैं। लेकिन बालसाहब ठाकरे जो कहते हैं कि पूरी जो कम्युनिटी है, मेरे बाल को हाथ लगाये, तो पूरी काम्युनिटी को खात्म करने का आदेश शिव-सैनिक को दे रहे हैं। शिव-सैनिक पूरे बम्बई के अन्दर, पूरे महाराष्ट्र के अन्दर क्या काम करते हैं और जो वे काम करते हैं, वह तो प्रोटैक्शन-फन्ड जमा करते हैं। नगर में हम प्रोटैक्शन देते हैं, यह बात भी आती है...(व्यवधान) रावले जी का भी आर्गुमेंट है.. .(व्यवधान) बीजेपी के लोग बहुत सीधे हैं, अच्छे हैं, लेकिन बाल ठाकरे जी को भी तकलीफ होने वाली है।...(व्यवधान) शिव-सैनिक को बालसाहब ठाकरे जी आदेश देते हैं-मैं यह आदेश दे रहा हूं, कि उन लोगों को खात्म करने का काम करो। एक नेता अपने शिव-सैनिक को आदेश दे रहा है, बहुत गलत काम हो रहा है। कल श्री गुरुदास कामत जी ने कहा था कि इसकी जांच हो जाए और गलत हो तो बालसाहब ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। उनके घर पर फोन आता है।...(व्यवधान) महोदय, मेरे घर पर फोन आ रहे हैं हमारे नागपुर के अंदर मेरे घर में शिव सेना वाले घुसने वाले हैं। मुझे मालूम है कि मैं यहां जो पार्लियामेंट में बात करता हूं तो वहां के जो शिवसेना वाले हैं वे वहां दंगा करेंगे।...(व्यवधान)

महोदय, आज पूरे देश के अंदर जो अच्छा वातावरण है वह खराब हो रहा है। मैं पायलट साहब से बात करूंगा कि गुरुदास कामत को जो फोन आ रहे हैं उनको सुरक्षा देनी चाहिए। हम यहां पर क्या कर रहे हैं यह बात उन तक पहुंच जाती है। महोदय, वे हमारा घर

तक जला सकते हैं। घुसपैठियों को निकालना सरकार का काम है, इसमें राज्य सरकार मदद कर सकती है। बाल ठाकरे जी ने कहा है कि इन घुसपैठियों को निकालने के लिए पुलिस शिव सेना की मदद करे, यह क्या बात है। वहां ऐसा माहौल बन रहा है यह गलत बात है। यह बात जो लोग कर रहे हैं यह ठीक नहीं है...**(व्यवधान)**

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यों के आधार पर ही बात करना चाहता हूं। आज इस सदन में यह बताया जा रहा है कि शिव सेना मुसलमानों के खिलाफ है, यह बात सही नहीं है। आज मुंबई शहर में 34 विधायक की सीटें हैं उनमें से 30 सीटें शिव सेना और भाजपा को मिली हैं इसलिए इनको दुख है।

महोदय, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं यह गलत है। लोगों को परिवर्तन चाहिए था, उनको हमारे ऊपर विश्वास था इसलिए उन्होंने हमें चुना हैं। शहाबुद्दीन जी और दत्ता मेघे जी ने एक बात कही थी। कल मैंने एक सवाल उठाया था उसका पी.एम.सईद जी ने मुझे जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि गए तीन साल में 78441 बंगलोदशी लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया। वहां जो घुसपैठिये थे वे हिन्दुस्तान में आना चाहते थे। इसी सदन में ऐसा जवाब दिया गया है कि बंगाल में साढ़े पांच लाख लोग बंगलादेशी रहते हैं, दिल्ली में डेढ़ लाख लोग रहते हैं और हमारे महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस की सरकार थी, जित्तु महाजन ने भी कहा है कि वहां डेढ़ लाख लोग मुंबई शहर में रहते हैं। अभी हमारे जॉन शंकरन जी, इलैक्शन चीफ और चीफ सैक्रेट्री श्री उपासने ने भी कहा था कि 42000 बंगलादेशी हैं उनके पास राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट नहीं है।... **(व्यवधान)**

मुझे बोलने दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की यह ड्यूटी थी। आज 71 से 81 तक बंगलादेश की जनसंख्या 29 लाख से घट गई है और 81 से 91 तक 36 लाख घटी है।

अध्यक्ष महोदय : इन सब बातों की चर्चा आप सोच कर कीजिए, क्योंकि यहां पर जो भी शब्द बोलते हैं उसके बहुत जगहों पर अलग-अलग अर्थ निकलते हैं। इधर से भी वही कहना चाहिए और उधर से भी वही कहना चाहिए।...

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : मुंबई से 5500 लोगों को 1982 से आज तक बाहर निकाला गया।

वे महाराष्ट्र सरकार के अंडर आ रहे हैं। इसलिए हमारे साहब ने जो कहा, वह किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं कहा। आज जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे डायस पर कांग्रेस पार्टी के लोग भी आए थे, शरद पवार, जार्ज फर्नांडीज भी आए थे और हमको राष्ट्रवादी कहकर पुकारा गया था। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि देश द्रोहियों को बाहर निकालो। आज भी वे यही कहते हैं। किसी पर्टीकुलर कम्युनिटी के बारे में उन्होंने नहीं कहा, सारी कम्युनिटीज ने हमको चुनकर भेजा है, सबको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है और हम अपना कर्तव्य निभाएंगे और हिन्दुस्तान में दिखा देंगे कि हम कैसे राज चलाते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया है, आज हमको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, हम उनको कोस रहे हैं और उनको निकालने की बाला साहेब ने जब बात कही तो उनको थ्रेटनिंग फोन आया। जब यह बात कही गई तो इन लोगों को गुस्सा आ गया। अभी दत्ता मेघे बात कर रहे थे, उन्होंने गुरुदास कामत का नाम लिया, उनको फोन आने की बात पर आप गुस्सा हो गए, इसका मतलब है कि आपने यह बात मान ली है कि फोन आया है। बाला साहेब ठाकरे को फोन आया होगा और फोन आया था, यह बात सच है। मुंबई में सेना भवन के बाजू में बम विस्फोट हुआ था, मुंबई में 12 बम विस्फोट हुए थे और सेना भवन के बाजू में पैट्रोल पंप पर विस्फोट हुआ था। उस वक्त भी धमकी दी गई थी कि सेना भवन को उड़ाएंगे, बाला साहेब ठाकरे को उड़ाएंगे, किसकी हिम्मत है बाला साहेब ठाकरे को उड़ाने की। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी, तब राजीव जी ने कहा था कि जब कोई पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आपने कितने लोगों का मार दिया। जो शिव सेना प्रमुख बाला ठाकरे को हाथ लगाने की कोशिश करेगा, देशद्रोही वही होगा... **(व्यवधान)**

मैं देशद्रोही के बारे में बोल रहा हूं, देशद्रोही कम्युनिटी के बारे में बोल रहा हूं, किसी जाति के बारे में नहीं बोल रहा। देशद्रोही कम्युनिटी है उसको हम खत्म करना चाहते हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उन्हें उन शब्दों को वापस लेना चाहिये।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महादेय : अब आप अपने आप कर लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि आप जो कुछ भी यहां पर बोलें, बहुत सोच-समझ कर बोलें। आप ऐसी चीज यहां पर बोल कर पैट्रोल में आग डालने का काम करेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : पैट्रोल डाल दिया है इन्होंने।

अध्यक्ष महोदय : आप कंट्रोल कीजिए।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बैठ जाइए। मैं सब लोगों से एक साथ बात नहीं कर सकता।

आप अपने शब्द वापिस लीजिए, नहीं लेंगे तो इसका असर सारे देश पर जाएगा।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैंने देशद्रोही के खिलाफ बात की है, मैंने किसी कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं की।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप चुप बैठिए।

रावले जी, प्लीज मैं आपको सोच-समझ कर बोल रहा हूं, यह बात देश के लिए अच्छी नहीं होगी, यह बात किसी के लिए भी अच्छी नहीं है।

श्री मोहन रावले : मैं सिर्फ जो देशद्रोही लोग हैं, उनके बारे में कह रहा हूं, और किसी के बारे में नहीं कह रहा।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्लीज देखिए, आप लोग एक बात कहते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों दिमाग उसके ऊपर सोचते हैं और यदि आप ऐसी भाषा बोलेंगे, जिसके दो अर्थ निकलते हैं तो यह मत समझिए कि दूसरों को वह अर्थ समझ नहीं आता। इसलिए यह देश के हित में होगा, सबके हित में होगा, प्लीज, अगर नहीं होता तो मैं यह बात आपको नहीं कहता।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : आप उन्हें उन शब्दों को वापस लेने का आदेश दे सकते है। आप उनसे इस तरह अनुरोध क्यों कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप भी समझते हैं मैं क्या कर रहा हूं। मैं स्वयं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : तो फिर से सिविल वार करने की बात आई थी, उसको भी वापिस लिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अब कृपया बैठ जाइये। आप उनके वकील नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप उनको डिसीजन लेने दीजिए।

[अनुवाद]

आप उनके वकील नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, यह सदन बहुत सारे सोच-समझकर बात करने वाले और देश के प्रश्नों को हल करने वाले लोगों से बना हुआ है। इसीलिए मैं शुरूआत से आपको कह रहा हूं कि ऐसे विषय पर जब आप चर्चा करेंगे तो एक-एक शब्द का अर्थ निकलता है। देश में निकलता है, बाहर निकलता है। इसलिए समझकर बोलिये। मैंने उनकी भी बात जाने नहीं दी है आपकी भी जानी नहीं चाहिए। मैं आपको चांस दे रहा हूं, आप उसको विदड्रा कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उस वक्तव्य के बारे में आपका क्या कहना है?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि जो देशद्रोही होंगे और हमारे बाल ठाकरे के ऊपर हमला करेंगे, ...**(व्यवधान)****

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं समझते

[हिन्दी]

आप बैठ जाइये प्लीज। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि यह भी स्टेटमेंट आपका कानून के खिलाफ है। आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। अब मेरी मुश्किल यह है कि सब चीजें आप ध्यान में रखकर नहीं बोलते हैं। इसलिए यह गड़बड़ हो जाती है।..

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उस वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मेरे बात करने के बाद अगर आपको गलतफहमी होगी तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस ले लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : दोनों तरफ से हो रहा है यह।

श्री मोहन रावले : गलतफहमी हो रही है इसलिए मैं अपने स्टेटमेंट को वापस ले रहा हूं।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। धन्यवाद। यह अधिक अच्छा है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : देशद्रोहियों के ऊपर हम तो कार्यवाही करने वाले हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर रावले, अब आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, उनको काम करने दीजिए। आप मत काम में लगिये।

श्री मोहन रावले : मैं यही बोल रहा हूं हमारी सरकार ही करेगी। 1988 से यह शुरू है जिनको बाहर निकालने के लिए कहा है। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अब आप किसी अन्य सदस्य को पुकार सकते है। उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया हैं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) **:** अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिये क्योंकि कुछ और सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री ई. अहमद : इस तरह के उत्तेजित वातावरण में मैं अपनी बात बहुत तटस्थ ढंग से कहना चाहूंगा। ममता जी ने इस मसले के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। राष्ट्रीय राजनीति और इस देश के धर्मनिरपेक्ष तंत्र से जुड़ा यह मामला बहुत ही नाजुक और गम्भीर मामला है।

श्री बाल ठाकरे द्वारा निन्दात्मक भाषा में दिये गये उत्तेजनाकारी वक्तव्य से अल्पसंख्यक समुदायों में आतंक पैदा हो गया है। शिव सेना के मेरे मित्र ने कहा है कि श्री बाल ठाकरे को टेलीफोन पर धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि यह झूठी धमकी नहीं थी, हो सकता है यह ठीक हो। यदि कोई व्यक्ति टेलीफोन पर धमकी दे तो निस्संदेह यदि उस व्यक्ति का सफाया किया जाता है या उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है तो बात समझ में आती है लेकिन पूरे समुदाय का सफाया करने की बात समझ में नहीं आती। चूंकि उसने बंगलादेशी होने का दावा किया है, तो क्या सभी बंगाली मुसलमानों का सफाया किया जायेगा?

दुर्भाग्यवश, महात्मा गांधी की हत्या एक ब्राह्मण ने एक दूसरे ब्राह्मण की सहायता से को थी। क्या इसका यह अर्थ है कि इस देश में कोई ब्राह्मण नहीं है? इस देश के शासक कौन हैं? क्या वे ब्राह्मण नहीं हैं? श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या एक सिक्ख ने की थी। क्या इसका अर्थ यह है कि इस देश में कोई सिक्ख नहीं है? क्या वे इस देश में सत्ता के ऊंचे पदों पर आसीन नहीं है? केवल इस आधार पर कि एक विशेष समुदाय के एक व्यक्ति ने एक नेता को धमकी दी है, वह यह कैसे कह सकते हैं कि समूचे समुदाय का सफाया कर दिया जायेगा।

1.00 म.प.

क्या कोई व्यक्ति एक समुदाय के 15 करोड़ लोगों का सफाया कर सकता है? शिव सेना द्वारा मुसलमानों तथा मुसलमान प्रवासियों का तीव्र विरोध किये जाने के कारण ही यह समस्या पैदा हुई है। मैं इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। शिव सेना के अध्यक्ष श्री बाल ठाकरे बहुत सी बातें कहते रहे हैं। एक बार उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया है।...**(व्यवधान)** किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। एक बार उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने लोगों को उस दौरान कुछ करने को कहा था। मैं दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता मैंने उसका प्रयोग नहीं किया है; मैं किसी को उत्तेजित नहीं करना चाहता; वह एक समुदाय विशेष की हत्या करने के बारे में है। किसी ने उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूं कि इस देश में विधि का शासन कायम रहे। उन्होंने 'जी' टी.वी. को कहा था कि भारत के मुसलमानों के साथ वही व्यवहार किया जाना है जो नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ था।

महोदय, मैं केवल एक मामला उठाऊंगा। अक्तूबर, 1993 में संयुक्त राष्ट्र की छठी समिति में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर चर्चा के समय एक देश ने वह मामला उठाया था। मुझे गर्व है कि पाकिस्तान के विरूद्ध अपने देश का बचाव करने के लिए मैं वहां था। उन्होंने श्री बाल ठाकरे के इसी वाक्य विशेष का उल्लेख किया था और अन्य देशों तथा सभी मुसलमान देशों को बताया था कि मुसलमानों को यह दशा है जो इस देश में कष्ट उठा रहे हैं। क्या यह इस देश के लिए शर्म की बात नहीं हैं? क्या यह इस देश के लिए कलंककारी नहीं है? मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के सभी निवासी 'भारतीय' हैं। श्री बाल ठाकरे के विचार मुसलमानों के विरूद्ध हो सकते हैं। उनके ऐसे विचार हो सकते हैं। किन्तु वह अपने साथियों को प्रवासियों और मुसलमानों को देश से निकालने का हुक्म क्यों देते हैं? क्या हमारे देश में इसकी इजाजत दी जा सकती है? मैं पुनः पूछता हूं : कौन सा व्यक्ति राष्ट्रवादी है और कौन सा व्यक्ति राष्ट्र-विरोधी है; कौन इस देश का नागरिक है और कौन इस देश का नागरिक नहीं है, इस बात का फैसला करने का अधिकार श्री बाल ठाकरे को किसने दिया है? इस देश में सम्यक कानूनी प्रक्रियायें है; कोई व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि किसी विदेश को अनुचित संरक्षण दिया जाये। यदि कोई व्यक्ति विदेशी है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। लेकिन क्या इसका अर्थ यह हैं कि इस देश के सभी मुसलमान विदेशी हैं और उनका सफाया कर दिया जाये। मैं सभा को विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं और जो लोग मुसलमानों तथा मुस्लिम संस्कृति के बारे में सोचते हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि इस देश के 15 करोड़ अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय इस देश में आबादी के हिसाब से दूसरा बड़ा समुदाय है। उनकी इस देश में अपनी सांस्कृतिक विरासत है। वह संस्कृति कुत्तुब मीनार की तरह ऊंचा, लाल किले की तरह मजबूत और ताजमहल की तरह सुन्दर है और उसका इस देश से सफाया नहीं किया जा सकता। मैं यही कहना चाहता हूं। हम सबको इस पर गर्व है क्योंकि इस देश के बहुसंख्यक लोग श्री बाल ठाकरे को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। लेकिन मैं इस सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं। क्या यह सरकार कानून के अनुसार विधि का शासन लागू करने के लिए कुछ करेगी? अन्यथा सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों को एक बहुत गलत संदेश जायेगा। हम सदैव सरकार को सहयोग देंगे, सदैव धर्मनिरपेक्षता का झण्डा ऊंचा रखेंगे। सदेव हिन्दू-मुसलमान साम्प्रदायिक एकता और मैत्री का समर्थन करेंगे; हम सदैव सरकार को सहयोग देंगे। हमें भारतीयों के रूप में ही आगे बढ़ना चाहिये और सदैव भारतीय रहना चाहिये। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) **:** अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही नाजुक और गम्भीर मसला है क्योंकि यह मुम्बई में रहने वाले अल्पसंख्यकों और गैर-महाराष्ट्र लोगों की सुरक्षा के बारे में है। इस मसले पर दलीय राजनीति से उठकर विचार किया जाना चाहिये।

वास्तव में अब मुम्बई में रहने वाले अल्पसंख्यक बहुत चिन्तित हैं और वे उत्तेजित हैं क्योंकि वे असुरक्षित महसूस करते हैं।

भारतीय नागरिकों के प्रवेश के लिए एक परमिट प्रणाली लागू करने के बारे में श्री बाल ठाकरे द्वारा पहले दिये गये वक्तव्य से अल्पसंख्यकों के मन में आशंका और उसकी भावना पैदा हो गई है। ...**(व्यवधान)**

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) : तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने उस प्रवेश प्रणाली का समर्थन किया हैं।.. **(व्यवधान)**

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : नहीं, नहीं ... **(व्यवधान)**

श्री पी.जी. नारायणन : महोदय, नहीं, वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : इस तुच्छ राजनीति के मामले में सभा को गुमराह करने का प्रयास न करें।... **(व्यवधान)**

श्री पी.जी. नारायणन : महोदय, वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कहते हैं कि ऐसा नहीं हैं तो ठीक है। यह काफी हैं।

श्री पी.जी. नारायणन : श्री बाल ठाकरे का कहना है कि यदि धमकी दी गई तो वह मुसलमानों का सफाया कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरा एक अनुरोध है। इतना अधिक महत्व देने से संभवतया लोगों को ज्यादा शक्ति मिलती है। दूसरे, इन चीजों की पुनरावृत्ति करने से लोग वह सोचने लगते हैं कि देश के ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं जोकि सही नहीं है। अधिकांश लोग-99.9 प्रतिशत लोग-दूसरी तरह सोचते हैं। अतः, हमें इसे इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : रिमोट कंट्रोल मुख्य मंत्री!

श्री पी.जी. नारायणन : कल वह अन्य समुदायों पर भी हिंसा करने के लिए उत्तेजित कर सकते हैं। श्री ठाकरे के इस प्रकार के कथन अवैध और असंवैधानिक हैं। हमारे देश की एकता और अखण्डता बनाये रखने और अल्प संख्यक समुदायों में सौहार्द बनाये रखने के हित में कुछ उचित कार्यवाही को जानी चाहिये। मैं चाहता हूं कि भाजपा भी अपनी स्थिति स्पष्ट करे क्योंकि वे उस सरकार के सहभागी हैं जो श्री ठाकरे से प्रेरणा लेती है। अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एक वक्तव्य दें जिसमें स्थिति स्पष्ट की जाये।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, शिव सेना के प्रमुख श्री बाल ठाकरे के बयान पर सारे देश में गहरी प्रतिक्रिया हुई है। यह बयान किसी प्रैस कांफ्रेंस या पब्लिक जलसे में नहीं बल्कि उनकी पार्टी के अधिकृत अखबार "सामना" में छपा है। इसलिये लोगों ने उस अधिकृत बयान को देखा। अगर उस बयान पर किसी ने दस्तखत किये हैं तो और भी गंभीर बात है। अब उसपर किसी के दस्तखत नहीं भी है और उनके अपने अखबार में छपा है तो दशभर के लोगों की गंभीर प्रतिक्रिया हुई है।

अध्यक्ष जी, यदि आप इस मामले को गंभीर न समझते, तो शायद, मैं समझता हूं कि आप इसकी इजाजत यहा नहीं देते। आपने ठीक कहा कि ऐसे प्रश्न पर संयम से बात करनी चाहिये जिससे कि स्थिति बिगड़ने के बजाये सुधरे। मैं समझता हूं कि शिव सेना एक पार्टी है और वह पहले भी ऐसे कई काम करती आयी है। उनके कई बयान ऐसे आते रहे हैं जिसमें उन्होंने कई बार कहा है कि बम्बई में बाहर से आये हुये लोग या महाराष्ट्र में गैर-महाराष्ट्रियन लोग नहीं रहेंगे और इस बात को कभी बेकारी से जोड़ते हुये और कभी शिक्षा से जोड़ते हुये निरंतर कहते रहे है।

श्री मोहन रावले : यह सच नहीं है और न कहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक कहा लेकिन उस पार्टी की ऐसी छवि बन गयी है कि वह इस प्रकार का वक्तव्य देते रहे हैं और देश की जनता को यह संदेश गया है। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में शिव सेना और बी.जे.पी. की संयुक्त सरकार बनी और उसके बाद यह वक्तव्य आया तो उसपर गहरी चिन्ता हुई। मैंने जब अखबार में पढ़ा तो समझता हूं कि श्री वाजपेयी जो बोलेंगे तो उसका स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं। बी.जे.पी. ने स्वयं कहा है कि वे इससे अपने आप को अलग रखते हैं जो "सामना" में वक्तव्य छपा है उसका समर्थन इनकी पार्टी नहीं करती है। यह अच्छी बात है कि एक सहयोगी पार्टी इस बयान को गैर-जिम्मेदाराना मानती है। मैं तो कुछ नहीं कहता हूं लेकिन देशभर में ऐसी बातें की गयी हैं। मैं उनको नहीं कहता लेकिन ऐसी भाषा द्वारा भेंट किया गया और उसका संदेश यह गया।

चाहे उन्होंने किसी संप्रदाय का नाम लिया हो या न लिया हो, मगर सारे देश में ये संदेश गया कि एक विशेष संप्रदाय के लिए वे इस तरह की बात कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आप पता लगाइए अपने मोहल्लों और इलाकों में कौन विदेशी लोग हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आप इसके लिए जिम्मेदार समझे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पुलिस इस काम को नहीं करेगी तो हमारे शिव सैनिक करेंगे और पुलिस को उनकी सहायता करनी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में जब यह सवाल महाराष्ट्र की विधान सभा में उठाया गया, तो सदस्य उत्तेजित थे और उन्होंने इस बात को उठाया तो मुख्य मंत्री जी ने वहां यह कह दिया कि मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे नेता ने ऐसी बात कही। उससे यह स्थिति और बिगड़ गई। उससे और बुरा असर पड़ा कि किसी एक नीति के तहत ऐसी बात करने जा रहे हैं। इसका इस सदन में किसी ने भी समर्थन नहीं किया है।

विदेशियों की घुसपैठ का मामला हमारे देश में है। यह प्रश्न बार-बार देश के कोने-कोने में उठा है, अदालतों में मामले गए हैं, सरकारों ने कार्रवाई की है और किसी ने उस कार्रवाई के खिलाफ कोई ऐतराज नहीं किया। लेकिन हमारे देश की एक विशेष परिस्थिति है और उन विशेष परिस्थितियों में देश में ऐसे लोगों को आने का मौका मिला। बंगलादेश अलग देश के रूप में बन गया, उस समय वहां के करोड़ों लोग इस देश में अपनी सुरक्षा के लिए आ गए और उसके बनने के बाद यह बात सही है कि उनको वापस जाना चाहिए। दिल्ली में भी यहां के कई नागरिक नही हैं। उनको वापस भेजना आसान काम नहीं है, कठिन काम है। दिल्ली में अभी बीजेपी की सरकार है और पहले की सरकारों के सामने भी यह चुनौती रही है। उस समस्या को हल करने का एक रास्ता है और उसको किया जाना चाहिए। उस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि आज भी शिव सेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे को अपनी ही 'सामना' अखबार में दूसरा वक्तव्य देकर इस बात का खंडन करना चाहिए कि उन्होंने इस तरह का वक्तव्य किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ नहीं दिया, उनका मकसद यह नहीं था कि इस देश के अंदर इससे विकट परिस्थिति पैदा हो। अगर बाला साहब ठाकरे ईमानदारी से महसूस करते हैं कि उनको अपनी बात का खंडन करना चाहिए तो उनको आज ही ऐसा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनका यह वक्तव्य निन्दनीय है। इससे देश की मर्यादा टूटती है, देश में तनाव पैदा होता है, देश की छवि बिगड़ती है और मैं यह मांग करता हूं तथा भारत सरकार के गृह मंत्री पायलट जी से आशा करता हूं कि जब वे यहां बोलेंगे तो वह बता सकेंगे कि क्या उन्होंने बाला साहब ठाकरे से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया और उनसे पूछा? मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि उनकी और इनकी अगर कोई बात हुई तो वह सदन को बतानी चाहिए।

श्री राम नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री माननीय शंकर राव चव्हाण जी सदन में होते तो यह चर्चा अधिक सार्थक होती।

एक माननीय सदस्य : पायलट जी तो हैं।

श्री राम नाईक : पायलट जी यहां हैं, मैं देख रहा हूं लेकिन पायलट जी और शंकर राव जी का मुंह एक ओर नहीं होता है, दूसरी ओर होता है यह आपको मालूम होना चाहिए।

अध्यक्ष जी, मुझे इस बात का दुख होता है कि जिस मुम्बई शहर का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, उस मुम्बई शहर के लोगों की निन्दा करने की यहां लगातार कोशिश हो रही है। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। मराठी में एक कहावत है कि – "सांप सांप मण्डून, जमीन थोपटणे।"

इसका मतलब यह है कि साफ-साफ कहो और जमीन को ठोकते रहो।

इस प्रकार से देखा जाय तो यह हौव्वा खड़ा किया जा रहा है। उसमें हकीकत ही नहीं है। वह हौव्वा खड़ा करके लगातार तीर मारने का काम यहां हुआ है इस बात का मुझे खेद है। मैं यह जानता हूं कि जब हार होती है तो उसमें से निराशा पैदा होती है और निराशा में इस प्रकार की बातें की जा रही हैं।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : इसको कहते हैं "खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे"।

श्री राम नाईक : मेरी मराठी हिन्दी उनके समझ में आ रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं भी मराठी समझता हूं। कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : इसलिए अध्यक्ष जी, यह स्थिति विफलता से पैदा हुई है और विशेषकर मुम्बई शहर ने जिस प्रकार से कांग्रेस का सफाया किया है उसके कारण से यह हो रहा है। 34 में से आपका एक सदस्य चुनकर आया है। यह आपकी विफलता है और इस विफलता के जरिये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना पर और शिवसेना के जरिये भारतीय जनता पार्टी पर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आपने परमिट की बात को लेकर हमला किया, जिस बात में कोई तथ्य नहीं था, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई थी, महाराष्ट्र सरकार ने कोई फैसला नहीं किया था लेकिन आपने बात छेड़ दी। उसके बाद में राशनिंग की बात आ गयी। अब राशन कार्ड का सारे हिन्दुस्तान में एक ही कानून है। मुम्बई में भी वही कानून है, दिल्ली व कलकत्ता में भी वही कानून है। दूसरे गांव से कोई आता है तो वहां का राशन कार्ड उसे दिखाना चाहिए, वह प्रूफ लाना चाहिए उसके बाद ही नए आदमी को राशन-कार्ड दिया जाता है। यह दूसरा विषय आपने खड़ा किया और उसमें भी आपको सफलता नहीं मिली इसलिए आप इस तीसरे विषय की ओर जा रहे हैं। लेकिन आप इतना ख्याल कीजिए कि महाराष्ट्र की जनता ने 5 साल सरकार चलाने के लिए मैंडेट दिया है और वह हम जिम्मेदारी के साथ निभायेंगे। इसके प्रति हमारे मन में कोई संदेह नहीं है ...(व्यवधान) आपने यह नहीं देखा कि मुम्बई शहर का वातावरण कैसा है? मुम्बई शहर में बम विस्फोट हुआ और 300 लोग मारे गए, जैसा मोहन रावले जी ने भी कहा कि शिवसेना के बाजू में जहां पैट्रोल पम्प है वहां बम विस्फोट हुआ। सबको मालूम है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि मुम्बई शहर में प्रधान मंत्री आये, गृह मंत्री आये, पायलट साहब आये और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री भी आये। किसी को यह नहीं लगा कि शिवसेना के दफ्तर के नजदीक इस तरह का हमला हुआ है तो वहां जाकर सांत्वना देनी चाहिए।

श्री राजेश पायलट : हम मिलकर आए हैं, लोगों से मिले थे।

श्री राम नाईक : आप गए थे मैं वही कह रहा हूं लेकिन जिनको जाना चाहिए था वे नहीं गए। मैं उनके साथ था। मुम्बई शहर में यह बात चल रही है कि जब मुम्बई शहर में इस प्रकार के बम विस्फोट हुए, बम विस्फोट होने के बाद हमारे चार विधायकों की दिनदहाड़े इस प्रकार के विदेशी लोगों के आधार पर हत्या की गयी हैं। जो पकड़े गये

हैं उन पर कोर्ट में केसेज चल रहे हैं लेकिन आज कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जिनको सरकार ने पकड़ा नहीं है। इससे लोगों के मन में चिन्ता है और इस चिन्ता के साथ-साथ हम यह सुनते हैं कि सी.बी. आई. ने यानी केन्द्र सरकार ने यह फैसला किया है कि जिन्होंने इस प्रकार के बम विस्फोट किए थे उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप था।

[अनुवाद]

'राज्य के विरूद्ध जंग लड़ रहे थे'

[हिन्दी]

इस प्रकार का निर्देश केन्द्र सरकार ने सी.बी.आई. को दिया है और सी.बी.आई. ने इस प्रकार की बात कोर्ट में कही है। तो मुम्बई के नागरिक के मन में यह बात आयेगी कि हमारी मुम्बई का क्या होगा और इसलिए इस बात का उल्लेख करना मैं आवश्यक समझता हूं।

अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं कि संविधान की सबको इज्जत रखनी चाहिए। सरकार का काम सरकार को करना चाहिए लेकिन संविधान की इज्जत करनी चाहिए यह कहने का अधिकार न इनको है, न इनको है। दो दिन पहले आपने यहां पर संविधान का क्या व कितना आदर किया था वह हमारी आंखों ने देखा है। साथ ही संविधान का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है चुनाव आयोग, तो चुनाव आयुक्त को भी आपने कौनसी भाषा में गलत बातें कही हैं वे भी हमने सुनी हैं। इसलिये आप उस बात को यहां पर मत बोलिये। हमको यह भी मालूम है... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उसका जवाब बिहार के चुनाव हैं। ...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : आपकी बात का जवाब महाराष्ट्र के चुनाव हैं। इसलिये आप भी यहां पर मत बोलिये।...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : आप अपनी बात बोलिये.. **(व्यवधान)****

श्री राम नाईक : ..**(व्यवधान)****

जैसी बात अगर एक दल विशेष के इतने बड़े नेता यहां खड़े होकर बोलते हैं तो शोभा नहीं देता...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इट इज नॉट गोइंग ऑन रिकार्ड

श्री राजवीर सिंह : अभी पासवान जी, इतने बड़े लीडर ने जो शब्द बोले हैं, वे उन्हें वापस लेने चाहिये..**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : संविधान कहां तोड़ा जाता है, उसे भी देखना चाहिये...**(व्यवधान)**

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : बिहार में क्या कर रहे हैं आप, कितने लोग वहां मरे हैं..**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, यह बात मैंने इसलिये कही.... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे... **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : मैं इसलिये बोल रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार में जनता ने फैसला दिया है लेकिन बिहार की जनता के फैसला देते समय 90 लोगों की वहां हत्या हुई हैं। आप इस बात को भी ध्यान में रखिये महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ है।

श्री राम विलास पासवान : एक नागपुर में 150 आदमी मरे हैं।

श्री राम नाईक : इनके जो मतभेद हैं, वे छोटे मतभेद हैं। हम जानते हैं कि इनके मतभेद छोटे और पक्षीय मतभेद हैं। वैस्ट बंगाल में सी.पी.एम. के कार्यकर्ता सी.पी.आई. के कार्यकर्ताओं की कैसे हत्या कर रहे हैं, यह भी हमने देखा है। श्री इन्द्रजीत गुप्त जी का स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ा है और आज हमें ये शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं. ..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : आपने जो वक्तव्य दिया है वह बिल्कुल निराधार और असत्य है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : वहां सरकार चलाते हुये एक दूसरे की हत्या करने की साजिश चल रही है, वह आप लोगों की है। यह सारी बातें इसमें से निकली है, 'सामना' में जो कुछ आया है। 'सामना' में जो कुछ आया है, वह इन्होंने पढ़कर नहीं बताया। जिनकी बोली मराठी है, वे सब कुछ समझ जायेंगे। मैंने सब कुछ पढ़ा है और मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। 'सामना' में जो कुछ निकला है, उसे मैं पढ़कर बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उसे यहां डिफेंड कर रहे हैं?

श्री राम नाईक : मैं 'सामना' में जो कुछ आया है, उसे बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उसमें जो कुछ आया है, उसे आप डिफेंड तो नहीं कर रहे हैं न।

श्री राम नाईक : 'सामना' में जो कुछ आया है, जो लोग मराठी नहीं समझते, वे उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं। यदि उसका कोई अपने ढंग से अर्थ निकालता है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि आप उसे डिफेंड नहीं कर रहे हैं।

श्री राम नाईक : मैं उसे यहां इसलिये रखना चाहता हूं कि 'सामना' में जो शब्द प्रयोग किये गये हैं- "हल्लेखोरों की जो जमात है, उस पर हमला किया जायेगा, उसको नष्ट किया जायेगा"। अब सवाल है कि हल्लेखोरों की जमात क्या है? अखबार वालों की

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जमात, चोरों की जमात, भ्रष्टाचारियों की जमात आदि शब्दों का तो प्रयोग होता है, मैं इसलिये उस बात को नहीं करना चाहता।

अंत में, मुझे केवल यही कहना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में लेटेस्ट जो कुछ आया है, क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने बाला साहेब ठाकरे की भूमिका क्या है, उसके बारे में यहां बात की है और उन्होंने कहा कि इसके बारे में कुछ कहा जाये। टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी वर्बेटिम रिपोर्ट आयी है और मैं यहां केवल दो प्रश्नों के उत्तर पढ़कर अपनी बात पूरी करूंगा।

और इसके बाद मैं अपना वचन पूरा करूंगा। उसमें पहला सवाल है-

[अनुवाद]

"प्रश्न : अवैध अप्रवासियों पर विवाद के संदर्भ में आपने जो हाल में वक्तव्य दिया है उससे राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो गया है। आपने मुसलमानों पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया है।

उत्तर : मैंने यह कभी नहीं कहा कि मुसलमान देशद्रोही हैं। एक देशद्रोही/देशद्रोही ही है उसका धर्म जो भी हो। यदि मैं प्रधान मंत्री बनता हूं तो मैं देशद्रोही को गोली से उड़ा दूंगा चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो या सिक्ख हो।"... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : यह फासिस्ट रवैया है। और वह संविधान और कानून की बात कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : महोदय, मैं अपना भाषण जारी रखूंगा।

"कांग्रेस सरकार सदैव विदेशी हाथ की बात करती है। यह सुनकर मेरे कान पक गये हैं। कांग्रेस सरकार में विदेशी शक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने का साहस नहीं है। मैं सभी देशद्रोहियों के खिलाफ हूं।"

दूसरा प्रश्न भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

"प्रश्न : कांग्रेस ने आप पर मुसलमानों के विरूद्ध एक प्रोग्राम का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। टिप्पणी।

उत्तर : मुसलमानों के विरूद्ध गलत इरादे रखने का मुझपर आरोप लगाने का कांग्रेसियों को क्या अधिकार है?*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राम नाईक : क्यों, श्रीमान? यह बिल्कुल संगत है।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चन्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ये गलत तथ्य कह रहे हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : कृपया मेरी बात सुनिये। मैं आपकी सहायता कर रहा हूं।...**(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल : आप इस अवसर पर ऐसे मसले नहीं उठा सकते जो तथ्यों की दृष्टि से गलत है। यह गलत है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपके खण्डन को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है।

श्री राम नाईक : श्रीमान, मैं पुनः उद्धृत करता हूं :

"मैं इन कांग्रेसियों की तरह व्यवहार नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि हर प्रकार के दंगे और हिंसा समाप्त हों। उन्होंने यही कहा है।.....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। यह सारा हवा में कहा जा रहा है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कांच के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे इतना ही कहना है।

[अनुवाद]

श्री आर. अन्बारासु : महोदय, शिव सेना अध्यक्ष, श्री बाल ठाकरे के वक्तव्य से - जो एक असंवैधानिक और गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य है - पूरे देश में दहशत फैल गई है, विशेष रूप से देश के देशभक्त भारतीय मुसलमानों में काफी क्षोभ है। इससे धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को धक्का लगा है। इस प्रकार के वक्तव्य की निन्दा करने की बजाय, मुझे अफसोस है कि हमारे विद्वान साथी और पार्टी नेता श्री वाजपेयी उल्टी बातें कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ नहीं कहा।

श्री आर. अन्बारासु : वह कांग्रेस पार्टी की हार के बारे में बता रहे थे। हमें जनता का जनादेश मंजूर है। वे फिलहाल कांग्रेस पार्टी की छवि बिगाड़ने में सफल हुए हैं। लेकिन बम्बई के लोग महसूस करने लगे हैं कि उन्होंने गलती की है। इन चन्द दिनों में ही उन्होंने परमिट प्रणाली की बात करनी शुरू कर दी। लोगों का सफाया करने के बारे में भी वक्तव्य आया है। महोदय, उन्होंने इस शब्दों का प्रयोग किया है, "मैं एक प्रोग्राम चलाऊंगा।" बहुत से माननीय सांसदों को मालूम होगा कि इसका क्या अर्थ है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोग्राम मुम्बई में रहने वाले बंगलादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों के विरूद्ध 'एक संगठित नरसंहार है' क्या आप समझते हैं कि इस प्रकार के वक्तव्य से देश की भलाई होगी? धर्मनिरपेक्षता ही विचारधारा की खतरे में है।

केवल श्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, केवल श्री नरसिम्हा राव के हाथों में, धर्मनिरपेक्षता की नीति सुरक्षित है। महोदय, मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एक माननीय सांसद के पुत्र को

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भी नहीं छोड़ा है। श्री नरसिम्हा राव विधि के शासन के अनुसार कार्यवाही करने के पक्ष में है। यद्यपि संजय दत्त आतंकवादी नहीं है। यद्यपि उसके पास बिना लाइसेंस के हथियार नहीं थे, उसे अनावश्यक जेल में बन्द रखा जा रहा है। अभी भी वह जेल में है यद्यपि वह आतंकवादी नहीं है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि हम कानून के अनुसार कार्यवाही करते हैं। हमारी कांग्रेस सरकार धर्मनिरपेक्षता की समर्थक है।

अध्यक्ष महोदय : इसे बनाये रखें। विधि शासन उचित भी होना चाहिये।...

(व्यवधान)

श्री आर. अन्बारासु : महोदय, मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि जमाखोरों, तस्करों और राष्ट्र विरोधी तत्वों की आड़ में वे बम्बई में दूसरे नोआखाली की पुनरावृत्ति करने की योजना बना रहे हैं। महोदय, मुझे खेद है कि ऐसा हुआ है और हमारे राम नाईक जी, श्री बाल ठाकरे से अपना वक्तव्य वापस लेने के लिए कहने की बजाय उनके असंवैधानिक गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य का समर्थन कर रहे थे। महोदय, उनको ऐसे वक्तव्य देते रहने दिया गया, तो इससे हिन्दू-मुस्लिम फसाद शुरू हो जायेंगे और इससे स्थिति और खराब होगी; इससे देश की एकता और धर्मनिर्पेक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः, मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह यहां खामोश नहीं बैठे। उन्हें अवांछनीय, असंवैधानिक वक्तव्य देने और ऐसा वक्तव्य देने का अवैध कार्य करने के लिए भी श्री बाल ठाकरे के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में हमें श्री बाल ठाकरे के दो वक्तव्यों पर चिन्ता है। इस सभा और केन्द्र सरकार का ध्यान इन मुख्य वक्तव्यों की ओर दिलाया जाना चाहिये।

पहले वक्तव्य में उन्होंने शिव सैनिकों को हुक्म दिया है कि वे अनधिकृत विदेशी नागरिकों को बाहर निकाल दें। अनधिकृत विदेशी नागरिकों को देश से बाहर निकालने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस सभा के सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि देश में अनधिकृत विदेशी नागरिक हैं तो उनका पता लगाया जाना चाहिये और उन्हें देश से निकाल देना चाहिये। लेकिन उनका पता लगाना शिव सैनिकों का काम नहीं है। यह काम कानून के अनुसार किया जा सकता है। कानून में उनका पता लगाने का प्रावधान है। कानून में ऐसे प्राधिकरण का भी प्रावधान है जो यह निश्चय करेगा कि ये अनधिकृत विदेशी नागरिक हैं जिन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है और जिन्हें यहां से जाना होगा। इस देश में विधि का शासन है। हमें इस बात पर चिन्ता है कि इस विधि सम्मत शासन को चुनौती दी गई है।

यदि देश में विधि सम्मत शासन की स्थापना नहीं होती और यदि विधि सम्मत शासन को चुनौती दी जाती है तो इस संसद और केन्द्र सरकार को चिन्ता होनी चाहिये क्योंकि प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति-यह राज्य विधानमण्डलों का मामला ही क्यों न हो- संविधान की शपथ लेता है। यदि संविधान के प्रति वफादारी और विधि सम्मत शासन के प्रति सम्मान के नियम का पालन नहीं किया जायगा तो यह देश के लिए एक बहुत गम्भीर बात होगी। अतः, हम इस बात पर बल देते हैं कि अनधिकृत विदेशी नागरिकों को तो जरूर निकालें लेकिन यह काम कानून के अनुसार करें। कृपया एक प्राइवेट पार्टी या एजेन्सी अथवा एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं को अनधिकृत नागरिकों का पता लगाने और उन्हें बाहर निकालने का काम न सौंपें। इससे न केवल साम्प्रदायिक वैमनस्य पैदा होगा, अपितु ऐसे मामलों का पता लगाने की आड़ में निर्दोष मुसलमानों को भी उत्पीड़ित किया जायेगा। इस मामले में यह खतरा है।

उन्होंने यह भी कहा था कि अल्पसंख्यकों को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिये। अन्यथा वे उन्हें जिम्मेदार ठहरायेंगे। यदि वे उनका पता नहीं लगा सकते या वे उन्हें देश से बाहर नहीं निकाल सकते, तो शिव सैनिक उनको देश से बाहर निकाल देंगे। श्री बाल ठाकरे क्यों नहीं चाहते कि विधि सम्मत शासन कायम रहे; वह यह क्यों नहीं चाहते कि सरकारी तंत्र इसे देखे और वह यह क्यों चाहते हैं कि राजनैतिक कार्यकर्ता यह काम करें? जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है, यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

दूसरे, टेलीफोन काल का हवाला देकर उन्होंने कहा था कि उन्होंने 'सामना' में शिव सैनिकों का लिखित रूप में स्पष्ट आह्वान किया है कि जो समुदाय उन पर आक्रमण करने का साहस करे, उसका सफाया कर दो। इसका क्या अर्थ है? यदि कोई छोटी सी घटना होती है तो क्या वह पूरे समुदाय का सफाया कर देंगे? ऐसी घटनाओं से निपटने का यह संवैधानिक तरीका नहीं है। यदि उनके जीवन की चिन्ता है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाये। मैं उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिये। वह एक राजनैतिक दल के महान नेता हैं।

ये दो चीजें बहुत आपत्तिजनक हैं। इस संसद तथा केन्द्र सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिये। महाराष्ट्र में विशेष रूप से मुम्बई में कांग्रेस की हार से इसे जोड़कर इस गम्भीर विषय का महत्व कम न करें। आप हमें यह बताकर कि हमारी हार हुई है, जनता का ध्यान दूसरी ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इस हार को एक खेल की तरह लिया है। हमने सरकार बनाने का दावा नहीं किया, यद्यपि हमारे राज्य में हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभरकर आई है। हमने उनको सरकार बनाने दी। हमने उनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष का निर्वाचन करने दिया। हमने उनको पहले दिन ही विश्वास प्रस्ताव पारित करने दिया। अतः हम चाहते हैं कि इस सरकार को काम करने का पूरा अवसर दिया जाये। यदि आन्तरिक विरोधों के कारण अपने ही जाल में फंसकर उनका पतन होता है, तो इसके लिए हमें दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिये।

मुझे केवल यह चिन्ता नहीं है कि विधि सम्मत शासन की स्थापना हो और सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा हो, अपितु मुझे भाजपा मित्रों की भी चिन्ता है जो शिव सैनिकों के साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय : फातमी जी, संक्षेप में बोलिये। अब सभी मुख्य बातें आ गई हैं। आप केवल अपने निष्कर्ष दें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ दो मिनट का वक्त लूंगा।

आज जो कुछ महाराष्ट्र के अन्दर ठाकरे जी के बयान के बाद प्रतिक्रिया आम आदमियों के अन्दर है, उसको पूरा मुल्क बहुत सीरियसली ले रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि न सिर्फ बम्बई के मुसलमान, बल्कि जो दूसरे राज्यों के लोग वहां रहने वाले हैं, उनको भी वहां खतरा हो गया है और वह खतरा हुआ है जब परमिट की बात कही गई है या फिर जब किसी कम्युनिटी को एलीमिनेट करने की बात कही जा रही है जो उससे जो ला एण्ड आर्डर की पोजीशन बम्बई के अन्दर या महाराष्ट्र के अन्दर हो सकती है, उससे लोग चिन्तित हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बाल ठाकरे साहब ने इस तरह की बात पहली बार कही है, बल्कि इससे पहले भी, अगर आप याद करें तो ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह सब बता दिया है, बार-बार बता दिया है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

बाबरी मस्जिद के डिमोलीशन के वक्त भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था कि मुझे प्राउड है कि मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया है। आज परमिट की बात भी उन्होंने कही, आज वाइप आउट करने की बात उन्होंने कही। उस जमाने में भी उन्होंने बयान दिया था कि बम्बई से इनको निकाल फेंका जाय। मैं कहना चाहता हूं कि यही नहीं कि आज, कल भी कांग्रेस की जो सरकार दिल्ली के अन्दर रही या जो महाराष्ट्र के अन्दर सरकार थी, दोनों ने कभी भी ठाकरे जी को जो नहीं कहना चाहिए, वह कहने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया।

मैं याद दिलाना चाहता हूं, इससे पहले जब भाजपा के लीडर आडवाणी जी ने मुल्क के अन्दर फिरकापरस्ती को बढ़ाने का काम किया था, तो बिहार सरकार ने उनको अरैस्ट करने का काम किया था ...(व्यवधान) उस वक्त हमारी सरकार दिल्ली के अन्दर थी। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि एक तरफ पूरे मुल्क के अन्दर फिरकापरस्ती को, इलाकापरस्ती को बढ़ाना चाहते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेकर, जो भी कानून के अन्दर आता हो, उसको अरैस्ट किया जाए और जो सजा किसी और के लिए है, वह सजा बाल ठाकरे जी को देनी चाहिए।...(व्यवधान) जो सजा दूसरों के लिए है, वही सजा बाल ठाकरे जी को देनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करूंगा कि जिससे मुल्क का अमन टूटता हो, उसके खिलाफ सरकार इम्मिडिएटली एक्शन ले और उनके अरैस्ट करने का काम करे। ....(व्यवधान)

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : आडवाणी जी का नाम लेकर जो बात कही गई है, वह आपत्तिजनक है।...(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, अयोध्या...(व्यवधान) लोगों पर मुकदमा चल रहा है, वे अदालत में हाजिर भी हुए हैं। मगर अब्दुल्ला बुखारी पर तो वारन्ट सर्व नहीं हो पा रहा है। इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे।...(व्यवधान) अब्दुल्ला बुखारी, जो एक आर्डिनरी सैक्रेटरी हैं, उसको हाजिर नहीं किया जा सकता है। ठाकरे जी को जमानत करनी पड़ी, आडवाणी जी अदालत में गए, जेल गए और सारे लोग जेल गए, मुकदमा चल रहा है, लेकिन आज तक यह निकम्मी सरकार अब्दुल्ला बुखारी को अदालत में क्यों नहीं ला पाई।.. (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। कृपया बैठ जाइये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हम कुछ नियमों का पालन करते हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन, कृपया संक्षेप में बोलिये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सभा में बोलते समय हम कुछ नियमों का पालन करते हैं। सामान्यतया हम ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेते जो इस सभा का सदस्य नहीं है। मैं उन्हें 'बम्बई का वह आदमी' पुकारता हूं। अब बम्बई के उस आदमी ने जो किया है, वह बहुत ही निन्दनीय है। मैं ऐसे हर व्यक्ति को तुच्छ समझता हूं जो इस भाषा में बात करता है। यह इस देश के लिए खतरनाक है और यह धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरनाक है। ऐसा वे लोग करते हैं जिनका दिमाग खराब होता है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि जो व्यक्ति ऐसी चीजें कहता है वह ज्यादा ताकतवर नहीं होता। इससे कायरता की झलक आती है। कई लोगों को टेलीफोन कालें आती हैं लेकिन कोई व्यक्ति इस प्रकार हड़बड़ाहट में प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। मुझे इस महान पुरूष की दशा पर, जिसकी कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, तरस आता है।

महोदय, मैं इन्सानों की शेरों से तुलना नहीं करता। शेर भी अन्धाधुन्ध हत्या नहीं करते। लेकिन उनका कहना है कि वह पूरे समुदाय का सफाया कर देंगे। मैं यह नहीं कह सकता कि वह ऐसा नहीं कर पायेंगे। यदि मैं ऐसा कहूं तो पथभ्रष्ट लोग यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस देश में वे ऐसा कर सकते हैं। हम इस हद तक गिर गये हैं। मुझे अफसोस है कि कुछ लोग दूसरी जगह कुछ कहेंगे और इस संसद में हम भी समुदाय, जाति के आधार पर विभाजित हो जाते हैं। यह बहुत ही शोचनीय है। इसे सहन नहीं किया जाना चाहिये। कुछ व्यक्ति पथभ्रष्ट हो सकते हैं लेकिन सत्ता को पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिये। यदि किसी राज्य में सत्ता पथभ्रष्ट हो जाती है तो स्थिति को सुधारने के लिए कोई केन्द्रीय प्राधिकारी होना चाहिये और हम इस कार्य में आपको पूरा समर्थन देंगे।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से महाराष्ट्र में एक राजनैतिक दल के नेता द्वारा दिये गये वक्तव्यों की निन्दा करता हूं। इसके गम्भीर परिणाम

होंगे। आन्ध्र प्रदेश में भी हमारे साथ ऐसा हुआ था जब उन दिनों विधान सभा के एक सदस्य ने अपने अनुयाइयों से कहा कि उन्हें कुछ हो जाये तो वे सब कुछ तबाह कर दें। करोड़ रुपये की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त, और नष्ट कर दी गई तथा जला दी गई और कई लोगों की हत्या कर दी गई। बम्बई में ऐसी स्थिति पैदा होने की कल्पना करते ही मुझे डर लगने लगता है। दुर्भाग्यवश, मुम्बई में पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। अब मैं पुनः ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता। मैं आपके माध्यम से श्री बाल ठाकरे से अपील करता हूं कि वह अपना वक्तव्य वापस ले लें और ऐसा वक्तव्य देने के लिए क्षमा याचना करें क्योंकि उन जैसे महान व्यक्ति को ऐसा वक्तव्य देना शोभा नहीं देता।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सभी आवश्यक कदम उठाये और उन सभी अनधिकृत विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दे जो मुम्बई या अन्य स्थानों पर रह रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में, कोई व्यक्ति अपने अनुयाइयों या अपने कुछ लोगों का कितना ही प्रिय क्यों न हो, इस देश में नहीं रह सकता यदि वह इस देश के कानून का पालन नहीं करता। श्री बाल ठाकरे कानून से ऊपर नहीं है, वह इस देश के कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता अथवा उसके अनुयायी ऐसा नहीं कर सकते। इससे उनका कोई सरोकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हम इन सभी सिद्धान्तों को जानते हैं। आपने इसकी निन्दा की है। यह पर्याप्त है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : इससे गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी। यदि श्री बाल ठाकरे अपनी टिप्पणी को वापस नहीं लेते तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अथवा जो कोई भी अन्य व्यक्ति हो तथा किसी भी धर्म का हो, के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करे। यदि वे गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य देते हैं तो इससे हमारी राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता को भारी नुकसान होगा।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष जी, ममता जी ने जो बात शुरू की है, जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें मेरा इतना ही कहना है आज शायद आपने अखबार में देखा होगा उसमें जर्मनी की एक वृद्धा की तस्वीर है, जिसमें उनके पास जर्मनी के प्रेसिडेंट खड़े हो कर उनको बधाई दे रहे हैं। वह 90 साल की हैं। हिटलर के जमाने में इस औरत ने हिटलर के अत्याचार से हजारों ज्यूस की रक्षा की थी। महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन बम्बई के नेताओं के बारे में जिक्र हो रहा है, वे बार-बार पहले कह चुके हैं कि वे हिटलर के अनुयायी हैं और इसलिए शायद हमको आश्चर्य नहीं लग रहा है। सदन के माननीय सदस्यों ने बयान की निंदा करके ठीक किया है। हमको लगता है कि जब वे अंतर्मुखी हो करके सोचेंगे तो वे भी शर्मिन्दा होंगे कि इस तरह का बयान हमको नहीं देना चाहिए था।

महोदय, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने कल एक बयान दिया है। उनको आगे चल कर, कम से कम बम्बई के नेताओं के ऊपर यह कड़ा आदेश करना चाहिए कि जो बयान दिया है वह देश के हित में नहीं है, उनकी पार्टी के हित में नहीं है। हम लोग जो बम्बई शहर के लिए गर्व करते हैं, जिस शहर के वह नेता हैं उनको भी हित में नहीं हैं। गृह राज्य मंत्री यहां बैठे हैं वह इस बयान की पृष्ठभूमि में बम्बई के मुख्य मंत्री जी के साथ संपर्क कर सकते हैं और कह सकते हैं मुख्य मंत्री उनके नेताओं पर प्रभाव डाले कि आगे चलकर इस तरह के बयान न हों। दूसरा मेरा विनम्र निवेदन अटल जी से यह है कि इस तरह के बयान से उनको दूर रखें। इसके साथ ही मैं यह कहूंगा, क्योंकि वह गठबंधन सरकार के पार्टनर हैं तो आगे चल करके उनको भी देखना चाहिए। यह देश और राष्ट्रीय एकता के हित में है, इसलिए कि वे सरकार में आ गए हैं और आगे चलकर रूल ऑफ लॉ और संवैधानिक मूल्यों को सामने रख कर इस तरह के बयान न दें, इतना ही मुझे कहना है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं और संक्षेप में ही निवेदन करना चाहता हूं। मुझे बहुत सीमित है और शिव सेना के प्रमुख से वास्ता रखता है। उनका जो बयान है वह समूचे तबके को और समचे समाज को लक्ष्य करके है। अभी बहुत से साथी उनके पक्ष में खड़े होकर बहुत से तर्क दे रहे थे। इस सदन में बहस ही नहीं होती यदि शिव सेना के प्रमुख बयान का खंडन कर देते।

उनका बयान अकेले इस बार ही नहीं आया है उनका रुख और उनका राजनीतिक मानस समूचा देश जानता है। बाबरी मस्जिद के डिमालिशन के बाद महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, उसके बाबत उन्होंने क्या कहा था। बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बारे में उन्होंने गौरव से कहा था कि हमने उसको गिराया है। यानी यह पूरा राष्ट्र जानता है कि, वे भी इसको छिपाते नहीं हैं, खुलेआम कहते हैं। सवाल यह है कि जो हमारे देश का संविधान है, जब भंजदेव ने उनकी अवहेलना की, कानून अपने हाथ में लिया या भिंडरावाले ने जब कानून अपने हाथ में लिया तो उनको सजा देने का काम किया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : क्या आप भंजदेव की हत्या का समर्थन कर रहे हैं?

श्री शरद यादव : निश्चित, जब उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, तो सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, मैं उसको गलत नहीं मानता।...(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उस समय डा. राम मनोहर लोहिया ने इस काम की निंदा की थी, जिस तरह से भंजदेव की हत्या की गई।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा और उपयुक्त कार्यवाही करूंगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं उनके गैरकानूनी रूप से मारे जाने की निंदा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप इसका समर्थन नहीं करते हैं।

श्री शरद यादव : लेकिन कानून हाथ में लेने के बाद जो हिंसा हुई, उसका मैं समर्थन नहीं करता।

अध्यक्ष जी, एक बात मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि इस बयान का खंडन आ जाता तो बात और होती। इस सरकार से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार में विधान सभा की एक समिति जो कि शंकरराव संवद की अध्यक्षता में गठित की गई थी, ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बाल ठाकरे जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यदि कांग्रेस सरकार और शरद पवार जी ठीक से एक्शन लेते तो ठीक होता। लेकिन उसको रिवाइव किया गया और इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया।

अध्यक्ष महोदय, शिवसेना प्रमुख का जो बयान है, उसको देख कर लगता है कि वे संविधान से परे हैं, देश के रूल ऑफ लॉ को वे बराबर लांघ रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं, चोट कर रहे हैं और आज की बहस भी यदि बांझ रह जाती है, हम किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं तो यह बहुत बुरा होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बाल ठाकरे जी के बयान का उन्होंने खंडन कर दिया होता। इस तरह के पत्र आते रहते हैं, बहुत लोगों के पास इस तरह के पत्र आते रहते हैं, लेकिन एक फोन आने पर इतना रिएक्ट करना कहां तक उचित है। शिवसेना प्रमुख कोई बहादुर नहीं हैं। इमरजेंसी के दौरान 4 दिन में माफी मांग कर बाहर आ गए थे।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया था।

श्री शरद यादव : यदि मेरी बात सही नहीं है तो सरकार इस बात का खंडन करे, माफीनामा आपके पास है।

अध्यक्ष जी, किसी को धमकी दी जाएगी और कोई आदमी कानून अपने हाथ में ले लेगा और आज उनकी बात ज्यादा गंभीर, ताकतवर, वजनदार इसलिए भी है, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार और उनके द्वारा चुना हुआ मुख्य मंत्री आज महाराष्ट्र में है।

विदेशी नागरिकों की पहचान करने का रास्ता कानूनी होगा, राज्य का रास्ता होगा, कोई पार्टी या जनता इस काम को अपने हाथ में नहीं ले सकती। इसके कोई विरोध में नहीं है कि जो भारत नेशनल नहीं है, कानूनी रास्ते से उनको खदेड़ा जाना चाहिए।

लेकिन यह नहीं हो सकता है कि पार्टी के कैडर को आदेश दे करके उनको पहचानने का काम करें और कानून को हाथ में ले करके वो कोई काम करें। इसलिए अध्यक्ष जी, मेरा साफ-साफ कहना है कि मंदिर को बताश के लिए नहीं तोड़ा जा सकता है। तर्क दिया जा रहा है कि हम जीत गये हैं कांग्रेस पार्टी हार गया है। महोदय, इस देश में सिलसिला बन गया है कि कोई कहीं हार जाता है और कोई कहीं जीत जाता है। यह नहीं हो सकता कि जीत गये हैं तो उनका इतना माथा खराब हो जायगा कि वह कानून की सीमाओं को लांघ करके दुनिया को धमकी देने का काम करेंगे। इनके वोट की आप प्रतिशत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश में बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जिनके वोट का प्रतिशत इनसे ज्यादा है।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : कांग्रेस पार्टी को उनकी पार्टी से अधिक प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : इनमें कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह से वह कह रहे हैं और सारे लोग मौन रहकर के लगातार उनकी बातों को सह रहे हैं इससे देश में गलत संदेश जा रहा है । पहले मैं उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था, आज गंभीरता से लेता हूं। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि उनके साथ जो सहयोगी पार्टी हैं उन्होंने इस बयान में कुछ किया है लेकिन आज उनके सदस्य उनके बयान को डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वह इस बहस को डायवर्ट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए मेरे मन में उनके बारे में भी शंका है।

भारत राष्ट्र बड़ी कठिनाई से बना है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बाल ठाकरे के बयान से कोई छत गिरने वाली है और इनका मुकाबला नहीं होगा। आप नहीं करेंगे तो हिन्दुस्तान को पसंद करने वाले, प्रेम करने वाले लोग निश्चित तौर से इनका मुकाबला करेंगे। उनके सामने बड़ी दहशत की कोई बात नहीं है कि वह बड़ा भारी शेरखां है और हम उसके बयान पर थर-थर कांप रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बयान के बाद हिन्दुस्तान भर में एक गलत परम्परा जाती हैं। हम संजय दत्त को राष्ट्र के नाम पर सजा देने का काम करते हैं, भिंडरवाले को सजा देने का काम करते हैं लेकिन बाल ठाकरे का जब मामला आता है तो, मैं कांग्रेस पार्टी के मित्रों को भी कहना चाहता हूं कि उनके राज में भी बाल ठाकरे ने कानून के परे जितने भी बयान दिये उन पर कभी लगाम लगाने का काम उन्होंने नहीं किया। इसके चलते भी उसका माथा खराब हुआ है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष जी, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि शिव सेना के वह गाइड-फिलोस्फर हैं। उनके बयान को यह सदन और राष्ट्र गंभीरता से लेता है और मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। मैं सरकार से कहता हूं कि अब देर हो गयी, अब सिलसिला चला गया (व्यवधान) जो शिवसेना का प्रमुख है।**

श्री मोहन रावले : गलत है, अध्यक्ष महोदय, ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : हमारा देश बहुत बड़ा है। इसमें कई विचार के, कई दिमाग के, कई बीमार लोग होंगे और उनसे हमें कई बार निपटना पड़ेगा। उन्होंने जो बयान दिया है उसका अगर खंडन नहीं आता है तो बाल ठाकरे को कानून के तहत जेल में ठोकना चाहिए। पांच दिन में यह आदमी आने वाले समय में बयान देना बंद न करे

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तो फिर आप बहस कर लेना। हो सकता है मैं आगे इस तरह की बहस में हिस्सा न लूं। **(व्यवधान)...****

इसलिए कानून के तहत, फार्मली, आपको ताकत के साथ इसके साथ व्यवहार करना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनका राज बना है। राज कानून और संविधान से चलेगा। जो लोग हार गये हैं या जिन्होंने वोट नहीं दिया है वह इस देश के नागरिक नहीं है यह इससे साबित नहीं होता है।

2.00 म.प.

वे यह कह रहे हैं कि बिल्ली खम्भा नोच रही है। मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को, जिनको महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास मत दिया है, उसको कायम रखना चाहिए। भारत के संविधान के दायरे में राज करने का काम करना चाहिए। वहां अभी तक नागरिकों की कठिनाइयों के बारे में, नौकरी के बारे में या अन्य बातों के बारे में महाराष्ट्र की सरकार ने कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की है। कुछ ऐसा ही सवाल चला हुआ है कि हिन्दुस्तान में जो फिरकापरस्ती की हवा चलती है, उसको गर्म किया जाये। मैं इस बयान की घोर निन्दा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। देश की संसद में आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस मौके पर हमें मजबूती से खड़ा होना चाहिए। जो भारत के विधान को, कानून को तोड़ने का काम करे, उसको सख्त सजा देनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं संक्षेप में बोलूंगा। श्री पिल्लै यहां उपस्थित हैं। कोई दूसरा कार्य हाथ में लेने से पूर्व हम उन से यह जानना चाहते हैं कि आजकल बम्बई में जिन मुसलमानों को दिन रात पकड़ा जा रहा है उनकी क्या हालत है। सभी समाचार पत्रों में खबरें छप रही हैं कि उन्हें आधी रात को कैसे पकड़ लिया जाता है और दूर कहीं ले जाया जाता है। उन्हें कहां ले जाया जाता है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। उन्हें इसकी जानकारी होगी। वह हमें इसके बारे में कुछ बतायें और गृह मंत्रालय का विचार, यदि कोई है तो क्या है।

दूसरे, मैं यहां अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि केवल चूंकि आपने चुनाव जीत लिये हैं, आप सभी गुनाहों से मुक्त नहीं हो जाते। एक एडोल्फ हिटलर नामक व्यक्ति थे जो चुनाव जीत कर जर्मनी में 1933 में सत्ता में आये और उसके पश्चात् उन्होंने क्या किया, इसके बारे में सभी जानते हैं। मुझे आशा है कि इस देश में मुसलमानों के साथ उस तरह का व्यवहार करने का कोई इरादा नही है जैसा हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था उन्होंने कई वर्षों तक यहूदियों का नरसंहार और विनाश किया। अब हमें उसी तरह की भाषा यहां सुनाई दे रही है। इसलिए इस तथ्य के बावजूद कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में हार गई है, मुझे श्री दिघे जैसे व्यक्ति ने आश्वस्त किया है कि उन्हें 31 प्रतिशत मत प्राप्त हुए जबकि इन दोनों दलों को मिलाकर केवल 30 प्रतिशत मत प्राप्त हुए लेकिन उन्हें सीटें मिल गई। इसलिए उनके इस कथन में कोई औचित्य नहीं है कि चूंकि उन्होंने चुनाव जीत लिये हैं, हारने वाले लोगों द्वारा उन पर आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये। महोदय, सचाई यह है कि मेरे मित्र श्री मोहन रावले कुछ दिनों से मुझे आश्वस्त करते रहे हैं - मैं उनका बहुत आभारी हूं- कि शिव सेना के नेता मुझे मिलने के बड़े इच्छुक हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप संदिग्ध व्यक्ति हो गये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं जानता। निस्संदेह, मुझे किसी से मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। हमें सभी से मिलना चाहिये। मैं उन्हें आज मिलने की सोच रहा हूं-दुर्भाग्यवश मैं मराठी नहीं बोल सकता, यह मेरी कमी है।

मैं मराठी नहीं जानता और यदि मैं अपनी मातृभाषा बंगाली में उनसे बात करना आरम्भ करता हूं और उन्हें संदेह हो जाता है कि मैं बंगलादेशी हूं तो पता नहीं मुझे कहां रखा जायेगा। अतः यह बात, यह विचार और यह पूरी कहानी सनकी है। कितनी विचित्र बात है कि किसी ने टेलीफोन किया और उन्हें धमकी दी तथा उसके बाद कहा, "मैं बंगलादेशी मुसलमान बोल रहा हूं।" इस प्रकार मैं कल कह सकता हूं कि किसी ने मुझे टेलीफोन किया और कहा, हम तुम्हारी पिटाई करेंगे और मैं नाईक बोल रहा हूं।" क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? और तत्पश्चात् यह कह सकता हूं कि श्री नाईक की पिटाई की जाये क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी है और दिल्ली तथा बम्बई में रहने वाले सभी नाइकों की पिटाई की जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे सभी खलनायक बन गये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अतः, यह सब बात मैं इसलिए कह रहा हूं ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : अखबारों में जो छपा है, उसी स्टेटमेंट के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप भी तो वही कर रहे हैं। पेपर से पढ़कर ही मुझे सुनाया गया है।

[अनुवाद]

अतः, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पूरी घटना का एक अच्छा प्रभाव यह हुआ है कि देश तथा इस देश की जनता को चेतावनी मिल गई है। उन्हें इस देश में एक नई प्रकार की शक्ति जो पहले नहीं थी, उभर कर आने के बारे में सचेत कर दिया गया है। अब इस शक्ति का उत्साह इतना बढ़ गया है कि वह कुछ सामुदायों और कुछ लोगों को इस तरह की धमकियां खुले आम दे रही है और उसकी ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। चूंकि मैंने एक चुनाव जीत लिया है, कल मैं प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री बन सकता हूं और इसलिए मैं किसी भी आदमी को तोप से उड़ा सकता हूं जिसे मैं देशद्रोही समझता हूं? मैं नहीं जानता कि क्या इस तरह की चीज करने की हिटलर में भी हिम्मत थी।

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अतः, हम कहां जा रहे हैं? अब समय आ गया है कि इस पूरे देश और इस देश के जनमत को इस प्रकार की विचारधारा और प्रचार का विरोध करना चाहिये-यह विचारधारा इस देश का सब कुछ तबाह कर देगी। महाराष्ट्र में हमारे बहुत से अच्छे मित्र हैं। हम कोई काम करने के लिए मुम्बई के लोगों पर दोष नहीं लगाते हैं। उन्हें महाराष्ट्र से बाहर भी यात्रा करनी होती है। वे मुम्बई में बन्द नहीं रहते। यह उनका देश है, वे जहां चाहें जा सकते हैं। लोगों को संकुचित ढंग से व्यवहार नहीं करना चाहिये और अवांछनीय रूप से बम्बई और महाराष्ट्र के लोगों का विरोध नहीं करना चाहिये।

हम बिना किसी हिचकिचाहट के इन चीजों की निन्दा करते हैं। इसमें कुछ है क्योंकि वे कुछ ऐसी चीजों से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं जिनका समर्थन नहीं किया जा सकता। पहले एक दिन श्री जसवंत सिंह ने कहा था कि जब तक उनकी पार्टी उस मिली जुली सरकार में रहेगी, वे ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने केवल एक परमिट का उल्लेख किया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, लेकिन वे कौनसी चीजें हैं? परमिट का प्रश्न ही नहीं उठता। वह इस देश के संविधान के प्रतिकूल है। यदि उन्होंने इस प्रकार की परमिट प्रणाली आरम्भ करने का प्रयास किया तो यह सरकार नहीं चलेगी। इसे सत्ता से हटाना होगा। इसका समर्थन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन, श्री नाईक कहना चाहते हैं कि उनका नाम गलती से दिया गया है, उन्होंने ऐसी चीजें कभी नहीं कहीं। कभी-कभी वह यह कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक था और इसमें आपत्ति वाली कोई बात नहीं थी। इस प्रकार वह कभी-कभी इसका समर्थन करते हैं।

अतः, हमें खुले मन से स्पष्ट रूप से और ईमानदारी से अपनी बात रखनी चाहिये और कोई चीज छिपाने का या धोखा देने का प्रयास नहीं करना चाहिये। अतः, मुझे आशा है कि श्री पायलट हमें बतायेंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है। हम इसके बारे में बहुत चिन्तित हैं। पता नहीं वह क्यों नहीं बोल रहे हैं; वह यहां बैठे रहते हैं। गृह मंत्री जी आप उठें; मंत्री कभी भी उठ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह एक अनुशासित मंत्री है। सभी मंत्री अनुशासित हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह बोल नहीं सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उन सभी मित्रों और साथियों से सहमत हूं जिन्होंने यह कहा है कि वे लोग जो हमारे देश में रहते और काम करते हैं लेकिन भारतीय नागरिक नहीं हैं, जो विदेशी हैं उन्हें, चाहे वे बंगलादेश के हों, पाकिस्तान के हों या किसी अन्य देश के हों यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने का कोई हक नहीं है और इसलिए उनका पता लगाया जाना चाहिये। उनका शिव सैनिकों के द्वारा नहीं अपितु कानून द्वारा पता लगाया जाये। उनकी पहचान करने के पश्चात् यह निर्णय करना होगा कि उनका क्या होगा और यदि आवश्यक हुआ तो उनको कैसे देश से निकालना होगा। लेकिन कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता जैसा कि शिव सेना के नेता करने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि वह इसमें डटे रहते हैं तो इस देश में उत्तेजना और संकट पैदा हो जायेगा। जो न तो उनके लिए और न ही हमारे लिए अच्छा होगा। इससे इस देश का पूरा समाज टूट जायेगा और साम्प्रदायिक सौहार्द समाप्त हो जायेगा। उसके गम्भीर परिणाम होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा होगी क्योंकि हमने अपने देश को एक बनाये रखने के लिए घोर परिश्रम किया है जिसका एक प्रतीक यह सभा ही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, शिव सेना के नेता ने जो कुछ कहा है, उसकी मैं भी निन्दा करता हूं। सभा में हमने जो कुछ देखा है उससे स्पष्ट हो जाता है कि महाराष्ट्र और मुम्बई में कैसा वातावरण होगा। इस सभा में भी ऐसे सदस्य हैं जो इस वक्तव्य का समर्थन करते हैं और उस वक्तव्य तथा श्री मोहन रावले की बात को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। मैं समझ रहा था कि वह उस वक्तव्य का समर्थन नहीं कर रहे हैं लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता। यहां भी जिस तरह से धमकी दी गई है उससे दल के, जिसका वह यहां प्रतिनिधित्व करते हैं, राजनैतिक दृष्टिकोण का पता चलता है। मैं समझता हूं कि यह एक मतांध रुढ़िवादी द्वारा देश के धर्मनिपेक्ष तंत्र पर एक सुविचारित आक्रमण है। इससे यह आशंका होने लगी है कि साम्प्रदायिक और शत्रुता तथा वैमनस्य की भावनाओं के कारण देश पुनः खण्डित हो जायेगा। यह केवल 30 प्रतिशत मत लेकर प्राप्त हुई विजय से उत्पन्न सुखाभास के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति द्वारा दिया गया वक्तव्य नहीं है। यह इस देश के समाज के एक वर्ग की मतान्धता को उभारने के प्रयास का निरन्तर इतिहास है। जिस समय बाबरी मस्जिद गिराई गई, उस समय दावा किया गया कि उनके दल के लोगों ने अर्थात् शिव सैनिकों ने यह काम किया है और उन्होंने खुले रूप से उनको बधाई दी थी। यह कोई एकमात्र घटना नहीं है। यह सब करने के लिए एक निश्चित तरीका और निश्चित प्रक्रिया अपनाई जा रही है, एक निश्चित तरीके से जहर घोला जा रहा है और धर्मान्धता, तथा साम्प्रदायिकता के आधार पर लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या यह सभ्य देश है? क्या एक भाषा विशेष बोलने वाले लोगों को विदेशी समझा जायेगा। इस देश में कोई मुसलमान बंगाली भाषा नहीं बोल सकता जो कि टैगोर की भाषा है और जिस भाषा में राष्ट्रगान लिखा गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह बंकिम चन्द्र चटर्जी की भी भाषा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही एक अपराध है। उनका कहना है, "इन लोगों को क्या हो रहा है"? ऐसे फोटोग्राफ भी आये हैं जिसमें 70 से 80 वर्ष के बूढ़े लोगों का कहना है, "हमारा केवल यह अपराध है कि हम बंगाली बोलते हैं" यदि कोई व्यक्ति उनसे प्रश्न पूछता है तो वह बंगाली में उत्तर देने का साहस नहीं करता अपितु हिन्दी में उत्तर देता है। इस देश में यह स्थिति है। आज क्या हो रहा है? एक व्यक्ति का जो महाराष्ट्र का असली मुख्य मंत्री होने क दावा करता है, जिसका सरकार पर नियंत्रण है और जो रिमोट कंट्रोल संभाले हुए है, कहना

है कि शिव सैनिकों को यह काम करना चाहिये और पुलिस को उनकी सहायता करनी चाहिये। शिव सैनिकों को पुलिस की सहायता करनी चाहिये या पुलिस को शिव सैनिकों की सहायता करनी चाहिये? यही चर्चा का विषय है। इस देश में यही हो रहा है जहां श्री शरद दिघे के अनुसार विधि शासन की परिकल्पना की जाती है। निस्संदेह मैं जानता कि क्या कभी इसमें उनका हाथ था। मैं एक वाक्य को पढ़ना आवश्यक समझता हूं जो इस प्रकार है :

> "जहां कहीं शिव सैनिक हैं उन्हें इन अवैध अप्रवासियों के अड्डों का पता लगाना चाहिये और पुलिस को अपने राष्ट्रीय कर्त्तव्य के रूप में सैनिकों की सहायता करनी चाहिये।"

क्या इस देश का यही कानून है? क्या संविधान में ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है? यह केवल "अवैध" या "असंवैधानिक" होने का प्रश्न नहीं है अपितु यह अमानवीय है। मैं यह कैसे सिद्ध करूंगा कि मैं उस देश का नागरिक हूं? क्या यह उचित है कि चूंकि मैं हिन्दू हूं और मेरा हिन्दू नाम है, इसलिए मैं भारतीय नागरिक हूं? क्या उन लोगों के मामले में जो 50 वर्षों से यहां काम कर रहे हैं यह तरीका अपनाना सही है? सबूत देने की जिम्मेदारी उन लोगों पर डाली जा रही है। उन लोगों से यह साबित करने के लिए कहा जा रहा है कि वे भारतीय हैं। क्या यह जंगल के कानून से बदतर नहीं है?

हम मानव अधिकार आयोग की स्थापना कर रहे हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर रहे हैं। यह संवैधानिक अधिकारों और मानव अधिकारों पर एक भद्दा आक्रमण है। हम कब तक राजनीति में अपराधियों को लाने की यह प्रक्रिया जारी रखेंगे और इस देश में कब तक राजनीति पर गुंडे छाये रहेंगे? ऐसा ही वास्तव में हुआ है। अतः देश को अवश्य जागना चाहिये। मेरे साथी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक ही कहा है कि इसका सानी केवल फासिस्टवाद और हिटलर है। इसकी और किसी से तुलना नहीं की जा सकती।

शरद जी ने ठीक ही कहा कि आपने इस व्यक्ति को भीड़ एकत्र करने की खुली छूट दे दी। कई वर्षों तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनके खिलाफ क्यों कोई कार्यवाही नहीं की गई और अब सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है? अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत के नागरिकों को कोई सुरक्षा प्रदान की जायेगी? यदि किसी व्यक्ति को, जो भारत में रहता है, विदेशी नागरिक घोषित किया जाना है तो ऐसा कानून के अनुसार किया जाना चाहिए।

तथाकथित धमकी के आधार पर उनका कहना है कि उस समुदाय को तथाकथित विदेशियों का पता लगाकर इस देश के प्रति अपनी वफादारी साबित करनी होगी। मुझे अफसोस है कि भारत की संसद में ऐसी भावनायें व्यक्त की जाती हैं और इस प्रकार की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों अथवा राष्ट्र-विरोधी वक्तव्यों को समर्थन दिया जाता है। कौन राष्ट्र विरोधी है, यह जो कुछ कहा जा रहा है उससे साबित हो जाता है या जिसका समर्थन किया जा रहा है उससे साबित हो जाता है। हम यहां मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते। कोई व्यक्ति पूरे देश को इसलिए तबाह नहीं कर सकता कि वह 'फ्लूक' से सत्ता में आ गया है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : फ्लूक।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां, 30 प्रतिशत मत लेकर वे यह दावा कर रहे हैं कि उन्हें महाराष्ट्र के सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है। मैं जानता हूं कि लोकतंत्र में किसी के साथ ऐसा हो सकता है लेकिन उसे कुछ विनम्र भी होना चाहिये। यदि 30 प्रतिशत मत लेकर वे सत्ता में आये हैं तो उन्हें विनम्र भी होना चाहिये और उन्हें इस देश के संवैधानिक प्रावधानों का पालन भी करना चाहिये। वे इस देश के सभी लोगों के भाग्य का निर्णय करने का अधिकार नहीं ले सकते। वे किसी को अल्पसंख्यक, विदेशी या राष्ट्र-विरोधी घोषित नहीं कर सकते, वे कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते और अपने लोगों को नरसंहार करने का हुक्म नहीं दे सकते और हम तथा सरकार इस संसद में मौन नहीं बैठ सकते। सरकार क्या करने जा रही है? यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है और हमें इस पर चिन्ता है। धमकी बड़ी स्पष्ट है। जैसा कि ठीक ही स्मरण कराया गया है। उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य का कहना है : हां, हम उन लोगों का तोप से सफाया क्यों नहीं करेंगे? और वह भारत का प्रधान मंत्री बनने का स्वप्न ले रहे हैं।

जैसा कि मैंने कहा बहुत हो चुका है। इसे हमारे राष्ट्रीय जीवन को दूषित करते रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। कुछ पवित्रता, कुछ शालीनता और कुछ संवैधानिक औचित्य बनाये रखा जाना चाहिये। अतः, मैं इस सभा के सभी सदस्यों से, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों, यह आह्वान करता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें हम समझौता नहीं कर सकते और किसी को माफ नहीं कर सकते। हमें एक खतरनाक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। आज किसी व्यक्ति को देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र के असली नेता के रूप में पेश किया जा रहा है और मंत्री उनके आदेशों और निर्देशों का पालन करने में बहुत खुश हैं। वह उस राज्य में पार्टी का नेता होने का दावा करते हैं और उस राज्य की सरकार अब इस तरह के फतवे जारी कर रही है जैसे कि सभी को वह फतवा स्वीकार करना होगा। अतः, हमारा अनुरोध है कि सख्त कार्यवाही की जाये। हमें इसकी भर्त्सना करनी होगी और हम निस्संदेह इसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन जनता को यह संदेश जाना चाहिये कि ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति के वक्तव्यों के कारण इस देश के एक भी व्यक्ति को नुकसान नहीं होने दिया जायगा। ऐसी चीजों की भारत में इजाजत नहीं दी जा सकती। इस देश के हर निवासी, हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करनी होगी जब तक कि उसे विदेशी साबित नहीं कर दिया जाता और फिर एक विदेशी के साथ भी भद्र व्यवहार किया जाना चाहिये। उसके साथ एक पशु जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। एक पशु के साथ भी उचित व्यवहार किया जाना चाहिये और उसे यों ही सीमा पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिये।

महोदय, क्या हमारे देश में कोई संविधान है?

जनता को एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिये और मुझे आशा है कि सरकार अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करेगी। विभिन्न राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक सदस्यों ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि वे इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे और महाराष्ट्र में तथा देश में प्रत्येक नागरिक को यह संदेश जाना चाहिये।... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने भी नोटिस दिया है।...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : यहां एक ही पार्टी के कितने लोग बोलेंगे?

श्री राम विलास पासवान : मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा। ...**(व्यवधान)** इसमें आपकी पार्टी का मामला नहीं है। मैंने अध्यक्ष जी के पास आदमी भेजा था।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : आप यहां जबर्दस्ती बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसा कैसे चलेगा।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने इस चर्चा में जो कुछ बोलना है, जल्दी से बोल दीजिये।

श्री राम विलास पासवान : मैं आपसे एक बात का आग्रह करना चाहूंगा कि आगामी 24 तारीख को शुरू होने वाले पार्लियामेन्ट सैशन में आप एक पूरा दिन इस विषय पर बहस कराईये कि कौन इस देश में देशी है और कौन विदेशी है? जब एक बार पार्लियामेंट में इस सवाल पर जमकर बहस हो जायेगी तो मैं समझता हूं कि आज जिसे हम देशी समझ रहे हैं, वह विदेशी साबित हो जायेगा और जिसे विदेशी समझते हैं, वह देशी साबित हो जायेगा।...**(व्यवधान)**...मैं इनको कहां कह रहा हूं...**(व्यवधान)**

श्री दाऊ दयाल जोशी : अफगान के नागरिक यहां कश्मीर में आकर कितनी हत्याएं कर रहे हैं, आये दिन हत्याएं कर रहे हैं। सूडान और लीबिया के नागरिक कितने हिन्दुस्तान के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, उनके बारे में आपकी जुबान नहीं खुलती। उनके बारे में आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता।...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने दिया है, यदि वह सही है तो वह महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के लिये कलंक की बात है। मैं समझता हूं कि इस देश में राजनीति का एक स्तर होना चाहिये। हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी का सी.पी.आई. या सी.पी.एम. या कांग्रेस के साथ मतभेद हो सकता है लेकिन हम इस देश में राजनीति करते हैं और राजनीति का एक मापदंड होता है। राजनीति का यह मतलब कहीं नहीं होता है। राजनीति और क्रीमिनैलिटी में अंतर है। इसलिये हमें क्रीमिनल और पौलिटीशियन में अंतर करके चलना पड़ेगा। मैं ऐसा सब पार्टियों के लिये कह रहा हूं, सिर्फ शिव सेना या कांग्रेस के लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि अपने लिये भी कह रहा हूं।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि खंडूरी जी यदि कब्रें खोदने का काम करेंगे तो 500 साल नहीं हमें देश में 5000 साल पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा, इसलिये आप इस मामले को उधेड़ने का काम मत करिये। हर चीज की एक सीमा होनी चाहिये। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि बाल ठाकरे के मामले को लेकर महाराष्ट्र विधान सभा में तीन दिन तक कार्यवाही नहीं चली और आज पूरे का पूरा देश इस सदन की तरफ देख रहा है।

श्री राजवीर सिंह : इस सदन की कार्यवाही भी आपने यहां दो दिन तक नहीं चलने दी, दो दिन कार्यवाही यहां नहीं चली जिसका कोई कारण नहीं था। यदि दस लोग तय कर लें कि लोक सभा नहीं चलेगी तो लोक सभा नहीं चलेगी या दस लोग तय कर लें कि विधान सभा नहीं चलेगी तो विधान सभा नहीं चलेगी।

अध्यक्ष महोदय : इस पर लम्बी बहस हो जायेगी।

श्री राम विलास पासवान : मैंने एक बार भी बी.जे.पी. का नाम नहीं लिया। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि तमाम देश के लोगों की जो भावनाएं हैं और हर दल के सदस्य की जो भावना है, मैं आपके माध्यम से इस देश की सरकार से जानना चाहता हूं कि यहां रूल ऑफ लॉ चलेगा या जंगल राज चलेगा। यदि सरकार ने जंगल राज चलाना है तो भारत सरकार को तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिये। यदि रूल ऑफ लॉ चलाना है तो सरकार को बतलाना चाहिये कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है जो खुल्लमखुल्ला संविधान को तोड़ने का काम करते हैं। इस देश में महात्मा गांधी को मारने वाले कोई मुसलमान नहीं था। दयानंद सरस्वती को मारने वाला कोई मुसलमान नहीं था। मारने वाला व्यक्ति इस देश में किसी भी जाति या धर्म में पैदा हो सकता है।

लेकिन एक आदमी के कारण पूरी कौम को सजा भुगतनी पड़े, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी शर्म की बात इस देश के लिए और कोई नहीं हो सकती है और सरकार की यह जवाबदेही है। हमारे साथी शरद जी ने ठीक कहा कि यदि कोई आदमी राम बिलास पासवान पर हमला कर दे और उसकी वजह से किसी एक जाति विशेष, किसी एक समुदाय विशेष को यातना भुगतनी पड़े, तो यह बड़े शर्म की बात है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं और मैं शरद जी से सहमत हूं कि एक बाल ठाकरे नहीं, सौ बाल ठाकरे भी यदि पैदा हो जाएं, तो भी इस देश से किसी एक कम्युनिटी को समाप्त नहीं कर सकते हैं।**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें यदि कोई शब्द अनपार्लियामेंट्री हो, तो आप निकाल दीजिए।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, लेकिन एक आदमी जो सरकार चला रहा है और वह भी महाराष्ट्र जैसी सरकार को चला रहा है, उसकी अपनी जुबान से यदि यह बात निकलती है, तो यह इस देश के लिए खतरनाक चीज है और भारत सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए।

जब आप टाडा में संजय दत्त को बन्द कर सकते हैं, तो बाल ठाकरे कौन सी बड़ी चीज है। उसे बन्द करो और आज इस सदन में घोषणा करने का काम करो। यह कोई मामूली चीज नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष जी, आपने आरंभ में कहा था कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए इसकी चर्चा हो। अच्छा होता, चर्चा किस विषय पर हो रही है, यदि यह आरंभ में स्पष्ट हो जाता।

भाई राम विलास पासवान जी ने बहुत कुछ कहा। उनकी हर बात का जबाव देना, तो आवश्यक नहीं है, परन्तु उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हुआ है। उसके बाद हमको भी उदाहरण दिए जाएंगे संविधान, न्याय, कानून, तो बड़ा विचित्र लग रहा है।

[अनुवाद]

महोदय, मेरे अच्छे मित्र, इस सभा के एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य, श्री सोमनाथ चटर्जी ने बड़ी भावुकता से भाषण दिया। निस्संदेह आज जिन सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है वे सभी दृढ़ धारणा और निस्संदेह राष्ट्र हित से प्रेरित होकर बोले। जब मैं बैठा हुआ उन सभी के भाषण सुन रहा था तो मेरे मन में आया कि उनके भाषण में इस राष्ट्र हित की भावना के साथ-साथ राजनैतिक लाभ उठाने की बात भी उभर कर सामने आई है। संभवतया यह अनिवार्य है। यह एक राजनैतिक सभा है और राजनैतिक सभा में लोग राजनैतिक लाभ उठाना चाहेंगे। तथापि, महोदय, जो आपने कहा था मैं उसकी पुनरावृति करता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि यह एक महत्वपूर्ण विषय है तो हमें इस चर्चा को पूरा महत्व देना चाहिये और जहां तक संभव हो इसमें राजनीति नहीं आने देनी चाहिये अथवा यदि हमने किसी मामले की राजनीति पर चर्चा करनी है तो हमें राजनैतिक चर्चा करनी चाहिये।

[हिन्दी]

वास्तव में एक बात का बतंगड़ बना दिया गया है।

[अनुवाद]

मेरी यही धारणा है। श्री सोमनाथ जी ने सलाह दी कि हमें विनम्र होना चाहिये। जब सोमनाथ जी ने यह कहा कि कुछ लोग नरसंहार कर रहे हैं तो मुझे बहुत हैरानी हुई। वे लोग कहां हैं और कौन किसका नरसंहार कर रहा है?

[हिन्दी]

जो राम विलास पासवान जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूं।

[अनुवाद]

निस्संदेह हम सभी को विजय तथा पराजय में विनम्र होना चाहिये। पराजय में अवज्ञा का तत्व भी होना चाहिये। जब सोमनाथ जी ने यह कहा कि कुछ लोग नरसंहार कर रहे हैं तो मुझे बहुत हैरानी हुई। वे लोग कहां है और कौन किसका नरसंहार कर रहा है?

[हिन्दी]

आपने कहा था कि यह विषय गम्भीर है।

[अनुवाद]

यदि हमने मनोवृत्ति पर चर्चा करनी है, तो हम मनोवृत्ति पर भी चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

पासवान जी ने दूसरी भाषा में कहा कि विदेशी घुसपैठियों या नागरिकों की बात पर चर्चा हुई। मैं उससे सहमत हूं। एक गंभीर मसला है। अभी नहीं, आम अप्रैल-मई का महीना है। वास्तव में गंभीर मसला है, हमारे पास कुछ तथ्य हैं, कुछ तथ्य सरकार के हैं, कुछ हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जो सरकार स्वयं नहीं मानती। इस सारी चर्चा में मुद्दे यही उठे कि विदेशी नागरिकों के बारे में भारत का रवैया क्या हो। यह एक गंभीर मुद्दा है। पासवान जी कहते हैं उसमें चर्चा होनी चाहिए, निस्संदेह चर्चा होनी चाहिए। रहा सवाल कुछ प्रश्नों का- विदेशी नागरिकों की समस्या पर

[अनुवाद]

मनोवृत्ति पर एक राजनैतिक सभा में चर्चा नहीं हो सकती, मैं यह पूरी ईमानदारी से कहता हूं।

[हिन्दी]

विदेशी नागरिकों की समस्या पर चर्चा करवा लीजिये, हम भी अपने विचार रखेंगे, कुछ जानकारी हमको सरकार से मिलेगी। हम चाहेंगे कि उसमें चर्चा हो।

[अनुवाद]

मैं संक्षेप में बोलूंगा। विदेशी नागरिकों और विदेशी नागरिकों की पहचान के बारे में प्रश्न उठाये गये। इस सभा के कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर बड़ी आपत्ति की कि विदेशी नागरिकों की पहचान के बारे में श्री बाला साहेब ठाकरे ने सुझाव दिया है कि उनकी पार्टी के सदस्यों को पुलिस की सहायता करनी चाहिये अथवा पुलिस को उनकी पार्टी के सदस्यों की विदेशी नागरिकों की पहचान करने में सहायता करनी चाहिये।

इस संदर्भ में, मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं—केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, जब वह राज्य मंत्री नहीं थे तो हम उस समय

संयोगवश दोनों असम में थे। मुझे विश्वास है उन्हें याद होगा कि कब असम में चुनाव हुए थे। उन चुनावों के पश्चात् कुछ घटनायें हुईं, भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने ए.एस.यू. और गण परिषद के साथ समझौता किया। उस समझौते के परिणामस्वरूप एक अधिनियम बना जो इस सभा ने पारित किया। इस अधिनियम का नाम था 'विदेशियों की पहचान और निष्कासन अधिनियम'। उस अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी विदेशी के बारे में भारत का कोई नागरिक जब तक सूचना नहीं देगा, तब तक किसी को विदेशी नहीं समझा जायेगा। यदि इस देश में कोई विदेशी नागरिक है तो क्या वह विदेशी नागरिक, तो किसी कारण- आर्थिक कारण से या किसी अन्य कारण से अपनी इच्छा अथवा अनिच्छा से यहां आया है, आगे आयेगा और कहेगा, "मैं एक विदेशी नागरिक हूं, मेरी पहचान करो? इसलिए असम समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि एक विदेशी नागरिक की विदेशी नागरिक के रूप में पहचान करने के लिए पहले उसके अपने गांव से, उसके अपने मोहल्ले से, उसके अपने इलाके से एक रिपोर्ट आनी चाहिये और उस रिपोर्ट की पुष्टि की जानी चाहिये, तभी कार्यवाही की जायेगी। उसी सभा में बहुत से माननीय सदस्य बड़ी भावुकता से बोले हैं और उन्होंने कहा, "विदेशियों को पहचान करने के प्रश्न को आधार कैसे बनाया जा सकता है, क्या लोग जाकर यह कहेंगे कि 'वह विदेशी है, वह विदेशी है?

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यदि ऐसा अधिनियम है और यदि असम के सम्बन्ध में यह कानूनी स्थिति है, तो क्या यह बात देश के किसी अन्य स्थान पर लागू नहीं होती? यह लागू होती है। एक रिपोर्ट आनी चाहिये और यदि कोई नागरिक आगे आता है-मैं इन प्रश्नों के उत्तर दूंगा-और कहता है, "हमें आशंका है कि अमुक व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है और इसलिए कार्यवाही की जानी चाहिये।' यही तो कहा गया है।

महोदय माननीय रवि राय ने कई चीजें उद्धृत कीं। मुझे लगा कि बात का बतंगड़ बनाकर राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है...**(व्यवधान)** मैं बताऊंगा कि इससे क्या लाभ है? जो लाभकारी था उसे तो उद्धृत किया गया लेकिन यहूदियों और हिटलर के बारे में बाद के वक्तव्यों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता।

कल या दो-तीन दिन पहले प्रेस को इस बारे में मेरी टिप्पणी मांगने का अवसर मिला कि श्री बाला साहेब ठाकरे ने मुम्बई अथवा सामना में जो कुछ कहा है, उसके बारे में मुझे क्या कहना है। तब तक मैंने यह अखबार नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती; मैं मराठी थोड़ी समझता हूं लेकिन मुझे यह आती नहीं है। यद्यपि मैंने इस अखबार पर नजर डाली, मैं इसकी वाक्य रचना को नहीं समझ सका। मैंने वही मान लिया जो मेरे मित्र रामभाउ नाईक ने मुझे बताया। मैंने उस समय जो कुछ कहा उसे यहां दोहराने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए वचनबद्ध है। यदि कोई विदेशी नागरिक है, तो उस विदेशी नागरिक की देश के कानून के अनुसार पहचान की जानी चाहिये; और मैंने अभी यह कहा है कि देश का कानून मुझे नहीं रोकता। उदाहरण के तौर पर, मैं इस देश के दूरवर्ती पश्चिमी क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला हूं। यदि मैं देखता हूं कि अमुक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहा है और संभवतया सिंध से आया है और यदि मैं पुलिस प्राधिकारियों को बताता हूं कि मुझे आशंका है कि अमुक व्यक्ति एक विदेशी नागरिक है तो क्या यह असंवैधानिक या संविधान-विरोधी कार्य होगा।...**(व्यवधान)**

श्री सैयद शहाबुद्दीन : देश के कानून के अनुसार आपकी रिपोर्ट एक निर्णायक सबूत नहीं होगी।

श्री जसवंत सिंह : यह कोई नहीं कह रहा...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा हो रहा है।

श्री जसवंत सिंह : ऐसा नहीं हो रहा है। मैं श्री सोमनाथ जी से अपील करता हूं कि यदि वे कहते हैं कि लोग मुम्बई छोड़ रहे हैं तो ऐसे वक्तव्यों से भी ऐसा वातावरण बनता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई व्यक्ति मुम्बई छोड़कर नहीं जा रहा है। कहीं भी हजारों लोग एकत्र नहीं हो रहे और कोई रात को मुम्बई छोड़कर नहीं जा रहे। मैंने रामभाऊ जी से इसके बारे में स्पष्ट रूप से पूछा क्योंकि मुझे श्री सोमनाथ जैसे एक वरिष्ठ और जिम्मेदार व्यक्ति की बात को, जिनका कहना यह है कि लोगों का रात में पीछा किया जा रहा है, गम्भीरता से लेना चाहिये। किसी एक व्यक्ति का भी रात में पीछा नहीं किया जा रहा है।...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : यह बात समाचार पत्रों में छपी है और मैं दो उदाहरण दे सकता हूं। एक मुसलमान लड़के को, जिसका नाम मोहम्मद राजी है, और पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का रहने वाला है, रात के समय पकड़ लिया गया और उसे सीमा पर भेज दिया गया। जब यह पता चला कि वह मालदा का रहने वाला है तो उसे रात को बंगलादेश की सीमा पर छोड़ दिया गया। मैं इस तरह के कई उदाहरण दे सकता हूं।

श्री जसवंत सिंह : यह कब की घटना है?

श्री बसुदेव आचार्य : यह तीन दिन पहले की घटना है।

श्री जसवंत सिंह : मैं समझता हूं इससे मेरी ही बात की पुष्टि होती है। उनके अपने दल के नेता ने कहा कि रात को हजारों लोगों को पकड़ा जा रहा है।...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : लोगों को पकड़ा जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही खतरा है। वे अपनी भाषा नहीं बोल सकते।

श्री जसवंत सिंह : पहले श्री सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा था कि लोगों को वास्तव में पकड़ा जा रहा हैं। अब वह कह रहे हैं कि 'यही खतरा है'। इससे मुझे बहुत राहत मिली है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही कहा जा रहा है। मैं क्या कर सकता हूं? आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? अपनी बात को साबित करने के लिए क्या मुझे उन हजारों लोगों की सूची देनी होगी।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं नहीं चाहता कि आप कोई चीज साबित करें।

श्री राम नाईक : कौन ऐसा कह रहा है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : लोगों में ऐसी भावना हैं।

श्री जसवंत सिंह : वास्तव में, आरम्भ में जब आपने यह कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है, तो मैं ढूंढ़ रहा था कि वह कौन सा मसला है। लेकिन जब मैंने देखा कि एक छोटी सी बात का राजनैतिक लाभ उठाने के लिए बतंगड़ बनाया जा रहा है, तो मुझे इस प्रकार के खुले आरोपों से बहुत निराशा हुई।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। विदेशी नागरिकों के मसले के बारे में हमारा दृष्टिकोण न केवल आज, न ही असम आन्दोलन के दिनों से अपितु पहले से भी स्पष्ट है। हमारा विश्वास है कि देश में बेरोकटोक अवैध अप्रवास से देश में आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक तनाव पैदा होता है। यदि हमने इस मसले की ओर ध्यान नहीं दिया, तो इससे हमारे देश के तंत्र को पहले नुकसान नहीं हुआ है तो आगे अपूरणीय क्षति होगी।

यदि संकुचित हितों को ध्यान में रखते हुए आप चुनावी गठबंधन कर लेते हैं और इस सबसे अधिक राष्ट्रीय महत्व के मसले को किसी दूसरे ढंग से लेते हैं तो इससे आप देश का अहित ही करते हैं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : पूरे मुसलमान समुदाय का सफाया करने के बारे में श्री ठाकरे जी द्वारा दिये गये हुक्म के प्रति आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है?

अध्यक्ष महोदय : इसे ही वह स्पष्ट करेंगे।

श्री जसवंत सिंह : यदि आप मुझे इजाजत दें तो मुझे प्रत्येक हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिये। पहचान करने से पहले हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि वास्तव में ऐसी समस्या है। इस समस्या का समाधान क्या है?

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : क्या मैं श्री जसवन्त सिंह से अनुरोध कर सकता हूं कि वह श्री बाल ठाकरे के वक्तव्य के बारे में ही बोलें?

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया है।...(**व्यवधान**)

श्री चन्द्र शेखर : वह दो घंटे तक बोल सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप विदेशी नागरिकों के मसले पर बोलते जा रहे हैं। इस मसले से आपकी वचनबद्धता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस वचनबद्धता से इस देश के किसी नागरिक को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह उस राज्य की जनता के एक वर्ग को, एक पूरे समुदाय का सफाया करने का हुक्म दे।...(**व्यवधान**) यदि जसवन्त सिंह जी इस लहजे में बोलते हैं तो मामला और गम्भीर हो जायेगा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह पहले उसी मामले पर बोलें, जो महत्वपूर्ण है। हमें इस मसले में और मसलों को नहीं समेट लेना चाहिये जो तत्काल चिन्ता के विषय नहीं है।...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : महोदय, चन्द्र शेखर जी ने जो कहा है उसको भी बहुत गंभीरता से लेना पड़ता है। बहुत अच्छा होता यदि यही हिदायत चन्द्र शेखर जी शुरू में अन्य वक्ताओं को भी देते।... (**व्यवधान**) आपने दूसरों को हिदायत दी,...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह तथ्यों को तोड़ना-मरोड़ना है।

श्री जसवंत सिंह : मैं केवल इस मसले पर ही बोलूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : सभी ने इस बात का समर्थन किया कि विदेशियों को निकाला जाना चाहिये। लेकिन आप उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। आप मसले को दूसरी ओर ले जा रहे हैं।...(**व्यवधान**)

श्री जसवंत सिंह : श्री चन्द्र शेखर जी पायेंगे कि मैं केवल इसी विषय पर ही बोल रहा हूं। मैंने आरम्भ में कहा कि प्रेस ने दो-तीन दिन पहले मुझसे पूछा। जिस समय प्रेस ने पूछा उस समय तक कोई चर्चा नहीं हुई थी। प्रेस के उत्तर में शब्दों से आरम्भ करते हुए मैंने कहा। मैंने प्रेस को भी बिल्कुल यही चीज बताई। मैंने प्रेस को दो दिन पहले जो कुछ बताया मैं बिल्कुल उसकी पुनरावृत्ति करने जा रहा हूं।. ..(**व्यवधान**) आज की चर्चा में मुझे कोई नई चीज दिखाई नहीं दी। यदि माननीय सदस्य जो कुछ मैं कहता हूं उसे सुनेंगे तो उस समय मैंने प्रेस से जो कुछ कहा उससे पूरी तरह संतुष्ट हो जायेंगे।...(**व्यवधान**) उस समय भी मैंने प्रेस से कहा कि विदेशी नागरिकों की पहचान अथवा आशंका के पश्चात् हमें कुछ करना होगा।

श्री ए. चार्ल्स : इस मसले का महत्व कम करने का प्रयास न करें...(**व्यवधान**)

श्री जसवंत सिंह : यह संगत बात है। आशंका अथवा पहचान होने पर केवल देश के कानून के अनुसार ही कार्यवाही हो सकती है। किसी को भी न तो भाजपा और न ही कांग्रेस अथवा न ही किसी और व्यक्ति को कोई अधिकार है। इतनी सी बात है। आपको बात स्पष्ट हो जायेगी यदि आप धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनें या दो दिन पहले जो कुछ मैंने प्रेस को कहा उसे पढ़ने की कृपा करें।

श्री चन्द्र शेखर : हम आपके वक्तव्य पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुझे खेद है कि किसी व्यक्ति ने श्री जसवंत सिंह के वक्तव्य पर आपत्ति नहीं की है। आप कटघरे में नहीं हैं। आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? कृपया बाल ठाकरे के आचरण के बारे में बतायें और यह बतायें कि क्या आपका इससे कोई सम्बन्ध है अथवा नहीं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : इससे सारे वाद-विवाद का सफाया हो जायेगा।...(**व्यवधान**)

श्री चन्द्र शेखर : आप अपना स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं? हम जानते हैं कि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं।...(**व्यवधान**)

श्री जसवंत सिंह : मैंने यह भी कहा था कि जहां तक भाजपा का सम्बन्ध है, हम भी महाराष्ट्र में मिली-जुली सरकार के हिस्सेदार हैं और उस मिली-जुली सरकार के हिस्सेदार होने के नाते हम भी महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक, महाराष्ट्र में रहने वाले, भारत के प्रत्येक

नागरिक की संवैधानिक सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है।

जहां तक माननीय बाल ठाकरे के वक्तव्य का सम्बन्ध है, यह परसों प्रेस को दिया गया था। जो कुछ सामग्री उपलब्ध थी उसे **सामना** में प्रकाशित कर दिया गया था। आज के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में जो प्रकाशित हुआ है वह उनकी ओर से आगे स्पष्टीकरण है। यह पहले दिये गये वक्तव्य की व्याख्या का स्पष्ट स्पष्टीकरण है।... **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : क्या आप आज के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में प्रकाशित वक्तव्य का समर्थन करते हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब वह सभा में वक्तव्य दे रहे हैं। वह जो कुछ कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल है। यदि वह दूसरे मसले के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते तो यह बात भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल है।

श्री जसवंत सिंह : मैं कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : तथ्य कार्यवाही वृत्तांत में शामिल है। वक्तव्य न देने का तथ्य कार्यवाही वृत्तांत में शामिल है।

श्री जसवंत सिंह : मैंने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही वृत्तांत में है। लेकिन मैं जो नहीं कहता वह रिकार्ड में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय : आपने वक्तव्य नहीं दिया यह एक तथ्य है जो रिकार्ड में है।...**(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह : मेरे मित्र चाहते हैं कि मैं वही कहूं जो वे कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप वही कहें जो आप कहना चाहते हैं।

श्री जसवंत सिंह : यदि मैं कोई अलग चीज कहता हूं तो एकदम अस्वीकार कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : वे केवल यह कह रहे हैं कि उस वक्तव्य के बारे में आपकी कोई राय है तो वह बतायें।

श्री जसवंत सिंह : उस वक्तव्य पर उन्होंने स्वयं एक वक्तव्य दिया है। मैं यह कहकर, एक बार फिर आप से अनुरोध करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि विदेशी नागरिकों का मसला देश के लिए एक अहम मसला है...**(व्यवधान)** इस पर जरूर चर्चा करवायें, यह उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आप से अपील करता हूं कि इस पर चर्चा करवायें। यह सब राजनीति है...**(व्यवधान)**

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : महोदय, वह मसले को टालने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष जी, एक व्यक्ति का बयान जो बंबई से आया, वह अत्यंत खतरनाक बयान है और वह बयान पा.ला नहीं है, जैसा कि शरद जी ने कहा। हमारे कांग्रेस के मित्र और सरकारी पक्ष के लोग यह समझेंगे, मैंने उनसे पहले भी कहा था कि कभी-कभी जो निर्णय होता है, वह देश को खतरनाक गलियों में ढकेल देता है। अगर दो-तीन साल पहले आपने निर्णय लिया होता तो ये बुरे दिन देश को नहीं देखने को मिलते।

मैं इस बयान पर चिंतित हूं, जैसे सब लोग चिंतित हैं, लेकिन उससे अधिक चिन्ता मुझे तब हुई, जब मैंने श्री राम नाईक जी का वक्तव्य यहां सुना और मुझे अत्यंत भयावह स्थिति तब लगी, जब इस विषय पर मैंने जसवंत सिंह जी की बात सुनी। जसवंत सिंह जी एक समझ-बूझ वाले और सुलझे हुए व्यक्ति हैं और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत व्यक्ति हैं। यदि मैं कहूं कि सदन में बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं, जिनको समस्याओं की इतनी जानकारी है, जितनी जसवंत सिंह जी को है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे इस विषय पर बयान दे रहे थे। तो जिस तरह से सदन के सामने वह बहस रख रहे थे, ऐसा लगता है कि वह वास्तविकता को सामने रखने के लिए तैयार नहीं है। यही विवशता व्यक्ति की अधिनायकवाद को ले आती है। अधिनायकवाद अचानक नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, जब सभा पक्ष में बैठे लोग सच्चाई का सामना करने से कतराने लगते हैं, जब वास्तविकताओं का सामना करने से आदमी हिचक जाता है और जब बड़े-बड़े लोग उसका सामना नहीं कर पाते तो समाज टूट जाता है। आदि से आज तक यही मनुष्य जीवन की कहानी रही है। हिटलर अचानक नहीं गया था। जैसा इंद्रजीत जी ने कहा कि जब बुद्धिजीवी लोगों ने, समझदार लोगों ने उन गतिविधियों को रोकने में अपने को असमर्थ मान लिया तो हिटलर जैसी शक्ति पैदा हो गई। इतने लम्बे भाषण की कोई जरूरत नहीं थी। राम नाईक जी बहुत शालीन व्यक्ति हैं। मैं कोई प्रशंसा के लिए नहीं कहता। वह हर समय समझदारी की बात करते हैं। लेकिन मुझे दुख हुआ जब इन्होंने कहा कि मराठी में "सामना" छपा था इसलिए लोगों ने उनके वक्तव्य को नहीं समझा। मराठी आपको तो शायद आती होगी। आपने समझा होगा अगर आप समझते हैं लेकिन राम नाईक जी, मुझे यह बताया गया कि मराठी का हिंदी संस्करण भी छपा है और उसकी प्रति मेरे सामने रखी हुई है, जिसकी हैडलाइन है "मुझ पर हमला किया तो पूरी कौम नष्ट कर देंगे"। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अर्थ आप इसका हमको समझाना चाहते हैं। जसवंत सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विदेशी नागरिकों के सवाल से इसका क्या संबंध है। इन दोनों का संबंध अगर आप मुझे समझा दें तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। सारी दुनिया में विदेशी नागरिकों के बारे में एक ही राय है। अटलजी आप तो विदेश मंत्री रहे हैं, दुनिया में घूमते रहे हैं। दुनिया के अनेक देश जो हमसे समर्थ देश हैं और जहां विदेशी नागरिक हैं वहां भी उनको हटाने की कोशिश हो रही है लेकिन किसी ने नहीं कहा कि इन्हें बंदूक की गोली से उड़ा दो। कहीं पर हल्ला नहीं मचा। कुछ विदेशी हैं तो उनका निरीक्षण होना चाहिए।

जसवंत सिंह जी, आज एक व्यक्ति के बयान के लिए राजीव गांधी, असम समझौता, इनका जिक्र करने की क्या जरूरत है, यह मेरी समझ में नहीं आता। आज संकट दूसरा है। आपने कहा कि हम जीते

हुए हैं। अपनी जीत को राष्ट्र की पराजय में मत बदल दीजिए। आपकी जीत स्थाई जीत नहीं है। राष्ट्र आपके और हमारे बाद भी रहेगा। यह जो बयान है यह राष्ट्र की हार है, पराजय है और इस पराजय का भागीदार आप अपने आपको अनायास ही बना रहे हैं। मुझे आपसे यह अपेक्षा नहीं थी। आपके विचारों का मैं बहुत समर्थक नहीं रहा हूं। जब सारे देश ने उनको गलत समझा तब भी मैंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसके विचार रखने वाले लोग कम से कम राष्ट्र प्रेम में किसी से कम नहीं हैं। अगर इसका आप समर्थन करते हों तो आपके राष्ट्र प्रेम पर दुनिया को संदेह हुए बिना नहीं रहेगा। आपके विचार गलत हो सकते हैं। उन विचारों का मैं कभी समर्थन नहीं करता। क्या इस तरह की गलती को आप बचाएंगे केवल इसलिए कि एक राज्य में आपकी सरकार बन गयी है, वहां पर आप मुख्य मंत्री बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या इस सदन में इस पर भी बहस होगी, क्या इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि बिहार में 90 लोग मारे गए तो महाराष्ट्र में आपको मारने का अधिकार मिल गया। बंगाल में कुछ लोग मारे गए तो उत्तर प्रदेश में मारने का हक मिल गया। हमारा देश तो करूणा का देश है। हमारी संस्कृति करूणा पर आधारित है और राम नाईक जी आप तो अपनी संस्कृति के पुजारी हैं। हमने तो मानव को इज्जत देना सीखा है। हम जीवन का संदेश लेकर आए हैं मौत का पैगाम लेकर नहीं आए हैं। आपकी यह सरकार मौत का पैगाम लेकर आ रही है, इसको रोकिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्या निवेदन करूं, बार-बार लोग कहते हैं कि हमारे मित्र पायलट साहब जवाब दें। तीन साल से मैं पायलट साहब से कह रहा हूं कि जो रास्ता आपने अपनाया है, वह बर्बादी का रास्ता है। एक बार छूट दोगे, तो ये ताकतें बढ़ती जायेंगी। इनसे प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं है। मैं शरद यादव की एक बात से सहमत हूं कि अगर देश के लोग और इस संसद में जो लोग भारत के भविष्य के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हों। हम नहीं जानते कि कितना मुकाबला कर पायें, लेकिन उसमें अगर असफल भी हो जायेंगे तो शायद कभी इतिहास हमें याद भी करेगा। आज इतिहास की गिरावट का सबूत है कि इस सदन में इस तरह के बयानों के पक्ष में तर्क ढूढ़े जा रहे हैं। यह जनतंत्र के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सारी परम्पराओं के लिए, मानव मर्यादाओं के लिए, सभ्यता के लिए, भारतीय इतिहास के लिए सबसे बड़ा कलंक है। मैं अधिक बात नहीं कहना चाहता हूं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को रोकने की शक्ति पायलटजी आपमें नहीं है। हजारों वर्षों से इस देश ने बहुत दुष्टों को देखा है। वे आते हैं और चले जाते हैं। इस पर एक बात हमें याद आती है :—

कोई बेलगाम है तो उधर से लगाम है
कुदरत का इंतजाम भी क्या इंतजाम है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं..

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप हमेशा से यही करते हैं, अंत में बोलने की अनुमति मांगते हैं। अगर बोलना था तो पहले लिखकर देते।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप सदैव यह तरीका अपनाते हैं जो उचित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : आपकी राय पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं। मैं कब से हाथ उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी तरह बहुत से माननीय सदस्य हाथ उठा रहे हैं, उनको भी मौका देना होगा।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। अध्यक्षजी, सब सुनने के बाद बिना तर्क के मेरा आग्रह है कि अगर सब सहमत हों तो अध्यक्ष की ओर से, नहीं हो तो शासक दल की ओर से या गृह मंत्री की ओर से एक प्रस्ताव सदन में आये और स्वीकृत हो जाये. ..**(व्यवधान)**...आप सुन लीजिये। मेरे में बड़ा दर्द है। मैंने 1947 का जमाना देखा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें लम्बा भाषण देने के लिए उत्तेजित न करें।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : अगर सर्वसम्मति हो तो अध्यक्ष की ओर से, न हो तो गृह मंत्री की ओर से यह प्रस्ताव आये कि जो कुछ महाराष्ट्र में, कायदे के मुताबिक हो नाम देकर हो तो सही, यदि ऐसा न हो तो भी मतलब वही हो कि जिस तरह कानून को अपने हाथ में लेकर एक सम्प्रदाय के खिलाफ जो यह वातावरण बनाया जा रहा है, उसकी सदन निंदा करता है और समुचित कार्रवाई के लिए सरकार से आग्रह करता है।

इसके अलावा मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि भारत में जो भी अवैध रूप से विदेशी नागरिक हैं, केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है कि देश के कानून के मुताबिक विधिवत उनके विरूद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाये। ये दोनों प्रस्ताव यहां आने चाहिए ताकि उलझी हुई आवाज सदन से न जाये।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना से सरकार की भावना को जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं। लेकिन जैसा आपने कहा कि यह बात नहीं होनी चाहिए

जिससे स्थिति और बिगड़े, बल्कि इस समस्या का समाधान निकले।

3.00 म.प.

जिस भावना को मैंने इस सदन में आज देखा है, यही भावना नवम्बर, 1992 में इस सदन में देखी थी और आप अध्यक्ष थे। आज श्री वाजपेयी जी ने कुछ लफ्ज कहे। उन्हें याद होगा कि मैंने उस दिन भी कहा था कि बात लफ्जों की नहीं हुआ करती, बात लफ्जों के पीछे छुपी भावनाओं और मकसद की हुआ करती है। अगर उनका बयान छप जाता तो शायद सदन को चिन्ता न होती और सब पार्टियों के लोग दो मिनट के लिये सोचते और इस बात का पता लगाते कि यह बयान दिया है या नहीं? आज जिस व्यक्ति ने बयान दिया है, श्री चन्द्र शेखर जी ने सही कहा है कि पिछले एक-डेढ़ महीने से ऐसे ही बयान आते रहे हैं। जब पहले बयान आया था तो हमने कोशिश की थी कि उस वक्त वहां की राज्य सरकार इस बारे में सख्त कदम उठाये और सरकार ने उठाये भी। उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुये, उन पर कार्यवाही चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज महाराष्ट्र में जो सरकार है, उस कार्यवाही को पूरा करेगी जो पहले की सरकार ने शुरू की थी।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं है...।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्हें याद रखना होगा कि उन्होंने भिंडरावाले को जन्म दिया और उन्हें उसकी हत्या करनी पड़ी। उन्होंने फिर इस व्यक्ति को बढ़ावा दिया है। यह इतिहास है जिससे हमें छुटकारा पाना होगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात पायलट जी से पूछना चाहता हूं कि आज से 2-3 महीने पहले जब नागपुर में विधानसभा चल रही थी उस समय गवारी समाज के लोगों की डैथ हुई तो प्रिवलेज कमेटी के अध्यक्ष श्री शंकर राव जी ने प्रस्ताव किया था कि श्री बाल ठाकरे को गिरफ्तार किया जाये और सख्त कार्यवाही की जाय। उस समय कांग्रेस पार्टी और विधानसभा में श्री शरद पवार ने उस प्रस्ताव को नल्लीफाई किया कि इसपर फिर से विचार किया जाये। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो असावधानी की है, वह मामूली बात नहीं है। उस पर पर्दा डालने का काम मत करें। क्या आपने उस पर कार्यवाही करने के लिये रिकेमंड किया? आप इस मामले को रिकेमंड करिये।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने की कोशिश कर रहा था कि व्यक्ति की भावनाओं का फर्क पड़ता है और बयान दिया गया है और जैसा आज सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि कैसे लफ्जों को बात है तो टैक्नीकली हम इस हाऊस में नहीं लड़ना चाहते हैं। टैक्नीकल लड़ाई तो लीगल कोर्ट में लड़ी जाती है लेकिन इस हाऊस में तो यह देखा जाता है कि जो भावनायें व्यक्त की गयी हैं, वे देश को जोड़ने के लिये हैं या देश को तोड़ने के लिये हैं? इन भावनाओं को लेकर हमें बहस करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आज हाऊस में जो भावनायें व्यक्त की गयी हैं, मैं उसके विस्तार में तो नहीं जाऊंगा लेकिन सरकार की तरफ से आपको विश्वास दिलाऊंगा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन ऐसी बात करेगा जो भारत की एकता या सद्भावना को कमजोर करेगी, उस व्यक्ति या संगठन के लिए हिन्दुस्तान की जमीन पर जगह सिर्फ हिन्दुस्तान की जेलें होंगी। मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि आयन्दा ऐसा मौका इस सदन को नहीं देंगे जहां सदन को इस तरह की चिन्ता जाहिर करनी पड़े। सरकार की तरफ से कार्यवाही होती रहेगी और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो देश की भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं, कार्यवाही होती रहेगी तथा सदन को बताते रहेंगे कि सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ताकि सरकार आगे चलेगी।

श्री राम विलास पासवान : इस मुद्दे पर सरकार क्या कर रही है?...**(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय,...आज की...**(व्यवधान)**

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : अध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, उसके लिये जो दोषी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है। उसमें तो सी.बी.आई. ने रिपोर्ट भी दे दी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार दोषी है, आपने क्या कार्यवाही की है। सारा देश जान गया है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और आज उस बयान पर चर्चा कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री बलराज पासी : यही भाषा कश्मीर के लोगों के बारे में बोली जाती है, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, सी.बी.आई. ने हाई कोर्ट को रिपोर्ट दे दी है और यह साबित हो चुका है कि वहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है और उनके साथ बलात्कार हुआ है, निहत्थे लोगो पर गोलियां चलाई गई हैं, लेकिन ये केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नहीं कर रही है। तीन घंटे आप एक बयान पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष जी, आज के बयान के बारे में जो सारे सदन ने चिन्ता बताई है, आज से दो दिन पहले कुछ माननीय सदस्य मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझे बयान दिखाया था। शहाबुद्दीन जी यहां बैठे हैं।...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर कांड के बारे में कितने लोग मिल चुके हैं? आप वहां के बारे में यहां बयान क्यों नहीं देते? आप एकतरफा काम कैसे कर रहे हैं?...**(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजवीर सिंह : माननीय मंत्री जी ने अभी बयान सदन में दिया है। बाल ठाकरे द्वारा अखबार में दिये गए बयान को लोग भड़काऊ बयान कह रहे हैं। मगर जिस तरीके से, जिस तेवर से मंत्री जी ने बयान दिया उससे लगा कि ये उनसे एक कदम आगे निकल गए हैं।...**(व्यवधान)** कृपया आप सुन लें। यह बात सच है कि हमारे पायलट जी बहुत तेज बोलते हैं क्योंकि पायलट रहे हैं, तेज बोलने की आदत होती है मगर ये गरजते बहुत हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप भी संविधान के दायरे में ही कोई कार्रवाई करेंगे। बिना जांच के तो कार्रवाई नहीं करेंगे। मेरा निवेदन है कि जहां वह इतने जोरों से बोल रहे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : संविधान वगैरह ध्यान में रहा तो इस चर्चा की जरूरत नहीं है। कौन कार्रवाई करने वाला है, यह मालूम हो गया तो चर्चा की जरूरत नहीं है।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, ये जिस तेजी से यहां पर कार्रवाई करेंगे, क्या ये जो देश में संविधान तोड़ने की बात करते हैं, जो देश को फतवे जारी करते हैं, क्या उन पर भी ये इसी तेजी से कार्रवाई करेंगे?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : आपने कहा है कि सबको जेल में ठूंस देंगे। गृह राज्य मंत्री को क्या अधिकार है कि वह किसी को जेल में डाल दे? क्या आप जज हैं?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।... **(व्यवधान)****

श्री मृत्युंजय नायक : पहले जेल में भर्ती किया जाता है तभी कोर्ट में ट्रायल होता है।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, इस बयान पर जो चर्चा चली और सभी भाईयों ने जो चिन्ता जाहिर की, कुछ माननीय सदस्य मुझसे परसों मिले थे और उन्होंने मुझे बयान दिखाया। उसी वक्त से मैंने तथ्य लेने की कोशिश की है और सरकार तथ्य इकट्ठे कर रही है। यह मैं सदन को विश्वास दिलाऊंगा कि सरकार अभी तथ्य इकट्ठे कर रही है। क्या कहा है, कब कहा है, किस ऐंगल से कहा है, ये सारे तथ्य सरकार के पास आते ही मैं सदन को विश्वास दिलाऊंगा कि जो चिन्ता सदस्यों ने जाहिर की है उसी प्रकार मैंने अपनी भावना आपसे कही है, और विरोधी भाजपा के सदस्यों ने कहा है कि हमारी सरकार गरजती है बरसती नहीं। मैं इस बात को मानता हूं। हम मानते हैं कि नवंबर में हम गरजते रहे लेकिन बरसे नहीं। हम इस बात को मानते हैं अगर गरजकर बरस जाते तो शायद 6 दिसम्बर, 1992 हादसा नहीं देखना पड़ता। लेकिन आप यह भरोसा रखें कि जो भी उचित कार्यवाही संविधान और कानून के तहत होगी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था देश के कानून से ऊपर नहीं है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।...**(व्यवधान)**

दूसरी बात, माननीय सदस्यों ने मुजफ्फरनगर काण्ड के बारे में चिन्ता जाहिर की है। हमें उसकी भी उतनी ही चिन्ता है, सदन को उतनी ही चिन्ता है, सरकार को उतनी ही चिन्ता है, उसकी सी.बी.आई. की इन्क्वायरी आ गयी है वह सरकार के विचाराधीन है। उनके खिलाफ भी उतनी ही कार्यवाही होगी। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी यह मैं सदन का विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : जिस तरह की कार्यवाही आप महाराष्ट्र में कर रहे हैं वैसी ही आप उत्तर प्रदेश में भी कीजिए। मुजफ्फरनगर काण्ड पर सी.बी.आई. रिपोर्ट आ गयी है इसलिए आप उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी कार्यवाही कीजिए... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

3.11 म. प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष 1995-96 के लिए कृषि मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं श्री बलराम जाखड़ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

> वर्ष 1995-96 के लिए कृषि मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखता हूं ।
>
> [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 7381/95]

वर्ष 1995-96 के लिए नागर विमानन विभाग (नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय) की विस्तृत अनुदानों की मांगें

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री मुख्तार नकवी आरिफ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

> वर्ष 1995-96 के लिए नागर विमानन विभाग (नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय) की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
>
> [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 7382/95]

वर्ष 1993-94 के लिए आवास तथा शहरी विकास निगम, नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्रीमती शीला कौल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7383/95]

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री वेंकट स्वामी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी. 7384/85]

(3) (एक) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेशम नियात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7385/95]

वर्ष 1995-96 के लिए योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

"वर्ष 1995-96 के लिए योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)"

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी 7386/95]

वर्ष 1995-96 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

"वर्ष 1995-96 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)"

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी 7387/95]

निर्यात और आयात नीति, 1 अप्रैल-31 मार्च, 1997 तथा भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) "निर्यात और आयात नीति, 1 अप्रैल, 1992-31 मार्च, 1997 (31 मार्च, 1995 तक किए गए संशोधन समाविष्ट करते हुए)" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी 7388/95]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी 7389/95]

(3) एमएमटीसी लिमिटेड और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी 7390/95]

वर्ष 1995-96 के लिए विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री एच.आर. भारद्वाज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

"वर्ष 1995-96 के लिए विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)"

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी 7391/95]

वर्ष 1993-94 के लिए कॅयर बोर्ड, कोच्चि का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1)(एक) कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 के अंतर्गत कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी 7392/95]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा.का.नि. 801(अ), जो 10 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिसूचना उल्लिखित विभिन्न अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 802(अ), जो 10 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो संयंत्र, मशीनरी, उपस्करों, विशेष औजारों, कटियाओं, अतिरिक्त पुर्जे, जिनके अंतर्गत बीमा अतिरिक्त पुर्जे भी हैं, खपने वाली सामग्री और सुरक्षा निगरानी पद्धतियों, जब उनका सल्बोनी और मैसूर में नए नोट प्रेस परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उसकी ओर से आयात किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 825(अ), जो 22 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 73/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 859(अ), जो 12 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या 164/93-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 16(अ), जो 6 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 208/81-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 17(अ), जो 6 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओजोन निःशेषण पदार्थों के प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित माल को, कतिपय शर्तों के अध्यधीन, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 107(अ), जो 2 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय वनस्पति तेलों पर, जब उनका खाद्य श्रेणी में खुले/प्रपुंज रूप में भारत में आयात किया जाये, उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से जितना मूल्यानुसार 30 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 117(अ), जो 24 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 118(अ), जो 24 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो निर्यात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 140 (अ) से सा.का.नि. 202(अ), जो 16 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वित्त मंत्री द्वारा 15 मार्च, 1995 को लोक सभा में घोषित अप्रत्यक्ष करों के संबंध में बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा-शुल्क की दरों में परिवर्तन तथा छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं.एल.टी. 7393/95]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 203(अ) से सा.का.नि. 269(अ), जो 16 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वित्त मंत्री द्वारा 15 मार्च, 1995 को लोक सभा में घोषित अप्रत्यक्ष करों के संबंध में बजट प्रस्तावों के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की दरों में परिवर्तन तथा छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 798(अ), जो 10 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र के प्रकाशित हुए थे तथा जो विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क माल को, जब उन्हें शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों में वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण या पैकेजिंग के संबंध में लाया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 799(अ), जो 10 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 57/94 के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 800(अ), जो 10 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना में दर्शाये गये विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क योग्य माल को, जब वह किसी उपक्रम में वस्तुओं की मरम्मत, पुनरनुकूलन या पुनःइंजीनियरी के लिए अभिप्राप्त किया जाता है, कतिपय शर्तों के अध्यधीन, उस पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 14(अ), जो 6 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 88/88-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 15 (अ), जो 6 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओजोन निःशेषण पदार्थों के प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित माल को, कतिपय शर्तों के अध्यधीन उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण मूल उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 65(अ), जो 9 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या 35/91-के.उ.शु. को विखण्डित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 66(अ), जो 9 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 6/94-के.उ.शु. तथा 7/94-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 67(अ), जो 9 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय माल को उस पर उदग्रहणीय उतने उत्पादन-शुल्क से जितना अधिसूचना में उल्लिखित दर से संगणित रकम से अधिक है, कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रथालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7394/95]

(3) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिक्का निर्माण "भारतीय कृषि का भूमंडलीकरण" उत्कीर्णित (75 प्रतिशत तांबा, और 25 प्रतिशत निकल वाले दो रुपये के ग्याहर कोणीय सिक्कों के मानक वजन तथा गुणों के अंतर की सीमा) नियम, 1995, जो 6 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 113(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7395/95]

(4) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय बैंक अधिकारी कर्मचारियों के (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1992 जो 25 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि पत्र, जो 25 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या एस. आर.सी./223/296 में प्रकाशित हुआ था।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी 7396/95]

(6) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 1995 जो 27 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 291(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 7397/95]

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी 7398/95]

वर्ष 1995-96 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री पी.वी. रंगय्या नायडू की ओर से निम्नलिखित पत्र तथा सभा पटल पर रखता हूं :

"वर्ष 1995-96 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)"

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7399/95]

मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क)(एक) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी 7400/95]

(ख)(एक) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7401/95]

(3)(एक) अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल परिसंघ लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल परिसंघ लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7402/95]

विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्रीमती उर्मिला सी. पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एलटी 7403/95]

3.12 म.प.

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के प्रावधानों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 30 मार्च, 1995 को हुई अपनी बैठक में संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1995 से जिसे लोक सभा ने 30 मार्च, 1995 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार मुझे एतद्द्वारा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1995, जिसे लोक सभा ने 30 मार्च, 1995 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को इसकी सिफारिश के लिए भेजा था, लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 30 मार्च, 1995 को पारित विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1995 के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है"।

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार मुझे एतद्द्वारा विनियोग विधेयक, 1995, जिसे लोक सभा ने 30 मार्च, 1995 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को इसकी सिफारिश के लिए भेजा था, लौटाने तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(4) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार मुझे एतद्द्वारा विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, 1995, जिसे लोक सभा ने 30 मार्च, 1995 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को इसकी सिफारिश के लिए भेजा था, लौटाने तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(5) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार मुझे एतद्द्वारा विनियोग (रेलवे) विधेयक 1995, जिसे लोक सभा ने 30 मार्च, 1995 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को इसकी सिफारिश के लिए भेजा था, लौटाने तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(6) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार मुझे एतद्द्वारा जम्मू तथा कश्मीर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995, जिसे लोक सभा ने 30 मार्च, 1995 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को इसकी सिफारिश के लिए भेजा था, लौटाने तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(7) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार मुझे एतद्द्वारा जम्मू तथा कश्मीर विनियोग विधेयक, 1995, जिसे लोक सभा ने 30 मार्च, 1995 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को इसकी सिफारिश के लिए भेजा था, लौटाने तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(8) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार मुझे एतद्द्वारा बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995, जिसे लोक सभा ने 30 मार्च, 1995 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को इसकी सिफारिश के लिए भेजा था, लौटाने तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(9) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार मुझे बिहार विनियोग विधेयक, 1995, जिसे लोक सभा ने 30 मार्च, 1995 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को इसकी सिफारिश के लिए भेजा था, लौटाने तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

3.13 ½ म.प.

विधेयकों पर अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 14 मार्च, 1995 को सभा को दी गई सूचना के बाद से वर्तमान सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधयेकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1995;
2. सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1995;
3. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक, 1995; और
4. प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 1995;

3.14 म.प.

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने 30 मार्च, 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गये अपने आठवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति स्वीकृत की जाये :

1. श्री तेजसिंहराव भोंसले	6 अगस्त, 1994 से 26 अगस्त, 1994 और 14 मार्च, 1995 से 31 मार्च, 1995 तक।
2. श्री राजाराम शंकरराव माणे	14 मार्च, 1995 से 31 मार्च, 1995 तक।
3. श्री बी. शंकरानन्द	14 मार्च, 1995 से 31 मार्च, 1995 तक।

क्या सभा इस पक्ष में है कि समिति की सिफारिश के अनुसार अनुमति प्रदान की जाये?

कई माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुसार, सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा।

3.14 ¼ म.प.

लोक लेखा समिति

बानवेवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति का बानवेवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

3.14 ½ म.प.

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

उनतालीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) : मैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का उनतालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

3.14 ¾ म.प.

ऊर्जा सम्बन्धी स्थायी समिति

चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री शिव चरण माथुर (भीलवाड़ा) : मैं ऊर्जा सम्बन्धी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) कोयला उद्योग का आधुनिकीकरण और विकास-एक समालोचना के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन।

(2) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत योजनाएं, उनका मूल्यांकन और कार्यान्वयन के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

3.15 म.प.

पैट्रोलियम और रसायन सम्बन्धी स्थायी समिति-कार्यवाही सारांश

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : मैं प्रक्रियात्मक और प्रकीर्ण मामलों के बारे में पैट्रोलियम और रसायन सम्बन्धी स्थायी समिति के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

3.15 ¼ म.प.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन सम्बन्धी स्थायी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक (मथुरापुर) : महोदय, मैं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन (1993-94) (प्रतिरक्षण नैदानिक किट का विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा जैव विविधता, औषधीय तथा सुरभित (एरोमैटिक) वनस्पति और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए विकास के संदर्भ में नई "गेट" व्यवस्था और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के निहितार्थ) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

3.15 ½ म.प.

यात्री और माल भाड़ा यातायात सेवाओं में सुधार की दृष्टि से बांकुरा दामोदर नदी रेलवे के राष्ट्रीयकरण, आमान परिवर्तन के द्वारा इसका दर्जा बढ़ाने और विस्तार के बारे में याचिका

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं यात्री और माल भाड़ा यातायात सेवाओं में सुधार की दृष्टि से बांकुरा दामोदर नदी रेलवे के राष्ट्रीयकरण, आमान परिवर्तन के द्वारा इसका दर्जा बढ़ाने और विस्तार के बारे में बांकुरा दामोदर नदी रेलवे परिवहन संग्राम समिति, पश्चिम बंगाल के प्रेसीडेंट श्री चंडी मुखर्जी द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

3.16 म.प.

नियम 331छ के निलम्बन के बारे में टिप्पणी

अध्यक्ष महोदय : रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा शुरू नहीं हुई है और सामान्य बजट पर चर्चा पूर्ण नहीं हुई है। इसलिए 24 अप्रैल, 1995 को जब सभा पुनः समवेत होगी तो लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331छ को निलम्बित करना होगा ताकि स्थायी समितियां अनुदानों की मांगों पर विचार कर सकें और इस बारे में सभा को अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकें।

अब क्या सभा इससे सहमत है?

कई माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : तो सभा इससे सहमत है।

3.17 म.प.

मुम्बई और कलकत्ता के उपनगरीय क्षेत्रों में रेल किराये में वृद्धि के बारे में

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, कल हमने बम्बई और कलकत्ता के उपनगरीय क्षेत्रों में रेल किराये में वृद्धि का मामला उठाया था। हमने माननीय मंत्री से अनुरोध किया था कि जब तक बजट पारित नहीं हो जाता रेल किराये में 1 अप्रैल से वृद्धि नहीं की जानी चाहिये। मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह स्थिति को स्पष्ट करें क्योंकि कल इसे स्पष्ट नहीं किया गया था और उन्हें यह देखना चाहिये कि इसे 1 अप्रैल से नहीं बढ़ाया जा रहा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं समझता हूं कि कल की बात यहां स्पष्ट थी। मैंने, बसुदेव आचार्य जी ने, शरद दिघे जी ने जो बात यहां कही थी, आपने उस पर रेल मंत्री जी से स्पष्टीकरण मांगा, उन्होंने कुछ जवाब दिया, उस पर आपने कुछ कमेंट्स दिये, वह सब कुछ रिकार्ड पर है। उससे बात साफ हो गयी कि रेल किराये आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन एक बात ऐसी आ गयी और हम लोग जो मांग कर रहे थे कि उपनगरीय रेलों के किराये नहीं बढ़ने चाहिये, उस पर ... भी बात सामने आयी, उससे यह धारणा बन गयी कि रेलों में कोई भी किराया नहीं बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि हम चारों माननीय सदस्यों का ऐसा उद्देश्य नहीं था कि बाकी फ्रेट या ए.सी. के किराये न बढ़ें। हमने ऐसा कोई आग्रह नहीं किया था। हमारा उद्देश्य सबरबन रेलों के किराये न बढ़ाने से था। बाकी कोई किराया घटाने या बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : हमें इस पर आपत्ति है। रेलों में कोई भी किराये नहीं बढ़ने चाहिये।

श्री राम नाईक : कल हमने जो बात उपनगरीय रेलों के किराये के बारे में यहां उठायी थी, उसी भूमिका में रेल मंत्री जी ने कुछ स्पष्ट किया था। रेल मंत्री जी और आप थोड़ा खुलासा करें, मैं यही चाहता हूं। हमने मांग की थी कि उपनगरीय रेलों के किराये नहीं बढ़ने चाहिये। इस बारे में स्पष्टता होनी चाहिये।

श्री राजवीर सिंह : नहीं, जब तक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट न आ जाये किसी भी श्रेणी का किराया आदि नहीं बढ़ना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जब-जब बीच में ऐसा होता है तो गड़बड़ हो जाती है। कल भी ऐसा हुआ इसीलिये गड़बड़ हुई। जब कई लोग एकसाथ बोलें तो ऐसी गड़बड़ हो जाती है। यदि एक-एक करके बोलें तो मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : ऐसे माननीय सदस्य के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। उपनगरीय रेलों के बारे में ही बात नहीं है। दोनों के बारे में विचार आपको सुनने पड़ेंगे। कोई किराया उस समय तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिये जब तक कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती।

अध्यक्ष महोदय : यदि किराये नहीं बढ़ायेंगे तो 300-400 करोड़ रुपये का घाटा आता है। फिर आपकी रेल लाईनें पूरी नहीं होंगी।

श्री राजवीर सिंह : हम गांव के लोगों में, किराये बढ़ाने से यह मैसेज जायेगा कि यहां शहरी लोगों को ही इंसाफ मिलता है, गांव के लोगों को नहीं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, कल हम यह जानना चाहते थे कि चूंकि बजट पारित नहीं किया जा रहा है, क्या सरकार बजट पारित किये बिना किराये और भाड़े में वृद्धि कर सकती है। हमारे प्रश्नों के उत्तर में मंत्री जी ने कल जो कुछ कहा, मैं उसमें से उद्धरण देना चाहता हूं। उन्होंने कहा :

> "किराये या भाड़े में कोई वृद्धि करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह आगामी बजट में आयेगा।"

अध्यक्ष महोदय : आप पूरा उत्तर पढ़ें। आपको सभा को आंशिक जानकारी नहीं देनी चाहिये।

श्री बसुदेव आचार्य : ठीक है, महोदय। मंत्री महोदय ने कहा :

> "हम संसद में व्यय के लिए आते हैं। जहां तक संसाधन जुटाने का सम्बन्ध है इस लेखानुदान और अनुपूरक अनुदानों का सम्बन्ध है, किराये या भाड़े में कोई वृद्धि करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह अगले बजट में आयेगा। सभा के सामने अवसर आयेगा..।"

अध्यक्ष महोदय : हां, इसे पुनः पढ़िये।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उसके पश्चात् आपने कहा :

> "बजट पास होने के पश्चात् आप इसे करेंगे। ठीक है, यह सही है।"

तत्पश्चात्, महोदय, आपने मुझे बताया :

> "श्री बसुदेव आचार्य, अब कोई फायदा नहीं। आपको प्रसन्न होना चाहिये। आपको उनका धन्यवाद करना चाहिये।"

महोदय, तत्पश्चात् आपने कहा :

> "यदि आपने बिल्कुल साफ-साफ बताया, तो आपको असुविधा होगी।"

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री बसुदेव आचार्य : वह असुविधा क्या है, मैं जानना चाहता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, यहां यह स्पष्ट है कि इसे अन्ततः बजट पारित होने के पश्चात् कार्यान्वित किया जायेगा।... **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। कल हमने यह मांग की थी कि उपनगरीय यात्रियों, दैनिक यात्रियों, आवधिक टिकट-धारियों और दूसरे दर्जे के यात्रियों के मामले में रेल किराये में वृद्धि नहीं की जानी चाहिये। लेकिन रेल मंत्री जी ने उन्हें नहीं बख्शा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यह नियमित भाषण नहीं है। श्री बसुदेव आचार्य, मैं इन चीजों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री बसुदेव आचार्य : इसलिए हम मांग करते हैं कि कम से कम उपनगरीय यात्रियों, दैनिक यात्रियों, आवधिक टिकट धारियों के मामले में किराये में वृद्धि न केवल बजट पारित होने तक स्थगित की जाये अपितु उनके मामले में किराये में बिल्कुल वृद्धि न की जाये। हमारा कहना यही था।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : कल हमें ऐसा लगा कि जहां तक उपनगरीय रेल का सम्बन्ध है, आवधिक टिकट में कोई वृद्धि नहीं होगी।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री दिघे जी, आप एक बात मुझे स्पष्ट करें। क्या किराया बढ़ाने के लिए सभा की स्वीकृति लेना आवश्यक है?

श्री शरद दिघे : यदि इसमें कोई कानूनी कठिनाई है तो सभा की मंजूरी ली जानी चाहिये। मैं इस पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अतः हमें भ्रांति पैदा करके अथवा इन चीजों में कानूनी कठिनाइयां पैदा करके मंत्री जी से कुछ छीनें नहीं।

श्री शरद दिघे : मैं समझता हूं, इसमें कुछ कानूनी कठिनाई है। इस मुद्दे पर पहले विभिन्न लोकसभा अध्यक्षों ने विनिर्णय भी दिये हैं। फिर भी, मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह कोई तरीका निकालें जिससे बजट पर चर्चा पूरी होने से पहले किराये में वृद्धि न हो।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

श्री शरद दिघे : महोदय, मंत्री होने के नाते वह ऐसा कर सकते हैं। वह चाहें तो एक अप्रैल से इसे लागू न करके एक जून से इसे लागू कर सकते हैं, तब तक चर्चा पूरी हो जायेगी। अन्य चीजें आप कर सकते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : महोदय, मेरी कुछ राय है। मैं महसूस करता हूं और यह मेरी राय है कि रेल मंत्री कानूनी तौर पर किसी भी समय किराया बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि एक बार मैंने विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठाया था और तदनुसार आपने विनिर्णय दिया था। अतः, कानूनी तौर पर इसमें कोई रूकावट नहीं है। लेकिन हम महसूस करते हैं कि उपनगरीय यात्रियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मांग पर विचार किया जाना चाहिये और यही कारण है कि इसे नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। कानूनी तौर पर कोई रोक नहीं है। लेकिन कल इतना कुछ करने के पश्चात् यह यात्रियों के हित में होगा, देश के हित में होगा कि किराया न बढ़ाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : कल कुछ सदस्यों ने यह मामला उठाया था और वे मंत्रीजी से कुछ लेने का प्रयास कर रहे थे। मैंने भी उनसे पूछा था कि क्या वह सभा की मंजूरी लिये बिना भी किराये में वृद्धि कर सकते हैं। कई लोग एक साथ बोल रहे थे और मंत्री जी को उन सबकी ओर ध्यान लेना पड़ा। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं भी उन पर दबाव डाल रहा था और मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या वह सभा की मंजूरी के बिना ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कानूनी तौर पर स्थिति यह है कि जबकि आप सभा की मंजूरी के बिना लोगों पर कर नहीं लगा सकते, जहां तक किराये में वृद्धि का सम्बन्ध है–यह रेल किराया हो या विमान का किराया हो या कोई अन्य किराया हो–सभा की मंजूरी आवश्यक नहीं है। जब श्री नाईक ने कुछ समय पहले यह प्रश्न उठाया था तो मैंने बड़ी सोच समझ कर इस पर विनिर्णय दिया था।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : ये कभी नहीं आएंगे।...**(व्यवधान)** यह अधिकार इनको मत दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : वह हम नहीं दे रहे हैं, कॉन्सटीट्यूशन ने दिया हुआ है। हम, आप हाउस में नहीं दे रहे हैं। सैक्शन के बिना सिर्फ नहीं लगा सकते और खर्च नहीं कर सकते। इसका रीजन यह है कि जब भी कभी टैक्स लगाते हैं तो कोई सर्विस नहीं देते लेकिन पैसा लेते हैं और जब फेयर बढ़ाते हैं तो सर्विस के बदले लेते हैं। यह डिफिकल्टी रेलवे मिनिस्ट्री की भी है।

[अनुवाद]

संभवतया रेल मंत्री काफी अनुकूल रवैया अपना रहे थे और इस उदारता में वह कुछ बातें कह गये। लेकिन मैं समझता हूं सभा को उनकी कठिनाइयों को भी समझना चाहिये और यह उन पर छोड़ देना चाहिये कि वह इसे कैसे करना चाहते हैं।

श्री शरद दिघे : वह आश्वासन दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह आपके विचारों को ध्यान में रखेंगे। इसके साथ-साथ हमें भी उनकी कठिनाइयों का ध्यान रखना चाहिये और इसका निर्णय उन पर छोड़ देना चाहिये।

श्री राम नाईक : हम मंत्री जी से अपील करते हैं कि वह उत्तर दें। अन्यथा सभी उपनगरीय क्षेत्रों में उथल-पुथल होगी। पहले ही खबर जा चुकी है और यदि मंत्री जी जानकारी देने में विलम्ब करते हैं तो इससे अनावश्यक रोष पैदा होगा।

अध्यक्ष महोदय : वह इस पर इस ढंग से विचार करेंगे कि किसी को कोई कठिनाई न हो।

श्री राम नाईक : अब वह उत्तर दे सकते हैं। उन्हें उत्तर देने दीजिये। हम उनसे अपील करते हैं क्योंकि हम यात्रियों की भावनाओं को जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसे सही ढंग से किया जाना चाहिये। उनकी कुछ कठिनाइयां हैं। उन्हें उन पर विचार करने दिया जाये। हमें ऐसे तरीके से यह कार्य करने के लिए उन पर दबाव नहीं डालना चाहिये जिससे कठिनाइयां पैदा हों। किन्तु इस विषय पर यहां माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को उन्हें ध्यान में रखना चाहिये।

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं माननीय सदस्यों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आपने ठीक ही कहा है, हम कल और आज माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का ध्यान रखेंगे। हम आपकी सलाह का भी ध्यान रखेंगे। हम इस पर विचार करेंगे और हम देखेंगे कि लोगों के हित में और रेलवे के हित में क्या किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

अब एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। हम प्रातःकाल से काम कर रहे हैं। संभवतया कुछ माननीय सदस्य भोजन करने चले गये हैं। मैं समझता हूं कि हम भोजनावकाश समाप्त कर सकते हैं। यदि हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर समय पर चर्चा आरम्भ करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि सभा को मध्यान्ह अवकाश के बिना जारी रखा जा सकता है। इस समय 3.30 म.प. हुए हैं और हमने गैर-सरकारी सदस्यों का काम आरम्भ करना है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : 377 करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : 377 करवा देंगे। उसके बाद प्राइवेट मैम्बर्स बिल लेंगे; उसके लिए थोड़ा समय है।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक पारित कर दें जिसे दूसरी सभा ने पहले ही पारित कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। इस सभा में इस तरह अचानक ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

श्री पी.एम. सईद : केवल एक धारा में एक छोटा सा संशोधन किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति देने से पूर्व मुझे यह पता होना चाहिये कि इसमें क्या करना है। यदि वास्तव में यह तकनीकी किस्म का होता तो मैं सहमत हो जाता। लेकिन मुझे सोचना होगा। आप पहले बात करते तो मैं इस पर विचार करता। वह एक अलग बात है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : कल तो आपात स्थिति थी इसलिए ऐसा कर दिया, रोज-रोज थोड़े ही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उनकी डिफिकल्टी है लेकिन वह भी नहीं करना चाहते।

3.30 म.प.

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र गढ़चिरौली जिले में स्थित कर वफा मध्यम सिंचाई परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री शांताराम पोतदुखे (चन्द्रपुर) : महोदय, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और चन्द्रपुर जिलों की विभिन्न परियोजनायें पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए पड़ी हैं। एक ऐसी परियोजना महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में करवफा मध्यम सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के लिए लगभग 770.25 हैक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है। महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेज दिया है। इस परियोजना की प्रशासनिक रूप से स्वीकृति विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार द्वारा दे दी गई है। महाराष्ट्र सरकार इमारतों, पहुंच मार्गों के निर्माण तथा परियोजना की आधारशिला पर 1984 तक लगभग 3 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर चुकी है। इस परियोजना का काम पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति न मिलने के कारण रुक गया है। गढ़चिरौली एक जनजातीय जिला है जिसमें 68 प्रतिशत क्षेत्र में वन है।

3.31 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं पर्यावरण तथा वन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना की सभी पहलुओं से जांच की जाये और नक्सलियों से प्रभावित क्षेत्र की इस परियोजना को स्वीकृति देने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

(दो) गुरू गोविन्द सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के तीसरी शताब्दी समारोह को 'मानव बोध वर्ष' के रूप में मनाये जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, गुरू गोविन्द सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। वह समूची मानवता के एक होने और मानव भावना की सार्वभौमिकता पर बल देते थे। उस प्रमुख घटना के 300 वर्ष पूरे होने पर स्वाभाविक रूप से भारत तथा अन्य देशों में काफी उत्साह की लहर आयेगी। वर्ष 1999 को 'मानव बोध वर्ष' के रूप में मनाया जाये तो इससे निश्चित रूप से भारत की अनेकता में विकास होगा और विभिन्न पंथों में आपसी सूझबूझ भी बढ़ेगी। ऐसा करने से साम्प्रदायिक और संकीर्णता की भावना कम होगी और सिक्ख सम्प्रदाय के अन्य धर्मों के लोगों के साथ सम्बन्धों में - एक नई शुरूआत होगी।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस प्रयोजनार्थ एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की जाये जिसमें देश के महत्वपूर्ण लोगों को शामिल किया जाये तथा राष्ट्र संघ से वर्ष 1999 को 'मानव बोध वर्ष' के रूप में मनाने का अनुरोध किया जाये।

(तीन) राजस्थान में बीकानेर के महाजन कस्बे में फायरिंग रेंज का निर्माण करने के लिए जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया उनके मुआवजे के दावों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में महाजन शहर में फायरिंग रेंज बनते समय 34 गांव उठाये गये थे। इन गांवों के किसानों को कृषि भूमि के बदले में तो कृषि भूमि दे दी गई और आबादी भूमि के लिए जो आबादी भूमि का मुआवजा लेना चाहते थे, उनमें से कुछ को मुआवजा दे दिया गया, लेकिन वहां के अधिकारियों की गलती के कारण कुछ किसान ऐसे रह गये जिनको उनकी खातेदारी और लम्बी चली आ रही टी.सी. की जमीन के बदले में न तो उनको कृषि योग्य भूमि ही मिली और न ही उनको मुआवजा ही मिला। वह किसान आज भी 10-15 वर्ष से कृषि भूमि और आबादी की जमीनों के मुआवजे के लिए भटकते फिर रहे हैं।

इसी तरह गांव के कुछ स्कूलों की इमारतों, कुओं तथा किसानों के खेतों में पेड़ों का अभी मुआवजा नहीं मिला है।

भारत सरकार से निवेदन है कि इसकी जांच करवाकर किसानों को शीघ्र मुआवजा दिलाने का आदेश दें।

(चार) मयूरभंज (उड़ीसा) में दूरसंचार की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कुमारी सुशीला तिरिया (मयूरभंज) : महोदय, मयूरभंज, बालासौर तथा भद्रख राजस्व जिले इस समय बालासौर दूरसंचार जिले

के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं जिसका मुख्यालय बालासौर में है। इसके परिणामस्वरूप मयूरभंज जिले के विभिन्न इलाकों, जिनकी दूरी बालासौर से 60 से 250 किलोमीटर है, के ग्राहकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा उन्हें मुख्यालय से समय पर न्याय पाने के लिए काफी खर्च करना पड़ता है हालांकि बालासौर की अपेक्षा मयूरभंज से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है।

चूंकि मयूरभंज एक सीमावर्ती जिला है और दो महत्वपूर्ण राज्यों अर्थात् बिहार और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। इन दो राज्यों तथा उड़ीसा से काफी लोग व्यापार, रोजगार, इलाज आदि के सिलसिले में तथा पर्यटक के रूप मयूरभंज आते हैं। मयूरभंज में पृथक दूरसंचार जिला न होने के कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों और पर्यटकों, जिनकी संख्या बहुत अधिक है, को असुविधा न हो, यह उचित तथा आवश्यक है कि मयूरभंज के लिए शीघ्र एक पृथक दूरसंचार जिला बनाया जाये जिसका मुख्यालय वारिपदा में रखा जाये। दूरसंचार विभाग, बालासौर ने भी इसे न्यायोचित ठहराया है लेकिन इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(पांच) मध्य प्रदेश की नर्मदा सागर योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने की आवश्यकता*

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय, नर्मदा सागर परियोजना को स्वीकृति प्रदान करके कार्यान्वित किया जाना चाहिये। "नर्मदा सागर योजना" नर्मदा घाटी के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना से एक हजार से अधिक मेगावाट बिजली का उत्पादन तथा एक लाख एकड़ सिंचाई क्षमता की वृद्धि होगी। इससे प्राप्त होने वाले जल से ओंकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोबर परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन और सिंचाई क्षमता भी संभव हो सकेगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र को बिजली एवं सिंचाई की दृष्टि से लाभ होगा।

यह विशाल परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना को गत वर्ष मार्च में, केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा था।

इसलिये मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार इस परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में स्वीकार करके इसे क्रियान्वित करे।

साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश के मालवांचल में गिरते हुए जल स्तर को रोककर उसकी वृद्धि करने हेतु, पेयजल की रक्षा और आपूर्ति और सिंचाई क्षमता निर्मित करने के लिए नर्मदा-शिप्रा को जोड़ने का योजना कार्य इसी परियोजना के साथ आरम्भ किया जाये।

---

* मूलतः संस्कृति में दिए गए माजपा का हिन्दी रूपान्तर।

(छः) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में विस्थापित कृषकों को, जिनकी भूमि इस प्रयोजनार्थ अधिगृहीत कर ली गई थी, रोजगार देने के लिए तेल डिपुओं की स्थापना करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : महोदय, उ.प्र. के बरेली जनपद में इंडियन ऑयल, भारत, हिन्दुस्तान ऑयल डिपो बनाये जाने की स्वीकृति विगत वर्ष की गई थी। डिपुओं के निर्माण हेतु कृषकों की जमीन अधिगृहीत की गई थी, लेकिन अभी तक निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है जिसके कारण क्षेत्रीय नागरिकों में रोष है। जिन कृषकों की भूमि अधिगृहीत की जानी थी उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया था कि उनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को इन कारपोरेशन में सेवा का अवसर प्रदान किया जायेगा। वस्तुस्थिति यह है कि उनकी खेती की जमीन भी उनके हाथ से चली गई और सेवा का अवसर उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। फलस्वरूप यह लोग भूखे मरने की स्थिति में पहुंच गये हैं। जमीन ही इनका एकमात्र जीवन-यापन का साधन था जिससे यह वंचित हो गये हैं।

मेरी सरकार से यह मांग है कि वह उन किसानों को जिनकी जमीन आंवला, बरेली जनपद में अधिगृहीत की गई है उस पर तेल कारपोरेशनों के डिपुओं का निर्माण कर आश्वासन के अनुरूप प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को सेवा का अवसर प्रदान किया जाये ताकि यह कृषकगण वर्तमान स्थिति से उभर सकें।

(सात) राष्ट्रीय पटसन विपणन निगम को पश्चिम बंगाल के नाडिया तथा कुछ अन्य भागों में सहकारी विपणन समितियों की बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक धनराशि देने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशनगर) : राष्ट्रीय पटसन विपणन निगम, जो नाडिया तथा पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य जिलों की विभिन्न सहकारी विपणन समितियों से पटसन खरीदता है, कीमतों का भुगतान नहीं करता रहा है जिसके परिणामस्वरूप लाखों रुपये की राशि बकाया हो गई है और समितियों का अस्तित्व खतरे में है। ये समितियां बैंकों से ऋण लेकर सीधे किसानों से पटसन खरीदती हैं और आगे निगम को सप्लाई कर देती हैं। लेकिन राष्ट्रीय पटसन विपणन निगम द्वारा देय राशि का भुगतान न किये जाने के कारण समितियों के लिए ब्याज सहित बैंकों का ऋण चुकाना प्रायः असंभव हो गया है और वे अपने कर्मचारियों के वेतन का भी भुगतान नहीं कर पा रही हैं। पटसन उत्पादकों के लिए भी बड़ी कठिन परिस्थिति पैदा हो गई है। राष्ट्रीय पटसन विपणन निगम का तर्क यह है कि केन्द्र सरकार उन्हें इस प्रयोजन के लिए कोई धन नहीं दे रही है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रीय पटसन विपणन निगम को तुरन्त आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये ताकि समितियों को उनकी बकाया राशि का ब्याज सहित भुगतान किया जा सके।

(आठ) नारियल के समर्थन मूल्य की घोषणा करने की आवश्यकता

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : नारियल के मूल्य में अत्यधिक गिरावट आ जाने के कारण नारियल का उत्पादन करने वाले किसान बड़े संकट में हैं। हाल ही में सरकार द्वारा खाद्य तेलों के आयात को उदार बना दिये जाने के कारण उन्हें और भी निराशा हुई है। यदि पैकेटों और बोतलों में बेचे जाने वाले नारियल तेल पर उत्पादन शुल्क लगाया जाये तो मूल्य पुनः कम हो जायेंगे। सरकार को नारियल उत्पादकों और मज़दूरों की सहायता के लिए आयात, उत्पादन शुल्क और अन्य पहलुओं के बारे में एक नीति बनानी चाहिये।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पांच रुपये प्रति नारियल का समर्थन मूल्य घोषित करे तथा किसानों से नारियल खरीदने का प्रबन्ध करे।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : महोदय, माननीय सदस्य को प्रसन्न होना चाहिये कि नारियल जैसी आवश्यक वस्तु का मूल्य कम हो रहा है। नारियल का मूल्य कम होता है तो उपभोक्ता खुश होगा और गृहिणियां खुश होंगी।

श्री पी.सी. थामस : उत्पादकों का क्या होगा?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : उपभोक्ता का क्या होगा? आम आदमी का क्या होगा?

श्री पी.सी. थामस : किसान का क्या होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले में श्री थामस का समर्थन करता हूं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : आप उपभोक्ता को सस्ते खाद्य से कैसे इन्कार कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का विधायी कार्य - पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक लेंगे।

3.41 म.प.

संविधान संशोधन विधेयक*

(नया अनुच्छेद 16क आदि का अंतःस्थापन)

श्री पी.पी. कालियापेरुमल (कुड्डालोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी.पी. कालियापेरुमल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.41 ½ म.प.

संविधान संशोधन विधेयक*

(अनुच्छेद 245ध में संशोधन)

श्री उत्तमराव देवराव पाटील (यवतमाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री उत्तमराव देवराव पाटील : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.42 म.प.

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 31.3.95 में प्रकाशित

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 31.3.95 में प्रकाशित

3.42 ½ म.प.

राजभाषा विधेयक*

[हिन्दी]

श्री सरेन्द्रपाल पाठक (शाहबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ के शासकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार और केन्द्रीय अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तथा न्यायालयों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाओं के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ के शासकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार और केन्द्रीय अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए तथा न्यायालयों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाओं के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.43 म.प.

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) निरसन विधेयक*

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 31.3.95 में प्रकाशित

3.43 ½ म.प.

प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक*

(नई धारा 3क का अन्तःस्थापन)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं

3.44 म.प.

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक*

(धारा 24 में संशोधन)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.44 ½ म.प.

निर्वाचन-पूर्व सर्वेक्षण प्रकाशन प्रतिषेध विधेयक*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि निर्वाचन-पूर्व सर्वेक्षण प्रकाशन का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 31.3.95 में प्रकाशित

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निर्वाचन-पूर्व सर्वेक्षण प्रकाशन का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.45 म.प.

राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करने हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करने हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.45 ½ म.प.

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 237क का अंतःस्थापन)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 31.3.95 में प्रकाशित

3.46 म.प.

पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक*

(धारा 5 में संशोधन)

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रमेश चेन्निथला : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.47 म.प.

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2 और 12 में संशोधन)

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रमेश चेन्निथला : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.47 ½ म.प.

विकलांग व्यक्ति (विशेष प्रसुविधा) विधेयक*

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को विशेष प्रसुविधायें प्रदान करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 31.3.95 में प्रकाशित

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को विशेष प्रसुविधायें प्रदान करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रमेश चेन्निथला : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.48 म.प.

उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक*

(धारा 13 में संशोधन)

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रमेश चेन्निथला : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.49 म.प.

[हिन्दी]

महर्षि वाल्मीकि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक*

श्री मंगलराम प्रेमी (बिजनौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिये तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिये तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

श्री मंगलराम प्रेमी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.50 म.प.

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 39, आदि में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री एम. कृष्ण स्वामी (वन्डावाशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एम. कृष्ण स्वामी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.51 म.प.

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 269, आदि में संशोधन)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 31.3.95 में प्रकाशित

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 31.3.95 में प्रकाशित

3.52 म.प.

अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन (संशोधन) विधेयक*

(धारा 1 में संशोधन)

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, 1993 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, 1993 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.53 म.प.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए (सरकारी सेवाओं में) पदों का आरक्षण विधेयक–जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 27–अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए (सरकारी सेवाओं में) पदों का आरक्षण विधेयक पर आगे विचार पर चर्चा करेंगे।

श्री कालकादास बोल रहे थे। श्री कालकादास जी, आप 19 मिनट ले चुके हैं। अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कालकादास (करोल बाग) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पदों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के सम्बन्ध में जो गैर सरकारी बिल आया 9 दिसम्बर, 1994 को, उस सम्बन्ध में मैंने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किये थे। सदन स्थगित होने के कारण मेरी आधी बात हो पाई थी। आपने आज पुनः मुझे समय दिया है कि मैं इस सम्बन्ध में अपनी बात पूरी करूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो आरक्षण इन दबे-कुचले गरीब लोगों के लिए सरकारी पदों पर दिया गया है, यह एक लम्बी लड़ाई का परिणाम था। इस सम्बन्ध में मैंने पिछली बार कहा था कि बड़े संघर्ष के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधीजी के बीच पुणे पैक्ट हुआ उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ और जब हमारे संविधान की रचना हुई तो सरकार ने संवैधानिक अधिकार इस वर्ग को दिया कि अनुसूचित जातियों के लिये 17 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिये भरे जायेंगे लेकिन दुख की बात है कि 45 वर्ष की आजादी के बाद भी अभी तक आरक्षण की सुविधा पूरी तरह से उन लोगों को नहीं दी गयी है। इस बात को राजनीतिक पार्टियों ने एक हथियार बना लिया और उन लोगों को कहते रहे कि आज देंगे, कल देंगे और इस प्रकार से गलत बात करते रहे, और यह मामला टालते रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों से सिद्ध करूंगा कि उन लोगों के साथ अभी तक न्याय नहीं किया जा रहा है। संविधान में इस राष्ट्रीय समस्या के हल करने के लिये उपाय किये हैं लेकिन सरकार उनके साथ खिलवाड़ करती रही है। ग्रुप ए में 22.5 प्रतिशत स्थान का आरक्षण पूरा होना चाहिये था लेकिन 6.40 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये और 3.06 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिये पूरा किया गया है जबकि सरकार ने बार-बार इस बात का आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही विशेष योजनाओं के द्वारा इन पदों को भरेंगे। इसी प्रकार ग्रुप बी में 12.17 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 2.35 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजाति के लोगों के भरे गये हैं। सी ग्रुप में 15.91 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 5.43 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजाति के लिये भरे गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में ग्रुप ए में 6.40 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति के लिये भरे गये हैं लेकिन बाकी स्थान खाली पड़े हुये हैं। यह कह दिया जाता है कि उक्त पद के लिये उपयुक्त लोग नहीं हैं और उन पदों को जनरलाईज कर दिया जाता है। अब 1989 में उसपर प्रतिबंध लगा है और पद खाली पड़े हुये हैं। सरकार ने पिछले 45 साल में अनुसूचित जाति के लिये ए क्लास में 1.54 प्रतिशत, बी क्लास के लिये 9.05 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिये 2.53 प्रतिशत पद भरे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति के 0.02 प्रतिशत शिक्षक हैं जबकि सरकार द्वारा 100 प्रतिशत ऐड दी जाती है। यही हाल जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली का है जहां पर अनुसूचित जाति के शिक्षकों की संख्या 1.3 प्रतिशत है और पूरी सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है।

4.00 म.प.

अब ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से इस वर्ग के साथ आरक्षण के नाम पर खेल किया गया, किस तरह से उनको न्याय नहीं मिला। बैंकिंग की ए कैटेगरी के अधिकारियों में 22.5 प्रतिशत पद भरे जाने चाहिए थे जबकि 10.24 प्रतिशत ही भरे गए। 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के 7.5 प्रतिशत पद भरे

जाने चाहिए थे। वहां 45 साल के संवैधानिक वायदे के बाद भी 3.14 प्रतिशत पद ही भरे गए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में कैटेगरी बी में आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां केवल मेट्रिक और ग्रेजुएट लड़कों को भर्ती किया जा सकता है वहां भी हालत खराब है, जबकि बड़ी संख्या में हर क्षेत्र में पढ़े-लिखे बेरोजगार हमारे देश में हैं। रोजगार कार्यालय में देखें तो अनुसूचित जाति के बेरोजगार लोगों की लंबी लाइन है। वैसे तीन करोड़ के करीब हमारे देश में बेरोजगार हैं और उनमें से इन लोगों की बड़ी तादाद है। बी क्लास में जहां 17 प्रतिशत पद भरे जाने चाहिए थे वहां 4.45 प्रतिशत पद ही भरे गए हैं और अनुसूचित जनजाति के 4.56 प्रतिशत पद भरे गए हैं। इस तरह से आरक्षण के नाम पर किस तरह से इन युवकों को गुमराह किया जा रहा है और किस तरह का खेल खेला जा रहा है यह आप देखें।

मैंने पिछली बार भी इस सदन में कहा था कि आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होता है और 1991 में जनगणना के मुताबिक उनकी जनसंख्या बढ़ी है। पहले जो 22.5 प्रतिशत और 17 प्रतिशत थी उसमें 16.14 प्रतिशत और 8.08 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। अतः आरक्षण को 22.5 प्रतिशत से लगभग 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। देश के सभी भागों में इस वर्ग के साथ केवल इसी आरक्षण के क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अन्याय हो रहा है। पिछड़ी जातियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा था। शेड्यूल्ड कास्ट्स का उससे कोई लेना देना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि पांच साल बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया जाएगा। यहां सदन में कल्याण मंत्री ने कई बार कहा कि हम बिल ला रहे हैं और संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं लेकिन उस दिशा में कोई कारगर कदम सरकार नहीं उठा पायी है। मैं समझता हूं कि यहां कुछ राजनैतिक पार्टियां और समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जाति को केवल अपनी जेब का वोट बनाना चाहते हैं या उनको समाज में गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। वह इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि ये लोग कमजोर होते जाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत घातक कदम होगा। अगर इस देश के 25 प्रतिशत नागरिक अन्यायों से कुचले रहेंगे तो देश सबल नहीं होगा। अगर देश को सबल बनाना है तो अपने स्वार्थों को छोड़कर जो समाज के लोग राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको सबल बनाना होगा। छुआछूत को हमारे संविधान में गैर-कानूनी करार दिया है। असंवैधानिक करार दिया गया है और उसकी बड़ी-बड़ी सजाएं घोषित की गयी हैं लेकिन आज भी गांवों में छुआछूत वैसा का वैसा ही है और किसी को कोई सजा नहीं होती। आज एक इन्सान से इन्सान नफरत करता है। छुआछूत के आधार पर एक वर्ग अपने आपको ऊंचा मानता है और अनुसूचित जाति में पैदा होने वाले को यह समझता है कि वह तो उसकी गुलामी के लिए ही पैदा हुआ है। ऐसी मानसिकता आजादी के बाद भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने को आती है। आज भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है और इसमें जो दलित वर्ग है, अनुसूचित जाति का वर्ग है उसमें 80 प्रतिशत वर्ग आता है लेकिन उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। पहले हमारे देश को लोग दुनिया का गुरू मानते थे, यहां शिक्षा व सभ्यता सीखने के लिए आते थे। उस देश में आधे से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं और अनुसूचित जाति में तो 90 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं। अभी तक भी न उनकी आर्थिक दृष्टि से समस्या हल की गयी, न शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टि से समस्या हल की गयी। आज भी वे देश के दूसरे कोने में अपनी मजदूरी मांगे तो उनकी बस्तियां जला दी जाती हैं, उनके साथ जुल्म किए जाते हैं।

विद्वानों ने कहा है कि अन्याय हिंसा की जननी होती है। अगर कोई समाज उसके साथ अन्याय करे तो वह हिंसा पर उतर जाता है। हमारे समाज के विकास में कितनी बाधाएं हैं इसका अनुमान सरकार नहीं लगा सकती। आजादी के 47 वर्ष बाद भी इस वर्ग पर जिस तरह से अन्याय हो रहा है, जिस तरह से पक्षपात हो रहा है, इस वर्ग को अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं, सामाजिक विषमता बढ़ती जा रही है वह इन वर्गों में असंतोष को बढ़ावा दे रही है। इस अन्याय के कारण उन लोगों में चर्चाएं चल रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर उनका यह असंतोष भड़केगा तो हमारे लिए हानिकारक है। हम राष्ट्रभक्त हैं, हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। उनका भी दोष नहीं है। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो वे कोई रास्ता अख्तियार करेंगे। इसी कारण से आतंकवाद उभरा है। चाहे पंजाब हो, आंध्र प्रदेश हो, जम्मू-कश्मीर हो, सभी जगह पर आतंकवाद के पीछे अन्याय भी एक कारण है। कहीं ऐसा न हो कि देश का 25 फीसदी भाग विमुख न हो जाये। इसलिए उनको न्याय देने की जरूरत है। रिजर्वेशन का होना जरूरी नहीं है बल्कि उसमें काम करना जरूरी है। आधी शताब्दी हो गयी लेकिन हम उस वर्ग को पढ़ा भी नहीं सके। हम यह कह दें कि उस पद के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिला तो यह एक बहाना है। यह कोई राजनैतिक खेल नहीं बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इस पर हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। संसद हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, इस पर कई बार चर्चा होती है, कई सामाजिक मामले इस तरह के उठाये गये हैं। उनको न्याय मिले इसलिए उनके पद पूरे भरे जायें और उनकी जितनी जनसंख्या बढ़ गयी है उस अनुपात में रिजर्वेशन भी बढ़ाया जाय। उनको शिक्षा और समानता दी जाय।

मैं कहना चाहूंगा कि उनको केवल सरकारी पदों में ही आरक्षण नहीं दिया जाय बल्कि राज्यपालों, उप राज्यपालों, चांसलर, वाइस-चांसलर, एम्बेसेडर जैसे पदों पर उनको लिया जाय। अन्यथा न तो उनका भला होगा और न ही उनको न्याय मिल पायेगा। इसलिये जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि उच्च पदों पर भी एक योजना बनाकर इन वर्गों के लोगों को नियुक्त कराया जाये। जब ये लोग उच्च पदों पर आसीन होंगे तो हम जिस तरह से इन लोगों को आगे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तभी हमारा उद्देश्य सफल हो सकता है। जब इन जातियों के लोग उच्च पदों पर आसीन होंगे तो समाज का मनोबल बढ़ेगा और इन लोगों के साथ

कोई अन्याय नहीं हो पायेगा क्योंकि उच्च पदों पर बैठे लोग उनके हितों की रक्षा ज्यादा अच्छी तरह कर पायेंगे। इन शब्दों के साथ, समय देने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सात माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लेना है और वाद-विवाद को 4.30 म.प. पर समाप्त करना होगा। अतः भाषण देते समय यह बात ध्यान में रखी जाये।

4.11 म.प.

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही पवित्र मन से समाज परिवर्तन के एक अच्छे विधेयक को इस सदन के सामने प्रस्तुत किया। इस विधेयक की मंशा है कि भारत के संविधान में इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में जो सरक्षण दिया हुआ है, उसे पूरी तरह लागू किया जाये क्योंकि आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार के विभिन्न महकमों में आज भी आरक्षित कोटा पूरी तरह भरा नहीं गया है। अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट इस हाउस में हमेशा आया करती थी। उसे देखने से पता चलता है कि सरकार की प्रथम श्रेणी की नौकरियों में आरक्षित कोटा किसी भी हालत में 50 फीसदी से अधिक पूरा नहीं होता है, उसमें हमेशा बैकलौग रहता आया है। द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में भी 55 प्रतिशत कोटा पूरा होता है और 45 परसेंट बैकलौग रहता है। तृतीय श्रेणी की नौकरियों में भी यही हालत पायी जाती है। चतुर्थ श्रेणी का कोटा जरूर पूरा कर लिया जाता है।

इस स्थिति से ऊबकर अनुसूचित जातियों के लिये अलग से सांवैधानिक दर्जा देकर एक आयोग की नियुक्ति की गयी थी। उस आयोग का यह कटु अनुभव है कि सारी कोशिशों के बावजूद प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में निर्धारित कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति केवल सरकारी नौकरियों में ही नहीं है बल्कि विडम्बनापूर्ण स्थिति यह है कि जहां से हमें न्याय मिलता है, न्यायपालिका में, हायर तथा जूनियर ज्युडीशियरी में हमें यह देखकर अफसोस होता है कि कहीं इन जातियों को आरक्षण नहीं दिया जाता है। इस सदन में अनुसूचित जाति और जनजातियों में पैदा हुये अनेक प्रतिनिधि बैठे हैं, इस लोक सभा को चार वर्ष पूरे हो गये हैं लेकिन आज भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश की है कि देश की न्यायपालिका में संविधान में दिया हुआ आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं किया गया है जहां से हमें न्याय मिलता है। केन्द्र और राज्य स्तर पर न्यायिक सेवाओं में जितनी भर्ती होती है कहीं भी आरक्षण कोटे का पालन नहीं किया जाता। इसलिये मैं सबसे पहली अपील मंत्री जी से करना चाहता हूं कि हमारी न्यायिक सेवाओं में भी आरक्षण प्रावधान को लागू किया जाना चाहिये क्योंकि भारत के संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को यह अधिकार मिला हुआ है।

भारत का संविधान महात्मा गांधी जी के विशेष प्रयासों से और उनके संकल्पों को शामिल करके बनाया गया था और इस सवाल पर उन्होंने अपनी जान तक दे देने का फैसला कर लिया था। उनकी जान बचाने के लिये ही इस देश के राष्ट्रीय नेताओं ने एक राष्ट्रीय सहमति के आधार पर ऐसा सांवैधानिक प्रावधान किया था। सरकारी नौकरियों के संबंध में सरकार ने परिपत्र तो प्रसारित कर दिया है परन्तु उसके बावजूद नौकरियों में कोटा पूरा नहीं किया जाता है, हमें यही सबसे बड़ी आपत्ति है। मेरी मांग है कि न्यायिक सेवाओं में आरक्षण दिये जाने के संबंध में परिपत्र तुरन्त निकाला जाना चाहिये जिसके न निकलने से इन लोगों में भारी चिन्ता है। अतः इस अवसर का लाभ उठाते हुये, मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार इस बात का प्रयास करे कि न्यायिक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था को अविलम्ब लागू किया जाये।

दूसरी मांग मैं यह करना चाहता हूं कि इस देश में अनेक शिक्षण संस्थाएं कार्यरत हैं लेकिन कुलपतियों के चयन में, राज्यपालों की नियुक्ति के समय, शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों और प्राध्यापकों की नियुक्ति में मामले में कहीं आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जितने हमारे देश में उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जो भारत सरकार की मदद से चलते हैं, जिन्हें सीधे भारत सरकार के अंतर्गत चलाया जाता है और जो शिक्षण संस्थाएं भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की मदद से, राज्य सरकारों के आधे खर्चे से चलती है।

मुझको कहते हुए अफसोस हो रहा है कि बहुत सारी शिक्षण संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में आए दिन शिकायत मिलती है कि वहां के छात्रावासों में आज की तारीख में इंटर-डायनिंग सिस्टम नहीं है। यह मामूली अफसोस की बात नहीं है कि महात्मा गांधी के देश में आजादी के इतने दिनों के बाद, हमने छात्रावासों का इस तरह से गठन नहीं किया है कि आज अनुसूचित जाति के विद्यार्थी और उच्च परिवार में पैदा हुए विद्यार्थी, एक छात्रावास में, एक साथ बैठकर भोजन कर सकें, खाना खा सकें। इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। यह हमारे भारतीय जीवन और बौद्धिक जगत का एक कलंक है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं, हम लोगों ने बहुत प्रयास करने के बाद, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतिहास में पहली बार एक कुलपति को उस पद पर बैठाने का काम किया है। इसके लिए इस सदन के माध्यम से हम प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन एक नियुक्ति से काम नहीं चलेगा। उनकी आबादी का जो प्रतिशत है, उसका कुलपति नियुक्ति करते समय विशेष ध्यान रखा जाए, यह मैं कहना चाहता हूं।

जहां तक अध्यापकों का सवाल है, कहीं भी कोई भी पूर्ति नहीं हुई है। एक फीसदी अध्यापक भी, जो केन्द्रीय सरकार की पूर्ण मदद से चलने वाले विश्वविद्यालय हैं, वहां इसकी पूर्ति नहीं की जा रही है। मैं यह आरोप और इल्जाम लगाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान इस बात का प्रबन्ध करता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जो आबादी होगी, आरक्षण कानून उस आबादी के अनुपात के अनुसार होगा। 1991 का जनमत संग्रह, 1991 की जनगणना इस बात का सुबूत है कि इनकी आबादी चार फीसदी बढ़ी है और चार फीसदी आबादी बढ़ने के बावजूद, इस संसद के अवसान होने का यह आखिरी वर्ष है, उस आबादी के अनुसार उनकी जनसंख्या इस सदन में हो जाए, विधान सभाओं में उनकी जनसंख्या इस अनुपात में हो जाए, ऐसा कोई सांवैधानिक संशोधन भारत सरकार अभी तक लाने पर विचार नहीं कर रही है। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि हमको जो अधिकार इस सदन ने दिया है, हमको जो अधिकार इस देश के संविधान ने दिया है कि आबादी के अनुपात में भारत के संविधान में संशोधन करते हुए राज्य की विधान सभाओं और भारत की लोक सभा में, सदस्यों की संख्या आबादी के अनुपात में हो और इसका संशोधन किया जाए और इसी तरीके से राज्य की विधान परिषदों, जहां ये हों वहां और भारत की संसद की राज्य सभा में यह सदस्य संख्या का अनुपात होना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान हमें संविधान में संशोधन कर के लाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्ही शब्दों के साथ इस विधेयक का जोरदार समर्थन करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि कम से कम आज इतनी घोषणा करनी चाहिए कि हम सरकार की नौकरियों में इनके प्रतिशत को पूरा करने के साथ-साथ, जो जुडीशियरी सर्विस में पद हैं धान पदों को भरने का भी प्रावधान हम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज बदली हुई परिस्थितियों में जब नयी आर्थिक नीति को इस देश ने स्वीकार कर लिया है, निजी क्षेत्र का दायरा बढ़ रहा है और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनमें क्लास-एक और क्लास-दो में इनकी नौकरियों का कोटा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब निजी क्षेत्र आ रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं, संविधान के तहत जो मिला हुआ अधिकार है सरकारी नौकरियों में इनके प्रवेश का, वह दायरा धीर-धीरे सिकुड़ता जा रहा है। निजी क्षेत्रों का दायरा बढ रहा है। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो आने वाला निजी क्षेत्र है, चाहे देशी हो या विदेशी, उनमें भी इस कानून को अमल करवाएंगे क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन का, समाज के बदलाव का एक बहुत बड़ा अस्त्र है। इस अस्त्र के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और इस देश के निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को पूरा कराने का प्रयास करेंगे, यह आवश्यक है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, आपको समय देने के लिए धन्यवाद।

श्री मंगलराम प्रेमी (बिजनौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। हमारे दो साथी बोले, उन्होंने आंकड़े दिये, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी ऐसे समाज के लिए एक शब्द भी नहीं बोला कि वास्तव में, हकीकत में यह भी एक समाज है।

उसके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं या जिस कष्ट से गुजर रहा है, उसका निवारण क्या है। वह सफाई कर्मचारी है। आजादी के 45 साल भी सफाई कर्मचारी की क्या पोजीशन है, उसे मैं मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। उसे 10-10 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती, फंड का पता नहीं कहां चला गया, भविष्य निधि का पता नहीं कहां चली गई। सरकार कहती है कि वह अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रही है। मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि उसे ज्यादा दुखी न किया जाए, परेशानी में न डाला जाए। मैं केन्द्र शासन के कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा, नगरपालिका, नोटिफाइड एरिया की बात कर रहा हूं। उसकी हिन्दुस्तान में क्या हालत है। मंत्री जी कहेंगे कि हमने उनके लिए आयोग बनाया है। मैं उस आयोग की हालत भी बताता हूं। इन्होंने नीति जरूर बना दी लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। अनुसूचित जनजाति आयोग बना, उसको फुल-फ्लेज्ड पावर है, बैकवर्ड क्लास का आयोग बना, उसको फुल-फ्लेज्ड पावर है, अल्पसंख्यक आयोग को फुल-फ्लेज्ड पावर है लेकिन सफाई कर्मचारी को इतनी भी पावर नहीं है कि वह किसी अधिकारी से जाकर पूछ ले कि आपने अपने यहां कर्मचारियों का क्या किया। किसी अधिकारी के खिलाफ लिख नहीं सकते, यह उस आयोग की हालत है। एक-एक गाड़ी, वह भी टैक्सी, पकड़ा दी। शाम को कोरे कागज पर दस्तखत करवा लेते हैं। मैं भी उसी आयोग का सदस्य हूं इसलिए बता रहा हूं। 12 अगस्त, 1994 को उसकी स्थापना हुई और उसी दिन उसकी मृत्यु की तारीख तय हो गई कि यह आयोग 1997 में समाप्त हो जाएगा। उस आयोग से बीच के दलालों ने गाड़ियों के जरिए काफी रुपया अपनी तरफ खींच लिया। इसलिए उन गाड़ियों पर कोई पाबन्दी नहीं है। हिन्दुस्लान के सफाई कर्मचारी बहुत खतरे में फंसे हुए हैं, क्या वह आयोग तीन साल में उनकी दशा ठीक कर पाएगा? यदि सरकार की नीयत साफ है तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उस आयोग की सीमा बढ़ाइए जैसे अनुसूचित जाति, दूसरे आयोग का पूरा समय कर दिया।

इसको भी जिंदगी भर ऐसे ही रहने दीजिए, तब तो इनकी समस्या हल हो सकती है, वरना नहीं। आप आयोग को पूरी पावर दीजिए ताकि आयोग अपनी पावर पर काम कर सके। वह किसी अधिकारी से यह पूछ सके कि तुमने सफाई कर्मचारियों को पैसा क्यों नहीं दिया। केन्द्रीय शासन की तरफ से पैसा जाता है, केन्द्रीय सरकार की तरफ से पैसा जाता है, वह प्रान्त में जाकर खप जाता है। अगर यहां से इतना

गया तो प्रान्त में कितना जायेगा, उसका कोई पता नहीं है। जब वहां की प्रान्तीय सरकार से पैसा चलेगा, तो जिले में जाकर डी.एम. के अधिकार में फंस जायेगा और पानी के पतनाले का मुंह अगर इधर को चल रहा है तो उसका मुंह उधर को मोड़ दिया जायेगा। यानि वह उसकी तरफ नहीं जा रहा है, पानी दूसरी तरफ जा रहा है और खेत दूसरी तरफ सूखा है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है।

माननीय मंत्री जी, इस ओर ध्यान दिया जाय, वरना मैं इस हाउस के अन्दर बड़े चेलैंज के साथ आपको कहता हूं कि वह समय आ गया है कि भूखा पेट और उसकी हालत, उसको एक-एक साल तनख्वाह न मिलना, इससे वह अलकसा चुका है। अगर उसने झाड़ू पंजड़ उठाकर फेंक दिया कि उसके सिर पर ही क्यों यह मैला उठाने का काम लिखा है तो एक प्लाइट नहीं, पता नहीं आपको कितने प्लाइट्स का सामना करना पड़ेगा। आप किस तरह हिन्दुस्तान को बचा पाओगे। आज आप जाकर देखिये, जहां-तहां उनकी हड़ताल चल रही है, शहरों के अन्दर कचरे चढ़े पड़े हैं। वह कचरा नही उठा रहे, काम नहीं कर रहे। हमने सारे प्रान्तों में घूमकर देखा कि उनकी क्या हालत है। हम गाड़ी में बैठकर बंगाल से आ रहे थे तो मैं पटना के स्टेशन पर उतरा, वहां से मैं गाड़ी में बैठकर जा रहा था, बिहार का मेरा कोई साथी यहां पर है तो बताये, स्टेशन से गैस्ट हाउस तक जब मैं गया तो मैंने स्वयं अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया, यह हालत बिहार की है। बगांल में वह सिर पर मैला उठाकर चलते हैं, ड्रम के ड्रम उठाकर चल रहे हैं तो उनको देखकर भी शर्म आती है लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं है, इनको इसका पता नहीं है। मैंने सरकार को कई दफा यह सुझाव दिया है कि उनको किसी के ऊपर निर्भर मत करो। वहां नगरपालिका कहती है कि हमारी आमदनी खत्म हो गई, हम कोई पैसा नहीं कमाते तो तनख्वाह कहां से दें, हम बेसहारा हो गये तो आप उनको केन्द्रीय शासन के कण्ट्रोल में लें और उनकी जो तनख्वाह है, वह किसी तरह से भी, स्वास्थ्य विभाग के साथ जोड़कर या मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, डाकखाने के साथ जोड़कर दिलवाई जाय, तब तो उनको महीने का पैसा वहां पहुंच सकता है, उनके फण्ड का पता चल सकता है, वरना उनका कोई पता नहीं है कि क्या होगा।

आयोग को पूरी पावर दी जाये और आयोग के सारे काम किये जायें। इस आयोग के जो चेयरमैन हैं, जिनको पूरी पावर होती है, उनके पास दिल्ली के अन्दर 6 महीने के बाद भी मकान नहीं है। आयोग के किसी सदस्य को मकान नहीं मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो इसलिए मकान मिल गया कि मैं संसद का सदस्य हूं, वरना सब सड़कों पर ही फिर रहे हैं। उनके प्रान्तों के जो भवन हैं, उन्होंने भी जवाब दे दिया कि हम कहां तक आपको रखेंगे इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया है। मेरे अलावा जो पांच दूसरे सदस्य हैं, उनको सब ने जवाब दे दिया ...(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : बड़े अफसोस की बात है।

श्री मंगलराम प्रेमी : आपने तो कह दिया कि अफसोस की बात है, लेकिन अफसोस तो इनको करना चाहिए कि जिस तरह से वह धक्के खाते फिर रहे हैं, उनका क्या आयोग आपने बनाया, इसका उत्तर दें। आपने ऐसा आयोग क्यों बना दिया कि हम किसी से जवाब तलब नहीं कर सकते, हम किसी डी.एम. से नहीं पूछ सकते कि तुमने ऐसा क्यों किया। हमने पूरे प्रान्तों में घूमकर देखा है, हिन्दुस्तान के पूरे प्रान्तों का सर्वे किया है। रांची में जब हम गये तो वहां समाज कल्याण विभाग की तरफ से छपवाई गई किताब हमको मिली, उसमें सारी माइनोरिटी कम्युनिटी खोली गई है, उनके सारे सर्वे बताये गये हैं। यहां हमारा सर्वे क्या आ रहा है, सरकार के सर्वे क्या हैं, जब हमने पूछा कि हिन्दुस्तान के सर्वे क्या हैं तो उन्होंने बताया कि 5 लाख सफाई कर्मचारी तो मैंने कहा कि बिल्कुल गलत।

वह कहने लगा 7 लाख, 9 लाख, तो मैंने कहा बिल्कुल गलत है। हिन्दुस्तान के अंदर सफाई कर्मचारी 10 करोड़ हैं लेकिन वे मानने को तैयार नहीं है। जब हम बिहार में पहुंचे तो मैंने पूछा कि यहां की सर्वे रिपोर्ट क्या है तो उन्होंने कहा 99 है। हमने कहा कि आपके यहां सफाई कर्मचारी कितने हैं तो उन्होंने कहा कि तीन हजार हैं। हमने कहा कि क्या ये ब्राह्मण काम कर रहे हैं, दूसरे कोई लोग हैं। ये सर्वे में कैसे आ गए? स्कूल, जिला परिषद और अस्पताल में भी सफाई कर्मचारी हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सफाई कर्मचारी काम नहीं करता, वे सारे के सारे आंकड़ों में आने चाहिए। यह कौन से नियम से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की गई है? क्या इससे इन लोगों को कोई फायदा पहुंचेगा?

महोदय, गरीब को और गरीब बनाने की बात हो रही है। ये लोग परेशान हैं। इनको रहने के लिए स्थान दीजिए। दिल्ली के अंदर आयोग का चेयरमैन और पांच सदस्य बगैर मकान के रहते हैं, जिनके पास अभी तक रहने के लिए मकान नहीं है। 7 महीने के अंदर इनको कोई मकान नहीं मिला है। ये सड़क पर रह रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आयोग की रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर आनी चाहिए। लेकिन रिपोर्ट कौन बनाएगा, उनके पास न स्टाफ है, न कोई ऑफिस है तो रिपोर्ट बनाने का कोई आधार नहीं है। मेरा यह कहना है कि इसको केन्द्रीय शासन अपने हाथ में ले और स्वास्थ्य विभाग या डाक-तार विभाग द्वारा इनको तनख्वाह दी जाए तथा फंड दिया जाए। इनकी भविष्यनिधि कहीं भी जमा नहीं है। इसलिए मैंने महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय विधेयक रखा है ताकि इन्हें पूरी सुविधाएं मिल सकें। ये बड़े होकर कुछ बन सकें और अपनी स्थिति को सुधार सकें।

महोदय, निधोलीकलां, उ.प्र. से मुलायम जी स्वयं एम.एल.ए. हैं वहां सफाई कर्मचारियों को 24 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तो क्या ऐसा समाज अमीर हो पाएगा? ऐसा समाज अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, अच्छे कॉलेज में बच्चों को ले जाएगा। जब तक समाज में उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक वे ऊपर नहीं उठ पाएंगे और

यह समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। ये लोग दुखी हैं, इनकी ओर ध्यान दीजिए।

महोदय, मेरा कहना यह है कि इनको और परेशान न किया जाए, इनकी ओर ध्यान दिया जाए। ये लोग झाड़ू फेंकने को तैयार हैं लेकिन उन्हें सुविधाएं दीजिए, इनके लिए भी कुछ सोचिए। अगर आप इनकी मदद नहीं करेंगे तो इस आयोग को बनाने से क्या फायदा है? अगर आपने आयोग बनाया है, तो उसको पावर दीजिए, वरना इस आयोग को खत्म कर दीजिए। इतना करने के बाद इसकी बुराई आपके ऊपर से तो उतर गई, क्योंकि आपने आयोग बना दिया, लेकिन इसके जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वे इस दुर्घटना में फंस गए हैं। उनके लिए समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है। या तो आयोग को हटा दीजिए, जैसा भी आप चाहें, कर लें। यदि आयोग बनाया है तो उसको आयोग का दर्जा दें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए नियत समय 4.35 म.प. तक समाप्त हो जायेगा। क्या सभा चाहती है कि समय एक घन्टा बढ़ाया जाये।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : इस वाद-विवाद में आठ सदस्यों ने भाग लेना है। हम समय एक घंटा बढ़ायेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : समय एक घंटा बढ़ाया जाता है और इस वाद-विवाद में आठ सदस्यों ने भाग लेना है। यह आप पर है कि समय की बचत करें और संगत बातें कहें ताकि सरकार सोच सके और आपके सुझावों को क्रियान्वित कर सके।

श्री चाइमा सिंह चुमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : महोदय, आपकी इच्छानुसार, मैं केवल सुझाव दूंगा। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं कामना करता हूं कि इस विधेयक के पारित होने पर हम अपने समाज में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा दे सकेंगे। हम सभी मानते हैं कि हमें राष्ट्रीय हित में समाज के इस वर्ग को अधिक सुविधायें देनी होंगी।

उच्च वर्गों के पदों में स्थानों के आरक्षण का प्रस्ताव सराहनीय है और यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो इससे इन लोगों को अधिक सुविधायें प्राप्त होंगी।

तथापि, मैं उन कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो हमारे सामने आ रही हैं। मैं कुछ प्रतिशत पदों का आरक्षण करने के पक्ष में हूं। लेकिन जहां तक उच्च पदों पर पदोन्नति का सम्बन्ध है, इस पर पुनः विचार किया जाये क्योंकि हमारे सामने प्रशासन चलाने में विशेष रूप से मणिपुर राज्य में कुछ कठिनाइयां आई हैं। अधिनियम में इस प्रकार का प्रावधान है और इस पर अमल करना होगा। मेरे राज्य में लागू नियमों के अनुसार ऐसा होता है कि एक कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी से ऊपर आ जाता है। एक बहुत ही जूनियर प्राध्यापक या अध्यापक प्रिंसिपल या हैडमास्टर से सीनियर हो जाता है। इसी प्रकार, उच्च वर्गों के पदों में भी रोस्टर के अनुसार एक जूनियर एक दर्जन से अधिक अधिकारियों से ऊपर हो जाता है और उस आरक्षण के आधार पर उस सीनियर पद पर आ जाता है। कई बार इससे प्रशासन चलाने में कठिनाई हो जाती है क्योंकि इससे उन लोगों का मनोबल गिरता है जिनका अधिक्रमण होता है। इसलिए, मैं समझता हूं इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

मणिपुर में 33 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं और लगभग दो प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं क्योंकि मणिपुर में अनुसूचित जातियों की आबादी बहुत कम है। इससे अनुसूचित जनजातियों के लोग सामान्य वर्ग के कई वरिष्ठ अधिकारियों से ऊपर आ जाते हैं। जब हम प्रशासन में थे, तो हमारे सामने यह समस्या आई थी। कई बार उन अधिकारियों का मनोबल गिर जाता है जिनके ऊपर जूनियर अधिकारी आ जाते हैं। अतः, मैं प्रस्तावक और सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब इस पर विचार किया जाये तो गहराई से विचार किया जाये और इस समस्या की ओर भी ध्यान दिया जाये। लेकिन सीधी भर्ती के मामले में आरक्षण स्वीकार्य है क्योंकि इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों को बढ़ावा देना है। मैं इसकी सराहना करता हूं और उपरोक्त स्थिति के संदर्भ में इसका समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं इस वाद-विवाद में केवल एक या दो सुझाव देने के लिए भाग ले रहा हूं जो बहुत संगत है। मणिपुर में कुछ ऐसे वर्गों के लोग हैं जिनका नाम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में दर्ज नहीं किया जा सका है। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सूची में दर्ज करने की प्रक्रिया सही ढंग से अपनाई जाती, तो उनको अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समझा जाता। कुछ गलतफहमी या गलत व्यवस्था हुई है या कहीं गलती हुई है जिसके परिणामस्वरूप कुछ पात्र वर्गों को सूची में शामिल नहीं किया जा सका है। इससे समस्यायें आती हैं। इन वर्गों के कई लोगों को वे सुविधायें नहीं मिल रही हैं जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को मणिपुर में मिलती हैं।

जहां तक मणिपुर में सूची में न आ पाये, लोगों का सम्बन्ध है। उदाहरण के तौर पर पाओमाई नामक एक अनुसूचित जनजाति वर्ग है। मैं एक प्रस्ताव रखता रहा हूं और इस सभा में एक विधेयक के माध्यम से भी मैंने इन लोगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है ताकि भूल को सुधारा जा सके और उन लोगों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया जा सके। कुकी लोगों को भी सूचीबद्ध नहीं किया गया है। अतः मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के

कल्याण से सम्बन्धित मंत्री का ध्यान इस मामले की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले का निपटारा शीघ्रातिशीघ्र किया जाये ताकि वे भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाली सुविधाओं और विशेषाधिकारों का लाभ उठा सकें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे मैं इस सभा में उठाना चाहता हूं।

4.42 म.प.

(श्री पीटर जी मरबनिआंग पीठासीन हुए)

अन्त में, इस मसले पर इस चर्चा का लाभ उठाते हुए मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कोटे के कार्यान्वयन का प्रश्न भी उठा रहा हूं। यदि उसे समय पर ठीक ढंग से अमल में नहीं लाया गया तो इस वर्ग के लोगों को कोई अवसर नहीं मिलेगा। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इसकी ओर ध्यान दें। मणिपुर में अन्य पिछड़े वर्गों को सुविधायें प्रदान नहीं की जाती है। उस राज्य में इनको कार्यान्वित नहीं किया जाता है। अतः मैं एक बार फिर मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाता हूं ताकि अन्य पिछड़े वर्गों को दी जाने वाली सुविधायें मणिपुर में भी इन वर्गों के लोगों को उपलब्ध कराई जा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, सरकारी सेवाओं में आरक्षण का सिद्धान्त अब राष्ट्र ने स्वीकार कर लिया है और अब यह देश तथा समूची राजनैतिक प्रणाली की स्वीकृत नीति है। निस्संदेह, यह समय की पुकार के अनुरूप है क्योंकि आज हर समुदाय, हर उप-समुदाय, हर वर्ग या सामाजिक वर्ग प्रशासन में भाग लेने और मेलजोल रखने की आकांक्षा रखता है और वह प्रतिष्ठा तथा पदवी प्राप्त करना चाहता है जो विशेष रूप से हमारे जैसे एक विकासशील देश में प्राप्त होनी चाहिये। ऐसा होना भी चाहिये। यहां जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं उनसे इन्कार नहीं किया जा सकता और उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने इस राष्ट्रीय नीति का कितने गलत तरीके से कार्यान्वयन किया है। हम 45 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान नहीं भर पाये हैं और यह बात हर सेना के हर वर्ग पर लागू होती है। हम प्रायः वर्ग 'घ' के आंकड़े दिखाते हैं लेकिन वास्तव में उनको भी दो भागों में बांट दिया जाता है और एक भाग में सफाई कर्मचारियों को शामिल किया जाता है और दूसरे भाग में सफाई कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाता है। हम बहुत खुश हैं और हम दुनिया को यह दिखाने का प्रयास करते हैं और उन्हें आंकड़े देखने के लिए कहते हैं। हम उन्हें यह दिखाते हैं कि वर्ग घ में सफाई कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के मामले में हमने इन वर्गों के लोगों की आरक्षण से अधिक भर्ती की है। लेकिन तथ्य यह है कि हम वर्ग घ से सफाई कर्मचारियों को निकाल दें तो कोटा काफी हद तक नहीं भरा गया है। इन तथ्यों की सभी को जानकारी है अब अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई हैं। क्या हम इनके मामले में भी वही राजनैतिक चाल चलेंगे?

[हिन्दी]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : स्वीपर्स में नान-एस.सी. भी हैं?

श्री सैयद शहाबुद्दीन : नहीं हैं।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं हम अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में भी वही राजनैतिक चाल चलने जा रहे हैं। कोई व्यक्ति यह पता लगाने के लिए समस्या की तह तक नहीं जाता कि वास्तव में क्या गलती हुई है।

अपने सुझाव देने से पहले, मैं यह बताना चाहता हूं कि उच्च वर्गों के पद, जिनके बारे में यह विधेयक है, अधिकतर पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और कभी कभी सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। यदि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं तो कोई समस्या नहीं होती वही कोटा लागू होता है। जब पदोन्नति द्वारा इन्हें भरा जाता है तो दो तरीके होते हैं। एक है वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर पदोन्नति और दूसरा है गुणों के आधार पर पदोन्नति। गुण एक अस्पष्ट शब्द है और इसका प्रायः दुरुपयोग किया जाता है। हम अपनी सामाजिक प्राथमिकताओं, पूर्वाग्रह और पक्षपातपूर्ण रवैये कारण गुण की ऐसी परिभाषा करते हैं कि विचारण क्षेत्र में वही लोग आते हैं जो किसी न किसी तरह हमारे जैसे होते हैं चाहे इसका कारण स्कूली सम्बन्ध हों या संस्कृति अथवा भाषा दो और वे लोग नहीं आते जो हमारे जैसे नहीं होते। 'हम' और 'वे' की कसौटी गुण की इस परिभाषा पर लागू होती है।

मैं सरकारी सेवा में रहा हूं और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा। हमने कई बार एक अधिक प्रभावी, उचित चयन प्रणाली, गोपनीय रिपोर्ट लिखने की प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया है लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार अभी तक कोई ऐसी सही प्रणाली विकसित करने में सफल नहीं हुई है जिससे गुण के आधार पर चयन या गुण के आधार पर पदोन्नति में व्याप्त दोषों को दूर किया जा सके। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि पदोन्नतियां वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिये और इस प्रयोजन से उन लोगों को निकाल दिया जाना चाहिये जो योग्य नहीं है और बाकी लोगों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जानी चाहिये। संभवतया अन्ततः यही अधिक अच्छा होगा और हमारी आरक्षण नीति को लागू करने में अधिक प्रभावी होगा।

महोदय, उच्चतम न्यायालय ने इन्दिरा साहनी के मामले में यह बात स्वीकार नहीं की है कि पदोन्नति के मामले में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिये। अतः, यह महसूस किया जाता है कि अनुसूचित

जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में भी आरक्षण समाप्त किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि पदोन्नति के मामले में आरक्षण के विरूद्ध जो सामाजिक दवाब पैदा किया गया है, यह उसका एक संकत है क्योंकि तथ्य यह है और हमें भी इस ध्यान में रखना चाहिये कि कई बार पदोन्नति के मामले में आरक्षण से सामाजिक तनाव हुआ है और एक ही कार्यालय के अधिकारी तन्त्र में उत्तेजना पैदा हुई है। इसी वजह से सभवतया देश में आरक्षण विरोधी विचारधारा ने जोर पकड़ा है। कई बार वांछनाय कार्य करने में सामाजिक न्याय के सिद्धान्त और वांछनाय भावना से आरक्षण के सिद्धान्त को लागू करना हो जाता है।

कुछ अन्य पहलू भी हैं। हम विद्यमान रिक्तियों के आधार पर कोटा की गणना करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं कि हर सेवा, हर वर्ग, हर स्तर पर कुल संवर्ग संख्या के आधार पर आरक्षित स्थानों की गणना की जानी चाहिये। आरक्षण का सिद्धान्त कुल संवर्ग संख्या पर न कि विद्यमान रिक्त स्थानों पर लागू होना चाहिये। विद्यमान रिक्त स्थान का सिद्धान्त लागू किया जाता है, तो उम्मीदवार उपलब्ध होने पर भी सभी आरक्षित स्थानों को भरने में 30 या 35 वर्ष लग जायेंगे।

इस प्रकार आरक्षण के सिद्धान्त से बचने का एक और तरीका है। हम वर्तमान रिक्तियों के आधार पर आरक्षण कोटे की गणना करते रहते हैं और कुल संवर्ग संख्या की ओर ध्यान नहीं देते। ये सभी पहलू हमारे सामने हैं। मुख्य समस्या, जो एक सच्चाई है और जिसका आपको सामना करना चाहिये, क्योंकि सच्चाई से बचना मुश्किल है, यह है कि आजादी के 45 वर्ष बाद भी हमारे देश में समाज के कई वर्ग शिक्षा की दृष्टि से इतने विकसित नहीं हैं कि वे हमें पर्याप्त संख्या में योग्य उम्मीदवार दे सकें। ऐसा क्यों है? इसका मुख्य कारण यह है कि हमने रोजगार के प्रश्न पर तो राजनैतिक उद्देश्य से जोर दिया है लेकिन शिक्षा के पहलू की उपेक्षा की है जो संविधान के अन्तर्गत अनिवार्य था। वास्तव में, मैंने सभा में कहा है कि यदि मुझ से पूछा जाता है कि आजादी के बाद और संविधान लागू होने के बाद हमारे गणतंत्र ने सबसे बड़ी गलती कौन सी की है, तो मैं कहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी असफलता 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की पद्धति लागू न करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो जनाधार तैयार हो जायेगा जिससे उच्च पदों के लिए काफी संख्या में लोग उपलब्ध हो सकेंगे। किन्तु, ऐसा नहीं किया गया है। समाज का कोई तबका जितना निचले स्तर का है उसके उतने ही अधिक छात्र बीच में शिक्षा छोड़ देते हैं उसके उतने ही कम बच्चे स्कूलों में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। यदि इस स्थिति को बदला नहीं गया, तो हमें कभी भी पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। यह एक बड़ी त्रुटि है। इसलिए, मैं सबसे पहले सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि यदि सरकार सरकारी सेवाओं में आरक्षण की पद्धति के बारे में ईमानदार है, तो उसे अच्छे स्तर की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तुरन्त लागू करने पर पर्याप्त धनराशि खर्च करनी चाहिये और इस उद्देश्य से सरकार को समाज के निम्न वर्ग के लिए एक अच्छे से विद्यालय खोलने चाहिये और यह देखना चाहिये कि सभी वर्गों के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं समझता हूं कि ऐसा करने पर हमें 10 वर्षों में ऐसे पर्याप्त उम्मीदवार मिल जायेंगे जो रिक्तियों को भरने लायक होंगे।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमने अब तक इन चीजों पर तदर्थ रूप से विचार किया है। हमने 50 प्रतिशत आरक्षण की जो सीमा रखी है वह भी निरंकुश है। मैं समझता हूं कि हमें इसके लिए सही ढंग से जनगणना करनी चाहिये थी। हमने 1931 से यह काम नहीं किया है। हमें प्रत्येक समुदाय की जनगणना करनी चाहिये ताकि हमें पता चल जाये कि प्रत्येक सामाजिक वर्ग की जनसंख्या कितनी है, इसका शैक्षिक और आर्थिक स्तर क्या है और तदनुसार हमें पिछड़ेपन का सूचकांक तैयार करना चाहिये।

पिछड़ेपन का सूचकांक तैयार करने के लिए मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के स्तर को शून्य आधार मानूंगा और सूचकांक 100 रखूंगा। कुछ ऐसे समुदाय हो सकते हैं जिनका सूचकांक 70 या 80 होगा। इस प्रकार उस पिछड़े समुदाय, किसी पिछड़े वर्ग के लिए, जिसकी जनसंख्या हमें ज्ञात है और जिसके पिछड़ेपन का सूचकांक समाज के सभी वर्गों पर लागू एक से मापदण्डों के आधार पर अब तैयार किया जाता है, केवल जनसंख्या को पिछड़ेपन के सूचकांक से गुणा करके आरक्षण कोटा निर्धारित किया जा सकेगा। यदि हमारे पास 10 वर्ग हैं जिनको हम समाज के औसत स्तर की तुलना में पिछड़े वर्ग समझते हैं, तो आप सभी 10 वर्गों के सूचकांक को जोड़ लें, तो आप को हर जिले, हर राज्य, पूरे देश के लिए आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे। इस प्रकार वैज्ञानिक आधार पर सूचकांक तैयार होने पर किसी के मन में यह आशंका नहीं रहेगी कि उनको छोड़ा जा रहा है, या उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है या किसी के मामले में उदारता बरती जा रही है तो किसी की उपेक्षा की जा रही है। यदि सभी वर्गों के पिछड़ेपन का वैज्ञानिक तरीके से निर्धारण करें, तो इस तरह की चीजों की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तदर्थ रूप से 80 या 83 या 73 या 75या 55 के आंकड़े तैयार कर के सभा के समक्ष आना और यह कहना कि इसे संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाये, उचित नहीं हैं। यह तदर्थवाद बहुत ही बुरा है। अतः, हमें यह बात स्वीकार नहीं करनी चाहिये कि कुल आरक्षण हर परिस्थिति में सभी राज्यों, सभी जिलों और पूरे देश में सभी समुदायों के लिए 50 प्रतिशत होना चाहिये। यह कई स्थानों पर 50 प्रतिशत से कम भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि समय बीतने पर पिछड़ेपन का सूचकांक कम हो जायेगा और हमें आरक्षण भी कम करना पड़ेगा; ऐसा समय भी आ सकता है जब किसी समुदाय को आरक्षण की जरूरत नहीं होगी और तब आरक्षण बिल्कुल समाप्त कर सकेंगे। ऐसा काफी समय बाद संभव होगा लेकिन कम से कम सैद्धान्तिक रूप से हर 10 वर्ष बाद जनगणना

के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक उप-वर्ग के लिए आरक्षण कोटा पुनः निर्धारित किया जा सकेगा और इस प्रकार हर 10 वर्ष बाद हमारे सामने नई तस्वीर आयेगी। इसलिए ऐसा हर 10 वर्ष बाद किया जाना चाहिये।

यहां कुछ मित्रों ने अल्पसंख्यक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कम सहभागिता के बारे में उल्लेख किया और उन्होंने यहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इसलामिया का उल्लेख किया। हमें यह बात समझ लेनी चाहिये कि क्या ये अल्पसंख्यक संस्थायें हैं या नहीं? यदि ये अल्पसंख्यक संस्थायें हैं तो इनका लाभ-मैं यह नहीं कहता कि केवल सम्बन्धित समुदाय को जाना चाहिये लेकिन ज्यादातर सम्बन्धित समुदाय को जाना चाहिये। एक कमजोर वर्ग को दूसरे कमजोर वर्ग की लागत पर लाभ पहुंचाने में कोई तुक नहीं है। निस्संदेह, यदि यह व्यवस्था होती कि भारत के मुसलमानों को देश के हर विश्वविद्यालय में 10 प्रतिशत या 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता तो मैं यह कहने वाला पहला व्यक्ति होता कि आरक्षण का सिद्धान्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इसलामिया के मामले में भी लागू होना चाहिये। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसलिए मैं अपने भाइयों से अनुरोध करता हूं कि इन दो विश्वविद्यालयों में हमारे काफी लोग हैं तो उन्हें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिये।

अतः, मैं संक्षेप में कहूंगा कि यथा संभव सभी पदोन्नतियां वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर की जानी चाहिये; आरक्षण कोटे की गणना निश्चित मापदण्ड निर्धारित करके वैज्ञानिक ढंग से की जानी चाहिये और ये मापदण्ड समान रूप से सभी समुदायों और सभी वर्गों पर लागू होने चाहिये और फिर इसका जोड़ करके एक क्षेत्र की आबादी के अनुसार आरक्षण कोटा निर्धारित किया जाना चाहिये या यों कहिये कि उस क्षेत्र की सामाजिक जनसांख्यिकी के आधार पर आरक्षण कोटा निर्धारित किया जाना चाहिये क्योंकि सामाजिक जनसांख्यिकी एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। तीसरे, रोजगारों का वर्गीकरण किया जाना चाहिये और उन्हें क्षेत्रों से जोड़ा जाना चाहिये।

5.00 म.प.

उदाहरण के तौर पर, चौथी श्रेणी के पदों के लिए स्थानीय लोगों की भर्ती की जानी चाहिये; तीसरी श्रेणी के पदों के लिए जिला स्तर पर भर्ती की जानी चाहिये और दूसरी श्रेणी के पदों के लिए राज्य स्तर पर भर्ती की जानी चाहिये और निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के पदों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती की जानी चाहिये। ऐसा करने से प्रशासन कई तरह से आसान हो जायेगा। इसमें अधिवास की समस्या सामने आ सकती है। हम अधिवास के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इस पर विचार किया जा सकता है। यदि एक विशेष जिले में जनजाति लोगों की आबादी 50 प्रतिशत है तो उनके लिए तीसरी श्रेणी के पदों में 7.5 प्रतिशत पद आरक्षित रखने का क्या लाभ है। वे 50 प्रतिशत पदों के हकदार हैं।

अतः, चूंकि सामाजिक सांख्यिकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग है, जैसे ही सरकारी नियोजन का स्तर गिरता है आपको आधार व्यापक बनाना चाहिये और इसे 'आवाद क्षेत्र' के अधिकाधिक अनुरूप बनाना चाहिये। हर वर्ग की सरकारी सेवा को राज्य सेवा हो या केन्द्र सेवा हो – 'आवाद क्षेत्र' से जोड़ा जाना चाहिये और उस 'आवाद क्षेत्र' को समुचित रूप में परिभाषित किया जाना चाहिये। उस 'आवाद क्षेत्र' में आरक्षण उस विशेष 'आवाद क्षेत्र' की सामाजिक सांख्यिकी के आधार पर किया जाना चाहिये। तभी यह ज्यादा सही होगा।

बिहार के कुछ जिलों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। लेकिन जब पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाती है, तो उनमें केवल एक प्रतिशत मुसलमान होते हैं। अध्यापकों की भर्ती भी उस जिले में विभिन्न जातियों की आबादी को ध्यान में रखकर नहीं की जाती। कम से कम प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती के मामले में स्थानीय जनसंख्या का ध्यान रखा जाना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

तीसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से गैर-सरकारी रोजगार की ओर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि क्या संविधान के अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 15 में संशोधन करके गैर-सरकारी रोजगार के मामले में भी आरक्षण प्रणाली लागू की जा सकती है। मेरे विचार से संविधान के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता लेकिन एक अलग कानून बना कर ऐसा किया जा सकता है।

ब्रिटेन में 'कोर' नामक एक संस्था है, जिसको प्राइवेट उद्योग के रोजगार पैटर्न की जांच करने और यह देखने का कानूनी अधिकार है कि वे प्रत्येक आवेदन पत्र पर समुचित विचार करते हैं। जहां तक अमरीका का सम्बन्ध है, वे इस मामले में बहुत सख्त हैं। वहां इस उद्देश्य से न्यायसंगत व्यापार व्यवहार अधिनियम बनाया गया है जिसके अन्तर्गत एक न्यायोचित व्यापार व्यवहार आयोग का गठन किया गया है जिसके द्वारा सरकार प्राइवेट कम्पनियों के रिकार्ड की यह जानने के लिए जांच कर सकती है कि एक कम्पनी में रोजगार के लिए जितने भी आवेदन आये क्या उन पर निष्पक्ष रूप से विचार किया गया और क्या उस कम्पनी या फैक्ट्री में भर्ती के मामले में उस कस्बे या जिले में विभिन्न समुदायों की आबादी का ध्यान रखा जाता है जिसमें वह कारखाना या कम्पनी स्थित है। उदाहरण के तौर पर यदि एक कारखाना या कम्पनी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां दलितों की संख्या अधिक है तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उस कारखाने या कम्पनी में अधिकांश कर्मचारी हब्शी होने चाहिये। यदि उसमें हब्शी कर्मचारियों की संख्या अधिक नहीं होती तो आयोग इस बात की जांच करता है कि क्या सभी हब्शी आवेदकों के साथ तटस्थ व्यवहार किया गया है। हमारी सरकार को भी इस तरह का कानून बनाने पर विचार करना

चाहिये ताकि पिछले द्वार से उन लोगों के लिए कुछ आरक्षण, कुछ सामाजिक न्याय की व्यवस्था की जा सके जो कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों से सम्बन्ध रखते हैं तथा समाज के निम्न स्तर के होने के कारण जिनके साथ प्राइवेट उद्यमों में प्रायः भेदभाव होता है।

अन्त में, एक बात सरकार आसानी से कर सकती है। सरकार के हाथों में काफी संरक्षण हैं- कई आयोग, बोर्ड तथा निगम बनाये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन बोर्डों, आयोगों और निगमों में अधिकारी मनोनीत करने में अवसर की समानता के सिद्धान्त का अनुसरण करती है? मेरे विचार से सरकार ऐसा नहीं करती है। इस समय सभी ऊंचे पदों पर सवर्ण जातियों के लोग आसीन हैं। अतः, माननीय मंत्रियों के पास जो नाम भेजे जाते हैं वे उन लोगों के होते हैं जिनके अच्छे सम्बन्ध होते हैं। मुझे विश्वास है कि जब तक कि मंत्री काफी सावधानी नहीं बरतता। वह इस बात की ओर ध्यान नहीं देता कि जिस सूची पर वह हस्ताक्षर कर रहा है कि क्या उसमें विभिन्न वर्गों के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैं सुझाव देता हूं कि यदि आप उन पदों के लिए लोगों को मनोनीत करते हैं जो आपके सीधे नियन्त्रण में हैं और जिनके लिए कोई परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है तो आपके इस देश के हर समुदाय से पर्याप्त संख्या में योग्य व्यक्ति मिल जायेगें और उनमें से लोगों का चयन कर सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिये कि इन नियमों के विभिन्न पदों पर लोगों को मनोनित करने के मामले में सभी समुदायों के साथ पूरा न्याय हो।

महोदय, मैं इस विधेयक की भावना से सहमत हूं कि आरक्षण कोटे को भरा नहीं गया है; इसकी गणना उचित ढंग से नहीं की गई है और इसे उचित ढंग से लागू नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि स्थिति की मांग यह है कि इन बातों पर अधिक गहराई से विचार किया जाये। मैं पुनः इस बात पर बल देता हूं कि आरक्षण कोटे को भरने की एकमात्र कुंजी यह है कि सभी समुदायों के लोगों को एकसी और उच्च स्तर की शिक्षा दी जाये।

[हिन्दी]

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : चेयरमैन साहब, समय देने के लिये बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1947 से पहले मैं पटियाला में रहता था जो रियासत की राजधानी थी। पढ़ने लिखने के लिये जब 1923 में मैं पहली बार स्कूल गया तो मुझे याद है, उस समय मुझसे पूछा गया कि तू कौन है, तू निम्न जाति का है, इसलिये नीचे बैठ। तू क्यों पढ़ना चाहता है, हम नहीं पढ़ने देंगे, तुम दाखिल नहीं हो सकते। मेरा मतलब है कि उन दिनों अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिये दाखिल नही हो सकते थे। इतने में वहां एक इन्सपैक्टर आ गया जो मुसलमान था। उसने पूछा कि क्या शोर मचा रखा है तो उसे बताया गया कि यह लड़का दाखिल होने के लिये आया है किन दाखिल नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ एक हवलदार गया, उसने कहा कि दाखिल करने वाला रजिस्टर लाओ और मेरा स्कूल में दाखिला हो गया, मैं पढ़ने लगा।

पढ़ाते समय भी हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। पीने के लिय पानी नहीं था, पानी के लिये बहुत दूर जाना पड़ता था। हर मामले में बहुत दिक्कत थी, बड़ी मुश्किल थी। ऐसी मुश्किल सभी हरिजनों के सामने थी।

एक बार किसी ब्राह्मण के लड़के का तौलिया गिर गया। मैं जब घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे वह तौलिया मिल गया और मैंने उसे उठा लिया। वह लड़का तौलिया तलाश करता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा मेरा तौलिया गिर गया है, क्या तुम्हें दिखायी दिया। मैंने कहा कि मुझे यह एक तौलिया मिला है, यदि तुम्हारा है तो ले जाओ। इस पर वह लड़का कहने लगा कि तौलिया तो मेरा है लेकिन इस पर तुम्हारे हाथ लग गये हैं, इसलिय मैं इसे नहीं लेता, तू ही ले जा। आप समझ सकते हैं कि कितना परहेज हम लोंगों के साथ उन दिनों किया जाता था। अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को कोई वजीफा नहीं मिलता था, कोई सुविधा नहीं थी ऊपर से बुरा सलूक होता था।

जब से हमें आजादी मिली है, तब से काफी फर्क पड़ गया है। अब सभी स्कूलों में हरिजनों के बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी नौकरियों में हरिजन आ गये हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क में किसी किस्म की छुआछात नहीं रही, बिल्कुल खत्म हो गयी है। अब हरिजन किसी भी होटल में जाकर रोटी खा सकता है, किसी पार्टी में जा सकता है, उसके साथ किसी तरह का परहेज या गुरेज नही किया जाता। जिस मुल्क में पहले हरिजन को देखना कोई पसन्द नहीं करता था, उस मुल्क में अब किसी तरह का परहेज नहीं होता, इसके लिये मैं मुल्क की हकूमत को, यहां के बाशिन्दों को तथा जो ब्राह्मण बनिये आदि उच्च जाति के लोग हैं, उनका बड़ा मशकुर हूं, उन्हे बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बुरी बातों को त्याग दिया है। अब सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से किसी किस्म का कहीं छुआछात नहीं रहा।

जहां तक काम का सवाल है, गांधी जी ने कहा था कि जब मुल्क आजाद हो जायेगा तो हम जमीनों को नेशनेलाइज कर देंगे। उनका नेशनेलाइज करने का मतलब यह था कि जो जमीन पर काश्त करता है, जमीन उसे दे दी जाये। ज्यादातर जमीने हरिजन काश्त करते थे, उन पर हरिजन खेती करते थे, सारे काम वे करते थे, लेकिन पैदावार को, गंदुम को जमीन का मालिक उठाकर ले जाता था। वर्ष 1950 में इस देश में जब पहली इंटरिम गवर्नमेंट पेप्सू में, कांग्रेस पार्टी की बनी थी तो कर्नल रघुबीर सिंह जी ने 50 हजार एकड़ सरकारी जामीन, नजूल लैंड, हरिजनों में तकसीम कर दी थी। उसके बाद प्रताप सिंह जी कैरो आये और उन्होने भी पंजाब में एक लाख एकड़ गवर्नमेंट की

जमीन हरिजनों को दे दी। जमीन अब भी पड़ी है, कुछ रहती हैं, जो हमारी नई आबादी बनी हैं, सरकार को चाहिये कि जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें वह जमीन ठेके पर ही दे दे। जितनी जमीन उपलब्ध है, उसे हरिजनो में बांट देना चाहिये।

जहां तक सर्विसेज का सवाल है, मैं मानता हूं कि उसमें रिजर्वेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, और ठीक होती है और छोटी मुलाजमत होती है। छोटी सर्विस में होती है। जैसा मेरे भाई ने कहा जो स्वीपर हैं उनमें 101 प्रतिशत रिजर्वेशन है। आज तक 47 साल की आजादी के बाद भी कोई दूसरी कम्युनिटी स्वीपर नहीं बन पाई सिवाय हरिजनों के और वह भी बाल्मीकायों के। पंजाब में अनुसूचित जातियों में 65 जातियां हैं, लेकिन स्वीपर और कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं बन पाया सिर्फ बाल्मीकि ही बन पाए हैं। पहले उनकी तनख्वाह 27 रुपए प्रति माह थी। सरदार प्रताप सिंह कैरो जब मुख्य मंत्री थे, तो वे बैठे और हरिजन एम.एल.एज. को बुलाया और कहा कि उनकी तनख्वाह थोड़ी है। इसलिए उन्होने वहीं बैठे-बैठे इनका वेतन 27 से 100 रुपये माहवार कर दिया। फिर उनका कुछ गुजारा होने लगा। अब भी जो जैसे मुलाजमत हैं, जैसे स्वीपर हैं, उसमें पेंशन तो होनी चाहिए, लेकिन सरकार इंकार कर देती है। वह जब तक करता है करता है फिर नौकरी छोड़ कर चला जाता है या अपने लड़के या लड़की को लगा जाता है। स्वीपर का काम इसलिए भी कोई और कम्युनिटी करने के लिए तैयार नहीं है। वे भूखे मरते हैं। उनको न तो जमीन मिलती है और न इनको ठीक से पढ़ाया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, पढ़ने के लिए 1950 में पांच रुपये वजीफा इन लोगों को दिया गया। मैं उस समय डिप्टी मिनिस्टर था। उस समय जब गिनती कराई गई, तो सिर्फ 1800 बच्चे ऐसे थे जो पढ़ते थे और जिनको वजीफा दिया गया। दूसरे साल इन बच्चों की संख्या 23 हजार हो गई। यानी दो साल में 21 हजार बच्चे और पढ़ने लग गए। अब 1995 में वही पांच रुपया प्रति माह का वजीफा है। कहां 1950 और कहां अब 1995 और वजीफा वही पांच रुपया महीना। ये इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि कांग्रेस वाले जानते हैं कि यदि ये पढ़ गए, तो इनको नौकरी देनी पड़ेगी। ये किसी काम पर लग जाएंगे। सरकार की नीयत ही नहीं है कि इनको पढ़ाए। यदि सरकार पढ़ाना चाहती, तो वजीफे का रेट बढ़ाती। लड़कियों को छः रुपये प्रति माह मिलते हैं। इसमें तो यदि वह रिक्शे से स्कूल जाना चाहे, तो उसका किराया भी नहीं निकलता है। इसलिए मैं सबसे पहले सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि उनका वजीफा बढ़ाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने तो केसरी जी को कल्याण मंत्री बना दिया है। इन्होंने तो बैकवर्ड क्लास के लोगो को रिजर्वेशन दिलवा दिया। इनका अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगो से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि इनको कभी उनके बारे में बोलते हुए या कुछ करते हुए देखा ही नहीं। उनके कल्याण को कभी देखेंगे नहीं, कभी बोलेंगे नहीं। वे कहां बैठते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। कांग्रेस सरकार तो सिर्फ इन लोगों के वोट लेने के लिए है। यह सरकार तो सिर्फ वोट लेना जानती है। वोट आ गए और फिर छुट्टी। इसलिए मैं यही कहता हूं कि पहले इनको एजूकेशन दो। इसके बाद इनके रिजर्वेशन में पूरा ध्यान दो।

उपाध्यक्ष महोदय, रिजर्वेशन को चलते हुए इतना समय व्यतीत हो गया, लेकिन इनके लिए रिजर्व स्थानों को भरा नहीं गया है। इसलिए इन लोगों को चपरासी आदि नहीं बनाया जाता है क्योंकि फिर मुलाजिम यह सोचता है यदि मैंने इसे चपरासी बना दिया तो मुझे पानी कौन पिलाएगा, मैं अपनी रोटी इससे कैसे बनवाऊंगा। इसलिए ये लोग हरिजन को चपरासी भी बनाना पसन्द नहीं करते हैं।जब यह हालत है, तो ऊपर की नौकरी कौन देना पसन्द करेगा। इसलिए रिजर्वेशन आबादी के लिहाज से तो हों, लेकिन इनके लिए जो खाली पद हैं उनको तुरन्त दो-चार साल में भर दिया जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।

50 साल में भी बराबर नहीं आए हैं। कम से कम 100 में से 25 तो हों। बड़ी नौकरियों में तो रिज़र्वेशन हो रहे हैं। पंजाब में 12 जिले हैं, बहुत जोर लगा लें तो भी सिर्फ 2 डी.सी., 2 एस.एस.पी. ही हैं। यह भी बहुत मेहरबानी है कि हरिजन भी डी.सी. बनने लगे। होने तो 6-7 चाहिए थे लेकिन दो से भी कम से कम यह कहने को तो हैं कि स्वीपर भी डी.सी. बना हुआ है। कांग्रेस वाले कुछ करते तो हैं लेकिन 1947 से पहले वाला कांग्रेसी व्यक्ति तो कोई रहा नहीं है, सब बी.जे. पी. के ही भाई हैं। 50 साल उम्र का एक हिस्सा होता है, इतने अरसे में तो वे बराबर आ जाने चाहिए थे, रिज़र्वेशन खत्म हो जाना चाहिए था। जब बराबर आ जाएंगे तो रिज़र्वेशन की कोई जरूरत नहीं होगी।

मैं नरसिंह राव सरकार से अपील करना चाहूंगा कि वे किसी अच्छे वज़ीर को लगाएं, कोई तगड़ा मंत्री ताकि वह रिज़र्वेशन पूरी करवा सके। मुझे तो यहां कोई मंत्री तगड़ा नहीं लगता। ... (व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : आप कोई नाम सुझा दीजिए।

श्री हरचन्द सिंह : तुम लोग इधर की तरफ आते नहीं और इधर कोई है नहीं। वहीं बैठे शोर मचाते रहो।

अंग्रेज तीन आदमियों के सिर पर राज कर गए। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें प्रधान मंत्री को खुद ध्यान देना चाहिए तब ही सब ठीक होगा। केसरी जी से तो चला नहीं जाता, उनको नज़र नहीं आता, इसलिए उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

श्री रामदेव राम (पलामू) : सभापति महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है, इसके लिए मुझे प्रसन्नता है। महात्मा गांधी ने हरिजन नाम बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण भावनाओं के आधार पर रखा था।

लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जैसे ही उच्च वर्ग के लोग हरिजन का नाम सुनते हैं, उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं। नाथू राम ने महात्मा गांधी की एक बार हत्या की थी लेकिन वैसी भावना रखने वाले रोज हजारों बार हत्या करते हैं।

हम बिहार के पलामू जिले से आते हैं। वह उग्रवाद प्रभावित इलाका है। आज अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग उग्रवाद से प्रभावित हैं और उग्रवादी होते जा रहे हैं। वनों में रहते हैं लेकिन उच्च वर्ग का नाम लेकर काम करते हैं। सरकार का उनकी तरफ ख्याल ही नहीं जाता। यदि उनकी गरीबी दूर कर दी जाए तो हम समझते हैं कि उग्रवाद भी समाप्त हो जाएगा। आज लालू प्रसाद यादव, हम और आप सभी हरिजनों का सम्बल लेकर यहां तक पहुंचते हैं लेकिन उनकी शुभकामनाओं पर कभी ध्यान नहीं देते।

हम समझते हैं कि अगर इस ओर सरकार ध्यान दे तो यहां तक आने में भी काफी सुविधा हो सकती है और नीचे से नीचे वर्ग का व्यक्ति भी उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। आज जो प्रतिशत आरक्षण के लिए रखा गया है, उतना भी आज ऊंचे पदों पर नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूं कि उसका भी अनुसरण किया जाय तो अच्छे से अच्छी सेवा, अच्छे से अच्छे लोग कर सकते हैं लेकिन आज लोग मारे-मारे फिरते हैं। आज हम देखते हैं कि छुरे का व्यवहार क्यों होता है, जब आदमी घर आता है तो लगता है कि वह व्यक्ति उच्च वर्ग का होगा लेकिन वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, वह उग्रवाद से प्रभावित है। उसके पीछे बड़े लोगों का हाथ रहता है उसको कैसे फंसाया जाय, कैसे उसको जेल में भेजा जाय और फिर उसका लाभ उठाकर आगे उसको अपनी सेवा में लेने का भी प्रयास करते हैं।

आज विधान सभा और लोक सभा में जो हम आते हैं, हम यह समझते हैं कि हम अनुसूचित जाति की सेवा करते हैं लेकिन उसी समय तक उनकी सेवा करते रहते हैं, जब तक उनसे लाभ होता है और जैसे ही लाभ प्राप्त करते हैं, उसके बाद उनका नाम लेना भी भूल जाते हैं।

अभी-अभी हमारे साथी ने कहा कि जो बिल्कुल नीचे वर्ग के लोग हैं, जो अपने सिर पर मैला उठाकर फैंकते हैं, आज उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। आज हमारे इलाके में तो लोग क्रिश्चियन होते जा रहे हैं, वहां मिशनरी काम कर रही हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उच्च वर्ग के लोग विभाजन के दृष्टिकोण से देखते हैं, आज समाज में जो विभाजन हो रहा है, इसका कारण क्या है। आज उनकी तरफ हमारा जरा भी ध्यान नहीं है कि हम उन्हें अपने बराबर समझें, अपने साथ बैठाकर उनको भोजन करायें, उनका छुआ हुआ पानी पियें। अभी भी हमारे इलाकों में काफी विभेद हैं, जिसके परिणामस्वरूप आज उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है। आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि वह उस ओर यदि ध्यान दे और उग्रवाद प्रभावित होने से उनको बचाया जाय।

आज अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अच्छी नौकरी नहीं मिलने के कारण जंगलों में रहते हैं। जंगलों में वह गेठी और केना खाकर रात्रि को घरों में घुसकर चोरी करते हैं। इसका कारण क्या है कि हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, सरकार ध्यान नहीं देती है। आज हर नीचे वर्ग के आदमी के मन में एक कसक है कि हम उनकी सेवा करें, मगर उनके पास शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। सरकार चाहे तो उनको सक्षम बनाकर, समकक्ष लाकर उनसे राष्ट्र की काफी सेवा करा सकती है।

इस सारे मामले को देखते हुए मैंने आपके माध्यम से सरकार से आग्रह किया है, नहीं तो जैसा तुलसीदास जी ने लिखा है :

"तुलसी हाय गरीब की, हरसू सहा न जाय,
मुई खाल की श्वास से, लौह भस्म हो जाय।"

लोहे जैसा कड़ा पदार्थ भी गरीबों की आह से भस्म हो जाता है। हम और आप जो गद्दी पर बैठते हैं, उनको भस्म होने में कोई देर नहीं लगती है, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनकी ओर अवश्य ध्यान दें। ऐसे ही अग्निपुराण में लिखा है :

"न देवा दण्डमायाद रक्षन्तु पशुपालवन्त,
यन्तु रक्षन्ति इच्छान्ति शक्तया विभूषितम्।"

भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, उसको शक्ति दे देते हैं। आज सरकार सक्षम हैं, वह उनकी सेवा कर सकती है लेकिन सेवा करने की भावना उसमें नहीं है। अगर उनकी दिल और जान से सेवा की जाय तो मैं समझता हूं कि उनको आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है।

इन सारी बातों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, डा. पी. वल्लाल पेरूमान साहब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ऊंचे पदों पर आरक्षण के लिए जो बिल लाये हैं, मैं इसके समर्थन में बोलना चाहता हूं।

आज सरकार के 38 विभागों में से केवल दो सचिव ही अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति के रखे गये हैं। जहां यह आरक्षण कम से कम पांच प्रतिशत इसमें रहना चाहिए, वहां पांच प्रतिशत आरक्षण भी नहीं रखा गया है। इसी तरह 245 सरकारी उपक्रम हैं, यहां भी इनकी संख्या नगण्य है।

आदमी दो तरह से अमीर होता है। एक धन से अमीर होता है और एक मन से अमीर होता है। जो अनुसूचित जनजाति के लोग धन से अमीर भी रहते हैं तो मन से गरीब रहते हैं इसलिए उनके लिए आरक्षण जरूरी है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आरक्षण जनसंख्या के आधार पर देना चाहिए। आज भी आरक्षण 22 प्रतिशत ही दिया जा रहा है, जबकि

1991 के सैंसस के अनुसार उनकी आबादी 26 प्रतिशत हो गई है। हम उनको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। जब आरक्षण की बात चलती है, तो उनको प्रोन्नति में भी आरक्षण देना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के समय में जो सी.आर. लिखी जाती थी, वह इसलिए लिखी जाती है कि वह आदमी अंग्रेजों के प्रति लायल है या नहीं। आज जो सी.आर. लिखी जाती है, उसमें जातियता का पुट होता है और यह भी कोशिश की जाती है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अच्छा काम करते हैं, उनकी प्रोन्नति न हो। इसलिए जानबूझ कर उनकी सी.आर. को खराब किया जाता है। सी.आर. लिखते वक्त सारी चीजें लिखी जाती हैं, जैसे बहुत ही एफिशियेंट है और अच्छा है, लेकिन अंत में लिख दिया जाता है-वह अकुशल है, ऐसा लिखने पर उनकी प्रोन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 45 वर्ष हमारे देश को आजाद हुए हो गए हैं, अब हमारे देश में अंग्रेज नहीं रहे, इसलिए अब सी.आर. नहीं लिखी जानी चाहिए। सी.आर. लिखने की प्रथा को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए और एक नए सिरे से कार्रवाई करनी चाहिए।

आरक्षण के लिए हम लोग काफी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। सफाई मजदूरों के बारे में बात कही गई है। सरकार की नई आर्थिक नीति भी आई और 1991 में जो रेलवे का बजट प्रस्तुत किया गया था, उसमें सफाई कर्मचारियों के बारे में भी कहा गया था।

उसकी वजह से जो 70 हजार सफाई कर्मचारी रेलवे में काम करते हैं, उनका निजीकरण हो गया। जब निजीकरण हो गया, तो प्रश्न यह पैदा हुआ कि उनको रखें या नहीं रखें। मंत्री जी ने कहा कि उनको रख लिया जाएगा। लेकिन हुआ यह कि देश में बेकारी है और जिस एक को तीन हजार वेतन मिलता था, दूसरा दो हजार में काम करने के लिए तैयार है और जिस दूसरे को दो हजार वेतन मिलता था, दूसरा डेढ़ हजार में काम करने के लिए तैयार है और जिस तीसरे को एक हजार वेतन मिलता था, तीसरा इससे भी कम तनख्वाह में काम करने के लिए तैयार है। इस प्रकार जब सब छट जाएगा, तो सब काम पर नहीं रहेंगे। इसलिए निजीकरण से आरक्षण का मुद्दा समाप्त होने वाला है। इसलिए हमको कानून में कुछ परिवर्तन लाकर इस समस्या को हल करना होगा, चाहे बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हों या निजीकरण के नाम देशी कम्पनियां हों। इसके साथ ही पांच वर्ष के जो उद्योग विभाग के सरकारी आंकड़े हैं और सारे जो निजीकरण होने जा रहे हैं और जब हमारे सारे उपक्रमों का निजीकरण हो जाएगा, तो आरक्षण देने के लिए हमें संविधान में परिवर्तन करना होगा और इन गरीब लोगों को बचाना होगा।

कहा जाता है कि दल तीन तरह से चलता है-एक, उनके नेता रहते हैं; दूसरे उनकी नीति रहती है और तीसरे, उनकी नीयत रहती है। सरकार के हम नेता बना लेते हैं और उनकी नीति भी रहती है और जब नीयत खराब हो जाती है, तो मामला गड़बड़ा जाता है। आरक्षण के मामले में अगर नीयत खराब हो जाए, तो सब खराब हो जाता है। छोटे पद चाहे चपरासी को हों या मास्टर के पद या अन्य, इनमें भी कोटा पूरा नहीं भरा जाता है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों का जितना भी बैकलॉग है, वह भी भरना चाहिए। आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो या विधायिका हो, जब लोक सभा में होता है, तो काउन्सिल में क्यों नहीं हो सकता है। वहां भी आरक्षण को लागू करना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि पिछले दस वर्ष के अनुपात के अनुसार इन लोगों की संख्या बढ़ा कर करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनको अपनाकर नहीं चलेंगे, तो देश टूटने वाला है। जब देश टूटेगा तो उसको कोई बचाने वाली नहीं होगा। इसलिए हमको देश को बचाना है और राष्ट्र को एक रखना है या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और पिछले वर्ग के जो लोग हैं, उन सब को एक रखना होगा।

इस देश में अजीब हालत है जो कम काम करता है उसको ऊंची जाति का कहा जाता है और जो अधिक काम करता है उसको नीची जाति का कहा जाता है। डा. लोहिया ने कहा था, "ऊंची जाति की क्या पहचान, गिट-पिट बोले, करे न काम और पिछड़ा वर्ग का यह पहचान कि काम करे और सहे अपमान।"

महोदय, पेरूमान साहब जो विधेयक लाए हैं इसको पास किया जाए। इनको ऊंचे पदों में सरकारी विभागों में जगह दी जाए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मुझे श्री कालिया पेरूमल द्वारा पेश किये गये इस विधेयक पर विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया गया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि कुछ विधेयक और संकल्प बहुत अच्छे अथवा बहुत सरल लगते हैं लेकिन वे ऐसे होते नहीं है। उनमें कोई न कोई समस्या अवश्य होती है। सभा में उनको स्वीकार करने से उनके दूरगामी परिणाम सामने आते हैं। साथ ही कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिनका न तो विरोध किया जा सकता है और न ही समर्थन किया जा सकता है। मेरी समझ में यह विधेयक इसी श्रेणी में आता है। निस्संदेह, यह एक अच्छा विधेयक है। इससे इस सभा के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन इस विधेयक के प्रावधानों पर विचार करें तो यह कहना बहुत कठिन है कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत स्थान पदोन्नति के लिए आरक्षित किये जायें। मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं सामाजिक अन्याय के विरूद्ध हूं।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है और अभी भी इस पर छः सदस्यों ने बोलना है। सभा की

राय हो तो हम इस विधेयक के लिए एक घन्टा समय बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : अतः, इस विधेयक के लिए समय एक घन्टा बढ़ाया जाता है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। महोदय, मैं यह कह रहा था कि समाज में असंतुलन को समाप्त करने, समाज में असमानताओं को समाप्त करने के लिए सभी उपाय किये जाने चाहिये। हमें समानता पर आधारित सामाजिक ढांचे की स्थापना करने का प्रयास करना चाहिये। कई शताब्दियों तक हमारे समाज के लोग बड़ी संख्या में पिछड़े रहे हैं-हम जानते हैं कि वे क्यों पिछड़े रहे हैं और मुझे इस बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। वे लोग दलित और कमजोर वर्गों के हैं। उन पर अत्याचार किये गये और आजादी के 48 वर्ष बाद आज भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार किये जा रहे हैं।

महोदय, इस विशेष विधेयक में सरकारी सेवाओं के उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। महोदय, हमारा अपना संविधान है जो हमारे लिए गीता और बाइबिल है। सरकार का संचालन करते समय हम अपने संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी कारण से वह संविधान के निर्माता पुकारे जाने लगे। आरक्षण के बारे में संविधान में बड़े स्पष्ट प्रावधान हैं। संविधान के अनुच्छेद 335 में प्रावधान है कि :

> "संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जायेगा"।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 16(4) में यह प्रावधान है:

> "पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है"

महोदय, इन प्रावधानों के अनुसार में, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हाल ही में ऐसा मामला उच्चतम न्यायालय के सामने आया और उच्चतम न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में इसके बारे में कुछ दिशानिर्देश दिये हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि :

> "आरक्षित पदों को भरने के पश्चात्, संवर्ग में रिक्त होने वाला कोई पद उसी वर्ग के व्यक्तियों से भरा जायेगा जिसकी सेवानिवृत्ति अथवा त्यागपत्र से वह स्थान रिक्त हुआ।"

महोदय, उच्चतम न्यायालय ने आगे यह टिप्पणी की है कि :

> "संवर्ग के सभी पदों के भरे जाने तक रोस्टर चालू रखा जाना था और तत्पश्चात् संवर्ग में खाली होने वाले पदों को उसी वर्ग के व्यक्तियों से भरा जाना था जिनकी सेवानिवृत्ति आदि से स्थान खाली हुआ।"

अतः, समय-समय पर इन वर्गों के व्यक्तियों की संख्या और प्रतिशत का पता लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने दिशानिर्देश, फार्मूले, आदि निर्धारित किये हैं। जब कभी सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति होता है और उसके लिए भी यदि ऐसा दावा किया जाता है, तो इससे संवर्ग में असामान्य स्थिति पैदा होगी। इसी कारण से मैंने अनुच्छेद 335 तथा अन्य चीजों का हवाला दिया। भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी उच्च सेवाओं में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इन उच्च सेवाओं के बारे में भी उच्चतम न्यायालय ने अपने निष्कर्ष दिये हैं। हम जानते हैं कि आई.ए.एस., आई.पी.एस. और राज्य सिविल सेवाओं के लिए जो परीक्षायें ली जाती हैं वे सभी उच्च पदों के लिए न कि निम्न पदों के लिए होती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा एक उच्च सेवा है और उसके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अतः, यह कहना सही नहीं होगा कि उच्च पदों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या पदोन्नति के मामले में भी हमें आरक्षण का प्रावधान करना चाहिये। इस मामले में कुछ अनुशासन की आवश्यकता है। जीवन के हर पहलू में विशेष रूप से सेवाओं में हमें अनुशासन रखना चाहिये। हम अनुशासन नहीं रखेंगे तो प्रशासन को सही दिशा में ले जाना कठिन हो जायेगा। इसके लिए न केवल केन्द्र में, अपितु राज्यों में भी मंत्री हैं। सभी विभागों और मंत्रालयों में प्रायः सभी समुदायों के कर्मचारी हैं। हमारे पास अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य समुदायों के कर्मचारी हैं।

हम कई बार भावुक बन जाते हैं। भावनाओं का अपना स्थान है लेकिन इसके साथ औचित्य को भी महत्व दिया जाना चाहिये।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ मामलों में औचित्य को भावनाओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। मैंने इस मामले पर विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, मंत्रियों और राजनैतिक दलों से बात की है। होता यह है कि उदाहरण के तौर पर पुलिस विभाग में एक पुलिस उप-अधीक्षक हैं। वह सवर्ण जाति का हो सकता है। एक सब-इंस्पेक्टर आता है और उसके नीचे काम करता है। उसकी भर्ती आरक्षित कोटे से की गई है। चूंकि वह आरक्षित वर्ग में आता है, उसे दो या तीन पदोन्नतियां दी जाती हैं और वह उस पुलिस उप-अधीक्षक की सेवानिवृत्ति से पूर्व, जिसके अधीन उसने अपनी सेवा शुरू की,

पुलिस अधीक्षक बन जाता है। ऐसा होता है लेकिन इससे मनोबल गिरता है। यह कुल मिलाकर समाज के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन सामाजिक न्याय भी होना चाहिये और साथ ही अनुशासन तथा स्तर भी बनाये रखा जाना चाहिये। इनमें तालमेल लाना आवश्यक है।

जहां तक विशेष अभियान चलाकर रिक्त स्थानों को भरने का सम्बन्ध है, मैं भी उन मित्रों के साथ हूं जिन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को न भरे जाने पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। इन रिक्त स्थानों को भरा जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में गम्भीर प्रयास किये जाने चाहिये। निस्संदेह, विशेष अभियान चलाये जा रहे हैं। उसके बावजूद, कुछ मामलों में बहुत से ऐसे रिक्त स्थान हैं जो काफी समय तक नहीं भरे जाते। शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों को और सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये और इनके लिए पढ़ाई की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि कमजोर वर्गों के उम्मीदवार अर्हता प्राप्त कर सके। इसी तरह के अन्य क्षेत्र भी हैं। मैं उच्चतम न्यायालय का निर्णय उद्धृत करता हूं :

> "इसका अर्थ यह होगा कि ऐसी स्थिति में रिक्त स्थान सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से भरे जा सकते हैं। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने न केवल आरक्षण फार्मूले में असंगति को दूर किया है अपितु संगत संवैधानिक प्रावधानों की व्यावहारिक व्याख्या करके परस्पर विरोधी हितों के दावों में संतुलन तथा सामंजस्य स्थापित किया है। कतिपय वर्गों के तकनीकी पदों और सेवाओं में पदोन्नति के मामले में आरक्षण नियम लागू करने की अनुमति न देकर उच्चतम न्यायालय ने प्रशासन की गुणवत्ता और कार्यकुशलता के पहलू पर अभी तक काफी ध्यान दिया है उच्चतम न्यायालय ने कतिपय वर्गों के तकनीकी पदों और सेवाओं में आरक्षण नियम लागू न करने का सरकार को भी परामर्श दिया है।"

हमारी सशस्त्र सेनाओं में, चिकित्सा सेवाओं, आदि में कुछ तकनीकी पद हैं। स्वास्थ्य हमारे लिए बहुमूल्य है। वास्तव में स्वास्थ्य ही पूंजी है। यह बिल्कुल सही है। जहां तक पदोन्नति का सम्बन्ध है, सरकार नीति निर्णय लेकर दे सकती है लेकिन वरिष्ठता और कार्यकुशलता का अपना महत्व है। पिछड़ापन दूर करने और जनता के सभी वर्गों, विशेष रूप से पिछड़े और कमजोर वर्गों, आदि के साथ न्याय करने की अविलम्ब आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाये। न केवल भारत सरकार में, अपितु अन्य स्थानों पर भी हमारे सामने कई मामले आये हैं। हमारा राज्य प्रशासन से भी सम्बन्ध रहा है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी व्यवस्था ऐसी है कि इसमें निर्णय भारत सरकार द्वारा लिये जाते हैं। नीति निर्णय तो राष्ट्रीय स्तर पर लिये जाते हैं लेकिन उनको अमल में राज्य सरकारें लाती हैं। राज्य सरकारें जो चलाते हैं, वे अर्थात् मुख्य मंत्री भी दुःखी हैं कि उनसे इन सभी मामलों में परामर्श नहीं किया जाता। अतः, उचित यह होगा कि ऐसे मामलों पर एक सामान्य चर्चा करके कोई सर्वसम्मत निर्णय लिया जाये। जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा, यह एक बहुत ही नाजुक मामला है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिये कि समानता के आधार पर एक संतुलित समाज का निर्माण हो। जैसा कि मैंने पहले कहा, डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिनको कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्ग के लोगों का मुक्तिदाता समझा जाता है, इस संविधान का निर्माण किया था। यह संविधान उनकी रचना है और संविधान के अनुच्छेद 335 में जो प्रावधान है वह भी महत्वपूर्ण है। अतः, इसमें सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिये। यदि आवश्यक हो, तो इस पर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए।

मंत्री महोदया को सभी मुख्य मंत्रियों और विरोधी पक्ष के सभी नेताओं का एक सम्मेलन बुलाना चाहिये ताकि विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से इस नाजुक मामले पर विस्तार से विचार किया जा सके। यह मेरा सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस बिल को बहुत पहले लाना चाहिये था लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। मैं इसके लिये माननीय सदस्य डा. वी. वल्लभ पेकमान को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, आरक्षण की व्यवस्था पूरा तरह से लागू न होने के कारण यह विधेयक लाया गया है। देश के अंदर प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के आरक्षण का बैकलाग किसी भी विभाग में पूरा नहीं किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश से चुन कर आया हूं जहां पर अभी तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। खुले-आम उनके साथ बलात्कार किया जाता है। आजादी को 47 वर्ष बाद भी उनके साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार किया जा रहा है। सरकार ने अब तक जितने भी कानून बनाये हैं, उनका पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है। अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनको अभी तक भी शिक्षण संस्थाओं में अलग बैठाया जाता है उनको अलग भी वह भागीदारी नहीं मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लिये शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इस बात को दावे के साथ कहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों को वंचित किया जा रहा है। यदि इन लोगों को सारी सुविधायें दी जातीं तो यह स्थिति न होती। सरकार की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण आज अनुसूचित जाति के लोग पिछड़े हुये हैं।

सभापति महोदय, अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, इलाहाबाद में महिलाओं के साथ ज्यादतियां की गयी हैं मैंने स्वयं देखा है कि जो अनुसूचित जाति की महिलायें पढ़े पर बाल भारती भी उनके साथ बुरा सलूक किया गया। इसलिये कि वे अनुसूचित जाति की हैं।

वहां पर 17-17 साल की कन्याओं के साथ बर्बरतापूर्ण अन्याय किया गया है। इस प्रकार भारतीय नारी का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। मैंने उन पर होने वाले अत्याचारों की बात इस सदन में उठायी थी कि आगरा में भट्टों पर उनके साथ अत्याचार किया गया है। यह समाज के अंदर एक कोढ़ की भांति फैलता जा रहा है।

समाज में यह कोढ़ किन-किन जगहों पर है यह हमें देखना है। आजादी के 47 वर्षों के बाद भी हमारे यहां ऊंच-नीच जारी है। यह सरकार पिछले 47 वर्षों से सत्ता में रही है लेकिन इस कोढ़ को दूर करने के लिए जिस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वह नहीं की गई। हम इससे चिन्तित हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज आरक्षण की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। हमारे यहां हालत यह है कि अगर कोई अनुसूचित जाति का थानेदार है और कोई पंडितजी उसकी लाठी के नीचे आ गए तो वह उसको बता देगा कि अनुसूचित जाति क्या होती है। आज समाज में इस मानसिकता को ठीक करना जरूरी है। इसके लिए भारत सरकार और संबंधित प्रदेश सरकारें दोषी हैं। इसके लिए भी व्यवस्था होना अनिवार्य है। आरक्षण होना ठीक है पर समाज में जो ऊंच-नीच की दीवारें बनायी जा रही हैं इनसे हम चिन्तित हैं। इसके लिए सरकार को भी चिन्ता करनी चाहिए। अनुसूचित जाति और पिछड़े इलाकों की शिक्षा के लिए सरकार को ठीक व्यवस्था करनी चाहिए। आज वे लोग शिक्षा से वंचित हैं। इस बात को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर समाज में इनके ऊपर अत्याचार और दुराचार इसी तरह से होते रहे तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हमारे समाज में हो सकता है। इसलिए भारत सरकार को अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रति विशेष ध्यान देना होगा। कानून बना देने और उनको पास करा देने से कुछ होने वाला नहीं है। कानून बने और सरकार उनसे सख्ती से निपटे तभी कुछ लाभ होगा।

सभापति महोदय, हमारे भाई मंगल राम प्रेमी जी कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी 75 प्रतिशत सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हम इसको भारत की आजादी कैसे कह सकते हैं जबकि सफाई कर्मचारी सबका मैला सिर पर ढोते हैं और उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है? धिक्कार है उस प्रदेश सरकार पर जो अनुसूचित जाति के सिर पर मैला ढोने वाले लोगों को उनकी तनख्वाह नहीं दे रही है। 20 हजार करोड़ रुपया सरकार के ऊपर बाकी है यह भी निन्दनीय बात है। मजदूर अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सबका मैला अपने सिर पर ढोता है। भारत की संसद में अंग्रेजी बोलने से वह अमेरिका नहीं बनेगा। जब तक इन गरीबों के ऊपर भारत सरकार की कृपा भावना नहीं बनेगी तब तक उनका उद्धार होने वाला नहीं है। भाषण देने से यह बात बन जाती तो 1947 से ये लोग भाषण ही देते आए हैं। इन लोगों के दुख-दर्द की ओर ध्यान देना पड़ेगा। आजादी के बाद जो शिक्षा इन लोगों को मिलनी चाहिए थी वह इनको उपलब्ध नहीं हो पायी। 1975 में हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भूमिहीनों में जमीन बांटने का काम किया था लेकिन वह जमीनें आज भी गरीबों को मुहैय्या नहीं हो सकीं। इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के ट्राइबल इलाकों में तमाम ऐसी जमीन का समतलीकरण कराकर गरीबों में बांटा जाए और उच्च स्तर के प्रथम श्रेणी वर्ग में उनके आरक्षण को पूरा किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना भाषण को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

6.00 म.प.

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, आप कल्पना कर सकते हैं कि यह विधेयक 8 मई, 1992 को पुरःस्थापित किया गया था। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और उत्थान तथा उनके कल्याण के उपायों को देर तक खींचा जा रहा है।

यह विधेयक सेवा कर रहे अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। आजादी के बाद सरकार ने विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में कल्याण सम्बन्धी काफी उपाय किये हैं लेकिन बहुत से कार्यक्रमों का कार्यान्वयन नहीं किया गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार, वर्ग 'क' के 6.4 प्रतिशत, और वर्ग 'ख' के 9.05 प्रतिशत लोग हैं जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' के पदों में क्रमश : 1.5 प्रतिशत और 2.53 प्रतिशत लोग हैं। इस समय यह स्थिति है। यह हमारे देश के लिए शर्म की बात है। स्वाधीनता प्राप्त करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों का स्तर ऊंचा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता वचनबद्ध हैं। लेकिन रिक्त स्थानों में आरक्षण का ईमानदारी से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। तथापि, सरकार इसका ईमानदारी से कार्यान्वयन करती तो भी आरक्षण कोटे को भरना संभव नहीं होता क्योंकि शिक्षा पद्धति त्रुटिपूर्ण है। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों का औसत 70 प्रतिशत है और अनुसूचित जातियों के मामले में यह औसत 90 प्रतिशत है।

प्रो. रासा सिंह रावत : आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

सभापति महोदय : डा. असीम वाला, कृपया अपना भाषण जारी रखें। माननीय सदस्य उनके भाषण में व्यवधान न डालें।

डा. असीम बाला : आज कल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के काफी लोग बेरोजगार हैं। इंजीनियरी, चिकित्सा, कृषि और सम्बद्ध विज्ञान के क्षेत्रों में भी प्रतिशत इतना अधिक है कि काफी युवा बेरोजगार हैं। इस प्रकार आरक्षण नीति का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ने जो कुछ कहा है, मैं उससे सहमत हूं। कई बार यह होता है कि किसी विभाग में अनुसूचित जातियों के लोगों को आरक्षण का लाभ होता है और वे ऊपर आ जाते हैं। जिससे वरिष्ठ लोगों को वह पद नहीं मिलता। इससे उनमें रोष पैदा होता है। सरकार को कोई उपाय सोचना चाहिये कि लम्बी अवधि तक काम करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को पदोन्नति न होने और अचानक बीच में अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के आ जाने और पद प्राप्त कर लेने से जो रोष पैदा होता है, उस पर कैसे काबू पाया जाये। सरकार की बड़ी ईमानदारी से इस मामले पर विचार करना चाहिए ताकि अनुसूचित जतियों के लोग भी नाराज न हों और वे लोग भी दुःखी न हों जिनकी सेवा अधिक हो गई है।

बैंकों, रेलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण का प्रावधान है। डाक और तार विभाग में भी आरक्षण का प्रावधान है। वास्तव में, इन क्षेत्रों में काफी लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन आज कल रेलों, डाक सेवा और बैंक सेवा आदि जैसे क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को नहीं लिया जाता है। सरकार को उन्हें इस क्षेत्र में भी अवसर देना चाहिये अथवा अन्य क्षेत्रों में उन्हें रोजगार देने के लिए उन क्षेत्रों पर भी आरक्षण नीति लागू करनी चाहिए।

मैं एक और बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की पदोन्नति के बारे में कहना चाहता हूं। कुछ कार्यालयों में रोस्टर रखा जाता है लेकिन उस रोस्टर का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। कहीं-कहीं तो अच्छे अधिकारी हैं लेकिन कहीं-कहीं चालाक अधिकारी हैं तो रोस्टर प्रणाली का ठीक ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को नहीं भर रहे हैं। वे रिक्तियों की संख्या में हेरफेर कर देते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस प्रकार का अन्याय तथा अनियमितायें न हों।

मैं एक और प्रश्न जो उठाना चाहता हूं वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के बारे में है। वे रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। यदि किसी पद के लिए आवश्यक योग्यता मैट्रिक, बी.ए. या एम.ए. होती है, तो ऐसे बहुत से उम्मीदवार नहीं मिलते जिनके पास यह योग्यता हो। इस प्रकार कई बार आरक्षण तो होता है लेकिन अपेक्षित योग्यता रखने वाला कोई उम्मीदवार नहीं मिलता। विशेष रूप से प्रबन्धन अथवा धातु-कर्म अथवा अन्य क्षेत्रों में इन पदों का विज्ञापन दिया जाता है और उन्हें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखा जाता है लेकिन इन पदों को भरने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलते। इस प्रकार कुछ चतुर अधिकारी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे ऐसे हेराफेरी करते हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। अतः, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये।

एक और बात मैं बकाया चले आ रहे खाली पदों के बारे में कहना चाहता हूं। एक बार 1992 या 1993 में बकाया चले आ रहे खाली स्थानों को भरने के लिए काफी पदों का विज्ञापन दिया गया था लेकिन इन खाली स्थानों को भरा नहीं जा सका। लगभग 12 हजार रिक्त स्थानों का विज्ञापन दिया गया था लेकिन वास्तव में केवल बारह सौ स्थानों को भरा गया। हमारी आरक्षण प्रणाली में इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। यदि हम इन आरक्षित पदों को भरने के लिए ईमानदारी से लोगों की भर्ती नहीं करते, तो ये रिक्त स्थान वर्षों तक खाली रहेंगे। कई शताब्दियां बीत जायेंगी लेकिन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित पद खाली पड़े रहेंगे। मुझे आशा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास करेगी कि आरक्षण कोटा बनाए रखा जाए और इसे भरा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, सदन में जो बिल विचार के लिये आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। सबसे पहली बात सुझाव के तौर पर मैं अपने इस विचार से प्रारम्भ करता हूं कि 1947 से, जब हमें आजादी मिली, आज 47 साल हो गये हैं, और आरक्षण का मामला बार-बार यहां उठाया जाता है। जब हमने अपने देश के संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था कुछ सालों के लिये की थी और उसे जिस तरह आज तक बढ़ाते चले जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि सचमुच में हम आरक्षण की व्यवस्था को इतने दिनों तक नहीं ले जा सकते थे तो सरकार को देखना चाहिये था कि जिन्हें हमने आरक्षण देना है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को दूसरो के समान स्तर पर कैसे लायें। जिस तरह आज कार्यवाही चल रही है, उस गति से ये लोग कभी समान स्तर पर नही आयेंगे।

अगर उनको कुछ आरक्षण मिलता भी है, तो जो लोग समान स्तर पर आ गए हैं, उन्हीं के बाल-बच्चों को घूम-फिर कर यह फायदा मिलता है, लेकिन जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनको यह नहीं मिलता है। अगर आप अनुसूचित जनजाति के लोगों को देश भर में जाकर देखें, तो आपको पता चलेगा कि उनकी कितनी दयनीय दशा है। आप पटना चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, स्टेशनों पर छोटे-छोटे बच्चों को देखेंगे जो जंगल के सामान बेचते हुए आपको मिल जाएंगे। जब तक इन लोगों को समान स्तर पर लाने के लिए प्रयास नही करेंगे, तब तक इन लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, हम शुरू से निवेदन कर रहे हैं कि जब तक इनकी पढाई-लिखाई की पूरी व्यवस्था नहीं होगी, तब तक इनकी यही दशा बनी रहेगी और यही धंधा चलता रहेगा और गरीब और गरीब होता चला जाएगा। इसके अलावा इनके लिए कोई रास्ता नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब सभा सोमवार, 24 अप्रैल, 1995 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.10 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 24 अप्रैल, 1995/4 वैशाख, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।